अध्याय 2
निष्पादन लेखापरीक्षा

इस अध्याय में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना, सेंट्रल रोड फंड और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत सड़कों के विकास, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संचालन पर पाँच निष्पादन लेखापरीक्षाओं और सार्वजनिक निजी भागीदारी से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन, पूर्व-मैट्रिक आदिवासी छात्रावासों और आश्रमों की कार्यप्रणाली, पीड़ित परिवार के सदस्यों को बंदी मुआवजे का वितरण ना होना और पर्यटन मोटल की कार्यप्रणाली पर चार वृहद कंडिकाओं के परिणाम समाहित हैं।

कृषि विभाग

2.1 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

कार्यपालिक सारांश

कृषि और समवर्गी क्षेत्रों में धीमी वृद्धि से चिंतित होते हुए राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) ने 29 मई, 2007 को हुई अपनी बैठक में यह संकल्प किया कि एक विशेष अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शुरू की जाये जिससे राज्यों को कृषि क्षेत्र के लिये व्यापक योजनायें बनाने हेतु प्रोत्साहन हो। एनडीसी ने ग्यारहवीं योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में चार प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि किया।

नियोजन प्रक्रिया की प्रभावशीलता, निधि की समय पर उपलब्धता एवं उसके प्रभावी और मितव्ययी उपयोगिता, परियोजना के निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति, निगरानी प्रक्रिया की दक्षता एवं प्रभावशीलता की जाँच के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का निष्पादन लेखापरीक्षा 2007-13 के अवधि के लिये किया गया। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर नीचे चर्चा किया गया है:

- जिला कृषि योजनाओं और व्यापक राज्य कृषि योजना (एसएपी) की तैयारी और प्रस्तुतीकरण में विलम्ब हुआ था। ₹ 32.23 करोड़ की परियोजनाओं एसएपी में शामिल किये बिना क्रियान्वित की गई।

 (कंडिका 2.1.6.1, 2.1.6.2 और 2.1.6.3)

- 64 प्रतिशत प्रकरणों में राज्य शासन द्वारा नोडल विभाग को निधि उपलब्ध कराने में दस से 145 दिनों तक विलंब हुआ।

 (कंडिका 2.1.7.2)

- ₹ 1.80 करोड़ की लागत से स्थापित नर्सरियों (उद्यान) का कम उपयोग हुआ क्योंकि पौधों के उत्पादन की उत्पादक क्षमता केवल एक से 49 प्रतिशत तक रही।

 (कंडिका 2.1.8.4)

- 112 कृषक सूचना केन्द्रों और 20 विकास खंड स्तर बहुउद्देशीय कृषक सेवा केन्द्रों का निर्माण शुरू नहीं किया गया एवं 29 गोदामों का निर्माण अपूर्ण था। जिसके कारण लाभार्थियों द्वारा निश्चित उद्देश्यों का लाभ प्राप्त नहीं किया जा सका।

 (कंडिका 2.1.8.8)

- वर्षा आच्छादित क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत धीमी प्रगति एवं निधि का उपयोग नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप भारत सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत निधि आगे विमुक्त नहीं की गयी ।

(कंडिका 2.1.8.14)

- आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा आरकेव्हीवाय के अंतर्गत परियोजना का पृथक से लेखापरीक्षा आयोजित नहीं किया गया और राज्य स्तरीय मंजूरी समिति द्वारा आरकेव्हीवाय परियोजनाओं का मितव्ययी, कुशल एवं प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु कोई मूल्यांकन प्रणाली तैयार नहीं किया गया।

(कंडिका 2.1.9.1 और 2.1.9.3)

2.1.1 प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 35 प्रतिशत क्षेत्र में 33 लाख कृषकों जिसमें से 76 प्रतिशत लघु एवं सीमान्त वर्ग के है, द्वारा कृषि कार्य किया जाता है। छत्तीसगढ़ में खेती का क्षेत्र तीन कृषि जलवायु क्षेत्र छत्तीसगढ़ का मैदान, उत्तरी पहाड़ एवं बस्तर का पठार में फैला हुआ है। खेती क्षेत्रों के 27 प्रतिशत भाग में सिंचाई[1] उपलब्ध है।

कृषि एवं समवर्गी क्षेत्रों में धीमी वृद्धि से चिंतित होकर राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) ने एक विशेष अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना जिसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेव्हीवाय/ एनएडीपी) के नाम से भी जाना जाता है जो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के दौरान कृषि क्षेत्र में चार प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ शुभारंभ (29 मई 2007) किया। एनडीसी ने संकल्प लिया कि किसानों की जरूरतों को पूरा करने कृषि विकास रणनीतियों को पुनर्भिविन्यासित किया जाना चाहिए और कृषि को फिर से जीवंत करने के लिए एक रणनीति बनाने केन्द्र और राज्य सरकारों को आह्वान किया।

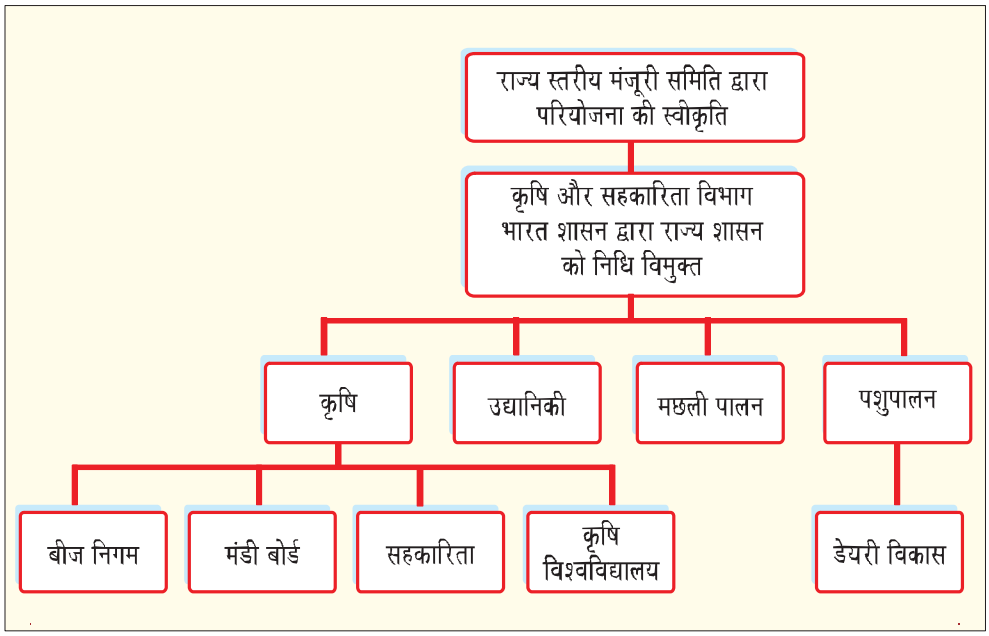
छत्तीसगढ़ में, कृषि विकास के लिए केन्द्र और राज्य की विभिन्न योजनायें क्रियान्वयित है, जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) दाल तेल बीज और मक्का एकीकृत योजना (आईसोपाम), कृषि तकनीकी प्रबंधन संस्था योजना (आत्मा), शाकम्भरी, कृषक समग्र विकास योजना (केएसव्हीवाय), राज्य गन्ना विकास योजना, लघु सिंचाई योजना इत्यादि। राज्य द्वारा कृषि क्षेत्र में ग्यारहवीं योजना अवधि (2007-12) में आरकेव्हीवाय के दिशानिर्देश में उल्लेखित चार प्रतिशत वृद्धि के विरूद्ध छः प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त किया गया।

[1] स्त्रोत राज्य कृषि योजना (2007-12)

2.1.2 संगठनात्मक संरचना

भारत सरकार का कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता (डीएसी) विभाग बजट नियंत्रण, निधि विमुक्त करने और केन्द्र स्तर पर योजना के समग्र प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। राज्य में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य कृषि विभाग, नोडल विभाग है।

नोडल विभाग, राज्य कृषि योजना (एसएपी) तैयार करेगा और समग्र राज्य योजना के साथ समेकन करने के लिये राज्य योजना विभाग को इसे प्रस्तुत करेगा। राज्य योजना विभाग अपनी राज्य योजना के भाग के रूप में योजना आयोग को इसे प्रस्तुत करेगा। एसएपी के अनुमोदन होने पर, नोडल विभाग स्ट्रीम-I[2] प्रस्ताव को पहले राज्य स्तरीय मंजूरी समिति (एसएलएससी) के समक्ष रखेगा, जो राज्य स्तर पर परियोजना की स्वीकृति देने, योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करने, उद्देश्य और केन्द्र शासन द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। डीएसी, एसएलएससी परियोजना के स्वीकृति के पश्चात नोडल विभाग को निधि विमुक्त करेगा।



2.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

आरकेव्हीवाय की निष्पादन लेखापरीक्षा इस उद्देश्य का मूल्यांकन करने के साथ किया गया था कि :-

- योजना के कार्यान्वयन के लिए नियोजन करने की प्रक्रिया प्रभावी थी एवं आरकेव्हीवाय दिशानिर्देश के अनुरूप थी।

[2] आरकेव्हीवाय के अंतर्गत निधि दो अलग स्ट्रीम में उपलब्ध थी। कम से कम 75 प्रतिशत निधि विर्निदिष्ट परियोजनाओं के लिए स्ट्रीम-I में आवंटित होन चाहिए औरा स्ट्रीम-II के अंतर्गत राज्य क्षेत्र के योजना को सुदृढ़ करने और संसाधनो की कमी की भरपाई के लिये निधि का उपयोग किया जाएगा।

- वित्तीय प्रबंधन पर्याप्त था और प्रभावी एवं मितव्ययी उपयोग के लिए निधि उपलब्ध थी।
- परियोजनाओं का क्रियान्वयन नियामक संरचना के अनुसार था और परियोजनाओं के उद्देश्यों को हासिल किया गया था और नोडल विभाग द्वारा विभिन्न परियोजनाओं को लागू करने के लिए विभिन्न विभागों और कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समन्वय प्रभावी था।
- कुशल एवं प्रभावी अनुश्रवण और क्रियान्वयन पर पूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण था; प्रत्येक स्तर पर अनुश्रवण तंत्र पर्याप्त था ।

2.1.4 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा मापदंड के स्रोत निम्नलिखित थेः

- कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेव्हीवाय) के लिए दिशानिर्देश।
- विभाग द्वारा आरकेव्हीवाय योजना की वेबसाईट 'rkvy.nic.in' में उपलब्ध कराई गई जानकारी ।
- आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2012-13।
- राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआइआरडी) के मूल्यांकन अध्ययन।
- समग्र राज्य कृषि योजना।
- क्रियान्वित परियोजना के दिशानिर्देश।
- राज्य/जिला स्तर पर आरकेवहीवाय परियोजना के क्रियान्वयन के लिए जारी निर्देश/दिशानिर्देश।
- राज्य सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम।

2.1.5 लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र और लेखापरीक्षा पद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा में वर्ष 2007-08 से 2012-13 तक की अवधि सम्मिलित की गयी थी जिसमें कृषि विभाग (राज्य में आरकेव्हीवाय का क्रियान्वयन के लिए नोडल विभाग) उद्यानिकी विभाग, सहकारिता विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड, राज्य कृषि विश्वाविद्यालय एवं कृषि अभियांत्रिकी कार्यालय के अभिलेखों की लेखापरीक्षा सम्मिलित थी।

स्ट्रीम-I के अन्तर्गत नौ[3] सेक्टरों (जैसे ***परिशिष्ट 2.1.1*** में दिया है) के कुल 454 में से 19 परियोजनाओं का चयन किया गया था और स्ट्रीम-II के अन्तर्गत पाँच में से दो परियोजनाओं का चयन किया गया। इसके अलावा दो उपयोजना का भी चयन किया गया। प्रत्येक चयनित परियोजनाओं के लिए छः जिलों का चयन निष्पादन लेखापरीक्षा

[3] फसल, उद्यानिकी, सहकारिता, बीज, विस्तार, कृषि अभियांत्रिकी, कृषि रिसर्च, विपणन एवं अन्य

के लिए किया गया। कुछ परियोजनाओं में भौतिक सत्यापन, बाह्य लेखापरीक्षा के अतिरिक्त किया गया था।

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए अपनाए गए लेखापरीक्षा उद्देश्यों एवं लेखापरीक्षा मापदंडो पर चर्चा के लिए 31 मई 2013 को कृषि उत्पादन आयुक्त सह प्रमुख सचिव, कृषि विभाग (एपीसी) के साथ आगम बैठक आयोजित किया गया। शासन ने (दिसम्बर 2013) में लेखा परीक्षा निष्कर्ष पर उत्तर प्रस्तुत किया जिसे जहां उचित एवं आवश्यक था, शामिल किया गया है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों को एपीसी के साथ निर्गम बैठक में 28 दिसम्बर 2013 को भी चर्चा किया गया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1.6 नियोजन

राज्य कृषि विकास योजना के दिशानिर्देशों की कंडिका 3.1 और 3.2 के अनुसार, प्रत्येक जिले को जिला, राज्य अथवा केन्द्रीय योजना से उपलब्ध संसाधन को शामिल करते हुए जिला कृषि योजना (डीएपी) तैयार किया जाना था। डीएपी में जिले का कृषि और समवर्गी क्षेत्र मछलीपालन, पशुपालन, लघु सिंचाई परियोजना, ग्रामीण विकास कार्यों, कृषि विपणन योजना और जल संचयन एवं संरक्षण के लिए योजना इत्यादि का अगले पाँच वर्षों के लिए विकास की आवश्यकता का समावेश होना चाहिए। समस्त डीएपी से राज्यस्तर पर एकीकृत समग्र राज्य कृषि योजना (एसएपी) तैयार किया जाना चाहिए। आगे, आरकेव्हीवाय दिशानिर्देश के कंडिका 3.3 के अनुसार राज्यों द्वारा स्पष्ट संकेत दिये जाने चाहिए कि वे जिला कृषि योजनाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं और 2008-09 से आरकेव्हीवाय के अंतर्गत कोई भी सहायता तब तक देय नहीं होगी जब तक समस्त जिलों में डीएपी साथ तैयार नहीं हो।

2.1.6.1 व्यापक राज्य कृषि योजना का विलंब से प्रस्तुत होना

डीएपी एवं एसएपी तैयार करने एवं प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलंब था

नोडल कार्यालय के अभिलेखों की जांच में हमने पाया कि, यद्यपि डीएपी 2007-08 में तैयार किया जाना था, 13 जिलों से संबंधित डीएपी वास्तव में दिसम्बर 2009 में तैयार किया गया और पाँच जिलों में जनवरी 2010 में तैयार किया गया था। समग्र एसएपी भी केवल मार्च 2010 में तैयार किया गया था और डीएसी, भारत सरकार को मई 2010 में प्रस्तुत किया था। इस प्रकार, डीएपी और एसएपी तैयार एवं प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलम्ब हुआ था।

यद्यपि, यहां एसएपी को तैयार एवं प्रस्तुत करने में विलंब हुआ था, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआरआरडी) ने अपने विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन में उल्लेखित किया था कि एसएपी को अच्छे से तैयार किया गया है किन्तु सूचना निधि के स्त्रोत, के संदर्भ में जानकारी पूर्व/वर्तमान योजनाओं के क्रियान्वयन में अनुभव इत्यादि में सुधार की जरूरत थी।

इसे इंगित (अक्टूबर 2013) किए जाने पर, शासन ने बताया (दिसम्बर 2013) कि वर्ष 2007-08 की परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए राज्य स्तरीय मंजूरी समिति

(एसएलएससी) की बैठक (जनवरी 2008) पश्चात निधि जारी किया गया और डीएपी को तैयार करने का पहल किया गया। विभाग में अनुभवी कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने के कारण रूचि की अभिव्यक्ति के द्वारा सलाहकार नियुक्त किया गया। चयन प्रक्रिया को पूर्ण होने में 12 माह लगे जिसके पश्चात ही डीएपी तैयार करने का कार्य प्रारम्भ किया जा सका चूँकि डाटा संकलन में अधिक समय लगा, इसलिए डीएपी एवं एसएपी तैयार करने भारत सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि पालन नहीं किया जा सका। यह भी बताया कि भारत सरकार ने डीएपी तैयारी के दौरान आने वाले व्यवहारिक समस्याओं को मान्य करते हुए 2009-10 के दौरान भी निधि विमुक्त किया था।

डीएपी एवं एसएपी विलंब से तैयार करने के कारण एसएपी में शामिल किये बिना ही परियोजनायें स्वीकृत हुए जिसे आगामी कंडिकाओं में चर्चा किया गया है।

2.1.6.2 डीएपी और एसएपी में परियोजनाओं का शामिल नहीं किया जाना

(i) एसएलएससी की बैठक (17 सितम्बर 2008) के दौरान, डीएसी, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार, जो योजनायें पहले से ही वर्ष 2007-08 और 2008-09 में स्वीकृत है उसे अनिवार्य रूप से डीएपी में शामिल किया जाना चाहिए।

वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 से संबंधित परियोजनाओं को डीएपी एवं एसएपी में शामिल नहीं किया जाना

हमने चयनित जिलों के डीएपी में देखा कि, एसएलएससी द्वारा वर्ष 2007-08 और 2008-09 के लिए स्वीकृत परियोजना को डीएपी में शामिल नहीं किया गया था। जिलों द्वारा तैयार डीएपी में 2007-08 एवं 2008-09 की परियोजनायें शामिल नहीं थी और केवल वर्ष 2009-10 से 2011-12 के परियोजना प्रस्ताव को शामिल किया गया था। इसे मार्च 2010 में भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया था। इसलिए वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान एसएलएससी द्वारा स्वीकृत परियोजनायें वास्तव में एसएपी में शामिल नहीं थी। यह इंगित करता है कि योजना के क्रियान्वयन के नियोजन में कमी थी।

इसे इंगित (अक्टूबर 2013) किये जाने पर शासन ने बताया (दिसम्बर 2013) कि क्योंकि डीएपी तैयार करने के पूर्व ही वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 की कार्ययोजना को एसएलएससी द्वारा स्वीकृत किया गया था, इसलिये ये प्रस्ताव में शामिल नहीं थे। हालांकि, परियोजनायें आवश्यकता के अनुसार थी।

शासन की कार्यवाही भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप नहीं थी यह बताता है कि वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 की स्वीकृत परियोजना को डीएपी में शामिल किया जाना था।

राशि ₹31.48 करोड़ की परियोजनाओं का क्रियान्वयन एसएपी में शामिल किये बिना किया जाना

(ii) 2007-08 से 2012-13 की अवधि के एसएलएससी से अनुमोदित परियोजनाओं की जांच में पाया गया कि परियोजना "क्षतिग्रस्त हाइब्रिड (संकर) धान केआरएच-2 के लिए कृषकों को अंतरिम राहत" बीज निगम द्वारा प्रस्तावित था। इस परियोजना को (2010-11) स्ट्रीम-I के अंतर्गत एसएलएससी से स्वीकृति पश्चात राशि ₹ 22.03 करोड़ लागत से क्रियान्वयन किया गया था। हालांकि इसे एसएपी में शामिल नहीं होना पाया गया जो इंगित करता है कि इस परियोजना को जिलों द्वारा अपने डीएपी में प्रस्तावित नहीं किया गया था।

इसके अलावा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (आईजीएयू) द्वारा प्रस्तावित आठ परियोजनाओं को एसएलएससी द्वारा आरकेव्हीवाय के स्ट्रीम-I के अंतर्गत ₹ 9.45 करोड़ (***परिशिष्ट 2.1.2***) में स्वीकृत (29 मई 2008) किया गया जिसे वर्ष 2010-11 के दौरान आईजीएयू द्वारा क्रियान्वित किया गया। हालांकि ये परियोजनायें वास्तव में एसएपी में प्रस्तावित नहीं थी इन परियोजनाओं की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन एसएपी में शामिल किये बिना किया गया जो अनियमित था।

निर्गम बैठक (दिसम्बर 2013) के दौरान कृषि उत्पादन आयुक्त सह प्रमुख सचिव (एपीसी) ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि, यद्यपि परियोजना को एसएपी में शामिल नहीं किया गया था इसे एसएलएससी से स्वीकृत कराया गया जो सक्षम प्राधिकारी थे। एपीसी ने आगे बताया कि भविष्य में केवल ऐसी परियोजनायें जो एसएपी में प्रस्तावित होगी उसे एसएलएससी से स्वीकृत कराया जावेगा। हालांकि आवश्यकता होने के कारण अन्य परियोजनायें जो एसएपी में शामिल नहीं थी उसे भी एसएलएससी से स्वीकृत कराया गया।

एसएपी में शामिल किये बिना परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना, परियोजना के चयन करने की योजना में कमी को दर्शाता है।

2.1.6.3 बिना उचित योजना के परियोजना स्वीकृत किये जाने से अनुदान का उपयोग न होना

छत्तीसगढ़ बीज एवं कृषि विकास निगम (बीज निगम) कृषकों से बीज उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत बीज लेता है और उनसे प्रमाणित बीज खरीदता है। किसी प्रकरण में कृषकों के बीज यदि बीज प्रमाणिकरण संस्था असफल घोषित करता है तो वे बीज मंडी में समर्थन मूल्य प्राप्त नहीं करेगा। कृषकों के नुकसान को कम करने के लिए बीज निगम के माध्यम से आरकेव्हीवाय में असफल बीजों से हुई हानि की प्रतिपूर्ति प्रस्तावित किया गया था। 2011-12 के लिए 'असफल बीजों पर अनुदान' का प्रस्ताव एसएलएससी द्वारा स्वीकृत (अप्रैल 2011)किया गया था।

₹ 75 लाख के असफल बीजों पर अनुदान का निश्चित उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना

बीज निगम के माध्यम से आरकेव्हीवाय में असफल बीजों से हुई हानि की प्रतिपूर्ति प्रस्तावित किया गया था। हालांकि, बीज निगम के स्थान पर छत्तीसगढ़ विपणन संघ (मार्कफेड) जो धान खरीदी एवं खाद वितरण हेतु नोडल संस्था थी, द्वारा असफल बीजों को 2011-12 के दौरान क्रय किया। बीज निगम द्वारा अनुदान ₹ 75 लाख का उपयोग मार्च 2012 तक नहीं किया जा सका था, और उसे वर्ष 2012-13 के पश्चात की स्वीकृति में समायोजित किया गया। इसीलिए, अनुदान की स्वीकृति और उसके बाद उसका प्राधिकृत संस्था द्वारा उपयोग न होना अनुचित योजना की ओर इंगित करता है। हमने आगे यह भी देखा कि परियोजना "असफल बीजों पर अनुदान" एसएपी में शामिल नहीं थी और इस प्रकार एसएलएससी द्वारा स्वीकृति अनियमित थी।

इसे इंगित (अक्टूबर 2013) किये जाने पर शासन ने बताया (दिसम्बर 2013) कि मार्कफेड के माध्यम से कृषकों से असफल बीज को खरीदने का निर्णय राज्य शासन का था, इसलिए बीज निगम द्वारा स्वीकृत राशि का उपयोग नहीं किया जा सका था। परियोजना के एसएपी में शामिल नहीं होने के संबंध में एपीसी ने निर्गम बैठक

(दिसम्बर 2013) में बताया कि एसएपी में बीज से संबंधित कार्यों के लिए प्रावधान था। समस्त कार्यों का एसएपी में विस्तृत विवरण नहीं दर्शाया जा सकता, इसलिए असफल बीजों पर अनुदान का विवरण एसएपी में पृथक से नहीं दर्शाया गया था। भविष्य में एसएपी में शामिल परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक सावधानी रखी जाएगी।

2.1.6.4 *अनुचित नियोजन के कारण प्रशिक्षण के लिये स्वीकृत राशि ₹ 11.45 लाख की अधोसंरचना का उपयोग नहीं होना*

परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सेवा प्रदाताओं और प्राप्तकर्ताओं दोनों स्तरों पर कर्मियों की क्षमता विकसित करना एक पूर्व अपेक्षित आवश्यकता है। बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए प्रशिक्षण सह प्रदर्शन केंद्र का निर्माण डीएचएफएफ द्वारा (मार्च 2009) प्रस्तावित किया गया था।

डीएचएफएफ के अभिलेखों का नमूना जांच के दौरान, हमने पाया कि आरकेव्हीवाय के तहत राशि ₹ 11.45 लाख स्वीकृत (मार्च 2009) किया गया और जगदलपुर, बस्तर में प्रशिक्षण सह प्रदर्शन केंद्र के निर्माण के लिए मंडी बोर्ड को प्रदान (अप्रैल 2010) की गई थी। हालांकि, अक्टूबर 2013 तक कार्य शुरू नहीं किया गया था।

इसे इंगित (अक्टूबर 2013) किये जाने पर शासन ने कहा (दिसम्बर 2013) कि कई बार स्मरण पत्र देने के बावजूद मंडी बोर्ड ने कार्य शुरू नहीं किया था। इसीलिए जिला कलेक्टर, बस्तर के निर्देश पर मंडी बोर्ड ने अन्य क्रियान्वयन संस्था को स्थानांतरित करने के लिए आवंटित धन राशि वापस (अप्रैल 2013) किया।

हालांकि, तथ्य यह है कि प्रशिक्षण सह प्रदर्शन केंद्र के निर्माण कार्य लगभग पाँच साल व्यतीत होने के बाद भी प्रारम्भ नहीं होना न केवल विभाग द्वारा अनुचित नियोजन एवं निगरानी को इंगित करता है बल्कि परिणामतः उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई।

2.1.7 वित्तीय प्रबंधन

राज्य में आरकेव्हीवाय के अंतर्गत दो अलग स्ट्रीम में निधि उपलब्ध होगी। स्ट्रीम -I के अंतर्गत आवंटित निधि का कम से कम 75 प्रतिशत विशेष परियोजना के लिए प्रस्तावित होगा। स्ट्रीम-II के अंतर्गत निधि विद्यमान राज्य योजनाओं के सुदृढ़ीकरण एवं संसाधन की कमियों को पूरा करने के लिए उपलब्ध होगा।

भारत सरकार से निधियां सीधे छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न क्रियान्वयन संस्थाओं को आवंटित करने के लिए प्राप्त होते है। 2008-09 के दौरान निधि कृषि प्रबंधन और विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (समेती) को सीधे प्राप्त हुआ था जहां से विभिन्न क्रियान्वयन संस्था को आवंटित किया गया था।

2.1.7.1 *निधि का विमुक्ति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति*

आरकेव्हीवाय के दिशानिर्देश की कंडिका 7.2.4 के अनुसार, नोडल संस्था को यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि इस योजना के तहत केन्द्रीय सहायता अनुमोदित

एसएपी एवं डीएपी के अनुसार उपयोग की गई। आवंटन की दूसरी और अंतिम किस्त की धन राशि राज्यों द्वारा निधियों के उपयोग की प्रगति पर निर्भर करेगी। राज्य यह सुनिश्चित करे कि विमुक्त निधियों का उपयोग तत्काल एवं उचित रूप से किया गया और प्रगति प्रतिवेदन डीएसी को यथाशीघ्र भेज दी गई है। केन्द्रीय सहायता को उपयोग नहीं करना निधियों की अगली विमुक्ति को बाधित करेगा।

वर्ष 2007-08 से 2012-13 के दौरान आरकेव्हीवाय के अंतर्गत राज्य को विमुक्त निधियों का विवरण और जारी किये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) की स्थिति नीचे दी गई हैं ।

तालिका-2.1.1: विमुक्त निधि का विवरण और जारी किये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र

(₹ करोड़ में)

वर्ष	डीएसी द्वारा आवंटित बजट	छ.ग. शासन को राशि निर्मुक्त	किया गया व्यय	उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रस्तुति	अनुपयोगी राशि	स्वीकृत परियोजना
2007-08	36	52.96	52.96	52.96	52.96	0
2008-09	50	117.45	117.45	117.45	117.45	0
2009-10	54	136.14	136.14	136.14	136.14	0
2010-11	108	436.27	436.27	436.27	436.27	0
2011-12	55	212.61	212.61	206.06	206.06	6.55
2012-13	136	571.22	571.22	549.87	549.87	21.35
योग	**439**	**1526.65**	**1526.65**	**1498.75**	**1498.75**	**27.90**

(स्त्रोतः छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदत जानकारी)

राज्य द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र के माध्यम से भारत शासन को प्रतिवेदित व्यय वास्तविक उपयोग को नहीं दर्शाता है

वर्ष 2007-13, के दौरान आरकेव्हीवाय के अंतर्गत राज्य को राशि ₹ 1526.65 करोड़ विमुक्त की गई थी जिसमें से ₹ 1498.75 करोड़ (98 *प्रतिशत*) व्यय किया गया जिसके लिए यूसी भी जारी किया गया था। हमने देखा कि, यद्यपि राशि ₹ 1498.75 करोड़ का व्यय प्रतिवेदित किया था, राशि ₹ 23.82 करोड़ का उपयोग नहीं किया गया एवं नोडल विभाग द्वारा शासकीय खाते में जमा किया गया था। इसमें से चयनित जिलों में शासकीय खाते में रखी अनुपयोगी राशि नीचे दर्शाया गया है:-

रायपुर	दुर्ग	बिलासपुर	सरगुजा	कांकेर
₹ 1.69 करोड़	₹ 0.17 करोड़	₹ 3.56 करोड़	₹ 0.63 करोड़	₹ 0.16 करोड़

उद्यानिकी विभाग ने भी सूचित (अक्टूबर 2013) किया कि लगभग ₹ 2.29 करोड़ निधि के व्यपगत हो जाने से बचने के लिए सिविल जमा[4] में रखा गया है। यह भी देखा गया कि 2007-10 के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए मंडी बोर्ड को विमुक्त ₹ 29.18 करोड़ के विरूद्ध राशि ₹ 2.33 करोड़ उपयोग शेष था। यह भी देखा कि योजना के तहत क्रियान्वयन/निर्माणकारी संस्थाओं जिनको निधि प्रदाय किया गया था के पास अनुपयोगी रखा रहा। जिसे आगामी कंडिकाओं में 2.1.8.4, 2.1.8.8 (iii), 2.1.8.12 और 2.1.8.14 में चर्चा किया गया है।

यह दर्शाता है कि उपयोगिता प्रमाणपत्रों से राज्य द्वारा भारत सरकार को प्रेषित व्यय वास्तविक उपयोग नहीं था किंतु एजेंसियों को निधि विमुक्त करने के पश्चात लेखा में केवल व्यय के आंकड़े अंतरित था।

[4] सिविल जमा मुख्य शीर्ष 8443 से संचालित है।

निर्गम बैठक (दिसम्बर 2013) के दौरान एपीसी ने कहा कि क्योंकि विभाग द्वारा विभिन्न निर्माण एजेंसियों के पास निधि जमा किया जाना है, जिसे उपयोगिता प्रमाणपत्र में व्यय दिखाया जाता है। हालांकि, भविष्य में मान्य यूसी भारत सरकार को प्रेषित किया जावेगा।

2.1.7.2 नोडल विभाग को विलंब से निधि विमुक्त किया जाना।

भारत शासन द्वारा नोडल एजेंसियों को जारी किये गये निधि के 64 प्रतिशत मामलों में 10 से 145 दिनों का विलंब हुआ

परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन, निधि की समय पर विमुक्ति पर निर्भर करता है। यह देखा गया कि राज्य शासन से नोडल विभाग को अवधि 2007-08 से 2012-13 तक विलंब से निधि विमुक्त किया गया था। 77 अवसरों में से 49 अवसरों पर (64 प्रतिशत) 10 से 145 दिनों के विलंब से निधि नोडल संस्था को विमुक्त किया गया जिसका विवरण ***परिशिष्ट 2.1.3*** में है।

एपीसी ने निर्गम बैठक में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए बताया (दिसम्बर 2013) कि भविष्य में अत्यधिक विलंब से बचने के लिए निधि की विमुक्ति सुव्यवस्थित की जावेगी।

परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निधि की विमुक्ति को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है।

2.1.7.3 स्ट्रीम-II के अंतर्गत निधि से संबंधित आँकड़ों का पुर्नमिलान न किया जाना

आरकेव्हीवाय के अंतर्गत कृषि और समवर्गी क्षेत्र के लिए राज्यों को किसी विशेष परियोजना के साथ निश्चित समय सीमा और स्पष्ट उद्देश्य से शुरू करने की अनुमति है। इस प्रयोजन के लिए आरकेव्हीवाय राज्य को स्ट्रीम-I एवं स्ट्रीम-II में उपलब्ध होगा। आरकेव्हीवाय दिशानिर्देश (3.2) कहता है कि आरकेव्हीवाय का उचित क्रियान्वयन की समस्त उत्तरदायी कृषि विभाग की होगी।

यद्यपि राज्य कृषि विभाग, छत्तीसगढ़ में आरकेव्हीवाय के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है, हालांकि, निधि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सीधे विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों को आवंटित किया जाता है।

नोडल अधिकारी[5] के अभिलेखों की जांच में और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार 2007-08 से 2012-13 की अवधि के दौरान ₹ 262.98 करोड़ छत्तीसगढ़ शासन को आरकेव्हीवाय के स्ट्रीम-II के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा विमुक्त किया गया था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

[5] संचालक, कृषि छत्तीसगढ़ में आरकेव्हीवाय के क्रियान्वयन के लिए राज्य नोडल अधिकारी है

तालिका- 2.1.2: स्ट्रीम-II के अंतर्गत विमुक्त की गई राशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एसएलएससी द्वारा परियोजना की स्वीकृति दिनांक	डीएसी, भारत सरकार द्वारा निधि विमुक्त का दिनांक	छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विमुक्त राशि	क्रियान्वयन एजेंसी को विमुक्त राशि
2007-08	24-01-2008	--	--	--
2008-09	17-09-2008	26-06-2008	12.96	12.96
2009-10	28-07-2009	15-06-2009	37.30	37.30
2010-11	29-05-2010	01-06-2010	98.46	98.46
2011-12	15-04-2011	28-04-2011	11.12	11.12
2012-13	08-05-2012, 29-11-2012, 14-02-2013	06-06-2012, 06-07-2012	103.14	103.14
योग			**262.98**	**262.98**

(स्त्रोतः छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदत जानकारी)

सामयिक मिलान के अभाव में विभागीय आंकड़ों एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिये गए आंकड़ों में अंतर

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि 2007-13 अवधि के दौरान स्ट्रीम-II के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त सम्पूर्ण राशि ₹ 262.98 करोड़ को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा क्रियान्वयन एजेंसियों को विमुक्त किया गया। इसके विरूद्ध नोडल विभाग द्वारा उपरोक्त अवधि के दौरान ₹ 47.09 करोड़ प्रतिवेदित किया गया। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विमुक्त आंकड़े और नोडल विभाग द्वारा प्रतिवेदित राशि के बीच ₹ 215.89 करोड़ का अंतर था क्योंकि अन्य एजेंसियों द्वारा निधि के आवंटन एवं व्यय की समीक्षा के लिए मुख्य रूप से नोडल विभाग में कोई तंत्र का अभाव था।

निर्गम बैठक (दिसम्बर 2013) के दौरान, एपीसी ने कहा कि आंकड़े के पुनर्मिलान के लिए संबद्ध विभागों के आंकड़े भी नोडल विभाग द्वारा एकत्र किया गया और आगे कहा कि भविष्य में आंकड़ो की आवधिक समीक्षा किया जाएगा। परियोजनाओं की औपचारिक मंजूरी से पहले निधियों की विमुक्त के संबंध में यह कहा गया कि स्थिति की जरूरत को दृष्टिगत किया गया था। शासन ने आगे (जनवरी 2014) कहा कि नोडल विभाग द्वारा दी गई आवंटन आंकड़े गलत थे और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रस्तुत आंकड़े सही था।

आवंटित आंकड़ो का पुनर्मिलान न करने के कारण छत्तीसगढ़ शासन और नोडल विभाग के आंकड़ो के बीच व्यापक विचलन के कारण अस्पष्टीकृत थे।

2.1.7.4 मंडी बोर्ड के पास निधि का निष्क्रिय रहना।

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि अनुपयोगी निधि मंडी बोर्ड के पास निष्क्रिय रखा था जिसे नीचे चर्चा किया गयाः-

- 30 हाट बाजारों के निर्माण के लिए मंडी बोर्ड को निधि प्रदान किया गया, 29 हाट बाजारों के निर्माण के बाद एक हाट बाजार 'वंदना' के निर्माण कार्य नहीं होने और कांकेर जिले के 10 हाट बाजारों में विद्युत कार्य नही करने के कारण कुल ₹ 40.04 लाख मंडी बोर्ड के पास था। लेखापरीक्षा के आपत्ति के आधार पर मंडी बोर्ड द्वारा नोडल विभाग को उपरोक्त राशि वापस (जनवरी 2014) किया गया।

- 19 उप-मंडी के निर्माण कार्य के लिए भी मंडी बोर्ड को निधि प्रदान किया गया था। निर्माण के पूर्ण होने के बाद ₹ 51.45 लाख की बचत हुई थी जिसे लेखापरीक्षा आपत्ति के आधार पर मंडी बोर्ड द्वारा नोडल विभाग को वापस (जनवरी 2014) किया गया।

2.1.8 योजनाओं का क्रियान्वयन

निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए स्ट्रीम-I के अंतर्गत नौ क्षेत्रों में कुल 19 परियोजनाओं, स्ट्रीम-II के अंतर्गत दो परियोजनाओं और दो उप योजनाओं को विस्तृत जाँच के लिए चयन किया गया। चयनित परियोजनाओं और क्षेत्रों को ***परिशिष्ट 2.1.1*** में दर्शाया गया है।

फसल क्षेत्र

निम्नलिखित परियोजनाओं को फसल क्षेत्र के अंतर्गत लेखापरीक्षा किया गयाः

1. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जीन का बायो प्रास्पेक्टिंग और विभिन्न जैविक, अजैव, उपज और अनाज की गुणवत्ता लक्षण के लिए छत्तीसगढ़ जर्मप्लाज्म (कोर संग्रह) का अलेले माईनिंग

2. टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला रायपुर

हमने लेखापरीक्षा में देखा कि अद्योसंरचना के स्थापना के लक्ष्य और हाइब्रिड चावल में अनुवांशिक शुद्धता की परीक्षण के लिए प्रौद्योगिकी, बीज बैंक की स्थापना, एलाईट जर्मप्लाज्म का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इत्यादि पूर्ण (मार्च 2012) हो गया था और हाइब्रीड बीजों के 31 नमूने का परीक्षण किया गया, 30 डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और 56 जर्मप्लाज्म लाइनों के भिन्न लक्षणों की जुलाई 2013 तक पहचान की गई थी। टिश्यूकल्चर प्रयोगशाला की परियोजना में कमी की निम्नलिखित कंडिका में चर्चा की गई है।

2.1.8.1 रायपुर के टिश्युकल्चर प्रयोगशाला का संचालन न होना

वाणिज्यिक उद्देश्य के लिये टिश्युकल्चर पौधों का उत्पादन करने हेतु भारत सरकार ने केन्द्र प्रवर्तित योजना मैक्रोमेनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत रायपुर में 10 लाख पौधे वार्षिक उत्पादन की क्षमता का टिश्युकल्चर प्रयोगशाला का निर्माण हेतु ₹ 1.55 करोड़ की स्वीकृती (2005-06 और 2006-07) दी। आगे, आरकेव्हीवाय के अंतर्गत राशि ₹ 3.72 करोड़ उक्त प्रयोगशाला के लिये स्वीकृत (2010-11) किया गया था। इसके अतिरिक्त भी आरकेव्हीवाय के अंतर्गत 2010-11 में राशि ₹ 75.00 लाख प्रयोगशाला के संचालन एवं क्रियाशील रखने के लिये स्वीकृत किया था।

हमने देखा कि टिश्युकल्चर प्रयोगशाला भवन का निर्माण कार्य पूर्ण (जून 2010) हो गया था और उपकरण और संबंधित सामग्री प्रयोगशाला में स्थापित (जुलाई 2012) किया गया था। टिश्यूकल्चर प्रयोगशाला के स्थापना पर कुल ₹ 3.34 करोड़ व्यय किया गया था।

राशि ₹ 3.34 करोड़ की लागत से निर्मित अधोसंरचना का एक वर्ष छः माह से अधिक व्यतीत होने के बाद भी संचालन नहीं होना

प्रयोगशाला को प्लांट मालेक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नालॉजी विभाग, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (आईजीकेव्ही) को संचालन करने के लिये स्थानांतरित (अप्रैल 2013) किया गया। हांलाकि, हमने देखा कि विद्युत व्यवस्था नहीं होने के कारण टिश्युकल्चर प्रयोगशाला का परिचालन आज तक (सितम्बर 2013) नहीं किया जा सका। इस तथ्य के बावजूद, कि भवन का निर्माण और उपकरणों की खरीद दिसंबर 2010 तक पूर्ण कर लिया गया और उपकरणों को जुलाई 2012 में स्थापित किया गया था, टिश्युकल्चर प्रयोगशाला का संचालन नहीं करने के कारण टिश्यूकल्चर पौधों का उत्पादन डेढ़ वर्ष से अधिक की अवधि के बाद भी नहीं हो सका। इस प्रकार ₹ 3.34 करोड़ की लागत से बनाई गई बुनियादी ढ़ाचें, 17 महीनों (दिसम्बर 2013 तक) से निष्क्रिय रहा। इसके अलावा, एक संचालन कोष बनाने के लिए जारी की गई राशि ₹ 75 लाख वर्ष 2010-11 से बिना उपयोग के रखी रही।

निर्गम बैठक (दिसम्बर 2013) के दौरान, एपीसी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और बताया कि विद्युत कनेक्शन जल्द ही स्थापित किया जाएगा।

टिश्यूकल्चर प्रयोगशाला का संचालन नहीं होना, न केवल बुनियादी ढ़ांचे का बल्कि परिणामतः ₹ 75 लाख का उपयोग न होना भी है।

उद्यानिकी

उद्यानिकी क्षेत्र के अंतर्गत निम्न परियोजनाओं का लेखापरीक्षा किया गया

1. नर्सरी की स्थापना और रख रखाव के लिये सहायता
2. पुरानी नर्सरी के उन्नयन और आधुनिकीकरण
3. सब्जी फसलों का क्षेत्र का विस्तार
4. सब्जी फसल प्रदर्शनी

हमने लेखापरीक्षा में देखा कि सब्जी फसलों का विस्तार एवं सब्जी फसलों का प्रदर्शनी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में लक्ष्य के विरूद्ध प्राप्तियाँ 90 और 100 प्रतिशत के मध्य रही। हांलाकि, नर्सरी की स्थापना और रखरखाव के लिए सहायता एवं पुरानी नर्सरी के उन्नयन और अधुनिकीकरण एवं अन्य परियोजनाओं के क्रियान्वयन में कमियाँ देखी गई जिसे नीचे चर्चा की गई है।

2.1.8.2 सब्जी फसलों के क्षेत्र विस्तार और सब्जी फसल प्रदर्शनी

सब्जी फसलों का उत्पादन प्रमुख फसलों की तुलना में आकर्षक है। पूरे वर्ष के लिए उपलब्धता की इच्छा और बढ़ती विविधता के साथ ही साथ स्वस्थ आहार के महत्व पर बढ़ती जागरूकता के कारण सब्जियों के मांग में भारी वृद्धि आई है। सब्जियों के महत्व के कारण हाईब्रिड और तकनीक के उपयोग के साथ उर्ध्व एवं क्षैतिज विस्तार दोनो की आवश्यकता हुई है। अनाज उत्पादन से सब्जी उत्पादन में स्थानांतरण अतिरिक्त रोजगार उत्पन्न करता है। अधिक रोजगार के अवसर के फलस्वरूप गरीब परिवार के लिए अधिक आय प्राप्त होता है।

सब्जी फसलों के क्षेत्र विस्तार एवं सब्जी फसलों का प्रदर्शन में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये विभाग द्वारा किये गये प्रयास काफी उत्साहवर्धक रहे

वर्ष 2010-11 के दौरान परियोजना "सब्जी फसल का क्षेत्र विस्तार और सब्जी फसल प्रदर्शनी (क्रमशः आईडी क्रमांक 162 और 163)" एसएलएससी द्वारा स्वीकृत था। चयनित जिलों से संबंधित लक्ष्य एवं प्राप्तियाँ निम्न थे।

तालिका- 2.1.3: उद्यानिकी के अन्तर्गत चयनित परियोजना का लक्ष्य एवं प्राप्तियाँ

जिला	सब्जी क्षेत्र का विस्तार				सब्जी प्रदर्शन			
	भौतिक (हेक्टे में)		वित्तीय (₹ लाख में)		भौतिक (हेक्टे में)		वित्तीय (₹ लाख में)	
	लक्ष्य	प्राप्तियाँ	लक्ष्य	प्राप्तियाँ	लक्ष्य	प्राप्तियाँ	लक्ष्य	प्राप्तियाँ
बिलासपुर	2375	2375	296.88	295.20	3600	3600	401.00	401.00
दुर्ग	950	850	76.20	76.51	800	800	29.12	28.80
कांकेर	1475	1475	184.38	184.43	2600	2600	89.50	89.18
रायपुर	1000	1000	125.00	125.00	3840	3840	238.95	238.95
राजनांदगांव	1375	1375	68.75	68.75	1000	1000	31.04	31.02
सरगुजा	1945	1945	243.13	243.13	3350	3350	128.25	128.25
योग	**9120**	**9020**	**994.34**	**993.02**	**15190**	**15190**	**917.86**	**917.40**

(स्त्रोतः- उद्यानिकी विभाग द्वारा प्रदत जानकारी एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

उपरोक्त तालिका दर्शाता है कि विभाग द्वारा सब्जी क्षेत्र विस्तार और सब्जी फसल प्रदर्शनी के सबंध में लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित करने के लिये किये गए प्रयास बहुत प्रशंसनीय थे।

2.1.8.3 नर्सरियों में निर्मित अधोसंरचनाओं का पूर्ण उपयोग न होना

उद्यानिकी क्षेत्र के संबंध में राज्य योजना (2008-09 से 2010-11) में उल्लेख है कि उद्यानिकी विभाग में 100 से ज्यादा नर्सरी मौजूद होने के बावजूद, यहां रोपण स्टाक की कमी है एवं प्रत्येक वर्ष बड़ी राशि अन्य स्त्रोत से पौधे क्रय करने में व्यय होता है। रोपण सामग्रियों की मांग एवं आपूर्ति के मध्य अंतर को ध्यान में रखते हुए गुणवत्ता वाले रोपण समाग्रियों की समय पर प्रदायगी सुनिश्चित करने हेतु नर्सरियों की स्थापना की योजना बनाई गयी।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन[6] (एनएचएम) दिशानिर्देश के कंडिका 8.6 के अनुसार आदर्श नर्सरी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित किये जाने के लिये शत प्रतिशत सहायता के लिये अधिकतम ₹ 18 लाख प्रति इकाई, अधिकतम चार हेक्टेयर के लिये पात्र थे। नर्सरी स्थापित किये जाने पर एक लाख पौधा प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष उत्पादन किया जाना था। क्योंकि उद्यानिकी क्षेत्र के अंतर्गत परियोजनाओं को एनएचएम के दिशानिर्देशों एवं मापदण्डों के अनुसार क्रियान्वित किया जाना था, इसलिए आरकेव्हीवाय के तहत् स्थापित नर्सरियों को भी कम से कम उतने ही संख्या में पौधे तैयार करने चाहिए थे।

आरकेव्हीवाय के अंतर्गत नर्सरी के प्रतिस्थापन और रख-रखाव की परियोजना (क्रमांक आईडी 134) के लिये ₹ 2.16 करोड़ एसएलएससी ने स्वीकृत किया। इसमें 12 आदर्श नर्सरियाँ, प्रत्येक को ₹ 18.00 लाख की दर से स्थापित किया जाना था।

[6] एनएचएम केन्द्र प्रवर्तित योजना है जो भारत शासन ने राज्यों के उद्यानिकी क्षेत्र में समग्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिये सहायता प्रदाय किया

वर्ष 2007-08 के दौरान प्रत्येक जिलों में दो नर्सरियों हेतु छः जिलों को निधि भी उपलब्ध करायी गयी थी।

नर्सरियों में ₹ 1.80 करोड़ की लागत से निर्मित अधोसंरचनाओं का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया

12 में से आठ नर्सरियों के नमूना जांच में पाया गया कि इन नर्सरियों में पौधा उत्पादन, उत्पादन क्षमता का एक से 49 प्रतिशत रहा जो ₹ 1.80 करोड़[7] (***परिशिष्ट 2.1.4*** में वर्णित) की लागत से निर्मित संरचना के उपयोग में कमी को दर्शाता है। बीजापुर जिले में प्रतिस्थापित नर्सरी (गौराबेड़ा एवं पेंगड़ापल्ली) के संबंध में पौधा उत्पादन का विवरण यद्यपि मांगा गया है (जुलाई 2013), उत्तर प्रतिक्षित (जनवरी 2014) था।

निर्गम बैठक (दिसम्बर 2013) के दौरान एपीसी ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा विद्युत एवं श्रम समस्या के कारण पौधों का कम उत्पादन रहा।

2.1.8.4 आरकेव्हीवाय के अंतर्गत अयोग्य जिलों में नर्सरी की स्थापना

वर्ष 2008-09 के परियोजना प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए भारत सरकार ने निर्देश (सितम्बर 2008) दिया कि उद्यानिकी के अंतर्गत परियोजना का क्रियान्वयन एनएचएम के दिशानिर्देश एवं नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए। इसके अलावा यह निर्देशित (सितम्बर 2008 और जुलाई 2009) किया था कि आरकेव्हीवाय के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना का क्रियान्वयन केवल गैर एनएचएम जिलों में किया जाना चाहिए।

भारत शासन के निर्देशों के विपरित राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के अंतर्गत चयनित जिलों में चार नर्सरियों की स्थापना किया जाना

आरकेव्हीवाय के अंतर्गत 'नये नर्सरियों की स्थापना' के परियोजना के लिए ₹ 2.88 करोड़ स्वीकृत (सितम्बर 2008) था। तदानुसार, राज्य में एसएलएससी में आठ नये नर्सरी स्वीकृत किये थे। इसमें से सात नर्सरी की स्थापना किया जा चुका था और एक नर्सरी बस्तर जिले में जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रारंभ नही हो सका। अभिलेखों की आगे जांच में हमने देखा कि सात में से तीन[8] गैर एनएचएम जिले में और शेष चार[9] एनएचएम जिले में स्थापित किये गये थे जो भारत सरकार के निर्देश की उपेक्षा थी।

अभिलेखों की जांच में यह भी पता चला कि इस परियोजना के अंतर्गत विभाग ने एनएचएम दिशानिर्देश अनुसार नये/आदर्श नर्सरी के स्थापना हेतु अनुमेय लागत ₹ 18 लाख के विरूद्ध प्रत्येक नर्सरी के लिए ₹ 36 लाख स्वीकृत किया गया। नर्सरियों में से पाँच[10] की स्थापना हेतु प्रत्येक में ₹ 36 लाख व्यय किया और कबीरधाम में नर्सरी के लिये ₹ 18.95 लाख व्यय किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 90.95[11] लाख का अधिक व्यय हुआ। बस्तर एवं कोरबा जिलों में नर्सरी आज तक (दिसम्बर 2013) जमीन अनुपलब्ध होने के कारण स्थापित नहीं किया जा सका और अनुपयोग की गई राशि ₹ 72 लाख को सिविल जमा में रखा गया था।

[7] ₹ 18 लाख * दस नर्सिरयां = ₹ 180 लाख

[8] धमतरी में दो एवं कांकेर में एक

[9] कबीरधाम, कोरबा, रायपुर और राजनांदगांव

[10] धमतरी में दो और कांकेर, रायपुर, एवं राजनांदगांव प्रत्येक में एक

[11] वास्तविक किया गया व्यय -₹18 लाख * छः नर्सरियों

इस परियोजना के अंतर्गत स्थापित नर्सरी में पौधा उत्पादन का विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका -2.1.4: नर्सरी और पौधा उत्पादन की स्थिति इंगित करता तालिका

नर्सरी का नाम	जिला	नर्सरी का स्थापना वर्ष	स्वीकृत राशि	किया गया व्यय	उत्पादन वांछित 4 लाख प्रति वर्ष	पौधों की वास्तविक उत्पादन				नर्सरी का उत्पादन क्षमता का प्रतिशत
						2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
पेन्ड्रावन	रायपुर	2008-09	36.00	36.00	16,00,000	74672	00	3611	200	4.91
केकी टोला	राजनांदगांव	2010-11	36.00	36.00	8,00,000	00	00	00	82000	10.25
माटागांव	धमतरी	2009-10	36.00	36.00	12,00,000	00	00	107843	91348	16.60
राकाडीह	धमतरी	2010-11	36.00	36.00	8,00,000	00	00	9500	26674	4.52
भंडरीडिह	कांकेर	2009-10	36.00	36.00	12,00,000	00	43850	30650	13138	7.30
रंजीतपुर	कबीरधाम	2009-10	36.00	18.95	12,00,000	00	00	109125	16700	10.49
कोरबा	-		36.00	राशि को सिविल जमा में रखा गया						
योग			**252.00**	**198.95**						

(स्त्रोतः- उद्यानिकी द्वारा दी गई जानकारी और लेखापरीक्षा द्वारा संचालित)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि नर्सरियों में पौधे का उत्पादन 4.52 से 16.60 प्रतिशत रहा जो यह इंगित करता है कि बुनियादी संरचना का कम उपयोग हुआ था। इसके अलावा भी आरकेव्हीवाय परियोजना का क्रियान्वयन एनएचएम जिलों में किया गया था जो अनियमित था और विभाग के नियोजन में कमी को इंगित करता है।

निर्गम बैठक (दिसम्बर 2013) के दौरान एपीसी ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा विद्युत और श्रम समस्या के कारण पौधों का कम उत्पादन रहा। अधिक व्यय के संबंध में शासन ने बताया (जनवरी 2014) कि आरकेव्हीवाय के अंतर्गत नये नर्सरी के लिए ₹ 36 लाख का प्रावधान था जो एनएचएम के अंतर्गत ₹ 18 लाख से भिन्न था।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि स्पष्ट निर्देश थे कि उद्यानिकी के अंतर्गत परियोजना का क्रियान्वयन एनएचएम दिशानिर्देश एवं शर्तों के अनुसार किया जाना था। आगे, उद्यानिकी से संबंधित गतिविधियों को क्रियान्वित करने हेतु आरकेव्हीवाय के अंतर्गत पृथक से कोई मापदंड नहीं है।

2.1.8.5 योजना के क्रियान्वयन में हुई दोहरीकरण के फलस्वरूप ₹ 10.11 करोड़ की अस्वीकार्य अनुदान सहायता की विमुक्ति

एसएलएससी बैठक (17 सितम्बर 2008) के दौरान आरकेव्हीवाय के अंतर्गत परियोजना/योजना की स्वीकृति के लिए भारत सरकार ने दोहराया कि सभी परियोजनायें उन्ही जिलों में क्रियान्वित किये जाने चाहिए जहां एनएचएम शामिल नहीं है। एसएलएससी के निर्देश/निर्णय अनुसार, आरकेव्हीवाय के अंतर्गत स्वीकृत योजना का क्रियान्वयन से संबंधित गतिविधियाँ उन जिलों में क्रियान्वित नहीं किया जाना था जहां पहले से एनएचएम की योजना क्रियान्वित है।

योजनाओं का दोहरीकरण होने के कारण ₹ 10.11 करोड़ का अमान्य अनुदान जारी किया जाना

चयनित जिलों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि वर्ष 2010-11 एवं 2012-13 के दौरान गैर बारहमासी फल (केला टीसी[12] और पपीता) और मसाले के अंतर्गत 3550 हेक्टेयर एनएचएम जिला रायपुर, सरगुजा बिलासपुर और दुर्ग में लिया था जिसमें आरकेव्हीवाय के अंतर्गत ₹ 10.11 करोड़ व्यय किया था, जो भारत सरकार के निर्देशों का उल्लंघन था। इसके अलावा, उसी वर्ष में एनएचएम के अंतर्गत मसाले एवं फलों

[12] टिश्यू कल्चर

(केला टीसी) के विस्तार हेतु सरगुजा, रायपुर और बिलासपुर जिलों में लागत ₹ 6.93 करोड़ से 4700 हेक्टेयर में भी लिया गया था जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

तालिका- 2.1.5:आरकेव्हीवाय और एनएचएम के अंतर्गत समान मदों पर क्रियान्वयन दर्शाता तालिका

(क्षेत्र हेक्टे में एवं ₹ लाख में)

जिला	वर्ष	आरकेव्हीवाय के अन्तर्गत						एन एच एम के अंतर्गत			
		केला		पपीता		मसाला		केला		मसाला	
		क्षेत्र	व्यय	क्षेत्र	व्यय	क्षेत्र	व्यय	क्षेत्र	व्यय	क्षेत्र	व्यय
रायपुर	2010-11	200	83.2	50	20.8	400	50	200	82.48	1400	170.53
	2012-13	200	83.2	0	0	0	0	0	0	0	0
सरगुजा	2010-11	500	208	0	0	600	75	100	31.20	1150	131.00
	2012-13	300	124.8	0	0	0	0	50	15.60	0	0
बिलासपुर	2010-11	0	0	300	124.8	600	75.07	200	62.40	1600	200.00
	2012-13	300	124.8	0	0	0	0	0	0	0	0
दुर्ग	2012-13	100	41.6	0	0	0	0	0	0	0	0
योग		1600	665.6	350	145.6	1600	200.07	550	191.68	4150	501.53
महायोग - 1011.27 लाख								योग 693.21 लाख			

(स्रोतः- उद्यानिकी द्वारा प्रदत सूचना और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि भारत सरकार के निर्देश होने के बावजूद दोनों योजना के अंतर्गत चयनित जिलों में समान मदों को क्रियान्वित किया गया। इससे न केवल योजना की पुनरावृति हुई बल्कि परिणामस्वरूप ₹ 10.11 करोड़ का आरकेव्हीवाय निधि में अनियमित व्यय हुआ।

निर्गम बैठक के दौरान (दिसम्बर 2013) एपीसी ने कहा कि इसे कृषकों से मांग होने के कारण एसएलएससी की अनुमोदन के पश्चात किया गया था जो सक्षम प्राधिकारी है।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि एसएलएससी ने अपने बैठक में निर्देश दिया था कि आरकेव्हीवाय से संबंधित गतिविधि केवल गैर एनएचएम जिलों में क्रियान्वित किया जाना था।

2.1.8.6 राशि ₹ 1.75 करोड़ लागत की फ्लोरीकल्चर इकाई स्थापना और उत्पादकता एवं शोधन प्रणाली पर ₹ 16.25 लाख का अनियमित व्यय

(i) कृषकों को फूलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में नये किस्म के फूलों की शुरूआत करने, इन क्षेत्रों में उच्च गुणवता के कट-फूलों के उत्पादन के लिए डेन्ड्रोबियम, एन्थुरियम, गुलाब एवं जरवेरा की कट-फूलों को बढ़ावा देने आदि के उद्देश्य के लिये नियंत्रित परिस्थतियों के अंतर्गत ₹ 1.70 करोड़ लागत की फ्लोरीकल्चर इकाई का प्रस्तावना एसएलएससी द्वारा वर्ष 2008-09 के लिए स्वीकृत किया। प्रस्तावना के अनुसार इकाई की स्थापना बस्तर जिला के विभागीय नर्सरी में किया जाना था। उक्त फ्लोरीकल्चर इकाई से कृत्रिम वातावरण में कट-फूलों के उत्पादन का प्रभाव होना चाहिए।

कट फूलों की उत्पादन के अंतर्गत पाली हाउस में नियंत्रित और कट फूलों की खेती में परियोजना संलग्न व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने में सहायक होगा साथ ही साथ पेस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी सहायक प्रणाली की स्थापना में सहायक होगा।

योजना के बिना राशि ₹1.75 करोड़ की लागत से फ्लोरिकल्चर इकाई की स्थापना किये जाने से अनुपयोगी रहना

सहायक संचालक उद्यानिकी (एडीएच) प्रमुख उद्यान रायपुर (पीजी) की अभिलेखों की जांच में पाया कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन सहकारी लिमिटेड (नेरामेक) को नियमित वातावरण में फूलों की खेती के विकास हेतु टर्नकी परियोजना को रायपुर में दो वर्ष के लिये आर्थिक, डेन्ड्रोबियम, एन्थुरियम गुलाब एवं जरवेरा की खेती 3200 वर्ग किमी क्षेत्र में करने के लिये डीएचएफएफ[13] (जनवरी 2009) में कार्य आदेश जारी किया गया था। इसके लिये शेडनेट हाउस, पालीहाउस, फागिंग प्रणाली, रूफ स्क्रीन, टपक सिंचाई, ठंड कमरा इत्यादि फरवरी 2009 से जून 2009 की अवधि के दौरान रायपुर के छोकरानाला उद्यान में ₹ 1.75 करोड़ की लागत से प्रतिस्थापित किया गया था। यद्यपि फ्लोरी कल्चर इकाई जगदलपुर के लिए एसएलएससी द्वारा स्वीकृत किया गया था, वही रायपुर में स्थापित (जून 2010) किया गया था जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था।

अभिलेखों के जांच में आगे देखा गया कि छोकरानाला में स्थापित फ्लोरीकल्चर इकाई से 100,000 डेन्ड्रोबियम, 15,000 एन्थुरियम,72,000 गुलाब और 1,20,000 जरबेरा पौधों का वार्षिक उत्पादन किया जाना था। हालांकि उत्पादन क्षमता के विरूद्ध वास्तविक उत्पादन बहुत कम था और एक प्रतिशत से 12 प्रतिशत के मध्य था जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका- 2.1.6: फ्लोरीकल्चर इकाई में फुलों के उत्पादन का विवरण

फूलों की प्रजाति	वार्षिक उत्पादन क्षमता	उत्पादन क्षमता 2010-11 से 2012-13 के दौरान	मार्च 2013 के अंत में वास्तविक उत्पादन	उत्पादित क्षमता का प्रतिशत
डेन्ड्रोबियम	100000	300000	32780	11
एन्थुरियम	15000	45000	500	01
गुलाब	72000	216000	26000	12
जरबेरा	120000	360000	22245	06

(स्रोतः- उद्यान अधीक्षक द्वारा प्रदत जानकारी और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

एडीएच, प्रमुख उद्यान ने बताया (जून 2012) कि फलोरिकल्चर इकाई उत्पादन के प्राथमिक चरण में था और फूलों का पौधा परिपक्व हो जाने के पश्चात इसकी पूर्ण क्षमता से उपयोग किया जायेगा। स्थल में परिवर्तन एवं फलोरिकल्चर इकाई की स्थापना के पश्चात उपयोग में कमी, विभाग की ओर से योजना में कमी को दर्शाता है। निर्गम बैठक के दौरान (दिसम्बर 2013), एपीसी ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और बताया कि स्थल के आस-पास के कृषकों को उच्च अवसर उपलब्ध कराने के लिये फ्लोरिकल्चर इकाई के स्थापना में स्थल परिर्वतन किया गया था।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि एसएलएससी ने फ्लोरीकल्चर इकाई की स्थापना जगदलपुर के लिये स्वीकृत किया गया था और रायपुर के लिये अनुमोदन अभिलेख में उपलब्ध नहीं था।

[13] संचालक, उद्यानिकी एवं वानिकी प्रक्षेत्र

फ्लोरिकल्चर यूनिट के लिए राशि ₹ 16.25 लाख उपकरण क्रय पश्चात सीड मल्टीप्लीकेशन फार्म, बाना में स्थापित किया गया

(ii) एडीएच, पीजी, रायपुर के अभिलेखों की जांच में पाया कि फलोरिकल्चर इकाई की स्थापना में संस्था द्वारा जिन मदों की आपूर्ति की जावेगी उसमें फर्टिगेशन प्रणाली (₹ 3.75 लाख) और जल शोधन प्रणाली (₹ 2.50 लाख) सम्मिलित थी। संस्था नेरामेक ने सूचित किया था कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उपलब्ध फ्लोरीकल्चर इकाई के लिये उक्त उपकरणों की आवश्यकता नहीं है और इसलिए उसे बीज प्रगुणन फार्म, बाना में स्थापित किया गया।

यह इंगित करता है कि फ्लोरिकल्चर इकाई की स्थापना बिना कोई योजना के किया गया क्योंकि ₹ 16.25 लाख कीमत के उपकरणों की स्थापना इकाई में नहीं किया जा सका।

शासन ने जवाब दिया (जनवरी 2014) कि फ्लोरिकल्चर इकाई में बोरवेल से जल का उपयोग किया जाता है जिसके लिए साधारण शोधन प्रणाली का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। इसलिए फर्टिगेशन एवं शोधन इकाई जो फ्लोरिकल्चर इकाई के साथ प्रदाय किया गया था, का उपयोग बीज प्रगुणन इकाई, बाना में किया गया जहां अधिक अशुद्धियाँ वाले नदी के जल का उपयोग किया जाता है।

शासन का जवाब मान्य नहीं है क्योंकि फर्टिगेशन एवं जल शोधन प्रणाली टर्नकी परियोजना का भाग था एवं इसका बाना फार्म में स्थापना बाद का विचार था।

बीज क्षेत्र

बीज क्षेत्र के अंतर्गत निम्न परियोजनाओं का लेखापरीक्षा किया गया:-

1. बीज उत्पादकों को अनुदान
2. हाईब्रिड चावल केआरएच -2 के नुकसान के लिए किसानों को अंतरिम राहत।

हमने लेखापरीक्षा के दौरान देखा कि हाईब्रिड चावल केआरएच-2 के नुकसान के लिए किसानों को अंतरिम राहत परियोजना को राज्य कृषि योजना में शामिल नहीं किया गया और इसका उल्लेख कंडिका 2.1.6.2 (ii) में किया गया। किसानों को कुल 2088 क्विंटल चावल का नुकसान के लिए राहत स्वरूप राशि ₹ 22.03 करोड़ प्रदाय (2011-12) में किया गया। बीज उत्पादकों को अनुदान परियोजना के क्रियान्वयन में पाई गई कमियों का विवरण निम्न कंडिका में है।

2.1.8.7 अयोग्य किस्मों के बीज पर अनुदान का भुगतान

छत्तीसगढ़ में यद्यपि बीज का उत्पादन वर्ष दर वर्ष बढ़ रहा है फिर भी मांग में अनुपातिक अधिक वृद्धि के कारण उत्पादन और वितरण के बीच का अंतर दिनोदिन बढ़ते जा रहा है। बढ़ता हुआ अंतर इस बात को इंगित करता है कि किसान अधिक से अधिक प्रमाणिक बीज का उपयोग करने के लिए इच्छुक हो रहे हैं। भारत सरकार, राज्यों को कृषि के मैक्रो मैनेजमेंट और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत प्रमाणिक बीज के किस्मों के वितरण के लिए जो 10 वर्षों से अधिक पुराना न हो प्रोत्साहित करने के लिए सहायता प्रदान कर रहा है।

वर्ष 2008-09 में आरकेव्हीवाय के तहत एसएलएससी द्वारा 'बीज उत्पादकों को प्रोत्साहन' परियोजना के लिए राशि ₹ 7.00 करोड़ मंजूर किया गया था। बीज उत्पादन प्रोत्साहन ₹ 200 प्रति क्विंटल बीज निगम द्वारा चिन्हित बीज की खरीद पर ही किसानों को दी जानी थी। भारत सरकार के निर्देशानुसार (अक्टूबर 2010) बीज उत्पादकों को प्रोत्साहन केवल नये किस्मों जारी के बीज के लिए देना है। हालांकि प्रोत्साहन कुछ सूचीबद्ध किस्मों के लिए भी दिया जा सकता है जो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हों और चाहे 10 वर्ष से कम या ज्यादा पुराना हो।

अमान्य बीज किस्मों पर बीज उत्पादन के लिए राशि ₹ एक करोड़ का अनुदान प्रदाय किया गया

बीज निगम के प्रसंस्करण केन्द्र/खेतों में बीज खरीदी से संबंधित अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया कि वर्ष 2008-09 में धान की 2,46,013.97 क्विंटल (24 किस्में) और गेहूँ की 35,589.64 क्विंटल (24 किस्में) खरीदा गया था जिसके लिए किसानों को ₹ 5.63 करोड़ (₹4.92 करोड़ + ₹0.71 करोड़) का भुगतान प्रोत्साहन हेतु किया था। इन किस्मों में से धान की 19 किस्में (38120.30 क्विंटल) और गेहूँ की 19 किस्में (11954.44 क्विंटल) 10 वर्ष से अधिक पुराना था एवं सूचीबद्ध भी नहीं थी। इस प्रकार आरकेव्हीवाय के अंतर्गत अयोग्य बीज की किस्मों पर राशि ₹ एक करोड़ ***(परिशिष्ट 2.1.5)*** उत्पादन अनुदान का भुगतान किया जाना अमान्य था। चयनित जिलों में अयोग्य किस्मों के बीजों पर राशि ₹ 73.12 लाख का अनुदान भुगतान किया गया।

आगे यह देखा गया कि एसएलएससी की स्वीकृति अनुसार, किसानों को गेंहू एवं धान के बीज उत्पादन पर ही अनुदान देय था। हालांकि, यह देखा गया कि किसानों को दाल (4545.30 क्विंटल) एवं मिलेट्स (कोदो एवं रागी) (100.95 क्विंटल) के लिए कुल राशि ₹ 48.96 लाख का अनुदान भुगतान किया गया जिसमें दालों के लिए ₹ 1000 प्रति क्विंटल तथा मिलेट्स के लिए 800 प्रति क्विंटल की दर थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 48.96 लाख का अनुदान का भुगतान अमान्य मदों में किया गया।

इंगित किये जाने पर (अक्टूबर 2013) शासन ने बताया कि (जनवरी 2014) कि बीज उत्पादन अनुदान के प्रस्ताव में 10 वर्ष पुरानी किस्म संबंधी बंधन नहीं था। आगे, यह भी लेख किया कि अनुदान केवल उन्ही किस्मों पर दिया गया था जो प्रचलित है और जिसकी किसानों द्वारा मांग की गई थी। दालों एवं मिलेट्स के वितरण पर अनुदान देने के संबंध में प्रबंधक (उत्पादन), बीज निगम ने कहा (जुलाई 2013) कि आरकेव्हीवाय के दिशानिर्देशों में स्पष्ट है कि कार्य योजना राज्य एवं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए।

शासन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार के निर्देशानुसार (अक्टूबर 2010) अनुदान केवल बीज की नई या सूचीबद्ध किस्मों पर ही दिया जाना था। आगे, एमएमए तथा एनएफएसएम योजना में 10 वर्षों से कम पुरानी किस्मों के बीजों को प्रोत्साहित किया जाना है। दालों एवं मिलेट्स के वितरण के सबंध में विभाग का मत मान्य नहीं है। आरकेव्हीवाय के दिशानिर्देशों में कार्य योजना राज्य तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना चाहिए यद्यपि उसे एसएलएससी से अनुमोदित किया जाना था।

विभिन्न क्षेत्रों में निर्माण कार्यों का अपूर्ण होना

विस्तार क्षेत्र

विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित परियोजनाओं का लेखापरीक्षा किया गया

1. कृषकों का 'सूचना एवं सुविधा केन्द्र का विकास'
2. गांव स्तर पर कृषक सूचना सुविधा केन्द्र

उपरोक्त दो परियोजनाओं के क्रियान्वयन में पाई गई कमियों की चर्चा निम्न कंडिकाओं में की गई हैं।

2.1.8.8 (i) गांव स्तर पर कृषक सूचना सुविधा केन्द्रों के निर्माण कार्य अपूर्ण होना

कृषि एव संबंध क्षेत्रों में कृषकों के अधिकतम रिटर्न्स देने के लिए सूचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ गांव स्तर पर कृषक सूचना केन्द्र (एफआईसी) की स्थापना एसएलएससी में प्रस्तावित किया।

एसएलएससी ने 469 केन्द्र (वर्ष 2009-10 के दौरान 51 एवं 2010-11 के दौरान 418) स्वीकृत किया था। हमने देखा कि इसके विरूद्ध लागत ₹ 36.94 करोड़ से केवल 372 केन्द्रों का निर्माण किया जा सका। चयनित जिले के एफआईसी का निर्माण की स्थिति (अक्टुबर 2013) में निम्नानुसार थाः

तालिका-2.1.7: चयनित जिलों में एफआईसी के निर्माण की स्थिति

जिला	2009-10 एवं 2010-11 के दौरान कृषक सूचना केन्द्र की स्वीकृति				निधि का विवरण (₹ करोड़ में)			शेष राशि जिसके पास है
	स्वीकृत	पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ	आबंटन	व्यय	शेष	
बिलासपुर	36	36	00	00	2.84	2.84	0	
दुर्ग	52	11	03	38	4.09	0.82	3.27	सीईओ जिला पंचायत (जनवरी 2013 से)
कांकेर	35	16	17	02	2.58	1.57	1.01	आर ई एस/पी डब्ल्यू डी
रायपुर	50	12	00	38	3.93	0.83	3.10	मंडी बोर्ड/आर ई एस
राजनांदगांव	34	20	08	06	2.69	1.52	1.17	मंडी बोर्ड/आर ई एस
सरगुजा	38	08	02	28	3.01	0.69	2.32	मंडी बोर्ड/आर ई एस
योग	245	103	30	112	19.14	8.27	10.87	

(स्त्रोतः- कृषि विभाग द्वारा प्रदत जानकारी एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

112 एफआईसी का निर्माण कार्य नहीं करने से राशि ₹ 8.87 करोड़ का 18 से 36 माह तक अवरूद्ध होना

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि चयनित जिलों में 245 स्वीकृत एफआईसी में केवल 103 पूर्ण एवं 30 एफआईसी का निर्माण प्रगति पर थे। यद्यपि निधि उपलब्ध (मार्च 2010 अगस्त 2012) कराई गई थी शेष 112 एफआईसी का निर्माण क्रियान्वयन संस्था द्वारा लेखापरीक्षा दिनांक (सितंबर 2013) तक चालू नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप कुल निधि ₹ 8.87 करोड़ 18 से 36 माह से अवरूद्ध ***(परिशिष्ट 2.1.6)*** था। दुर्ग जिले को छोड़कर जहां निर्माण कार्य मंडी बोर्ड से जिला पंचायत को हस्तांतरित (जनवरी 2013) किया गया निर्माण कार्य शुरू नहीं होने के बावजूद शेष 112 एफआईसी का निर्माण कार्य जल्द शुरू करने के लिये कोई कार्यवाही नही किया था। भवन निर्माण कार्य में विलम्ब को देखते हुऐ, कि कीमत बढ़ने से स्वीकृत राशि में निर्माण कार्य पूर्ण होने की संभावना दूर है।

क्षेत्र निरीक्षण के दौरान (रूआंबांधा) दुर्ग जिले के केन्द्र में हमने पाया कि भवन का निर्माण कार्य में पूर्ण हो गया था किन्तु विद्युत और पानी की आपूर्ति के अनुपलब्धता के कारण उसे अगस्त 2013 तक उपयोग नहीं किया जा सका।



चित्र संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान 3 अगस्त 2013 को लिया गया जो एफआईसी रूआंबांधा दुर्ग जिला का उपयोग नहीं किया जाना को दर्शाता है

अन्य क्षेत्र

अन्य क्षेत्र[14] के अंतर्गत निम्न परियोजनाओं का लेखापरीक्षा किया गया

1. शहीद वीर नारायण सिंह बहुउद्देशीय कृषक सूचना केन्द्र की स्थापना
2. क्षेत्र दिवस/किसान मेला/किसान गोष्ठी/आरईएफ इंटरफेस इत्यादि।

हमने लेखापरीक्षा में देखा कि क्षेत्र दिवस/किसान मेला/किसान गोष्ठी/आरईएफ इंटरफेस आदि परियोजनाओं में प्राप्त भौतिक लक्ष्य 136 के विरूद्ध किसान मेला/किसान गोष्ठी के लक्ष्य की पूर्ति हुई। शहीद वीरनारायण सिंह बहुउद्देशीय किसान सेवा केन्द्रों की स्थापना संबंधी परियोजना के क्रियान्वयन में पाई गई कमियों का उल्लेख निम्न कंडिकाओं में दिया गया है।

2.1.8.8 (ii) शहीद वीर नारायण सिंह बहुउद्देशीय कृषक सूचना सुविधा केन्द्र की स्थापना

कृषि, उद्यानिकी, कृषि यांत्रिकी और मछली पालन के निवेश के बारे में कृषकों को तकनीकी समाधान, चयन एवं उचित परामर्श की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये विकासखंड स्तर पर बहुउद्देशीय कृषक सेवा केन्द्र (बीएमएफसी) का प्रस्ताव किया था। बीएमएफसी प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में और नवीनतम पूर्वानुमान डाउनलोड करने के लिये सायबर हब बनाने के लिये था। प्रत्येक बीएमएफसी का इकाई लागत ₹ 55 लाख थी और सिविल निर्माण कार्य पर (₹ 32.31 लाख) एवं शेष से कार्यालय फर्नीचर, कम्प्यूटर, प्रोजेक्टर इत्यादि, पर उपयोग किया जाना था।

नोडल अधिकारी के अभिलेखों की जांच में पता चला कि एसएलएससी ने (2008-11) 113 बीएमएफसी की स्थापना के लिए ₹ 62.15 करोड़ स्वीकृत किया था जिसमें से ₹ 33.76 करोड़, 89 बीएमएफसी के निर्माण कार्य हेतु व्यय किया गया था। शेष निधि

[14] जिन परियोजनाओं को किसी विशेष क्षेत्र में श्रेणीबद्ध नहीं किया गया हो उसे अन्य क्षेत्र के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया गया।

कुल ₹ 28.39 करोड़ अक्टूबर 2013 तक कार्यों के अप्रारंभ/अपूर्ण होने के कारण उपयोग नहीं किया जा सका।

नमूना जांच जिलों के बीएमएफसी का निर्माण की स्थिति निम्नानुसार था।

तालिका-2.1.8: अक्टूबर 2013 अनुसार चयनित जिलों में बीएमएफसी के निर्माण की स्थिति

जिला	स्वीकृत		सिविल निर्माण कार्य			पूर्ण बीएमएफसी में कुल व्यय
	इकाई	(₹ करोड़ में)	पूर्ण	अपूर्ण इकाई	अप्रारंभ इकाई	(₹ करोड़ में)
बिलासपुर	08	3.46	04	03	01	1.29
दुर्ग	09	3.16	03	01	05	0.88
कांकेर	06	1.93	02	03	01	0.74
रायपुर	11	4.61	01	00	10	0.50
राजनांदगांव	09*	2.87	02	04	03	0.47
महासमुन्द	05	2.78	05	00	00	2.77
योग	**48**	**18.81**	**17**	**11**	**20**	**6.65**

**कृषि संचालनालय द्वारा स्वीकृत चार अतिरिक्त बीएमएफसी भी शामिल है।*

(स्त्रोतः- कृषि विभाग द्वारा प्रदत जानकारी और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

20 बीएमएफसी का निर्माण निधि ₹ 6.26 करोड़ की उपलब्धता के बाद भी शुरू नहीं किया गया और कम्प्यूटर प्रोजेक्टर आदि का क्रय नहीं होने के कारण निर्माण कार्य पर ₹ 6.15 करोड़ का व्यय निरर्थक रहा

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 48 बीएमएफसी में से 17 का सिविल निर्माण कार्य पूर्ण था एवं अभनपुर, रायपुर जिले में बीएमएफसी कार्यशील था हांलाकि कम्प्युटर, प्रोजेक्टर फर्नीचर का क्रय नहीं होने और आंतरिक साज सज्जा नहीं होने के कारण 16 पूर्ण बीएमएफसी का प्रशिक्षण देने एवं कृषकों को सूचना देने के लिये उपयाग नहीं किया जा सका था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.15 करोड़[15] निष्फल व्यय था। इसके अलावा यद्यपि कुल राशि ₹ 6.26 करोड़ ***(परिशिष्ट 2.1.7)*** उपलब्ध होने पर भी (सितम्बर 2009 और मार्च 2012) 20 बीएमएफसी का निर्माण कार्य जमीन उपलब्ध न होने एवं निविदाओं का अंतिम रूप नही दिये जाने के कारण शुरू नहीं किया जा सका। 11 अपूर्ण बीएमएफसी का निर्माण विभिन्न चरणो में था। इसमें यह भी देखा गया की राजनांदगांव जिले में एसएलएससी की स्वीकृति 5 बीएमएफसी के विरूद्ध अतिरिक्त 4 बीएमएफसी लिया गया था।

सहकारिता क्षेत्र

सहकारिता क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित परियोजनाओं का लेखापरीक्षा किया गया

1. प्राथमिक कृषि सहकारी समिति मे गोदाम (पीएसीएस)
2. सहकारी समिति के गोदाम

उपरोक्त परियोजनओं के क्रियान्वयन में पाई कमियों की चर्चा निम्न कंडिकाओं में की गई है।

[15] चयनित जिलों मे बीएमएफसी के निर्माण पर कुल व्यय (₹ 6.65 करोड़) अभनपुर बीएमएफसी पर किया गया व्यय जिसका उपयोग किया गया (₹ 0.50 करोड़) = ₹ 6.15 करोड़

2.1.8.8 (iii) आरकेव्हीवाय के अंतर्गत गोदामों का निर्माण कार्य अपूर्ण रहना

सहकारी समिति में गोदाम निर्माण का मुख्य उद्देश्य था कि प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (पीएसीएस)[16] स्तर पर अतिरिक्त संधारण सुविधा का निर्माण हो जिससे खाद उपलब्ध कराने के साथ साथ समय से कृषकों को बीज प्राप्त हो जिससे की उच्च उत्पादन और अन्य फसलों में उत्पादकता का परिणाम प्राप्त हो पीएसीएस स्तर पर ₹ 6.50 लाख की लागत से 100 मी टन संधारण क्षमता वाले गोदाम निर्माण किया जाना था। वर्ष 2009-12 के दौरान कुल 51000 मी टन भंडारण क्षमता का लक्ष्य था।

चयनित जिलों में अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि वर्ष 2009-12 के दौरान कुल 286 गोदामों कि स्वीकृति प्रदान कि गई। इसमें से 257 गोदाम का निर्माण पूर्ण था। हालांकि, वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान क्रमशः 5 और 24 स्वीकृत गोदामों जिनको चार से पाँच माह में पूर्ण करना था, मजदूरों की समस्या के कारण अक्टूबर 2013 तक पूर्ण नहीं किया जा सका।

बिलासपुर जिले में 2009-10 के लिये स्वीकृत 15 गोदामों के संबंध में 10 गोदाम कार्यकारी संस्था (जिला सहकारी बैंक) द्वारा ₹ 50.49 लाख व्यय करने के बाद पूर्ण किया तथा ₹14.51 लाख शेष था (₹ 65 लाख - ₹ 50.49 लाख) जो अब तक वापस नहीं किया गया। राजनांदगांव जिले में हमने देखा कि 2009-10 से 2011-12 के दौरान स्वीकृत गोदामों के निमार्ण कार्य की बचत राशि ₹ 21.44 लाख से अतिरिक्त तीन गोदाम का निर्माण कार्य जिला कलेक्टर के निर्देश पर कराया गया। हालांकि एसएलएससी से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया था।

सहकारिता क्षेत्र में गोदाम निर्माण का मुख्य उद्देश्य भंडारण सुविधाओं को बढ़ाना था, गोदामों के अपूर्ण रहने के कारण विभाग के उद्देश्यों की आंशिक पूर्ति ही हो सकी। क्योंकि 51,000 मी टन भंडारण क्षमता के लक्ष्य के विरूद्ध 30200 मी टन क्षमता ही प्राप्त हो सकी।

इंगित किये जाने पर (अक्टूबर 2013) शासन ने बताया कि (दिसम्बर 2013) एफआईसी ,बीएमएफसी और 100 मी टन गोदाम के निर्माण के लिये राजस्व विभाग द्वारा भूमि आवंटित किया गया। भूमि की उपलब्धता एवं उपयुक्तता सुनिश्चित करने में समय लगता है। भूमि चयन होने के पश्चात मंडी बोर्ड, पीडब्ल्यूडी, आरईएस द्वारा निविदा मंगाई जाती है और कम दर पर नेगोसिएट किया जाता है। इसके अलावा, निर्माण कार्य वर्षा के दौरान प्रभावित रहता है। इन सभी कारणों से निर्धारित समय में भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं रहा। आगे यह भी कहा गया कि अधोसंरचना के विकास कार्यों में गति लाने के लिये शासन द्वारा जिला कलेक्टरों को निर्माण कार्यों की समीक्षा करने के निर्देश दिया गया।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासन द्वारा इंगित किये गये कारणों को पूर्ण निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व विचार किया जाना था।

[16] यह किसानों की एक सहकारी समीति है, जो ऋण देने, उर्वरक का वितरण तथा जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत दुकान संचालन करता है।

कृषि यांत्रिकीकरण क्षेत्र

कृषि यांत्रिकीकरण क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित परियोजनाओं का लेखापरीक्षा किया गया

1. उन्नत कृषि उपकरण को प्रोत्साहन
2. कृषि यंत्रों का वितरण

उपरोक्त दो परियोजनाओं और इस क्षेत्र के अन्य परियोजनाओं के क्रियान्वयन में पाई गइ कमियों पर निम्न कंडिकाओं में चर्चा गया है:

2.1.8.9 कृषि यांत्रिकीकरण अंतर्गत परियोजनाओं का क्रियान्वयन

चयनित जिलों में उपरोक्त दो परियोजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति निम्नानुसार थी:-

तालिका-2.1.9: कृषि यांत्रिकीकरण अंतर्गत चयनित परियोजनाओं का लक्ष्य एवं प्राप्ति

जिला	उन्नत कृषि उपकरण का प्रोत्साहन					कृषि यंत्रो का वितरण				
	भौतिक (संख्या)			वित्तीय (₹ लाख में)		भौतिक (संख्या)			वित्तीय (₹ लाख में)	
	लक्ष्य	प्राप्ति	*प्रतिशत*	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	*प्रतिशत*	लक्ष्य	प्राप्ति
बिलासपुर	332	738	222	220.53	220.11	4695	901	19	135.76	129.78
दुर्ग	517	343	66	156.45	151.46	1019	922	90	144.77	137.53
कांकेर	80	80	100	23.96	25.47	585	88	15	19.47	17.17
रायपुर	1135	1233	109	586.94	586.97	4351	3775	87	310.45	310.43
राजनांदगांव	493	586	119	213.35	211.84	766	811	106	124.10	117.16
सरगुजा	190	141	74	72.54	53.81	458	291	64	65.45	55.28

(स्त्रोतः- अतिरिक्त संचालक, कृषि यांत्रिकी द्वारा प्रदत्त जानकारी)

नमूना जाँच के चार जिलो में, ट्रेक्टर पर सहायता के लक्ष्य की पूर्ति का प्रतिशत 6 से 124 रहा और पॉवर टिलर के लिए यह 55 से 127 प्रतिशत रहा। कांकेर और बिलासपुर जिलों में उड़ावनी पंखा पर सहायता प्रदान नहीं की गई

उपरोक्त तालिका के अनुसार, वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में यद्दपि वित्तीय लक्ष्यों को लगभग प्राप्त कर लिया गया,परन्तु भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति में अत्यधिक अंतर था। उन्नत कृषि उपकरण का प्रोत्साहन के संदर्भ में लक्ष्यों की प्राप्ति 66 से 222 प्रतिशत रही तथा कृषि यंत्रों का वितरण के संदर्भ में प्राप्ति 15 से106 प्रतिशत था। चयनित छः जिलों में से चार[17] जिलों द्वारा 'उन्नत कृषि उपकरण का प्रोत्साहन' परियोजना अंतर्गत लक्ष्य एवं पूर्ति की मदवार जानकारी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई। इसी प्रकार, 'कृषि यंत्रो का वितरण' परियोजना अंतर्गत एक[18] जिला द्वारा लक्ष्य एवं पूर्ति की मदवार जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई एवं पाँच जिलों में उपलब्ध जानकारी की जाँच में निम्न पाया गया।

- उप-संचालक, कृषि,सरगुजा द्वारा 31 ट्रैक्टर वितरण के लक्ष्य के विरूद्ध कोई भी सहायता नहीं दी गई, शेष चार जिलों में पूर्ति छः से 124 प्रतिशत रही।
- पॉवर टिलर में पूर्ति 55 से 127 प्रतिशत रही।
- उड़ावनी पंखा के सबंध में, उप-संचालक, कृषि, कांकेर एवं बिलासपुर द्वारा लक्ष्य क्रमशः 500 एवं 4000 के विरूद्ध सहायता प्रदान नहीं की गई तथा उप-संचालक, कृषि दुर्ग एवं रायपुर द्वारा क्रमशः 49 एवं 90 प्रतिशत सहायता

[17] बिलासपुर, कांकेर, रायपुर एवं राजनांदगाव
[18] राजनांदगांव

प्रदान की गई। उप-संचालक, सरगुजा को कोई लक्ष्य प्रदान नहीं किया गया था।

- इसी प्रकार, शक्ति चलित उपकरणों के वितरण पर अनुदान में सरगुजा को छोड़कर सभी जिलों में लक्ष्य से अधिक प्राप्ति रही और यह 103 से 879 प्रतिशत तक रही। उप-सचांलक, कृषि सरगुजा के संबंध में प्राप्ति 62 प्रतिशत थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित (सितम्बर 2013) किये जाने पर अतिरिक्त संचालक, कृषि यांत्रिकी ने लेख किया (सितंबर 2013) कि विभिन्न उपकरणों की श्रेणी में सहायता की राशि अलग होती है। शक्ति चलित यंत्रो के संदर्भ में जैसे थ्रेसर, रीपर कल्टीवेटर में सहायता (अनुदान) राशि उड़ावनी पंखा से ज्यादा है। भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति किसानों द्वारा की गई मांग, जो शक्ति चलित यंत्रों में अधिक थी, परिणामस्वरूप भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति में अंतर रहा। आगे लेख है कि संचालानालय द्वारा तय भौतिक लक्ष्य सांकेतिक है एवं उप संचालक, कृषि, किसानों द्वारा की गई मांग के अनुरूप ही वित्तीय मापदंडों के अंतर्गत अनुदान राशि प्रदान करने के लिये स्वतंत्र है।

अतिरिक्त संचालक, कृषि यांत्रिकी द्वारा लक्ष्य एवं प्राप्ति में अंतर के कारणों के संबंध में दिया गया उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि लक्ष्यों का निर्धारण उप संचालक, कृषि द्वारा सूचित मांग के अनुसार ही संचालनालय से किया जाता है। विभाग द्वारा लक्ष्यों के निर्धारण को सुधार किया जाने की तुरंत आवश्यकता है।

2.1.8.10 शक्ति चलित कृषि उपकरणों पर अनुदान का अनियमित भुगतान

बिल में इंजन और चेसिस क्रमांक को सुनिश्चित किए बिना ही शक्ति चलित उपकरणों पर राशि ₹ 14.81 लाख की सहायता प्रदान की गई

आरकेव्हीवाय के दिशानिर्देशों की कंडिका 4(ब) अंतर्गत कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि यंत्रों एवं मशीनों के क्रय पर अनुदान प्रदान किया जाता है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कृषकों को कृषि यंत्र प्रदान करने हेतु जारी दिशानिर्देशों (अगस्त 2008) की कंडिका 5.5.2 के अनुसार यंत्र/मशीन का क्रमांक भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन, देयक एवं यंत्र /मशीन के वॉरंटी पत्र में अंकित होना चाहिए।

उप संचालक, कृषि दुर्ग के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2011-13 के दौरान पावर टिलर और अन्य शक्ति चलित कृषि यंत्रों के लिए ₹ 14.81 लाख का अनुदान देयकों में इंजन या चेसिस क्रमांक सुनिश्चित किये बिना किया जाना अनियमित था। हमने यह अनियमितता अन्य चयनित जिलों में नहीं पाई।

इंगित किए जाने (अक्टुबर 2013) पर, शासन ने लेख किया (दिसम्बर 2013) कि निर्माता के उपकरणों में इंजन एवं चेसिस क्रमांक दिया जाता है एवं किसानों को अनुदान प्रदान करने के पूर्व इसका भौतिक सत्यापन किया जाता है।

शासन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि दिशानिर्देश के अनुसार उपकरणों के इंजन एवं चेसिस क्रमांक को देयक एवं वारंटी पत्र पर भी दर्ज किया जाना चाहिए था जो कि नहीं पाया गया।

2.1.8.11 आरकेव्हीवाय एवं मैक्रो मैनेजमेंट योजनान्तर्गत क्रियाकलापों का दोहरीकरण

आरकेव्हीवाय योजना के दिशानिर्देशों की कंडिका 6.3 के अनुसार स्ट्रीम-I के अंतर्गत परियोजनाओं की स्वीकृति एसएलएससी की जिम्मेदारी है एवं यह सुनिश्चित करना कि संसाधनों का दोहरीकरण नहीं हो रहा है। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को पुनः सलाह दी गई (जुलाई 2010) कि यह सुनिश्चित किया जाय कि आरकेव्हीवाय की स्ट्रीम-I अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं एवं केन्द्र या राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियाकलापों में किसी प्रकार का दोहरीकरण न हो।

आरकेव्हीवाय और एमएमए योजना मे गतिविधियों के दोहरीकरण के कारण कृषि उपकरणों पर ₹ 13.54 करोड़ की अमान्य सहायता

नमूना जांच हेतु चयनित जिलों में योजनाओं से संबंधित अभिलेखों की जांच में यह देखा गया कि आरकेव्हीवाय अंतर्गत दुर्ग, बिलासपुर एवं राजनांदगांव जिलों में किसानों को कृषि यंत्र/मशीनों जैसे ट्रैक्टर, पावर टिलर, शक्तिचलित कृषि उपकरणों हेतु राशि ₹ 13.54 करोड़ ***(परिशिष्ट 2.1.8)*** का अनुदान प्रदान किया गया। यह भी देखा गया कि इन जिलों में मैक्रो मेंनेजमेंट आफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत भी उक्त घटक में किसानों को अनुदान दिया गया। इस प्रकार आरकेव्हीवाय में क्रियाकलापों का दोहरीकरण किया गया जो भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों की अवहेलना है।

इंगित (अक्टूबर 2013) किये जाने पर, शासन ने लेख किया (दिसम्बर 2013) कि आरकेव्हीवाय के दिशानिर्देशों में एसएलएससी को राज्य की आवश्यकता के अनुरूप परियोजनाओं को स्वीकृत करने की शक्ति प्रदान है। मेक्रो मेनेजमेंट योजना में अपर्याप्त निधि होने के कारण आरकेव्हीवाय में प्राप्त निधि का उपयोग किसानों को उन्नत कृषि उपकरण हेतु अनुदान प्रदाय करने के लिए किया गया। आगे यह लेख किया कि दोनों ही योजनाएँ हितग्राही मूलक है, एवं किसानों को एक योजना से एक ही क्रियाकलाप के लिए अनुदान प्रदाय किया गया है।

तथ्य यह है कि इन जिलों में आरकेव्हीवाय से प्राप्त निधि का उपयोग उन क्रियाकलापों में किया गया जो पूर्व में ही एमएमए योजना में शामिल है जो कि आरकेव्हीवाय के दिशानिर्देशों की अवहेलना था।

विपणन क्षेत्र

विपणन क्षेत्र के अंतर्गत निम्न परियोजनाओं का लेखापरीक्षा किया गया

1. हाट बाजार का विकास
2. उप बाजार क्षेत्र का विकास

हमने लेखापरीक्षा में देखा कि 14 उपबाजार क्षेत्रों के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था। हालांकि, लेखापरीक्षा द्वारा उल्लेख किये जाने पर हाट बाजार का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद बचत राशि ₹ 51.45 लाख मंडी बोर्ड द्वारा नोडल विभाग को वापस की गई जिसकी टिप्पणी ***कंडिका 2.1.7.4*** में है। हाट बाजार का विकास परियोजना के क्रियान्वयन में पाई गई कमियों की चर्चा निम्न कंडिकाओं में किया गया है।

2.1.8.12 हाट बाजार का विकास

राज्य में कृषि एवं समवर्गी क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, परंतु विपणन क्षेत्र के लिए बहुत कम थी। हाट बाजारों का संचालन राज्य में कई जगहों पर हो रहा था (जिसमें से कई आदिवासी क्षेत्र में थे) जिसमें कृषक अपनी उपज सीधे उपभोक्ताओं और व्यापारियों को बेच सकते थे साथ हीं अपनी आवश्यकता अनुसार क्रय कर सकते थे। विपणन के लिए अधोसंरचनायें सभी जगहों पर कम थी और इसके सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता थी।

अधोसंरचनाओं के सुदृढीकरण के लिए 'हाट बाजार का विकास' परियोजना को एसएलएससी द्वारा स्वीकृति (24 जनवरी 2008) प्रदान की गई। नमूना जांच में चयनित जिलों में हाट बाजार निर्माण की स्थिति निम्न थी:-

तालिका-2.1.10:- 'हाट बाजार' निर्माण की स्थिति को दर्शाता पत्रक

जिला	स्वीकृत	ईकाई लागत (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	पूर्ण	व्यय (₹ लाख में)	शेष राशि (₹ लाख में)
बिलासपुर	8	10	80	8	69.16	10.84
सरगुजा	7	10	70	6	52.20	17.80
जशपुर	5	10	50	5	41.11	8.89
कांकेर	10	10	100	10	99.99	0.01
योग	**30**		**300**	**29**	**262.46**	**37.54**

(स्त्रोतः मंडी बोर्ड द्वारा प्रदत जानकारी एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण पाँच वर्ष व्यतीत होने के बाद भी 'वंदना' में एक हाट बाजार का निर्माण नहीं किया जा सका

हाट बाजार निर्माण के प्रस्ताव अनुसार, एसएलएससी द्वारा 30 इकाईयों के निर्माण के लिए राशि ₹ 3.00 करोड़ स्वीकृत की गई। इन 30 इकाईयों में से, 29 हाट बाजारों का निर्माण चार जिलों में किया गया जिसमें से 16 इकाईयों का निर्माण प्रस्तावित स्थल पर किया गया। भूमि उपलब्ध न होने के कारण शेष 13 इकाईयों का निर्माण प्रस्तावित स्थल पर नहीं किया गया। आगे, दो जिलों (बस्तर एवं दंतेवाड़ा) में हाट बाजार का निर्माण नहीं किया गया जबकि उनका निर्माण प्रस्तावित था। सरगुजा जिले के वंदना में एक हाट बाजार का निर्माण भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण पाँच वर्षों बाद भी प्रारम्भ (जुलाई 2013) नहीं किया गया जिससे विपणन अधोसंरचनाओं के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकी।

आगे हमने पाया कि 29 हाट बाजारों का निर्माण पूर्ण होने के पश्चात भी निर्माण एजेंसी (मंडी बोर्ड) के पास राशि ₹ 37.54 लाख वर्ष 2009-10 से शेष थी, जिसे नोडल विभाग को वापस नहीं किया गया जैसा **कंडिका 2.1.7.4** में दर्शाया गया। यह भी देखा गया कि कांकेर जिले में 10 हाट बाजार का निर्माण किया गया परंतु इकाई लागत में विद्युत का प्रावधान होने के वाबजूद भी विद्युतीकरण कार्य नहीं किया गया।

निर्गम बैठक के दौरान (दिसम्बर 2013) एपीसी ने लेख किया कि 'वंदना' में स्थल उपलब्धता नहीं होने के कारण हाट बाजार का निर्माण शुरू नहीं किया गया और आगे लेख किया कि स्थल परिवर्तन के संबंध में एसएलएससी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जावेगी। शासन ने कहा (जनवरी 2014) कि 'वंदना' में स्थल उपलब्ध नहीं होने के कारण हाट बाजार का निर्माण नहीं किया गया और राशि ₹ 37.54 लाख नोडल विभाग को वापस (जनवरी 2014) की गई। यह भी बताया कि कांकेर जिले के 10 हाट बाजारों

में विद्युतीकरण नहीं करने से बचत राशि ₹ 2.90 लाख भी नोडल विभाग को वापस (जनवरी 2014) कर दी गई।

शासन के उत्तर से स्पष्ट है कि 'वंदना' में हाट बाजार के निर्माण का प्रस्ताव उचित योजना और निर्धारण के बिना किया गया। आगे, विद्युतीकरण कार्य नहीं करने के कारण बचत[19] राशि वापस करना उचित नहीं था क्योंकि विद्युत नहीं होने के कारण रात में इन हाट बाजारों का समुचित उपयोग नहीं किया जा सकता।

कृषि अनुसंधान क्षेत्र

कृषि अनुसंधान क्षेत्र के अतंर्गत निम्न परियोजनाओं की लेखापरीक्षा की गईः

(1) जर्म प्लाज्म का संरक्षण

उपरोक्त परियोजना के क्रियान्वयन में पाई गई कमियों की चर्चा निम्न कंडिका में किया गया हैः

2.1.8.13 जर्मप्लाज्म सरंक्षण परियोजना के अंतर्गत स्थापित मध्यम अवधि भंडारण माडयूल का उपयोग न किया जाना।

जर्मप्लाज्म के संरक्षण के लिए एक परियोजना का प्रस्ताव बनाया गया एवं आरकेव्हीवाय अंतर्गत स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया। इसके उद्देश्यो में चावल, लताईरस, छोटे अनाज, लीनसीड, काउपी, टयुबर फसल आदि के जर्मप्लाज्म का संरक्षण एवं चावल के जर्मप्लाज्म का चरित्रीकरण और अन्य फसलों का मार्फोलॉजिकल के साथ-साथ मौलिक्यूलर तथा जैवविविधता के संरक्षण के लिए क्षेत्रीय स्तर पर अध्ययन होगा।

परियोजना के प्रस्ताव की तकनीकी योजना अंतर्गत ईगाकृवि रायपुर में मध्यम अवधि जर्मप्लाज्म भंडारण माडयूल व जीन बैंक के सुदृढ़ीकरण भी सम्मिलित था। परियोजना के फलस्वरूप मध्यम अवधि भंडारण माड्यूल (एमटीएसएम) स्थापित किया जाना, जर्मप्लाज्म को एकत्रित करना, जर्मप्लाज्म का मार्फोलॉजिकल एवं मौलीक्युलर स्तर पर चरित्रीकरण तथा विभिन्न् फसलों की उन्नत किस्मों का विकास करना था।

परियोजना के प्रस्ताव के साथ तीन वर्षों के लिए लगभग ₹ एक करोड़ बजट प्रावधान अधोसंरचना, उपकरण, रसायन आदि के लिए सम्मिलित था।

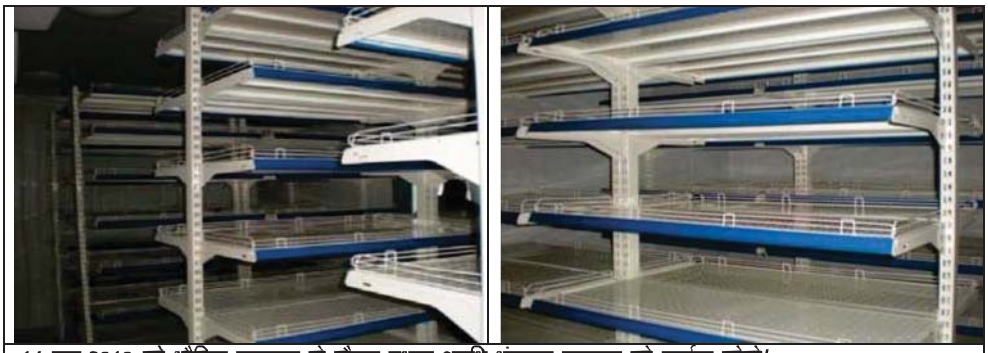
संचालक, अनुसंधान सेवायें, रायपुर (डीआरएस) के अभिलेखों की जांच में यह देखा गया कि एसएलएससी द्वारा उक्त परियोजना स्वीकृत (जुलाई 2009) की गई एवं राशि ₹ एक करोड़ विभाग को प्रदान किए (मार्च 2010) गए। उक्त राशि से निम्न उपकरणों /सामग्री का क्रय/ स्थापना (अक्टूबर 2012) किया गयाः-

₹ 70.32 लाख की लागत से निर्मित एमटीएसएम का संचालन नहीं होना और अक्टूबर 2012 से निष्क्रिय होना

स.क्र	यंत्र/मद का नाम	राशि (₹ लाख में)
1	मध्यम अवधि भंडारण माड्यूल	49.86
2	स्व चालित जनरेटर	12.60
3	डीप फ्रिजर (-20)	1.87
4	सेंट्रीफ्यूज (1.5 मी.ली) उच्च गति	1.95
5	डीएनए एनालाइजर (पी सी आर)	4.04
योग		**70.32**

[19] ₹ 2.90 लाख

संयुक्त भौतिक सत्यापन (14 जून 2013) के दौरान हमने देखा कि विद्युत व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने के कारण मध्यम अवधि भंडारण माड्यूल उपयोग में नहीं था। मध्यम अवधि भंडारण माड्यूल का संचालन नहीं किये जाने के कारण, सभी खंड खाली थे जैसा कि निम्न फोटोग्राफ से दर्शाया गया है:-



14 जून 2013 को भौतिक सत्यापन के दौरान मध्यम अवधि भंडारण माड्यूल को दर्शाता फोटो।

यह भी उल्लेखित है कि जर्मप्लाज्म विलयों का सरंक्षण पुराने माड्यूल में ही किया जा रहा है। इस प्रकार, नई मध्यम अवधि भंडारण माड्यूल जिसके लिए आरकेव्हीवाय अंतर्गत राशि ₹ 70.32 लाख प्रदान की गई थी, का संचालन नहीं किया गया तथा यह अक्टूबर 2012 से निष्क्रिय है, जिसके कारण परियोजना के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकी।

इंगित (अक्टूबर 2013) किए जाने पर, शासन ने लेख किया (दिसम्बर 2013) कि नए एमटीएसएम का क्रय भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया था। अक्टूबर 2012 से एमटीएसएम के निष्क्रिय रहने की लेखापरीक्षा की आपत्ति के संदर्भ में असहमति दर्शाते हुए लेख किया कि विद्युत सुविधा नहीं होने के बाद भी जरूरत होने पर जनरेटर/ अस्थाई विद्युत द्वारा एमटीएसएम को संचालित किया गया।

शासन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान एमटीएसएम में जर्मप्लाज्म नहीं पाये गये जो दर्शाता है कि इकाई संचालित नहीं थी। आगे, संचालक, अनुसंधान सेवायें ने भी स्वीकारा है कि एमटीएसएम के लिए उच्च दाब विद्युत व्यवस्था का होना अनिवार्य था जो कि वर्तमान में उपलब्ध नहीं था।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप-योजनाओं की आपत्तियाँ

1. वर्षा आच्छादित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (आरएडीपी)

2. पूर्वी भारत में हरित क्रांति (बीजीआरईआई)

उपरोक्त दो उप-योजनाओं के क्रियान्वयन में पाई गई कमियों का उल्लेख निम्न कंडिकाओं में किया गया है।

2.1.8.14 वर्षा अच्छादित क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण भारत सरकार द्वारा निधि विमुक्त न किया जाना

कृषकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष तौर पर छोटे और सीमांत कृषकों की कृषि उपजों को बढ़ाने पूर्ण पैकेज की पेशकश के द्वारा उनकी आजीविका

एवं सुरक्षा में वृद्धि के लिये वर्ष 2010-11 के दौरान वर्षा अच्छादित क्षेत्र विकास योजना (आरएडीपी) आरकेव्हीवाय के उप-योजना के रूप में शुरू किया गया था। आरएडीपी एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) के माध्यम से समग्र कृषि विकास पर आधारित है, जो कृषि प्रणाली के कई घटकों जैसे फसल, उद्यानिकी, पशुधन,मत्स्य इत्यादि का विकास एवं एकीकरण का अवसर उपलब्ध कराता है ।

वर्ष 2011-12 के दौरान आरएडीपी अंतर्गत प्राप्त निधि का उपयोग नहीं करने से भारत शासन द्वारा आगामी निधि जारी नहीं किया गया

नोडल अधिकारी के अभिलेखों की जांच में ज्ञात हुआ कि वर्ष 2011-12 में एसएलएससी द्वारा इस उप-योजना में ₹ 15 करोड़ स्वीकृत (अप्रैल 2011) किया गया था जिसके विरूद्ध राशि ₹ 7.50 करोड़ (अगस्त 2011) प्रथम किस्त के रूप में विमुक्त किया गया था। द्वितीय किस्त की स्वीकृति राज्य का उक्त कार्यक्रम के निष्पादन एवं प्रतिक्रिया पर आधारित था। दिसम्बर 2011 तक मात्र ₹ 62.04 लाख (आठ प्रतिशत) का ही उपयोग राज्य द्वारा किया गया, भारत सरकार द्वारा द्वितीय किस्त राशि ₹ 7.50 करोड़ विमुक्त करने में विलंब किया गया जिसे वित्तीय वर्ष के अंत में (मार्च 2012) जारी किया गया। आवंटित राशि के विरूद्ध मार्च 2012 के अंत तक 3478 हेक्टे के लक्ष्य के विरूद्ध राशि ₹ 6.23 करोड़ को उपयोग किया गया जिससे 2049 हेक्टे का विकास किया गया।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि मार्च 2013 के अंत में विभिन्न् घटकों में इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्धि 39 से 133 प्रतिशत के बीच रही, फसल बीमा घटक को छोड़कर, जहां 70 हेक्टे. के लक्ष्य के विरूद्ध कोई बीमा प्रदाय नहीं किया गया (***परिशिष्ट 2.1.9***)। कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कम प्रगति होने के कारण वर्ष 2011-12 के अंत में राशि ₹ 8.78 करोड़ और वर्ष 2012-13 के अंत में राशि ₹ 2.91 करोड़ का उपयोग नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान आरएडीपी के अंतर्गत निधि विमुक्ति नहीं की गई।

इस प्रकार, निधि उपलब्ध होने के बाद भी उसका उपयोग नहीं किया गया जिससे राशि ₹ 12.09 करोड़ का व्यय होने के बाद भी उक्त कार्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकी। दुर्ग जिले में, यद्यपि राशि ₹ 9.10 लाख का व्यय दर्शाया गया, सहायता की भुगतान लाभार्थियों को नही किया गया था। व्यय की प्रत्याशा से राशि का आहरण डिमांड ड्राफ्ट के रूप में किया गया और सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा रखा गया। इसी प्रकार, कांकेर जिले में राशि ₹ 12.30 लाख आवंटित की गई जिससे उप-संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें (₹ 4.80 लाख) तथा सहायक संचालक, उद्यानिकी (₹ 7.50 लाख) द्वारा उपयोग नहीं की गई तथा सिविल डिपाजिट में रखी गई।

इंगित (अक्टूबर 2013) किये जाने पर शासन ने लेख किया (दिसम्बर 2013) की इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को देय अनुदान इसी तरह के अन्य कार्यक्रमों में देय अनुदान से कम होने के कारण अपेक्षित प्रगति प्राप्त नहीं की गई। दुर्ग जिले में विमुक्त न की गई राशि ₹ 9.10 लाख के संबंध में कहा गया कि ₹ 7.50 लाख लाभार्थियों विमुक्त किया गया है। कांकेर जिले में ₹ 12.30 लाख के-डिपाजिट में रखने के संबंध में लेख किया कि वर्षांत तक संभावित उपयोग के लिए राशि विमुक्त करने की कार्यवाही की जा रही है। निर्गम बैठक में एपीसी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार्य

करते हुए लेख किया कि लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है और शेष निधि का उपयोग इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक कर लिया जावेगा।

तथ्य यह है कि उप-योजना के अंतर्गत कार्यक्रम के क्रियान्वयन में धीमी प्रगति और निधि का उपयोग नहीं होने के कारण, भारत सरकार द्वारा आगे निधि जारी नहीं की गई।

2.1.8.15 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) क्रियान्वित जिलों में पूर्वी भारत में हरित क्रांति योजना (बीजीआरइआई) के क्रियान्वयन से अनियमित व्यय

बीजीआरईआई योजना के दिशा निर्देशों के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए ₹ 167.74 करोड़ एनएफएसएम जिलों में व्यय किया गया

भारत सरकार ने 2010-11 से आरकेव्हीवाय के तहत देश के पूर्वी क्षेत्र में हरित क्रांति के विस्तार के लिए अतिरिक्त आवंटन कर दिया था। छत्तीसगढ़ में आरकेव्हीवाय योजना के एक उप योजना पूर्वी भारत में हरित क्रांति (बीजीआरईआई) के तहत भी निधि प्रदान किये थे। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार गैर एनएफएसएम (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन) जिलों में लागू किया जाना था।

इस घटक में चावल और गेहूँ के ब्लॉक प्रदर्शन उथले नलकूपों/ट्युबवेल का निर्माण, पंप सेट का वितरण, सीड ड्रिल और सिंचाई चैनलों के निर्माण आदि शामिल था।

नोडल कार्यालय के अभिलेखों की जांच में पता चला कि 2010-13 के दौरान राज्य में बीजीआरईआई योजना के अंतर्गत ₹ 241.61 करोड़ का व्यय किया गया था। यद्यपि घटकों को गैर एनएफएसएम जिलों में क्रियान्वित किया जाना था, ₹ 167.74 करोड़ एनएफएसएम जिलों में भी व्यय किया गया था। चयनित जिले जो एनएफएसएम जिले भी थे, दुर्ग में ₹ 25.70 करोड़, सरगुजा में ₹ 24.93 करोड़, बिलासपुर में ₹ 35.37 करोड़, राजनांदगांव में ₹ 6.42 करोड़ और रायपुर जिले में ₹ 29.12 करोड़ व्यय किया गया जो अनियमित था।

आगे, बीजीआरईआई के अंतर्गत केवल चावल और गेहूं के ब्लाक प्रदर्शन की अनुमति थी जबकि गन्ना के ब्लॉक प्रदर्शन (2010-11) पर राशि ₹ 2.27 करोड़ और मक्का प्रदर्शन (2010-13) पर ₹ 2.98 करोड़ खर्च किया गया था। इसी के अंतर्गत गैर एनएफएसएम जिलों में मक्का प्रदर्शन पर किए गए ₹ 1.82 करोड़ की राशि भी शामिल है। इस प्रकार, इस योजना के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन कर ₹ 169.56 करोड़[20] का व्यय अनियमित और निगरानी की भी कमी का संकेतक था।

निर्गम बैठक (दिसम्बर 2013) के दौरान, एपीसी ने कहा कि भारी मांग होने के कारण बीजीआरईआई के तहत गतिविधियों को एनएफएसएम जिलों में भी किया गया है। एपीसी ने यह भी कहा कि भविष्य में दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। शासन ने आगे लेख किया (जनवरी 2014) कि भारत सरकार के निर्देशानुसार नगदी फसलों को भी प्रोत्साहित किया जाना था। इसीलिए, मक्का एवं गन्ना को भी शामिल किया गया।

[20] ₹ 167.74 + ₹ 1.82 करोड़ = ₹ 169.56 करोड़

विभाग का तर्क बीजीआरईआई के दिशानिर्देशों से भिन्न था जो स्पष्ट करता है कि घटकों को गैर-एनएफएसएम जिलों में क्रियान्वित किया जाना था। मक्के एवं गन्नों के नगदी फसल के रूप में शामिल करने के संबंध में उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिशानिर्देशों के अनुसार ब्लाक प्रदर्शन के लिए केवल चावल एवं गेहूँ ही स्वीकार्य थे।

स्ट्रीम-II परियोजनाएँ

जैसा कि कंडिका 2.1.6.2 में उल्लेखित है, स्ट्रीम-II अंतर्गत निधि राज्य क्षेत्र योजनाओं में संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए उपलब्ध थी।

स्ट्रीम-II अंतर्गत निम्न दो परियोजनाओं की लेखापरीक्षा की गई।

1. उर्जाकृत सिंचाई पंपों के लिए छ.ग राज्य विद्युत वितरण कंपनी को सहायता
2. सौर उर्जा सिस्टम की स्थापना

हमने लेखापरीक्षा के दौरान पाया कि संचालक कार्यालय में सौर उर्जा सिस्टम की स्थापना की परियोजना पूर्ण (जूलाई 2011) तथा संचालित हुई। छत्तीसगढ़ शासन विद्युत वितरण कंपनी को अऊर्जीकृत सिंचाई पपों के सहायता संबंधी परियोजना में पाई गई कमियों का उल्लेख निम्न कंडिका में है:

2.1.8.16 सिंचाई पंपो के उर्जाकरण पर अनधिकृत व्यय ₹ 20.00 करोड़

आरकेव्हीवाय के क्रियान्वयन के दिशानिर्देशानुसार, स्ट्रीम-II में राज्य योजना में सम्मिलित एवं योजना आयोग द्वारा स्वीकृत योजना अंतर्गत परियोजनाएँ स्वीकृत की जा सकती है जिससे राज्य योजना की वर्तमान योजनाओं का सुदृढ़ीकरण व संसाधनों की कमी को पूरा किया जा सके। स्ट्रीम-II में उन्ही योजनाओं को स्वीकृत किया जा सकता है जो राज्य योजना में शामिल हो तथा योजना आयोग द्वारा अनुमोदित हो।

नोडल विभाग द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं की जांच में देखा गया कि किसानों के सिंचाई पंपो के विद्युतीकरण/उर्जीकरण के लिए नोडल विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी को राशि ₹ 20.00 करोड़ (नवम्बर 2010) एवं मंडी बोर्ड द्वारा राशि ₹ 30.00 करोड़ (सितम्बर 2010) प्रदान की गई। राज्य शासन के निर्देशानुसार (नवम्बर 2010) नोडल विभाग द्वारा उक्त कार्य की स्वीकृति एसएलएससी द्वारा प्राप्त की जानी थी।

एसएलएससी की स्वीकृति के बिना ₹ 20 करोड़ का व्यय सिंचाई पंपो के ऊर्जाकरण पर किया गया

हमने देखा कि विभाग की वार्षिक कार्ययोजना 2011-12, में सिंचाई पंपो के विद्युतीकरण के लिए राशि ₹ 50.00 करोड़ का प्रस्ताव एसएलएससी के समक्ष प्रस्तुत (अप्रैल 2011) किया गया, जिसे अस्वीकार किया गया। हमने पाया कि विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कुल 12,611 सिंचाई पंपो का ऊर्जीकरण किया गया जिस पर राशि ₹ 50.00 करोड़ का व्यय हुआ। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी संबंधित विभागों को प्रदान (मई 2011) किया गया।

राशि ₹ 20.00 करोड़ का व्यय आरकेव्हीवाय अंतर्गत प्राप्त राशि से किया गया जो अनाधिकृत और अनियमित है चूंकि परियोजना का प्रस्ताव न ही राज्य कृषि योजना में प्रस्तावित था और ना ही एसएलएससी द्वारा स्वीकृत था।

इंगित किए जाने पर (अक्टूबर 2013) शासन ने स्वीकार किया एसएलएससी द्वारा सिंचाई पंपों के ऊर्जीकरण का प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया गया था और लेख किया (दिसम्बर 2013) कि यह अतिरिक्त मुख्य सचिव सह अध्यक्ष, एसएलएससी द्वारा स्वीकृत (मई 2010) किया गया। यह भी लेख किया कि ₹ 50 करोड़ के कुल व्यय के विरूद्ध ₹ 20 करोड़ का व्यय आरकेव्हीवाय से एवं शेष ₹ 30 करोड़ मंडी बोर्ड द्वारा किया गया।

तथ्य यह है कि परियोजना में राशि ₹ 20 करोड़ का व्यय आरकेव्हीवाय निधि से किया गया जिसकी स्वीकृति एसएलएससी द्वारा नहीं प्रदान की गई।अतः यह अनियमित व अनाधिकृत था।

अन्य बिन्दु

2.1.8.17 ग्रेडिंग मशीन पर राशि ₹ 40 लाख का निष्क्रिय व्यय

आधुनिक विपणन प्रणाली में यह आवश्यक है कि अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करने के लिए कृषि उत्पादों की विपणन ग्रेडिंग की गई। इस प्रणाली को विपणन क्षेत्र में ही उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्रेडिंग मशीनों की स्थापना का प्रस्ताव किया गया, जिससे किसानों में कृषि उत्पादों की नीलामी के पूर्व मूल्य वृद्धि के लिये ग्रेडिंग की आदत को बढ़ावा दिया जाय।

वर्ष 2007-08 के दौरान, पाँच ग्रेडिंग मशीनों के लिये ₹ 16 लाख प्रति मशीन की दर से कुल ₹ 80 लाख, तथा वर्ष 2008-09 के दौरान, चार मशीनों के लिये ₹ 20 लाख प्रति मशीन की दर से कुल ₹ 80 लाख की राशि आरकेव्हीवाय अंतर्गत स्वीकृत की गई। ग्रेडिंग मशीनों की खरीदी एवं स्थापना के लिए मंडी बोर्ड को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया था।

मंडी बोर्ड के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि कुल नौ स्वीकृत ग्रेडिंग मशीनों के विरूद्ध आठ ग्रेडिंग मशीनें राशि ₹ 1.60 करोड़ में क्रय की जा सकी जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

तालिका-2.1.11: ग्रेडिंग मशीनो की स्वीकृति का विवरण

वर्ष	मंडी का नाम	संख्या	प्रति इकाई लागत (₹ लाख में)	कुल लागत (₹ लाख में)
2007-08	तुलसी, तिफरा, राजिम और सक्ति	04	20.00	80.00
2008-09	महासमुन्द, नेवरा, अंबिकापुर, और नैला	04	20.00	80.00
योग		**08**		**160.00**

(स्त्रोतः- मंडी बोर्ड द्वारा प्रदत जानकारी और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

स्थल उपलब्ध न होने के कारण ₹ 40 लाख की दो ग्रेडिंग मशीनों की पाँच वर्ष से अधिक व्यतीत होने के बाद भी स्थापना नहीं हो सकी

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2007-08 के दौरान , पाँच मशीनों की स्वीकृति के विरूद्ध, केवल चार ग्रेडिंग मशीनों का क्रय किया गया जिसकी लागत ₹ 80 लाख थी। आगे, यह देखा गया कि तिफरा (बिलासपुर) और तुलसी (रायपुर) के लिए क्रय (मार्च 2008) की गई दो ग्रेडिंग मशीनों की स्थापना आज तक (सितम्बर 2013) नहीं की गई। आगे, ग्रेडिंग मशीन की स्थापना के लिये स्थल उपलब्ध नहीं होने के कारण अंबिकापुर के लिए क्रय की गई मशीन को बाद में सारगंढ़ में स्थापित किया गया।

इंगित किए जाने पर (अक्टूबर 2013), शासन ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2013) कि वर्ष 2007-08 के डीएपी को प्रस्तुत करते समय ग्रेडिंग मशीन की निविदा दर ₹ 16 लाख थी, जो स्वीकृति एवं वास्तविक आवंटन के समय बढ़कर ₹ 20 लाख हो गई। जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2007-08 में केवल चार ग्रेडिंग मशीने ही क्रय की गई। आगे, लेख किया कि तिफरा एवं तुलसी मंडियों का विकास कार्य होने के कारण दो ग्रेडिंग मशीनों की स्थापना नहीं हो सकी। निर्गम बैठक के दौरान (दिसम्बर 2013) एपीसी ने लेखापरीक्षा की आपत्ति को स्वीकार करते हुए लेख किया कि ग्रेडिंग मशीनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की जावेगी।

तथ्य यह है कि ग्रेडिंग मशीनें जिसकी लागत ₹ 40 लाख थी, वह विगत पाँच वर्षो से अधिक समय से निष्क्रिय रही, यह नियोजन और परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी की कमी को दर्शाता है।

2.1.9 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

2.1.9.1 आरकेव्हीवाय के क्रियान्वयन में अनुश्रवण का अभाव

एसएलएससी की बैठकों की संख्या कम रही और आरकेव्हीवाय योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए समीति का गठन किया गया

आरकेव्हीवाय के दिशानिर्देशों में राज्य स्तरीय मंजूरी समीति (एसएलएससी) के गठन का प्रावधान है, जो आरकेव्हीवाय की स्ट्रीम-I के अन्तर्गत परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए उत्तरदायी है, स्वीकृत योजनाओं/परियोजनाओं की प्रगति का अनुश्रवण, योजना के उद्देश्यों के क्रियान्वयन की समीक्षा तथा यह सुनिश्चित करेगी कि कार्यक्रमों का क्रियान्वयन दिशानिर्देशों के अनुरूप हो। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगी कि संसाधनों का दोहरीकरण न हो,समय समय पर मूल्यांकन करना आदि। एसएलएससी की बैठक प्रायः किया जाना चाहिए परंतु प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार अवश्य होना चाहिए।

आरकेव्हीवाय की संशोधित दिशानिर्देशों में भारत सरकार द्वारा बताया गया (जुलाई 2008) कि कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में समीति गठित किये जाने का प्रावधान था, जिसका कार्य आरकेव्हीवाय के क्रियान्वयन की मासिक समीक्षा करना तथा उसके आधार पर एसएलएससी को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था।

हांलाकि, नोडल विभाग के अभिलेखों में हमने देखा कि आरकेव्हीवाय की क्रियान्वयन अवधि (2007-08 से 2012-13) में एसएलएससी द्वारा 24 बैठकों के विरूद्ध मात्र नौ बैठक आयोजित हुई। आगे, कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में आरकेव्हीवाय के क्रियान्वयन की मासिक समीक्षा करने हेतु समिति गठित नहीं की गई, और इसीलिये

आरकेव्हीवाय के क्रियान्वयन की समीक्षा प्रतिवेदन भी एसएलएससी को प्रस्तुत नहीं की गई।

इंगित (अक्टूबर 2013) किए जाने पर, शासन ने लेख किया (दिसम्बर 2013) कि स्वीकृत परियोजनाओं का अनुश्रवण एसएलएससी की बैठकों के दौरान किया जाता है। यह भी लेख किया कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी) के सलाहकार द्वारा भी अनुश्रवण किया गया था तथा कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा साप्ताहिक समीक्षा की जाती है। वर्तमान में, नाबार्ड को भी अंत अवधि अनुश्रवण कार्य के लिए नियुक्त किया गया है। निर्गम बैठक (दिसम्बर 2013) में एपीसी ने कहा कि अनुश्रवण तंत्र को सुदृढ़ किया जावेगा।

तथ्य यह है कि एसएलएससी बैठकों की संख्या बहुत कम रही और एनआईआरडी द्वारा अभी तक राज्य को कोई भी अनुश्रवण प्रतिवेदन नहीं दिया गया। दिशानिर्देशों के अनुरूप आरकेव्हीवाय के अन्तर्गत योजना की समीक्षा के लिए समीति का गठन भी नहीं किया गया।

2.1.9.2 राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा अनुश्रवण

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007-08 में आरकेव्हीवाय की नियोजन/क्रियान्वयन एवं कार्यान्यन में सहायता प्रदान करने, स्थानीय स्तर पर निगरानी करने हेतु सलाह के लिए स्थायी सलाहकार के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी), हैदराबाद को नियुक्त किया गया।

नोडल अधिकारी द्वारा सूचित किया गया (जुलाई 2013) कि एनआईआरडी द्वारा सलाहकार नियुक्त किए गए थे जिसके द्वारा भारत सरकार को सीधे प्रगति की सूचना दी गई। हांलाकि, वर्तमान में एनआईआरडी या भारत सरकार द्वारा राज्य में कोई सलाहकार कार्यरत नहीं था।

निर्गम बैठक (दिसम्बर 2013) के दौरान, एपीसी ने बताया कि एनआईआरडी भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था वे भारत सरकार को अपनी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया किया गया होगा। शासन ने लेख किया (जनवरी 2014) कि भविष्य में एनआईआरडी द्वारा कि गई अनुश्रवण गतिविधियों की समीक्षा नियमित रूप से की जावेगी।

एनआईआरडी हैदराबाद के सलाहकारों द्वारा छत्तीसगढ़ शासन को निगरानी प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने से इस योजना की गतिविधियों के क्रियान्वयन में होने वाले कमियों पर उचित कार्यवाही भी विभाग द्वारा नहीं किया जा सका।

2.1.9.3 आंतरिक नियंत्रण

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के साथ आंतरिक लेखापरीक्षा कुशल और प्रभावी निगरानी और कार्यान्वयन पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर स्तर पर निगरानी तंत्र पर्याप्त या सही स्थान पर है।

लेखापरीक्षा जाँच से पाया गया कि

- कृषि विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा हालांकि स्थापित थी, आरकेव्हीवाय योजना के तहत परियोजनाओं के लिए अलग लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की गई। उद्यानिकी विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा स्थापित नहीं किया गया था इसीलिए योजना का कोई आंतरिक लेखापरीक्षा भी अभी तक नहीं किया गया था।

- आरकेव्हीवाय के दिशानिर्देशों के ***कंडिका 7.1.5*** के अनुसार, नोडल एजेंसी परियोजनाओं के तहत बनाई गई संपत्ति की एक सूची संरक्षित करेगी और ऐसी संपत्ति आवश्यकता न हो, नोडल विभाग को हस्तांतरित किया जाना चाहिए, जिससे इसका उपयोग या जहां संभव हो पुनः उपयोग किया जा सके। हालांकि, आरकेव्हीवाय के तहत बनाई गई संपत्ति का बचाव और सुरक्षित रखने के लिये राज्य में कोई अलग नीति तैयार नहीं की गई थी। ।

2.1.10 निष्कर्ष

कृषि के विकास के लिए राज्य द्वारा आरकेव्हीवाय के अलावा विभिन्न केन्द्र एवं राज्य योजनाएं क्रियान्वित की और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2007-12) के दौरान छह प्रतिशत से अधिक कृषि क्षेत्र विकास दर हासिल करने में सक्षम रही जो दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) में 3.93 प्रतिशत[21] थी। कृषि में कृषकों को अधिकतम रिटर्न प्राप्त करने में विभाग के प्रयास बहुत उत्साहजनक रहे थे जैसे प्रमुख फसलों के संबंध में उत्पादकता काफी वृद्धि हुई जो 12 से 35 प्रतिशत तक था। कृषि एवं समवर्गी क्षेत्रों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करने के लिए ग्यारहवीं योजना में कृषि क्षेत्र में चार प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्यों को अपनी योजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिये आरकेव्हीवाय योजना लागू की गई। हालांकि, आरकेव्हीवाय अंतर्गत समीक्षित कुछ परियोजनायें समय सीमा में पूर्ण हुई थी और कुछ परियोजनायें विलंबित हुई या अपूर्ण थी। जिला कृषि योजनाओं और राज्य कृषि योजना की तैयारी और प्रस्तुत करने में विलंब हुआ। परियोजनाओं क्रियान्वयन में नियोजन का अभाव परिलक्षित हुआ क्योंकि कई परियोजनाओं को राज्य कृषि योजना में शामिल नहीं किया गया था। क्रियान्वयन एजेंसियों को विलंब से निधि जारी करने और निधि का कुशलता से उपयोग नहीं करने के परिणामस्वरूप भारत सरकार से बाद में निधि जारी नहीं किया गया। यद्यपि पर्याप्त राशि को उपयोग किया जाना बताया गया, अत्याधिक राशि को सिविल डिपॉजिट में रखा गया और क्रियान्वयन एजेंसियों के पास था।

हमने निर्माण कार्य के पूर्ण नहीं होने और निर्मित अधोसंरचनाओं के कम उपयोग के उदाहरण भी देखें। आंतरिक लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है जो नोडल विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की परियोजनाओं के लिए अलग से नहीं किया और बागवानी विभाग में उपलब्ध नहीं था।

योजना की गतिविधियों का अनुश्रवण अप्रभावी था, राज्य स्तरीय मंजूरी समिति की बैठकों की आवृत्ति बहुत कम थी और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए योजना के दिशानिर्देश के अनुसार जो समिति गठित किए जाने की जरूरत थी उसका गठन नहीं किया गया था।

[21] केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत शासन से प्राप्त आंकडों पर आधारित औसत वार्षिक वृद्धि दर की गणना की गई

2.1.11 अनुशंसाएँ

हम सलाह देते है शासन को चाहिए कि :-

- *यह सुनिश्चित करें कि स्वीकृत परियोजनाओं एवं जिला कृषि योजना और राज्य कृषि योजना के बीच सामंजस्य हो।*
- *भारत सरकार द्वारा निधि की बाद में आवंटन नहीं होने से बचने के लिए निधि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करें।*
- *नर्सरियों (उद्यानिकी) द्वारा पौधों के उत्पादन क्षमता का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए।*
- *कृषक सूचना केन्द्रों, बीएमएफसी और गोदामों का निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए कदम उठाये जिससे योजना का लाभ लक्षित लाभार्थियों को प्राप्त हो।*
- *एसएलएससी की बैठक का आयोजन तिमाही में कम से कम एक बार हो और आरकेव्हीवाय के क्रियान्वयन की समीक्षा मासिक आधार पर करने के लिए एपीसी के अंतर्गत एक समिति का गठन करे।*

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

2.2 इंदिरा आवास योजना

कार्यपालिक सारांश

इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है जिसे ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरु किया गया था। इंदिरा आवास योजना का निष्पादन लेखापरीक्षा, ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे, आवासहीन आबादी को मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजना के क्रियान्वयन का परीक्षण करने के लिए किया गया। लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष निम्नानुसार हैं-

- हितग्राहियों के चयन हेतु *आईएवाई* की स्थायी सूची, बी.पी.एल. सूची की वरीयता के अनुरूप तैयार नहीं की गई थी।

{कंडिका 2.2.8.1(ख)}

- राज्यांश को दो से 744 दिनों तक के विलंब से जारी किया गया था।

{कंडिका 2.2.8.3(क)}

- जनपद पंचायतों में *आईएवाई* निधि पृथक बैंक खाते में नहीं रखी गई एवं प्राप्त ब्याज की राशि को सही मूल्यांकित नहीं किया जा सका। साथ ही *आईएवाई* निधियों पर अर्जित ब्याज का योजना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उपयोग नहीं किया गया।

{कंडिका 2.2.8.4(ख) एवं 2.2.8.3(ग)}

- योजना के दिशानिर्देशों की अवहेलना से *आईएवाई* निधियों से राशि ₹ 104.70 लाख का व्यपवर्तन किया गया था।

{कंडिका 2.2.8.3(च)}

- मूलभूत सुविधाएं प्रदाय करने हेतु अन्य योजनाओं के साथ तालमेल करने में कमी के कारण हितग्राही एक पूर्ण क्रियाशील आवासीय ईकाई से लाभान्वित होने से वंचित रहे।

{कंडिका 2.2.8.4(क), 2.2.8.4(ख), 2.2.8.4(ग) एवं 2.2.8.4(ड़) }

- *आईएवाई* हितग्राहियों को विभेदित ब्याज दर योजना, ऋण सह आर्थिक सहायता योजना एवं किफायती, पर्यावरण अनुकूल तकनीकों के इस्तेमाल के प्रति जागरूक करने एवं प्रशिक्षण प्रदाय करने में कमी थी।

{कंडिका 2.2.8.4(ङ), 2.2.8.5 (क) एवं 2.2.8.5 (घ)}

- *आईएवाई* प्रतीक्षा सूची से संबंधित अभिलेख, वर्षवार हितग्राहियों का डाटाबेस, किस्त विमुक्त करने की तिथि, कार्य की स्थिति, आवासों की सूची आदि का जनपद पंचायतों द्वारा समुचित संधारण नहीं किया गया था।

{कंडिका 2.2.8.5 (ख)}

- प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) द्वारा *इंदिरा आवास योजना* के ई-प्रशासन की सुविधा के लिये तैयार वेब आधारित साफ्टवेयर, आवास साफ्ट को अद्यतन नहीं किये जाने के कारण मासिक प्रगति प्रतिवेदन एवं एमआईएस के आंकड़ो में अंतर पाया गया था।

{कंडिका 2.2.8.5 (च)}

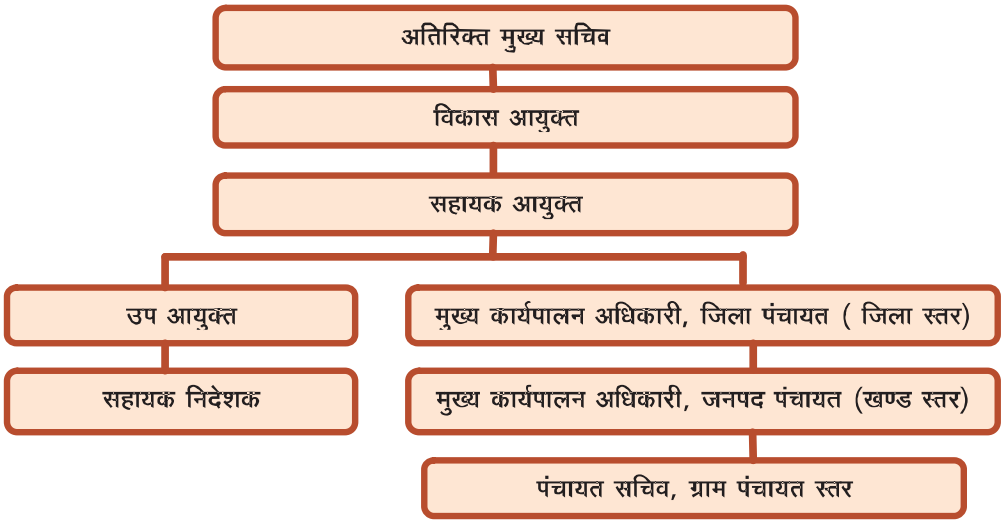
2.2.1 प्रस्तावना

इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को आवास उपलब्ध कराना है, जिसे भारत सरकार नें वर्ष 1985-86 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आरएलईजीपी) की उपयोजना के रूप में प्रारंभ किया था। अप्रैल 1989 में जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई) प्रारंभ किये जाने के बाद आईएवाई को जेआरवाई की उपयोजना के रूप में जारी रखा गया एवं जनवरी 1996 से आईएवाई को जेआरवाई से अलग कर एक स्वतंत्र योजना बनाया गया। आईएवाई का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा), मुक्त बंधुआ मजदुर, अल्पसंख्यकों एवं गैर अजा/अजजा के बीपीएल श्रेणी से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवार, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युद्ध में मारे गए सशस्त्र/अर्द्ध सैनिक बलों के जवानों की विधवाओं तथा संबंधियों (उनके आय मापदंड पर ध्यान दिए बिना),अन्य शर्तों को पूरा करने वाले भूतपूर्व सैनिक और अर्द्ध सैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्यों को वित्तीय सहायता देकर आवासीय इकाइयों के निर्माण/उन्नयन में मदद करना है। आईएवाई आवासों के निर्माण में संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी), राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवाई) एवं राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल प्रदाय योजना (एनआरडब्ल्यूएसएस) के साथ तालमेल किया जाना था। वासस्थल योजना को ग्रामीण भूमिहीन बीपीएल परिवारों को आवास प्रदाय करने हेतु प्रारंभ किया गया था। राज्य में योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन (विभाग) की है।

2.2.2 संगठनात्मक संरचना

शासन स्तर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) विभाग के प्रमुख हैं एवं उनके अधीन विकास आयुक्त (डीसी) राज्य स्तर पर योजना का क्रियान्वयन करते हैं। जिला एवं खण्ड स्तर पर क्रियान्वयन एजेंसी क्रमशः जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) हैं तथा ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव है। सीईओ जनपद पंचायत के अधीन सहायक विकास विस्तार अधिकारी (एडीईओ) एवं ग्राम पंचायत के सचिव, ज़मीनी स्तर पर योजना के निगरानी हेतु जिम्मेदार हैं।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का संगठनात्मक संरचना



2.2.3 लेखापरीक्षा उद्धेश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्याः

- हितग्राहियों का चयन योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप हुआ था;
- निर्माण एवं उन्नयन किये गए इकाईयों का भौतिक प्रदर्शन योजना एवं लक्ष्य के अनुसार था तथा योजना के दिशानिर्देशों द्वारा तय किये गए निर्माण की गुणवत्ता एवं वित्तीय मापदंडो के अनुरूप थे;
- आईएवाई के अंतर्गत आवंटित एवं जारी की गई निधियाँ पर्याप्त एवं समयबद्ध रूप से थी तथा योजना की व्यवस्था के अनुसार उसे मितव्ययता एवं कुशलता से उपयोग किया गया था;
- आईएवाई की गतिविधियों का अन्य योजनाओं के साथ तालमेल कुशलतापूर्वक किया गया था एवं सभी प्रकार से पूर्ण आवासीय इकाईयों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया था; एवं
- योजना के परिणामों के मूल्यांकन एवं निगरानी हेतु बनाई गई प्रणाली पर्याप्त एवं प्रभावशाली थी।

2.2.4 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा मापदंड निम्न स्त्रोतों से समाविष्ट किया गया हैः

- ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी इंदिरा आवास योजना के दिशानिर्देश;
- भारत सरकार, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी परिपत्र/निर्देश;
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी परिपत्र/निर्देश, छत्तीसगढ़ शासन की वित्तीय संहिता एवं कोषालय संहिता; तथा
- विभिन्न स्तरों पर तैयार योजना का प्रगति प्रतिवेदन, सनदी लेखाकारों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं योजना से संबंधित अन्य अभिलेख।

2.2.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा वर्ष 2008-09 से वर्ष 2012-13 की अवधि के लिए संपादित किया गया एवं इसके अंतर्गत राज्य स्तर पर कार्यालय विकास आयुक्त (डीसी), जिला स्तर पर जिला पंचायतों एवं खण्ड स्तर पर जनपद पंचायतों के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी। छः[1] जिलों एवं उनके अंतर्गत चयनित कुल 15[2] जनपद पंचायतों (जेपी) के अभिलेखों के जाँच के अतिरिक्त, 149 ग्राम पंचायतों के 214 ग्रामों में हितग्राही सर्वेक्षण भी किया गया।

लेखापरीक्षा उद्देश्यों एवं मापदंडो की चर्चा हेतु आगम बैठक एसीएस के साथ दिनांक 13 मई 2013 को की गई। निष्पादन लेखापरीक्षा के लिये मई 2013 से जुलाई 2013 के

[1] बस्तर, दुर्ग, कांकेर, कोरबा, रायपुर एवं सरगुजा

[2] जेपी बकावंड एवं जेपी जगदलपुर(बस्तर), जेपी बालोद एवं जेपी गुंडरदेही (दुर्ग), जेपी चारामा एवं जेपी नरहरपुर (कांकेर), जेपी कोरबा एवं जेपी पाली (कोरबा), जेपी छुरा, जेपी धरसीवां एवं जेपी फिंगेश्वर (रायपुर) तथा जेपी अंबिकापुर, जेपी लुण्ड्रा, जेपी मैनपाट एवं जेपी रामचन्द्रपुर (सरगुजा)

बीच लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्षो की चर्चा हेतु एसीएस के साथ निर्गम बैठक 16 जनवरी 2014 को आहुत की गई थी।

2.2.6 वित्तपोषण प्रणाली

इंदिरा आवास योजना एक केन्द्र प्रवर्तित योजना है जिसे भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच क्रमशः 75:25 के अनुपात में लागत को वहन करके वित्तपोषित किया जाता है। जिला स्तर पर इंदिरा आवास योजना की निधि ज़िला पंचायत द्वारा संचालित की जाती है। केन्द्रीय सहायता ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष जिला पंचायतों को दो किस्तों में जारी की जाती है। प्रत्येक जिले के लिए कुल आवंटन की 50 प्रतिशत राशि प्रथम किश्त के रूप में वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में जारी की जाती है। उपलब्ध निधियों की उपयोग एवं योजना दिशानिर्देशों में दी गई अन्य शर्तों के परिपालन को ध्यान में रखते हुए द्वितीय किस्त एमओआरडी द्वारा जिला पंचायतों के अनुरोध पर जारी की जाती है।

2.2.7 योजना

दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 4.2 (viii) के अनुसार, द्वितीय किस्त हेतु भेजे जाने वाले प्रस्ताव के साथ जिला पंचायत या जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण (डीआरडीए) के अधिशासी निकाय, जैसा भी प्रकरण हो, द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना को संलग्न किया जाना चाहिए।

जिला पंचायतों द्वारा वार्षिक योजना तैयार न किया जाना

चयन किये गए छः जिला पंचायतों के लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि वार्षिक योजना तैयार नहीं की गई थी। तथापि विभाग द्वारा चयनित हितग्राहियों को आईएवाई आवासों के आवंटन का लाभ भारत सरकार से प्राप्त लक्ष्यों के अनुरूप प्रदान किया गया था।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) द्वारा निर्गम बैठक (जनवरी 2014) के दौरान तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया गया कि भारत सरकार द्वारा लक्ष्य प्रदाय किए जाते हैं एवं राज्य सरकार इस स्थिति में नहीं है कि वह लक्ष्य निर्धारित कर सके। तथापि, वार्षिक योजना तैयार करना सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किये जाएंगे।

उत्तर यह प्रदर्शित करता है कि, जिला पंचायत या डीआरडीए द्वारा वार्षिक योजना तैयार नहीं की जाती है जो कि द्वितीय किस्त जारी किये जाने हेतु भेजे जाने वाले प्रस्ताव के लिये अनिवार्य है।

2.2.8 लेखापरीक्षा अवलोकन

2.2.8.1 हितग्राही चयन

2.2.8.1 (क) विभिन्न श्रेणियों के हितग्राहियों को आवासों का आवंटन

आईएवाई दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 1.5 के अनुसार, आईएवाई अंतर्गत कुल आवंटन का कम से कम 60 प्रतिशत अजा/अजजा बीपीएल परिवारों हेतु, अधिकतम 40 प्रतिशत गैर अजा/अजजा बीपीएल ग्रामीण परिवारों को किया जाना चाहिए एवं उपरोक्त श्रेणियों का

तीन प्रतिशत हिस्सा शारीरिक एवं मानसिक तौर से कमजोर व्यक्तियों के लिए चिन्हित रखा जाएगा।

आईएवाई योजना की भौतिक उपलब्धियों का विवरण **तालिका 2.2.1** में प्रदर्शित है-

तालिका 2.2.1:विभिन्न श्रेणियों के हितग्राहियों को आवंटित आवासों का प्रतिशत

वर्ष	अजा/अजजा		अन्य[3]		निशक्त जन	
	संपूर्ण राज्य	चयनित जिले	संपूर्ण राज्य	चयनित जिले	संपूर्ण राज्य	चयनित जिले
1	2	3	4	5	6	7
2008-09	62	64	34	31	0.96	1.75
2009-10	65	70	32	27	0.29	0.42
2010-11	66	65	31	30	0.57	0.69
2011-12	67	67	32	31	1.09	1.52
2012-13	84	84	15	15	0.31	0.36

(स्त्रोतः- जानकारी विभाग द्वारा तैयार की गई एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

ऊपर दर्शाये गए तालिका से यह देखा जा सकता है कि राज्य नें अजा/अजजा श्रेणीयों के लिये आवास के विधानित कम से कम 60 प्रतिशत उपलब्धि को प्राप्त किया है। चयनित जिलों में भी उपलब्धि की प्रवृत्ति लगभग राज्य के समान ही रही।

बीपीएल सूची एवं आईएवाई प्रतीक्षा सूची में शारीरिक रूप से निशक्त हितग्राही दर्शित नहीं थे

यद्यपि यह देखा गया कि बीपीएल सूची एवं आईएवाई प्रतीक्षा सूची में हितग्राहियों को केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जाति की श्रेणियों में ही वर्गीकृत किया गया था। आईएवाई सहायता हेतु ग्राम सभा के प्रस्तावों में भी शारीरिक रूप से निशक्त हितग्राहियों का उल्लेख नहीं था। शारीरिक रूप से निशक्त हितग्राहियों के पहचान हेतु किसी भी प्रकार के अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण, आईएवाई योजनांतर्गत लाभान्वित होने वाले शारीरिक रूप से निशक्त हितग्राहियों के प्रतिशत का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। यह देखा गया कि वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान, राज्य में शारीरिक रूप से निशक्त हितग्राहियों को प्रदाय किये जाने वाले आवासों का प्रतिशत 0.31 से 1.09 के बीच रहा। जबकि चयनित जिलों में उक्त प्रतिशत में मामूली बढ़त देखी गयी, जो कि 0.36 से 1.75 प्रतिशत के बीच रही। वास्तविक पात्र शारीरिक रूप से निशक्त हितग्राहियों को दर्शाने वाले अभिलेखों के आभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि उन्हें सहायता का आवंटन समय से प्राप्त हुआ था या नहीं।

निर्गम बैठक (जनवरी 2014) के दौरान एसीएस द्वारा बताया गया कि उपलब्ध शारीरिक रूप से निशक्त हितग्राहियों को सहायता प्रदान कि गई थी। साथ में यह भी कहा गया था कि, शारीरिक रूप से निशक्त हितग्राहियों को सामयिक एवं त्वरित आवंटन हेतु प्रयास किए जाऐंगे।

[3] अन्य अजा/अजजा एवं अल्पसंख्यकों के अतिरिक्त सभी सम्मिलित हैं ।

विभाग के अभिलेख इस बात की पुष्टि नहीं करते कि उपलब्ध शारीरिक रूप से निशक्त हितग्राहियों को सहायता प्रदान कि गई थी। विभाग द्वारा दिशानिर्देशों के अनुरूप शारीरिक रूप से निशक्त हितग्राहियों को आवासों के आवंटन हेतु यथोचित प्रयास किए जाने चाहिए।

2.2.8.1(ख) आईएवाई प्रतीक्षा सूची गलत तैयार करना

आईएवाई दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 2.1 के अनुसार, जिला पंचायतें/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियाँ (डीआरडीए), प्राप्त आवंटनों तथा निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर एक वित्तीय वर्ष के दौरान आईएवाई के अंतर्गत बनाए/उन्नयन किए जाने वाले मकानों की पंचायतवार संख्या का निर्धारण करेंगी। निर्धारित लक्ष्यों की सूचना संबंधित ग्राम पंचायत को दी जाएगी। उसके बाद उक्त सीमा तक लाभार्थियों का निर्धारण स्थायी आईएवाई प्रतीक्षासूचियों में वरीयता के क्रम से किया जाएगा, जिसे बीपीएल सूची के आधार पर तैयार किया जाता है। ग्राम पंचायतें बीपीएल सूची में से क्रमानुसार आवासहीन परिवारों का चयन कर सकती है। उक्त सूचियां तैयार होने के बाद उन्हें ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। ग्राम सभा का चयन अंतिम होगा एवं किसी उच्च निकाय के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। तथापि, जिला परिषदों/डीआरडीए एवं खण्ड विकास कार्यालयों को उनकी जानकारी के लिए चुने गए हितग्राहियों की सूची भेजी जाएगी।

चयनित जनपद पंचायतों एवं ज़िला पंचायतों के बीपीएल सूची एवं आईएवाई प्रतीक्षा सूची के नमूना जाँच में कई स्थानों में पाया गया कि आईएवाई प्रतीक्षा सूची तैयार करने में बीपीएल सूची की वरीयता को बनाए नहीं रखा गया, जो कि निम्न कंडिकाओं में उल्लेखित है।

आईएवाई प्रतीक्षा सूची को बीपीएल सूची के अनुरूप तैयार नहीं किया गया

(i) रायपुर जिले के अंतर्गत जनपद पंचायत धरसींवा एवं जनपद पंचायत कोरबा (जिला कोरबा) के ग्राम अजगरबहार के अभिलेखों के नमूना जाँच में देखा गया कि आईएवाई प्रतीक्षा सूची के हितग्राहियों का क्रम बीपीएल सूची की वरीयता के अनुसार नहीं था। कई उदाहरण देखे गए जिनमें कुछ परिवारों को जो बीपीएल सूची में उच्च वरीयता रखते थे, उन्हें आईएवाई प्रतीक्षा सूची में निम्न वरीयता प्रदान की गई। चूंकि आईएवाई योजना के अंतर्गत दी गई वित्तीय सहायता आईएवाई प्रतीक्षा सूची में दी गई वरीयता के अनुसार प्रदाय की जाती है, इसलिए आईएवाई प्रतीक्षा सूची के गलत बनाए जाने के कारण बीपीएल सूची में निम्न वरीयता वाले हितग्राहियों (2007-08 से 2010-11) को सहायता का लाभ प्राप्त हुआ, जैसा कि ***परिशिष्ट 2.2.1*** में दर्शित है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत धरसींवा द्वारा बताया गया कि आईएवाई प्रतीक्षा सूची ग्राम सभा के अनुमोदन के आधार पर तैयार किया गया था। जबकि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कोरबा ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया।

एसीएस ने निर्गम बैठक (जनवरी 2014) के दौरान बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में आईएवाई प्रतीक्षा सूची हितग्राहियों की आवश्यकताओं की प्राथमिकता के आधार पर तथा हितग्राही के तत्कालीन वित्तीय स्थिति के अनुरूप तैयार किया जाता है। यह भी कहा गया कि सूची ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित की जाती है। तथापि यह आश्वस्त किया गया कि प्रकरण की पुनः समीक्षा कर आवश्यक निर्देश जारी किये जावेंगे।

एसीएस का उत्तर आईएवाई दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है, जो निर्धारित करता है कि आईएवाई प्रतीक्षा सूची बीपीएल सूची के क्रमानुसार ही तैयार किया जाना चाहिए।

(ii) आगे, वर्ष 2009-10 में यह देखा गया कि, जनपद पंचायत, कोरबा के ग्राम पंचायत बरपाली के दो हितग्राहियों, जो कि बीपीएल श्रेणी के नहीं थे, को सहायता प्रदान की गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने सूचित किया कि उक्त हितग्राही बीपीएल सूची में नामित वास्तविक हितग्राहियों के रिश्तेदार थे।

एसीएस द्वारा निर्गम बैठक (जनवरी 2014) के दौरान बताया गया कि प्रकरण की समीक्षा की जाएगी।

उत्तर से आईएवाई आवासों का आवंटन बीपीएल परिवार के रिश्तेदारों के पक्ष में किये जाने कि पुष्टि होती है, जो कि दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

(iii) रायपुर जिले के छुरा जनपद में यह देखा गया कि, जनपद पंचायत में यह प्रचलन है कि प्रतिवर्ष नई प्रतीक्षा सूची तैयार की जाती है। पुरानी प्रतीक्षा सूची के समाप्त हुए बिना प्रतिवर्ष नई प्रतीक्षा सूची को तैयार किये जाने से यह संभावना सदैव बनी रहती है कि सूची में अपात्र हितग्राही सम्मिलित हो जाए या पात्र हितग्राही सम्मिलित होने से छूट जाए।

जनपद पंचायत, छुरा के एक चयनित ग्राम पंचायत, करकरा में अभिलेखों के नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि, वर्ष 2012-13 के प्रतीक्षा सूची में मात्र 30 हितग्राहियों के नाम थे जबकि इससे पूर्व (2011-12) की प्रतीक्षा सूची में 223 हितग्राही सम्मिलित थे। नए प्रतीक्षा सूची में से 193 हितग्राहियों का नाम विलोपित था। अभिलेखों में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत, करकरा ने इन 193 हितग्राहियों को सम्मिलित करने हेतु अनुशंसा किया था, चूंकि वे पात्र हितग्राही थे। किन्तु अभिलेखों में जनपद पंचायत द्वारा कोई कार्यवाही नहीं देखी गई। अतः यह स्पष्ट है कि इस प्रकार प्रतीक्षा सूची तैयार किये जाने के कारण 193 हितग्राहियों का नाम विलोपित हुआ।

इंगित किये जाने पर सीईओ जनपद पंचायत, छुरा द्वारा बताया गया कि आवश्यक जाँच कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जावेगा।

एसीएस द्वारा निर्गम बैठक (जनवरी 2014) के दौरान बताया गया कि, जनपद पंचायत द्वारा आईएवाई हितग्राहियों के सत्यापन अनुसार यह पाया गया कि 193 हितग्राही आईएवाई योजनांतर्गत लाभ पाने हेतु अपात्र थे।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा के दौरान जनपद पंचायत द्वारा ऐसे किसी भी सत्यापन के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे, एवं ग्राम सभा द्वारा पुनः (अप्रैल 2013) इन 193 हितग्राहियों को सम्मिलित किए जाने की अनुशंसा की गई थी।

(iv) सरगुजा जिले के जनपद पंचायत मैनपाट में यह देखा गया कि वर्ष 2006-07 में तैयार की गई प्रतीक्षा सूची वर्ष 2009-10 तक समाप्त हो चुकी थी एवं वर्ष 2009-10 के दौरान एक नई प्रतीक्षा सूची तैयार की गई। इसी दौरान चरम वामपंथी गतिविधियों से

प्रभावित बीपीएल परिवारों को सहायता प्रदाय करने हेतु एक और आईएवाई सूची तैयार की गई।

जनपद पंचायत, मैनपाट के ग्राम पंचायत, नरमदापुर में अभिलेखों के नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि, 22 बीपीएल परिवार ***(परिशिष्ट 2.2.2)*** ऐसे थे जो किसी भी आईएवाई प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित नहीं थे। इसके बावजूद उन्हें वर्ष 2009-10 में आईएवाई योजनांतर्गत सहायता प्रदान की गई थी। इससे यह स्पष्ट है कि आईएवाई प्रतीक्षा सूची को सही ढ़ंग से तैयार नहीं किया गया।

इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया कि उक्त हितग्राही आईएवाई प्रतीक्षा सूची को तैयार करते समय छूट गए थे। तथापि, ग्राम सभा द्वारा इन हितग्राहियों का नामांकन अनुशंसित किया गया था और इसलिए उन्हे सहायता प्रदान की गई थी।

यह तथ्य यथावत है कि ग्राम सभा ने बिना किसी कारण का उल्लेख किये ही पृथक से उन हितग्राहियों के नामों का अनुमोदन किया जो आईएवाई प्रतीक्षा सूची में नहीं थे।

निर्गम बैठक (जनवरी 2014) के दौरान एसीएस द्वारा बताया गया कि दिशानिर्देशों के अनुरूप आईएवाई प्रतीक्षा सूची तैयार करने हेतु निर्देश जारी किये जाएंगे।

2.2.8.2 भौतिक एवं वित्तीय निष्पादन

भारत सरकार द्वारा आईएवाई योजना के भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय आवंटन प्रदान किये जाते हैं एवं राज्य सरकार की जिम्मेदारी अनुपातिक राज्यांश जारी करने के साथ योजना का क्रियान्वयन भी है।

2.2.8.2(क) वित्तीय परिणाम

राज्य में वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान प्राप्त वित्तीय परिणाम निम्नानुसार हैः

तालिका 2.2.2: राज्य में आईएवाई की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाली तालिका

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	केन्द्रांश	राज्यांश	अन्य प्राप्तियां[4]	कुल उपलब्ध निधि	व्यय	अंत शेष	बचत (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2008-09	2.35	76.40	24.57	0.81	104.13	100.21	3.93	4
2009-10	33.88	117.54	49.14	1.11	201.67	189.18	12.49	6
2010-11	21.14	132.00	39.86	3.90	196.91	174.69	22.22	11
2011-12	27.38	130.97	52.18	1.37	211.90	185.57	26.33	12
2012-13[$]	25.67	291.99	97.28	2.93	417.86	366.07	51.79	12
कुल		**748.90**	**263.04**	**10.11**		**1015.72**		

(स्त्रोतःजानकारी विभाग द्वारा तैयार की गई एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

[$] (वासस्थल एवं बाढ़ प्रभावित को सम्मिलित कर)

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के अवधि के दौरान छः चयनित जिलों में प्राप्त वित्तीय परिणाम निम्नानुसार हैः

[4] अन्य प्राप्तियों में आईएवाई निधियों पर प्राप्त ब्याज भी सम्मिलित है।

तालिका 2.2.3: नमूना जाँच किए गए जिलों में आईएवाई की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाली तालिका

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	केन्द्रांश	राज्यांश	अन्य प्राप्तियाँ	कुल उपलब्ध निधि	व्यय	अंत शेष	बचत (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2008-09	0.72	34.41	10.65	0.20	45.98	45.56	0.42	1
2009-10	15.96	50.88	23.23	0.57	90.64	86.12	4.52	5
2010-11	5.58	60.20	15.77	2.83	84.38	77.82	6.56	8
2011-12	6.71	53.35	22.26	0.75	83.07	73.00	10.07	12
2012-13'	7.07	133.30	44.43	0.83	185.63	160.89	24.74	13
योग		**332.14**	**116.34**	**5.18**	**489.70**	**443.39**		

(स्त्रोतः जानकारी विभाग द्वारा तैयार की गई एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)
'(वासस्थल एवं बाढ़ प्रभावित को सम्मिलित कर)

उपरोक्त तालिका से दर्शित है कि राज्य स्तर पर आईएवाई निधि की बचत 12 प्रतिशत तक रही एवं नमूना जाँच किए गए जिलों में यह 13 प्रतिशत तक रही। साथ ही यह भी देखा गया कि किसी भी वर्ष के अंतिम शेष एवं आगामी वर्ष के प्रारम्भिक शेष के मध्य सदैव ही अंतर विद्यमान था। नमूना जाँच किए गए जिलों में भी पूर्व वर्ष के अंतिम शेष एवं आगामी वर्ष के प्रारम्भिक शेष में अनुरूपता नहीं देखा गया, जिसका विवरण ***परिशिष्ट 2.2.3*** में दिया गया है।

निर्गम बैठक (जनवरी 2014) के दौरान एसीएस द्वारा बताया गया कि बचत का कारण भारत सरकार से वित्तीय वर्ष के अंत में निधियों का प्राप्त होना था। अंतिम शेष एवं आगामी वर्ष के प्रारम्भिक शेष के मध्य अंतर के संबंध में बताया गया कि सुधारात्मक उपाय प्रारम्भ किये जाएंगे।

प्रारम्भिक एवं अंतिम शेष में अंतरों के समाधान हेतु विभाग को एक समुचित मिलान प्रक्रिया अपनानी चाहिए।

2.2.8.2(ख)(i) भौतिक परिणाम

राज्य में वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान भौतिक परिणाम निम्नानुसार हैः

तालिका 2.2.4: राज्य में आईएवाई की भौतिक स्थिति को दर्शाने वाली तालिका

वर्ष	वर्ष के लिए वार्षिक लक्ष्य	वर्ष के दौरान स्वीकृत आवासों की संख्या	कमी (-)/ अधिक्य (+)	निर्माणाधीन आवास	पूर्ण आवास[5]
1	2	3	4	5	6
2008-09	30010	29713	(-)297	3249	27919
2009-10	57520	57499	(-)21	19416	40065
2010-11	40203	40224	(+)21	17662	41408
2011-12	37466	37819	(+)353	13960	43010
2012-13'	110158	105889	(-)4269	78344	41572

(स्त्रोतः- जानकारी विभाग द्वारा तैयार की गई एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)
('वासस्थल एवं बाढ़ प्रभावित को सम्मिलित कर)

[5] पूर्ण आवासों में पूर्व वर्षों के लक्ष्य भी शामिल है।

नमूना जाँच किए गए जिलों में वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान भौतिक परिणाम निम्नानुसार हैः

तालिका 2.2.5: नमूना जाँच किए गए जिलों में आईएवाई की भौतिक स्थिति को दर्शाने वाली तालिका

वर्ष	वर्ष के लिए वार्षिक लक्ष्य	वर्ष के दौरान स्वीकृत आवासों की संख्या	कमी (-)/ अधिक्य (+)	निर्माणाधीन आवास	पूर्ण आवास
1	2	3	4	5	6
2008-09	13107	12806	(-)301	660	12855
2009-10	25160	25329	(+)169	9527	16184
2010-11	17392	17644	(+)252	7836	19459
2011-12	15381	15441	(+)60	4067	18612
2012-13*	45747	44252	(-)1495	29607	18709

(स्त्रोतः- जानकारी विभाग द्वारा तैयार की गई एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

(वासस्थल एवं बाढ़ प्रभावित को सम्मिलित कर)*

आईएवाई दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 5.10 के अनुसार किसी भी आवासीय इकाई के निर्माण में दो वर्ष से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। विभाग द्वारा संधारित अभिलेखों से यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि ऐसे कितने आवास हैं जो कि निर्धारित दो वर्षों कि अवधि से अधिक समय से लंबित पड़े हैं। उपरोक्त तालिका में निर्माणाधीन आवास एवं पूर्ण आवासों की संख्या में वैसे प्रकरण भी सम्मिलित है, जिनमें आईएवाई सहायता पूर्व के वर्षों में प्रदान कि गई थी एवं इसकी जानकारी अधीनस्थ कार्यालयों में पृथक रूप से संधारित नहीं कि गई थी जैसा कि कंडिका **2.2.8.5 (ख)** में उल्लेखित है।

उपरोक्त तालिकाओं से यह प्रकट होता है कि राज्य में वर्ष 2008-10 एवं 2012-13 में लक्ष्य की प्राप्ति में कमी थी और वर्ष 2010-12 में वास्तविक स्वीकृति लक्ष्य से आधिक थी। चयनित जिलों में वर्ष 2008-09 के दौरान हुई कमी को वर्ष 2009-12 के दौरान प्राप्त कर लिया गया था, किन्तु वर्ष 2012-13 में पुनः कमी पायी गई।

विभाग द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि आगामी वर्षों में कमी को दूर कर लिया गया है।

निर्गम बैठक (जनवरी 2014) के दौरान एसीएस द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार करते हुए बताया गया कि लक्ष्यों को प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किये जाएगें।

2.2.8.2(ख)(ii) हितग्राही परिवारों में महिला सदस्यों के स्थान पर पुरूष सदस्यों को सहायता प्रदान किया जाना

आईएवाई दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 2.4 के अनुसार, आवासों का आवंटन हितग्राही परिवार की महिला सदस्य के नाम से होना चाहिए। विकल्पतः इसे पति एवं पत्नी दोनों के नाम से आवंटित किया जा सकता है। तथापि यदि परिवार में कोई पात्र महिला सदस्य उपलब्ध/जीवित नहीं है तो, आवास पात्र बीपीएल परिवार के पुरूष सदस्य को भी आवंटित किया जा सकता है।

निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान महिला हितग्राहियों की स्थिति निम्नानुसार थी-

तालिका 2.2.6(क): राज्य में पिछले पाँच वर्षों के दौरान महिला एवं पति-पत्नी को संयुक्त रूप से सहायता प्रदाय करने की स्थिति को दर्शाने वाली तालिका

वर्ष	स्वीकृत	महिला	पति एवं पत्नी संयुक्त रूप से	महिला एवं पति और पत्नी संयुक्त रूप से का प्रतिशत	शेष {2-(3+4)}[6]
1	2	3	4	5	6
2008-09	29713	7984	21460	99	269
2009-10	57499	13962	43399	100	136
2010-11	40224	10062	30150	100	12
2011-12	37819	6665	30972	100	182
2012-13	105889	19528	84569	98	1792
योग	**271144**	**58201**	**210550**	**99**	**2393**

(स्त्रोतः- जानकारी विभाग द्वारा तैयार की गई एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

तालिका 2.2.6 (ख): चयनित जिलों में पिछले पाँच वर्षों के दौरान महिला एवं पति-पत्नि को संयुक्त रूप से सहायता प्रदाय करने की स्थिति को दर्शाने वाली तालिका

वर्ष	स्वीकृत	महिला	पति एवं पत्नी संयुक्तरूप से	महिला एवं पति और पत्नी संयुक्त रूप से का प्रतिशत	शेष {2-(3+4)}
1	2	3	4	5	6
2008-09	12806	4049	8533	98	224
2009-10	25329	6377	18873	100	79
2010-11	17644	4431	13213	100	0
2011-12	15441	1279	14046	99	119
2012-13	44252	9517	33081	96	1654
योग	**115472**	**25653**	**87746**	**98**	**2076**

(स्त्रोतः- जानकारी विभाग द्वारा तैयार की गई एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

परिवार में महिला सदस्यों की उपलब्धता के बावजूद पुरूष सदस्यों को आवास आवंटित किए गए

उपरोक्त आंकड़ों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राज्य में 98 प्रतिशत से ज्यादा एवं चयनित छः जिलों में 96 प्रतिशत से ज्यादा आवंटन या तो केवल महिला सदस्यों के पक्ष में या पति और पत्नी को संयुक्त रूप से किए गए थे। अतः उपलब्ध कराये गए आंकड़ों के अनुसार राज्य में केवल दो प्रतिशत एवं चयनित जिलों में केवल चार प्रतिशत आवंटन ही पुरूष हितग्राहियों के पक्ष में हुए थे। इसके विपरीत, लेखापरीक्षा द्वारा किये गए हितग्राही सर्वेक्षण में यह प्रकट हुआ कि 66[7] प्रतिशत आवंटन पुरूष हितग्राहियों के पक्ष में की गई थी जबकि परिवार में महिला सदस्य उपलब्ध थे।

अतः यह स्पष्ट है कि विभाग द्वारा पुरूष हितग्राहियों के लिये किये गये आवंटनों के आंकड़े पृथक रूप से संधारित नहीं किये गये थे।

उपरोक्त तथ्य यह इंगित करता है कि योजना दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया। दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार आवासीय इकाईयों का आवंटन महिला सदस्यों के

[6] लेखापरीक्षा द्वारा संगणित

[7] ग्राम पंचायतों में चयनित 1543 हितग्राहियों में से 1024 पुरूष हितग्राहियों को सहायता प्रदाय किया गया =66 प्रतिशत

नाम से किये जाने से परिवार के महिला सदस्य की भागीदारी बढ़ेगी जिससे समाज महिला सशक्तिकरण की तरफ एक कदम आगे बढेगा।

निर्गम बैठक (जनवरी 2014) के दौरान एसीएस द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार करते हुए बताया गया कि अनुपालन हेतु निर्देश जारी किये जाएंगे।

2.2.8.3 निधियों का आवंटन एवं विमुक्तिकरण

2.2.8.3(क) राज्य सरकार द्वारा संगत राज्यांश विमुक्त करने में विलंब

राज्य शासन द्वारा संगत राज्यांश विमुक्त करने में दो से 744 दिनों का विलंब

आईएवाई दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 4.6 के अनुसार, राज्य सरकार अपना अंशदान केन्द्रीय सहायता जारी किये जाने के एक माह के अंदर जिला परिषदों/डीआरडीए को जारी करेगी और इसकी प्रति ग्रामीण विकास मंत्रालय को पृष्ठांकित की जानी चाहिए। आगे अनुच्छेद 4.8 के अनुसार आईएवाई निधियों की जमा राशियों पर अर्जित ब्याज की राशि को आईएवाई संसाधनों का हिस्सा माना जाएगा।

कार्यालय विकास आयुक्त, रायपुर के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान देखा गया कि वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान जिला पंचायतों को राज्यांश दो से 744 दिनों के विलम्ब से जारी किये गए ***(परिशिष्ट 2.2.4) ।***

इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग को प्रस्तुत किया जाता था तथा राज्य सरकार के खाते में निधि की वास्तविक प्राप्ति के बाद ही स्वीकृति प्राप्त होती है। कुछ प्रकरणों में केन्द्रांश की सूचना भी देर से मिली जो कि आगामी किस्त हेतु प्रावधान तैयार करने के दौरान ध्यान में आई। केन्द्रांश का वित्तीय वर्ष के अंत में प्राप्त होना भी विलंब से राज्यांश जारी किये जाने का एक कारण है।

यह देखा गया कि ऐसे भी प्रकरण थे, जिनमें केन्द्रांश वर्ष के मध्य में प्राप्त होने के उपरांत भी राज्यांश जारी करने में विलंब हुआ। आगे भारत शासन से देर से प्राप्त होने वाले आवंटन के कारण राज्य द्वारा राशि हस्तांतरण में हुए विलंब को रोका जा सकता था, यदि विभाग ने एक पृथक खाता संधारित किया होता जैसा कि कंडिका **2.2.8.3** ***(ग)*** में उल्लेखित है।

निर्गम बैठक (जनवरी 2014) के दौरान एसीएस द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकारते हुए बताया गया कि राज्यांश समय पर जारी किये जाने को सुनिश्चित करते हुए स्थिति को अब सुधार लिया गया है।

2.2.8.3(ख) इंदिरा आवास योजना निधियों पर अर्जित ब्याज का अनुपयोगी रहना

आईएवाई दिशानिर्देश के अनुच्छेद 4.8 के अनुसार आईएवाई निधियों के जमा राशियों पर अर्जित ब्याज राशि को आईएवाई के संसाधनों का हिस्सा माना जाएगा। आगे, कंडिका 4.9 के अनुसार, खातों से निधियों को केवल आईएवाई के व्यय हेतु ही निकाला जाएगा।

नमूना जाँच किए गए जिला पंचायतों के लेखापरीक्षित लेखाओं[8] के जांच के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान आईएवाई निधियों पर अर्जित ब्याज राशि ₹ 3.47 करोड़ को खातों में बिना किसी प्रयोजन के रखा गया।

[8] सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षित

तालिका 2.2.7: नमूना जाँच किए गए जिलों में आईएवाई निधियों पर अर्जित ब्याज को दर्शाता तालिका

(राशि ₹ में)

स.क्र	जिला पंचायत का नाम	2008-09 से 2012-13 के दौरान अर्जित ब्याज
1	2	3
1	बस्तर	52,36,549
2	दुर्ग	44,62,652
3	कांकेर	18,97,885
4	कोरबा	14,07,250
5	रायपुर	92,90,934
6	सरगुजा	1,24,34,992
योग		3,47,30,262

(स्त्रोतः जानकारी विभाग द्वारा तैयार की गई एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

दिशा निर्देशों में प्रावधान होने के बावजूद आईएवाई अंतर्गत प्राप्त ब्याज राशि का उपयोग करने में विभाग विफल रहा

चूंकि दिशानिर्देशों के अनुसार इस राशि को आईएवाई के प्रयोजनों हेतु उपयोग में लाने की अनुमति है, अतः इस राशि को उन पात्र हितग्राहियों को आईएवाई सहायता के द्वितीय किस्त भुगतान हेतु उपयोग में लाया जा सकता था जब भारत सरकार/राज्य सरकार से अनुदान राशि प्राप्त करने में विलंब होता है। ऐसे विलंब के प्रकरण लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए। जिला पंचायतों द्वारा अर्जित ब्याज राशि के उपयोग हेतु सक्षम अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया।

निर्गम बैठक (जनवरी 2014) के दौरान एसीएस ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकारते हुए बताया कि अर्जित ब्याज को आईएवाई हेतु उपयोग किया जावेगा एवं उसके अनुसार से निर्देश जारी किया जाएगा।

2.2.8.3(ग) आईएवाई के लिए पृथक से बैंक खाता नहीं होना

आईएवाई के दिशानिर्देश की अनुच्छेद 4.7 के अनुसार आईएवाई निधियों को (केन्द्रांश एवं राज्यांश) विशिष्ट एवं पृथक से राष्ट्रीय सूचीबद्ध अथवा सहकारी बैक अथवा डाकघर में बचत खाते में रखा जाना चाहिए। आगे, कंडिका 4.8 के अनुसार आईएवाई निधियों पर अर्जित ब्याज आईएवाई के संसाधनों का हिस्सा माना जाए।

आईएवाई निधियों के लिए पृथक से बैंक खाता नहीं खोला गया था

चयनित 15 जनपद पंचायतों में से आठ[9] में आईएवाई निधियों के लिए पृथक से बैंक खाता नहीं खोला गया था। परिणामस्वरूप आईएवाई निधियों पर अर्जित ब्याज का विभाजन नहीं किया जा सकता था एवं इसलिए आईएवाई के उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता था। योजना निधियों के त्वरित लेखाकरण से वास्तविक धन की प्राप्तियों एवं भारत शासन के स्वीकृति आदेशों के मध्य मिलान करने में सहायक सिद्ध होती, जैसा कि कंडिका **2.2.8.3 (क)** एवं उसके आगामी कंडिकाओं में उल्लेखित है।

- जिला पंचायत कोरबा के अभिलेखों के जाँच में पाया गया कि भारत सरकार से रियल टाइम ग्रौस सेटेल्मेंट (आरटीजीएस) के माध्यम से प्राप्त आईएवाई निधियों के केन्द्रांश को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के खाते में रखा गया था। इस चालू खाते को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरबा के पक्ष में खोला गया था। अन्य योजनाओं की राशि भी इसी खाते में प्राप्त की जा रही थी। इस खाते में भारत सरकार से आईएवाई निधियों की प्राप्ति के पश्चात इन्हें आईएवाई हेतु खोले गए अन्य बैंक खाते

[9] बालोद, चरामा, छुरा, धरसींवा, फिंगेश्वर, जगदलपुर, कोरबा और लुन्ड्रा

(सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया/ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया) में स्थानांतरित किया जाता था। अभिलेखों के जाँच में पाया गया कि भारत सरकार से प्राप्त ₹ 4.51 लाख से ₹ 2.18 करोड़ तक की राशि को दो से 34 दिनों के विलंब से स्थानांतरित किया गया (***परिशिष्ट 2.2.5***)। निधियों को चालू खातों में रखने एवं तत्पश्चात निधियों को आईएवाई के पृथक बचत खाते में विलंब से स्थानांतरण होने के कारण ब्याज का नुकसान हुआ।

इंगित किए जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरबा ने बताया कि उपरोक्त चालू खाता भारत सरकार से प्राप्त सभी योजनाओं की राशि को प्राप्त करने हेतु नोडल बैंक खाता के रूप में परिचालित है। स्थानांतरण में विलंब, स्वीकृति की प्राप्ति में विलंब होने के कारण है जिसके बाद ही संबंधित खातो में राशि का स्थानांतरण किया जाता है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा बताया गया कि भारत सरकार के अंश को सीधे आईएवाई खाते में स्थानांतरित किया जायेगा।

इसी तरह जिला पंचायत, बस्तर में भारत सरकार से निधियाँ भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), जगदलपुर के खाते में अन्य केन्द्रीय योजनाओं के साथ प्राप्त होते थे एवं उसके पश्चात राशि को इंडस्ट्रीयल डेव्लपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (आईडीबीआई) के आईएवाई खाते में स्थानांतरित किया जाता है। अभिलेखों के जाँच में पाया गया कि भारत सरकार से प्राप्त राशि ₹ 36.14 लाख से ₹ 4.61 करोड़ तक की राशि एक से 25 दिनों के विलंब से स्थानांतरित किया गया (***परिशिष्ट 2.2.5***)।

इंगित किये जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर द्वारा बताया गया कि ऐसे प्रकरण हुए थे, जहाँ भारत सरकार से आवंटन आदेश बैंक खातों में निधियों के वास्तविक प्राप्ति के पश्चात प्राप्त हुए थे, जिस कारण निधियों के स्थानांतरण में विलम्ब हुआ। यह भी बताया गया कि केन्द्रांश आईएवाई खाते में सीधे स्थानांतरित कर दी जाएगी।

- जनपद पंचायत, धरसींवा, रायपुर जिला के अभिलेखों के जाँच में पाया गया कि आईएवाई निधियों को रखने के लिए पृथक से बैंक खाता नहीं खोला गया था, बल्कि निधियों को सहकारी बैंक खाते में जिला पंचायत के अन्य योजनाओं की निधियों के साथ रखा गया था। यद्यपि पृथक लेजर खाता आईएवाई निधियों के आलेख हेतु संधारण किया गया था। ब्याज राशि, जिसे आईएवाई निधियों में शामिल किया जा सकता था, को न तो लेजर में दर्शाया गया था और न ही संयुक्त बैंक खाते से विभाजित किया गया था। इसी तरह जिला पंचायत, फिंगेश्वर, रायपुर जिला में आईएवाई निधियों को दो बैंक खातों में अन्य योजनाओं के साथ रखा गया था।

इंगित किए जाने पर शासन द्वारा बताया गया कि वर्ष 2010-11 से निधियों का अंतरण सीधे हितग्राहियों के खाते में किया जाता है एवं सभी जिला पंचायतों में आईएवाई का एकल खाता संधारित किया जा रहा है।

निर्गम बैठक (जनवरी 2014) के दौरान एसीएस द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकारते हुए बताया गया कि, आईएवाई के लिये पृथक बैंक खाता खोलने हेतु जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों को निर्देश जारी किये जाएंगे।

2.2.8.3(घ) आईएवाई निधियों से अनाधिकृत व्यय

आईएवाई के दिशानिर्देशों में प्रशासनिक एवं अन्य आकस्मिक मदों पर व्यय हेतु कोई प्रावधान नहीं है। आईएवाई के अंतर्गत प्रदाय निधियाँ केवल मकानों के निर्माण/उन्नयन हेतु आईएवाई हितग्राहियों को अनुदान वितरण के लिए है।

आईएवाई निधियों में से अनाधिकृत मदों पर व्यय किया गया

जनपद पंचायत, धरसींवा (रायपुर), जनपद पंचायत, पाली(कोरबा), जनपद पंचायत, जगदलपुर (बस्तर) एवं जनपद पंचायत, चारामा (कांकेर) में आईएवाई के लेजर खाते, रोकड़ पंजी एवं भुगतान प्रमाणकों के जाँच में पाया गया कि आईएवाई निधियों से लेखन सामाग्री, फोटो कापियाँ एवं अन्य विभिन्न मदों पर व्यय[10] किया गया जैसा कि ***परिशिष्ट 2.2.6*** में विस्तृत है। हितग्राहियों को सहायता प्रदाय करने के अलावा अन्य कार्यों के लिए व्यय किया गया जो कि योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं था।

इंगित किए जाने पर जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने बताया कि आईएवाई से विभिन्न प्रशासनिक मदों पर किये गए व्यय को जनपद पंचायतों की निधियों से पूर्ति की जाएगी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रशासनिक खर्चे पर व्यय योजना के दिशानिर्देशों के प्रतिकूल था और लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर ही पूर्ति की कार्यवाही शुरू की जा रही है।

निर्गम बैठक (जनवरी 2014) के दौरान एसीएस द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार करते हुए बताया गया कि राशि का समायोजन जनपद पंचायत निधि से कर दिया गया है तथा जनपद पंचायत, पाली के प्रकरण में कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है।

2.2.8.3(ड़) आईएवाई डिस्प्ले बोर्ड एवं प्रतीक चिन्ह् पर अधिक व्यय

दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 5.10 के अनुसार, आईएवाई अंतर्गत प्रत्येक मकान के निर्माण के पश्चात्, एक डिस्प्ले बोर्ड कि स्थापना की जाएगी, जिसमें भारत सरकार ग्रामीण आवास का प्रतीक चिन्ह्, निर्माण का वर्ष, हितग्राही का नाम इत्यादि दर्शित हो। योजना के अंतर्गत अर्जित ब्याज की राशि में से इस बाबत् व्यय किया जा सकता है। प्रत्येक प्रतीक चिन्ह् की लागत ₹ 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आईएवाई बोर्ड एवं प्रतीक चिन्ह् बनाने पर अधिक व्यय किया गया

बस्तर जिले में जनपद पंचायत जगदलपुर के अभिलेखों के नमूना जाँच में पाया गया कि 1376 आईएवाई बोर्ड एवं प्रतीक चिन्हों को निर्मित मकानों के छाया चित्रों सहित तैयार करने का कार्य मेसर्स आई.टी सोल्युशन्स, जगदलपुर को दिया गया। उपरोक्त कार्य का कार्यादेश ₹ 270 प्रति इकाई के दर से उपरोक्त फर्म को जारी किया गया। दिशानिर्देश अनुसार छायाचित्र पर व्यय अनुज्ञेय नहीं था एवं प्रत्येक प्रतीक चिन्ह् पर व्यय की सीमा केवल ₹ 30 थी। । इस प्रकार बोर्ड एवं प्रतीक चिन्ह् उच्च दरों पर तैयार करने से अधिक व्यय[11] हुआ।

निर्गम बैठक (जनवरी 2014) के दौरान एसीएस ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार करते हुए बताया कि ₹ 2.59 लाख का अधिक व्यय जनपद पंचायत निधि के समायोजित कर दिया गया है। आगे, यह भी कहा गया कि मानकों के अनुसार व्यय करने हेतु निर्देश जारी किये जाएगें।

[10] जनपद पंचायत धरसींवा ₹ 1,13,038, जनपद पंचायत, पाली ₹ 51,975, जनपद पंचायत, चरामा ₹ 40,923, जनपद पंचायत, जगदलपुर ₹ 72,703 एवं जनपद पंचायत रामचंद्रपुर, ₹ 24,500

[11] अग्रिम प्रदाय ₹ 3 लाख - अधिकृत राशि ₹ 30 प्रति इकाई X 1376 इकाई = ₹ 2,58,720

यद्यपि, निधि समायोजित कर ली गई है, आईएवाई स्त्रोत पर ब्याज की अपरिहार्य हानि हुई।

2.2.8.3(च) निधियों का व्यपवर्तन

आईएवाई दिशानिर्देशों के अनुसार योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को लाभ देने के अलावा आईएवाई निधियों का किसी अन्य मद में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

जनपद पंचायत चारामा, जिला कांकेर के अभिलेखों के जाँच के दौरान यह परिलक्षित हुआ कि आईएवाई निधियों[12] को सुखद सहारा पेंशन योजना एवं राष्ट्रीय पेंशन योजना में व्यपवर्तित किया गया था। व्यपवर्तित निधियों को तीन माह पश्चात समायोजित किया गया था।

आईएवाई निधियों को अन्य योजनाओं में व्यपवर्तित किया गया

इसी प्रकार सरगुजा जिला के जनपद पंचायत, रामचन्द्रपुर में आईएवाई निधियों[13] का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में व्यपवर्तन किया गया था, जिसे कि 48 से 260 दिनों की अवधि के पश्चात् समायोजित किया गया (***परिशिष्ट 2.2.7***) ।

इसी प्रकार जनपद पंचायत, पाली, जिला कोरबा के अभिलेखों की जांच में देखा गया कि वर्ष 2006-09 की अवधि के दौरान राशि ₹ 37.13 लाख ***(परिशिष्ट 2.2.7)*** का व्यपवर्तन आईएवाई निधि से स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीएसवाई) में किया गया।

निर्गम बैठक (जनवरी 2014) के दौरान एसीएस ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकारते हुए बताया कि राशि जनपद पंचायत निधि से समायोजित कर ली गई है तथा केवल ₹ 3.85 लाख जनपद पंचायत पाली में समायोजन हेतु शेष है। आगे यह भी बताया गया कि निधियों के व्यपवर्तन को रोकना सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी किये जाएंगे।

2.2.8.3(छ) कम सहायता की स्वीकृती

मई 2010 में जारी आईएवाई दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 3.1 के अनुसार मैदानी क्षेत्रों एवं पहाड़ी /दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले हितग्राहियों को क्रमशः ₹ 45,000 एवं ₹ 48,500 की सहायता प्रदान की जानी थी।

हितग्राहियों को कम सहायता की स्वीकृति की गई

जनपद पंचायत चारामा, कांकेर के अभिलेखों की जांच में देखा गया कि 204 हितग्राहियों को जुलाई 2010 से अक्टूबर 2010 की अवधि के दौरान योजनांतर्गत सहायता प्रदान की गई थी। 204 हितग्राहियों में से 196 हितग्राहियों को देय ₹ 48,500 के स्थान पर ₹ 48,000 की दर से सहायता स्वीकृत की गई, परिणामस्वरूप कम सहायता स्वीकृत हुई।

जिला पंचायत कांकेर के अभिलखों के जांच में देखा गया कि कांकेर जिले के सात जनपद पंचायतों में से नीचे दर्शाये अनुसार छः जनपद पंचायतों में 693 हितग्राहियों को ₹ 3.47 लाख कम सहायता स्वीकृत की गई:

[12] ₹ 1.87 लाख (मार्च 2010) एवं ₹ 0.70 लाख (अक्टूबर 2012)
[13] ₹ 65 लाख

तालिका 2.2.8 : कांकेर जिले में निधियों के कम जारी होने को दर्शाने वाली तालिका

स.क्र	जनपद पंचायत का नाम	हितग्राहयों की संख्या	कम जारी की गई राशि (प्रति हितग्राही ₹ 500 की दर से)
1	2	3	4
1	नरहरपुर	113	56,500
2	कांकेर	87	43,500
3	भानुप्रतापपुर	94	47,000
4	अंतागढ़	98	49,000
5	दुर्गकोंदल	105	52,500
6	चारामा	196	98,000
कुल		**693**	**3,46,500**

(स्त्रोतः- जानकारी विभाग द्वारा तैयार की गई एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

आगे यह देखा गया कि जनपद पंचायत, नरहरपुर, कांकेर में ₹ 45,000 की दर से 185 हितग्राहियों को आईएवाई सहायता स्वीकृत की गई (अगस्त-सितम्बर 2010) थी। चूंकि कांकेर जिला पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत है, आईएवाई सहायता ₹ 48,500 दिया जाना चाहिए था। इस तरह उक्त 185 हितग्राहियों को ₹ 6,47,500[14] की कम सहायता स्वीकृत की गई।

निर्गम बैठक (जनवरी 2014) के दौरान एसीएस ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकारते हुए बताया कि संबंधित जिला पंचायत/जनपद पंचायतों को तत्काल हितग्राहियों को अंतर की राशि जारी करने हेतु निर्देश दिये गये हैं एवं कम भुगतान किये जाने का कारण भी पूछा जाएगा।

2.2.8.3(ज) सहायता का रोका जाना

आईएवाई दिशानिर्देश, 2004 के अनुच्छेद 3.2 के अनुसार, यदि किसी कारणवश हितग्राही धुआं रहित, चूल्हा एवं शौचालय का निर्माण नहीं कर पाता है तो उसे दी जाने वाली सहायता में से क्रमशः ₹ 100 एवं ₹ 600 की कटौती कर ली जावेगी। यद्यपि, कटौती के उक्त प्रावधान को वर्ष 2010 में जारी दिशानिर्देशों में हटा लिया गया है ।

चयनित जिला पंचायतों एवं जनपद पंचायतों के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान देखा गया कि जनपद पंचायतों द्वारा आईएवाई दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 4.10 के अनुसार निर्माण कार्य के विभिन्न स्तरों पर सहायता प्रदान की जाने की प्रथा अपनाई गई थी। सहायता की प्रथम एवं द्वितीय किस्त सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी जाती थी, जिसे कि हितग्राही द्वारा केवल जनपद पंचायत द्वारा प्राधिकार दिये जाने के उपरांत ही आहरित किया जा सकता था। वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 की अवधि के दौरान जारी सहायता के स्वीकृति आदेश में यह उल्लेखित होता था कि सहायता की अंतिम किस्त धुआं रहित चूल्हा एवं शौचालय के निर्माण उपरांत ही जारी किये जावेंगें। ₹ 5,000 से ₹ 7,000 की राशि अंतिम किस्त के रूप में चिन्हित की जाती थी, जिसे हितग्राही द्वारा धुआं रहित चूल्हा एवं शौचालय के निर्माण उपरांत ही आहरित किया जा सकता था।

[14] 185 X (48,500 - 45,000) = ₹ 6,47,500

निधियों की उपलब्धता के बावजूद हितग्राहियों को ₹ 5,000 से ₹ 7,000 तक की राशि निकालने की अनुमति नहीं दी गई

उपरोक्त से यह प्रकट होता है कि यद्यपि भारत सरकार द्वारा पहले ही धुआं रहित चूल्हा एवं शौचालय न बनाये जाने पर कटौती शर्त को समाप्त कर दिया गया है, फिर भी विभाग द्वारा इसके लिये ₹ 5,000 से ₹ 7,000 चिन्हित किये जाने की प्रथा को कायम रखा गया। हितग्राही सर्वेक्षण के दौरान आगे यह भी देखा गया कि हितग्राहियों द्वारा निर्माण कार्य ऋण लेकर पूरा किया गया, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति और अधिक बदतर हुई।

निर्गम बैठक (जनवरी 2014) के दौरान एसीएस द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार करते हुए बताया गया कि सभी जिला पंचायतों/ जनपद पंचायतों को निर्देश जारी किये जाएंगे।

2.2.8.4 अन्य योजनाओं के साथ आईएवाई का तालमेल न किया जाना

आईएवाई कार्यकलापों को अन्य कार्यक्रमों के साथ तालमेल किया जाना चाहिए ताकि पूर्ण कार्यरत आवासीय इकाई उपलब्ध हो सके।

दिशानिर्देश के अनुच्छेद 5.11 के अनुसार सभी डीआरडीए द्वारा आईएवाई के साथ भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभाग की ऐसी योजनाओं को शामिल किया जाना चाहिए था, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके आईएवाई हितग्राहियों को ग्रामीण बीपीएल परिवारों के समान लाभ मिल सके।

2.2.8.4(क) आईएवाई हितग्राहियों को स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराने में समन्वय की कमी

आईएवाई मार्गदर्शिका के अनुच्छेद 5.11(ii) के अनुसार आईएवाई मकानों में स्वच्छ शौचालय की प्रदायगी हेतु संपूर्ण स्वच्छता अभियान के क्रियाकलापों तथा निधियों के साथ तालमेल किया जाना चाहिए था। एक आईएवाई हितग्राही को आईएवाई सहायता के अलावा उस मकान में स्वच्छ शौचालय के निर्माण हेतु सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत भी वित्तीय सहायता हेतु मान्य किया जाना था।

आईएवाई एवं टीएससी के बीच तालमेल की कमी

हितग्राहियों के सर्वे में यह पाया गया कि 1543 हितग्राहियों में से 844 हितग्राहियों के पास शौचालय नहीं थे तथा जिन 699 हितग्राहियों ने शौचालय का निर्माण कराया था उनमें से केवल 93 हितग्राहियों को संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सहायता प्राप्त हुई थी। नमूना जाँच में छः जिला पंचायतों एवं 15 जनपद पंचायतों के अभिलेखों के जाँच में पाया गया कि कई प्रकरणों में आईएवाई का सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के साथ तालमेल का अभाव था। आईएवाई हितग्राहियों को सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत लाभ प्रदान करने में क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रयासों की कमी रही। एजेंसियों द्वारा अतिरिक्त सहायता प्रदाय किये जाने के स्थान पर आईएवाई के अंतर्गत सहायता के स्वीकृति आदेशों में आईएवाई निधियों के अंश से ही शौचालय निर्माण हेतु निर्देशित किया, जैसा कि कंडिका **2.2.8.3 (ज)** में उल्लेखित है। तथापि, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान से तालमेल का लाभ जनपद पंचायत धरसीवां में देखा गया, जैसा कि कंडिका **2.2.8.4 (घ)** में दर्शाया गया है।

निर्गम बैठक (जनवरी 2014) के दौरान एसीएस द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकारते हुए बताया गया कि आईएवाई का अन्य योजनाओं के साथ तालमेल स्थापित करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं ।

विभाग का उत्तर पुष्टि करता है कि योजनाओं के तालमेल से सहायता प्रदाय करने हेतु उचित कार्यवाही की कमी रही।

2.2.8.4(ख) आईएवाई हितग्राहियों के लिए विभेदक ब्याज दर योजनांतर्गत ऋण

आईएवाई दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 3.3 के अनुसार आईएवाई के अंतर्गत दी गई सहायता के अतिरिक्त, प्रत्येक आईएवाई हितग्राही प्रति आवासीय इकाई के लिए विभेदक ब्याज दर (डीआरआई) योजना के अंतर्गत चार प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ₹ 20,000 तक का ऋण प्राप्त कर सकता है। राज्य सरकारों/संबंधित डीआरडी एजेंसियों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे इच्छुक हितग्राहियों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करें।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने भी राज्य शासन को (मई 2009) डीआरआई के हितलाभों के प्रति जागरूकता पैदा करने हेतु अनुरोध किया गया था ताकि, कम से कम 25 प्रतिशत आईएवाई हितग्राही इसका लाभ उठा सके।

तालिका 2.2.9 : वर्ष 2011-13 के दौरान चयनित जिलों में डीआरआई ऋण की स्थिति

जिला	आईएवाई निमाणों की संख्या	डीआरआई विवरण					
		बैंकों को अग्रेषित प्रकरणों की संख्या	बैंकों को अग्रेषित प्रकरणों का प्रतिशत	स्वीकृत प्रकरणों की संख्या	बैंको द्वारा स्वीकृत प्रकरणों का प्रतिशत	डीआरआई ऋण प्राप्त हितग्राहियों का प्रतिशत	शेष
1	2	3	4	5	6	7	8
बस्तर	9368	175	2	98	56	1	77
दुर्ग*	6260	165	3	13	08	0	152
कांकेर	4225	1049	25	480	46	11	569
कोरबा	5411	479	9	126	26	2	353
रायपुर	14753	544	4	273	50	2	271
सरगुजा	19679	276	1	42	15	0	234
योग	**59693**	**2688**	**5**	**1032**	**38**	**2**	**1656**

**(चूँकि जिला पंचायत दुर्ग द्वारा डीआरआई हितग्राहियों के संकलित आंकड़े संधारित नहीं थे, नमूना जाँच किये गये दो जनपद पंचायतों में लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गए आंकड़े ही सम्मिलित है)*

(स्त्रोतः- जानकारी विभाग द्वारा तैयार की गई एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

डीआरआई योजना में जागरूकता की कमी के कारण चयनित जिलों में केवल दो प्रतिशत हितग्राहियों द्वारा ही लाभ प्राप्त किया गया

उपरोक्त तालिका से यह परिलक्षित होता है कि चयनित जिलों में दो से 25 प्रतिशत आईएवाई हितग्राहियों के प्रकरण जनपद पंचायतों द्वारा डीआरआई योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृति हेतु बैंको को वर्ष 2011-12 से 2012-13 तक की अवधि के मध्य अग्रेषित किये गए थे। इनमें से केवल 15 से 56 प्रतिशत प्रकरणों में ही ऋण स्वीकृत किये गए थे। जनपद पंचायतों द्वारा बैंको को डीआरआई ऋण हेतु प्रेषित प्रकरणों का कुल प्रतिशत एवं डीआरआई ऋण का लाभ उठाने वाले हितग्राहियों का प्रतिशत 25 प्रतिशत के स्तर तक नहीं था। केवल कांकेर जिले में कुल हितग्राहियों के 25 प्रतिशत प्रकरण डीआरआई ऋण हेतु अग्रेषित किये गए थे जिनमें से 46 प्रतिशत हितग्राहियों को ऋण प्राप्त हुए थे। कांकेर जिले के समस्त हितग्राहियों में से कुल 11 प्रतिशत ने योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त किया था जो अन्य चयनित जिलों की तुलना में उच्चतर उपलब्धि है।

हितग्राही सर्वेक्षण में यह भी देखा गया कि 1543 हितग्राहियों में से 1520 को योजना की जानकारी नहीं थी, जो दर्शाता है कि क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा योजना के प्रति वृहद जागरूकता उत्पन्न नहीं की गई थी।

निर्गम बैठक (जनवरी 2014) के दौरान एसीएस द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार करते हुए बताया गया कि यह हितग्राहियों द्वारा डीआरआई ऋण लेने में रूचि की कमी के कारण था। आगे, यह भी बताया गया कि वित्तीय संस्थानों द्वारा भी डीआरआई ऋण स्वीकृत करने हेतु कोई रूचि दर्शायी नहीं जाती है।

विभाग द्वारा हितग्राहियों में योजना को लोकप्रिय बनाने के प्रयास किये जाने चाहिए एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा दर्शायी रूचि की कमी को भारत सरकार के समक्ष लाना चाहिए।

2.2.8.4(ग) पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण सुधार तथा सामाजिक वानिकी

दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 5.11 के अनुसार, आईएवाई परिवार को पेयजल सुविधा, राष्ट्रीय ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एनआरडब्लूएसपी) के साथ तालमेल के माध्यम से किया जा सकता है, जो प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को सतत आधार पर पीने, खाना बनाने तथा अन्य घरेलू बुनियादी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराये। आगे, अनुच्छेद 5.6 के अनुसार संपूर्ण बस्ती अथवा निजी आवास के चारों ओर वृक्षारोपण का कार्य भी किया जा सकता है ताकि हितग्राहियों को ईंधन/चारा/लकड़ी के छोटे लट्ठे प्राप्त हो सकें। पोषण स्तर में सुधार के लिए आवासों में पारिवारिक स्तर पर फलों एवं सब्जियों की खेती को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है।

एनआरडब्लूएसपी एवं आवासों के सानिध्य में वृक्षारोपण का लाभ नहीं दिलाया गया था

लेखापरीक्षा द्वारा सर्वेक्षण के दौरान यह देखा गया कि आईएवाई परिवारों को एनआरडब्लूएसपी से तालमेल का लाभ नहीं दिलाया गया था। तथापि, सामुदायिक नलकूपों के माध्यम से परिवारों को उनके आवासों के समीप ही पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध थी। आईएवाई परिवारों द्वारा अपने आवासों के सानिध्य में पहले से ही उपलब्ध वानस्पतिक आवरण एवं स्वयं अपने प्रयासों के द्वारा किये गए वृक्षारोपण के अलावा, विभाग द्वारा, जनपद पंचायत, चरौदा में निर्मित आवासों के समूह (कंडिका **2.2.8.4 (घ)** में उल्लेखित) को छोड़कर, किसी भी अन्य प्रकार के वृक्षारोपण हेतु कोई भी कदम नहीं उठाये गए थे।

निर्गम बैठक (जनवरी 2014) के दौरान एसीएस द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार करते हुए बताया गया कि मामले को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं उद्यानिकी विभाग के साथ उठाया जाएगा।

2.2.8.4 (घ) जनपद पंचायत धरसींवा द्वारा आईएवाई का अन्य योजनाओं के साथ तालमेल की अच्छी शुरूआत

रायपुर जिले के जनपद धरसींवा में स्थित ग्राम पंचायत चरौदा के 13 चयनित हितग्राहियों का एक स्वसहायता समूह जनपद पंचायत के पहल पर गठित की गयी एवं इसी स्वसहायता समूह की देखरेख में एक निर्दिष्ट स्थान पर आवासों का निर्माण किया गया।

ग्राम पंचायत चरौदा, जनपद पंचायत धरसींवा, रायपुर जिला में समूह में निर्मित आवास



आईएवाई आवास समूह में



निर्मित शौचालय, सड़कें एवं पौधरोपण कार्य



आईएवाई आवास समूह में



उद्यानिकी विभाग द्वारा पौधरोपण कार्य

साथ ही, अन्य विभागों के साथ तालमेल भी देखा गया, यथा लोक स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक आवास के लिए शौचालयों का निर्माण, मनरेगा द्वारा सड़कों का निर्माण, वित्तीय संस्थानों द्वारा सभी हितग्रहियों को विभेदक ब्याज दर पर प्रदान किया जाना एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा पौधारोपण कार्य, जिनसे आवासीय लोगों के लिए स्वच्छ एवं पर्यावरण हितैषी वातावरण तैयार हो।

2.2.8.4 (ङ) क्रेडिट कम सब्सिडी को लोकप्रिय बनाने में कमी।

दिशा निर्देशों के अनुच्छेद 3.4 के अनुसार यह निर्दिष्ट किया गया था कि कुल राशि के 20 प्रतिशत तक की राशि विद्यमान कच्चे आवासों के उन्नयन एवं नये आवासों के निर्माण हेतु क्रेडिट कम सब्सिडी के अन्तर्गत अनुदान के रूप में व्यय की जा सकती है।

क्रेडिट कम सब्सिडी के लाभो को हितग्राहियों के बीच लोकप्रिय नहीं किया गया था

लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि किसी भी आईएवाई हितग्राही द्वारा क्रेडिट कम सब्सिडी का लाभ नहीं लिया गया था। हितग्राहियों के सर्वेक्षण के दौरान यह देखा गया कि 1543 सर्वेक्षित हितग्राहियों में से 1520 इस योजना से अनभिज्ञ थे। साथ ही यह भी देखा गया कि विभाग द्वारा इस योजना के लाभों को लोकप्रिय बनाने का कोई प्रयास नहीं किया गया था।

निर्गम बैठक (जनवरी 2014) में एसीएस द्वारा लेखापरीक्षण अवलोकन को स्वीकार करते हुए बताया गया कि योजना को लोकप्रिय बनाने हेतु आवश्यक कदम लिये जाएंगे।

उपरोक्त उत्तर इस बात की पुष्टि करता है कि राज्य सरकार के द्वारा योजना को लोकप्रिय बनाए जाने हेतु प्रयासों की कमी रही ।

2.2.8.5 निगरानी एवं मुल्यांकन

2.2.8.5(क) नवीन एवं अभिनव निर्माण तकनीकों को लोकप्रिय करना

आईएवाई दिशा निर्देशों के अनुच्छेद 5.1 के अनुसार, जिला पंचायत/कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा न ही किसी ठेकेदार को और न तो किसी शासकीय विभाग को निर्माण कार्य के लिए सम्मिलित किया जायेगा। यद्यपि शासकीय विभाग या संस्थाएँ तकनीकी सहयोग दे सकती हैं या निर्माण सामग्रियों के प्रदाय हेतु व्यवस्था कर सकती हैं। आगे, अनुच्छेद 5.2 के अनुसार राज्य शासन द्वारा कम लागत वाली पर्यावरण अनुकूल तकनीकों, सामग्रियों, डिजाईनों आदि के विषय में जानकारियाँ जिला एवं जनपद स्तर पर उपलब्ध करा सकता है।

यद्यपि कोई भी बाहरी संस्था सम्मिलित नहीं थी, किन्तु कम लागत वाली पर्यावरण अनुकूल तकनीकों को लोकप्रिय एवं प्रदाय करने हेतु भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि यद्यपि किसी भी बाहरी संस्था या कोई सरकारी संस्था को आवासों के निर्माण में सम्मिलित नहीं किया गया था, किन्तु विभाग द्वारा तकनीकी सहयोग या सामग्री प्रदाय हेतु भी कोई प्रयास नहीं किये गये थे। साथ ही प्रशिक्षण एवं कम लागत और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों के प्रयोग हेतु जागरूकता का अभाव भी दृष्टिगत हुआ।

इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि निर्माण, सामग्री का चुनाव एवं तकनीक को प्रयोग करना हितग्राही के ऊपर है। हितग्राहियों द्वारा स्थानीय तौर पर उपलब्ध सामग्रियों का प्रयोग करते हुये स्वयं द्वारा आवास का निर्माण किया जाता है ।

निर्गम बैठक (जनवरी 2014) के दौरान एसीएस ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकारते हुए बताया कि नवीन एवं अभिनव निर्माण तकनीकों को लोकप्रिय बनाने हेतु आवश्यक कदम लिये जाएंगें ।

राज्य सरकार द्वारा नवीन निर्माण तकनीकों को हितग्राहियों के लाभ हेतु दिशानिर्देशों के अनुसार लोकप्रिय बनाया जाना चाहिये था।

गैर-सरकारी संस्थाओं (एनजीओं) की भागीदारी

एनजीओं का उपयोग योजना के फायदों को लोकप्रिय बनाने हेतु नहीं किया गया

दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 5.8 के अनुसार, अच्छे सिद्ध ट्रैक रिकार्ड वाले स्थानीय गैर सरकारी संस्थाओं (एनजीओं) जहाँ पर भी उपलब्ध हो, उन्हे आवासों के निर्माण में सहायता एवं पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन और निगरानी हेतु साम्मिलित किया जा सकता है । विशेषकर शौचालयों एवं घुआँ रहित चूल्हों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के साथ ही नवीन तकनीकों, सामग्रियों आदि को लोकप्रिय बनाने हेतु एनजीओं का प्रयोग किया जाना चाहिये।

चयनित जिला पंचायतों एवं जनपद पंचायतों के लेखापरीक्षाओं के दौरान एनजीओ का सम्मिलित होना नही देखा गया, जबकि दिशानिर्देशों में ऐसा करने का सुझाव दिया गया था।

इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि राज्य में स्थित कोई भी एनजीओ सहभागिता के लिए आगे नही आए। 2013-14 तक इस हेतु कोई राशि भी अलग से निर्दिष्ट नहीं की गयी थी। सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को इस विषय पर पत्र जारी किए गए हैं । साथ ही चूँकि हितग्राहियों द्वारा स्वयं ही आवासों का

निर्माण करना होता है एवं सहयोग हेतु पंचायती राज्य संस्थाएं पहले से ही विद्यमान है, इसलिये एनजीओं के भागीदारी की कोई आवश्यकता नहीं है।

निर्गम बैठक (जनवरी 2014) को दैरान एसीएस द्वारा बताया गया कि राज्य में अच्छे एनजीओं की कमी है।

जैसा कि कंडिका **2.2.8.4 (घ)** में उल्लेखित है, हितग्राहियों के स्वयंसहायता समूहों द्वारा आईएवाई आवासों का निर्माण एक अच्छी पहल होगी ।

2.2.8.5(ख) अभिलेखों के समुचित संधारण की कमी

जनपद पंचायतों द्वारा आईएवाई अभिलेखों का समुचित संधारण नहीं किया गया था। ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित आईएवाई की प्रतीक्षा सूची एवं संबंधित ग्रामसभा की कार्यवाही विवरण, वर्षवार लाभान्वित हुए हितग्राहियों का डाटाबेस जिसमें पहली किस्त को जारी किये जाने का दिनांक, कार्य प्रारंभ किये जाने का दिनांक, द्वितीय किस्त जारी किये जाने के पहले तक किये गए कार्य की स्थिति, कार्य पूर्ण किये जाने का दिनांक, जनपद पंचायतों द्वारा जिला पंचायतों को प्रेषित माहवार/वर्षवार प्रगति प्रतिवेदन कि प्रति आदि जनपद पंचायतों द्वारा संधारित नहीं किया गया।

जनपद पंचायतों द्वारा अभिलेखों का समुचित संधारण नहीं किया गया

अभिलेखों के समुचित संधारण से आईएवाई सूची तैयार किये जाते समय वरीयता का ध्यान रखने में एवं हितग्राहियों को सहायता उपलब्ध करने में सहायक होती, जैसा कि कंडिका ***2.2.8.1 (क)*** में चर्चा किया गया है।

निर्गम बैठक (जनवरी 2014) के दौरान एसीएस द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए बताया गया कि उपयुक्त निर्देश जारी किये जाएंगे।

दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 5.9 के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसियों के पास आईएवाई योजना के अंतर्गत निर्मित/उन्नयन किए गए मकानों की एक पूर्ण सूची होनी चाहिए, जिसमें आवासों का निर्माण प्रारंभ होने तथा पूरा होने की तारीख, ग्राम और खण्ड के नाम जहां आवास स्थित है, हितग्राहियों के व्यवसाय तथा श्रेणी और अन्य संबंधित विवरणों का ब्यौरा दिया गया हो। आगे, दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 5.10 के अनुसार किसी भी अवस्था में आवास इकाई के निर्माण में दो वर्ष से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए।

आवासों के समुचित अभिलेखों के अभाव में अपूर्ण आवास एवं अप्रारंभ निर्माण कार्य उल्लेखित होने से वंचित रहे

चयनित 15 जनपदों में यह देखा गया कि किसी भी जनपद पंचायत द्वारा निर्मित किये गए संपूर्ण आवासों की सूची, जिसमें कि निर्माण प्रारंभ होने तथा पूर्ण होने की तारीख, ग्राम एवं खण्ड के नाम जहां आवास स्थित है, हितग्राहियों के व्यवसाय तथा श्रेणी और अन्य संबंधित विवरणों का ब्यौरा दिया गया हो, संधारित नहीं किया गया था। इन विवरणों के अभाव में जनपद पंचायतों द्वारा यह सुनिश्चित करना कठिन होगा कि नियत समयावधि में आईएवाई आवासों का निर्माण पूर्ण हुआ या नहीं।

चयनित जनपद पंचायतों के अभिलेखों के जांच के दौरान यह देखा गया कि आवासों की सूची एवं निगरानी के अभाव के कारण यह पाया गया कि नियत समयावधि में आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण न होने, द्वितीय किस्त के विमुक्तिकरण में विलंब, सहायता प्राप्त करने के पश्चात भी निर्माण कार्य प्रारंभ न होने जैसे प्रकरण अवलोकित हुए, जैसा कि नीचे चर्चा किया गया है:-

- जनपद पंचायत, धरसींवा के ग्राम पंचायत टेकारी के छः हितग्राही जिन्हें वर्ष 2009-10 में सहायता प्राप्त हुई थी, ने निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया था एवं आईएवाई सहायता की राशि ₹ 1,05,000[15] की वसूली अक्टूबर 2012 तक नहीं की गई थी, जो कि निगरानी एवं अनुसरण में कमी को दर्शाता है। जपनद पंचायत धरसींवा में ऐसे सात प्रकरण थे जहाँ हितग्राहियों ने प्रावधानित दो वर्षों की अवधि में निर्माण कार्य को पूर्ण नहीं किया था।

 इंगित किये जाने पर सीईओ, जनपद पंचायत, धरसींवा द्वारा बताया गया कि हितग्राहियों को आवासों के निर्माण में रूचि नहीं थी। आगे, यह भी कहा गया कि वर्ष 2012-13 में प्रकरण जनपद पंचायत के ध्यान में आने पर सहायता राशि की वसूली की गई थी।

 सीईओ के उत्तर से यह स्पष्ट है कि उचित निगरानी के अभाव में सहायता राशि हितग्राहियों के पास दो वर्षों से भी अधिक समय तक पड़ी रही। सहायता राशि की वसूली के समर्थन में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गए।

- इसी प्रकार, जनपद पंचायत, चारामा (2008-09) के पांच हितग्राहियों को सहायता स्वीकृत की गई थी परन्तु निर्माण कार्य अपूर्ण (जून 2013) थे एवं 22 हितग्राही, जिन्होने मार्च 2012 में सहायता प्राप्त किया था उनके द्वारा निर्माण कार्यों में (जून 2013) द्वितीय किस्त प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रगति नहीं की गई थी।

 इंगित किए जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत चारामा ने बताया कि मैदानी अमलों को निर्माण कार्य शुरू कराने हेतु आवश्यक कदम लिए जाने के निर्देश दिये गये हैं।

 मुख्य कार्यपालन अधिकारी के उत्तर से यह स्पष्ट है कि प्रथम किस्त प्राप्त करने के 15 माह पश्चात् भी हितग्राहियों द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ भी नहीं किया गया था।

- जनपद पंचायत छुरा, रायपुर के अभिलेखों के जांच के दौरान यह देखा गया कि वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान 34[16] हितग्राहियों को राशि ₹ 12.70 लाख की सहायता स्वीकृत की गई। दो वर्ष से भी अधिक अवधि व्यतीत होने के पश्चात् भी आवासों का निर्माण कार्य अपूर्ण रहा (जून 2013)।

भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना हितग्रहियों को आईएवाई सहायता की प्रथम किश्त प्रदान की गई।

- जनपद पंचायत, फिंगेश्वर मे यह देखा गया कि भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना तीन हितग्राहियों को आईएवाई सहायता की प्रथम किस्त प्रदान की गई (मार्च 2012-सितंबर 2012), जिसके परिणामस्वरूप निधि हितग्राहियों के पास अप्रयोज्य पड़ी रही। यह भी देखा गया कि छः हितग्राहियों द्वारा वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में सहायता प्राप्त करने के पश्चात् भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराये गये थे।

 इंगित किये जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, फिंगेश्वर द्वारा बताया गया कि विमुक्त की गई राशियां हितग्रहियों द्वारा आहरित नहीं किया गया था। अपूर्ण आवासों के संबंध में यह कहा गया कि कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।

[15] ₹17,500 x 6 = ₹1,05,000

[16] 26 हितग्राही 2009-10 में ₹ 35,000 के दर से एवं 8 हितग्राही 2010-11 में ₹ 45,000 के दर से

उत्तर से स्पष्ट होता है कि भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही राशि विमुक्त की गई थी, हितग्राहियों को वासस्थल योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जा सकता था।

₹ 3.67 लाख की आईएवाई सहायता राशि के धनादेश का तीन वर्ष से भी अधिक समय से अवितरीत रहना

- जनपद पंचायत, मैनपाट के अभिलेखों के जांच के दौरान यह देखा गया कि वर्ष 2009-10 में आईएवाई योजनांतर्गत सहायता राशि प्रदाय करने हेतु 563 हितग्राहियों का चयन किया गया एवं पहली किस्त जारी की गई। तथापि, पांच ग्राम पंचायतों[17] के 30 हितग्राहियों के पक्ष में राशि ₹ 3,67,500[18] का धनादेश, संबंधित हितग्राहियों के बैंक खाते में राशि जमा करने हेतु सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पक्ष में तैयार किया गया किन्तु उसे जनपद पंचायत में ही लंबित रखा गया। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि हितग्राहियों को राशि विमुक्त करने में विभाग द्वारा निगरानी का अभाव रहा।

 इंगित किये जाने पर सीईओ, जनपद पंचायत, मैनपाट द्वारा बताया गया कि प्रकरण की जाँच की जावेगी, यद्यपि विभाग ने बताया कि 26 मार्च 2010 को चेक जारी कर हितग्राहियों के खाते में राशि स्थानांतरित की गई है।

 उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा मई 2010 से जुलाई 2010 कि अवधि में जारी धनादेश के बारे में इंगित किया था।

 निर्गम बैठक (जनवरी 2014) के दौरान एसीएस द्वारा आवासों के निगरानी में कमी के लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार करते हुए बताया गया कि आवास साफ्ट[19] के समुचित परिचालन से मकानों की सूची के विवरण को अद्यतन करना सुनिश्चित किया जाएगा।

2.2.8.5 (ग) आईएवाई योजना के क्रियान्वयन में निगरानी एवं मूल्यांकन का अभाव

आईएवाई दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 6.1 एवं 6.2 में आईएवाई योजना के क्रियान्वयन हेतु अनुसरण किए जाने वाले निगरानी एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया निर्दिष्ट किया गया है एवं उसके परिपालन हेतु निर्देश प्रदान किया गया है।

राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के निगरानी का उत्तरदायित्व राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति (व्हीएमसी)[20] का होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के एक प्रतिनिधि अथवा नामित व्यक्ति को समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए अवश्य बुलाया जाना चाहिए।

आईएवाई योजना के क्रियान्वयन हेतु निगरानी एवं मूल्यांकन का अभाव रहा

चयनित जिला पंचायतों एवं जनपद पंचायतों के लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि आईएवाई के मासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदनों के अतिरिक्त कोई भी अन्य सावधिक प्रतिवेदन राज्य स्तरीय कार्यालय को जिला पंचायतों एवं जनपद पंचायतों द्वारा

17 विड़ापाड़ा, जजगा, बगरावेल, कतकालो एवं खरगोन

18 चेक क्रमांक 740236 दिनांक 05/05/2010 ₹ 37,500, चेक क्रमांक 740318 दिनांक 08/07/2010 ₹ 17,500, चेक क्रमांक 740306 दिनांक 22/05/2010 ₹ 1,87,500, चेक क्रमांक 740235 दिनांक 05/05/2010 ₹ 62,500 एवं चेक क्रमांक 740245 दिनांक 05/05/2010 ₹ 75, 000,

19 आवास साफ्ट इंदिरा आवास योजना के लिए शुरू की गई एक वेब आधारित साफ्टवेयर है

20 समिति जिसमें चेयरमैन के रूप में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री, को-चेयरमैन के रूप में ग्रामीण विकास के विभिन्न योजनाओं के प्रभारी मंत्री, अन्य सदस्य जिसमें विभिन्न विभागों के सचिव शामिल होंगे, चार लोकसभा सदस्य, एक राज्य सभा सदस्य, पाँच विधानसभा सदस्य, दो प्रतिष्ठित गैर सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का एक प्रतिनिधि।

अग्रेषित नहीं किया गया। आगे, यह देखा गया कि जनपद पंचायत स्तर के फील्ड अधिकारियों द्वारा आईएवाई आवासों के निर्माण की निगरानी ग्राम पंचायतों के भ्रमण द्वारा की गई, लेकिन इसके लिए किसी भी प्रकार का कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया था। उच्च अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार का फील्ड निरीक्षण अवलोकित नहीं हुआ। राज्य एवं जिला स्तर पर सभी योजनाओं के मूल्यांकन हेतु व्हीएमसी की बैठकें आयोजित हुई थी एवं आईएवाई हेतु पृथक से कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी। तथापि, इन बैठकों में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का कोई भी प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं था। विभाग द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को किसी प्रतिनिधि को नामित करने हेतु कोई भी पत्राचार किया जाना अभिलेखों में दर्शित नहीं था।

यह देखा गया कि जिला पंचायत स्तर पर संबंधित सांसद की अध्यक्षता में पंचायत एवं ग्रामीण विभाग के द्वारा संचालित अन्य योजनाओं के समीक्षा के साथ निगरानी समिति की बैठकों का आयोजन हुआ। आईएवाई हेतु समाजिक अंकेक्षण प्रारम्भ नहीं किया गया था।

इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि जिला पंचायत स्तर पर आईएवाई के लिए पृथक से कोई व्हीएमसी बैठक नहीं की गई थी, बल्कि इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित सभी योजनाओं का विहंगावलोकन किया जाता था। ग्राम सभाओं में सभी विकास योजनाओं की समीक्षा की जाती है। यद्यपि वर्ष 2013-14 से आईएवाई के लिये सामाजिक अंकेक्षण अनिवार्य होगा। विभाग के अधिकारियों द्वारा समय समय पर ग्रामीण क्षेत्रों में परिचालित होने वाले समस्त योजनाओं के निगरानी एवं देखरेख हेतु दौरे किये जाते है एवं जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है, जिसपर नियमित रूप से कार्यवाही की जाती है। यद्यपि इसके लिए कोई भी प्रारूप निर्धारित नहीं किया गया था।

निर्गम बैठक (जनवरी 2014) के दौरान एसीएस द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकनों के स्वीकार करते हुए बताया गया कि समुचित निर्देश जारी किये जाएंगे।

निगरानी एवं उनका अभिलेखिकरण पाये गये कमियों पर सुधारात्मक कार्यवाही करने में सहायक होंगें ।

2.2.8.5(घ) प्रशिक्षण

आईएवाई दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 5.2 के अनुसार, विभिन्न संस्थानों द्वारा विकसित आपदारोधी और पर्यावरण हितैषी तकनीकों एवं स्थानीय सामग्रियों का अधिक से अधिक प्रयोग करने के प्रयास किये जाने चाहिए। जिला परिषद/डीआरडीए द्वारा विभिन्न संस्थानों से नवीन तकनीकों, सामग्रियाँ, डिजाईनों और प्रक्रियाओं पर दक्षता प्राप्त करने हेतु संपर्क किया जाना चाहिए, ताकि हितग्राहियों को टिकाऊ, कम लागत एवं आपदारोधी आवासों के निर्माण/उन्नयन में सहायता की जा सके। आईएवाई दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 5.7 के अनुसार राज्य स्तर पर आईएवाई के क्रियान्वयन से संबंधित अधिकारियों को आवासों में अपनाई जाने वाली विभिन्न आपदारोधी एवं पर्यावरण हितैषी विशेषताओं के बारे में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और उनके द्वारा अपने क्षेत्रीय दौरों के दौरान इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, कौशल उन्नयन और कम लागत वाली प्रौद्योगिकी और स्थानीय सामग्री के उपयोग के लिए स्थानीय बढ़ई और राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जिला एवं खण्ड स्तर पर कम लागत वाली प्रौद्योगिकी की प्रदर्शनी, गोष्ठियों, कार्यशालाओं आदि के जरिए लाभार्थियों में आपदारोधी और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता पैदा की जानी

चाहिए। इस प्रयोजनार्थ राज्य ग्रामीण विकास संस्थाओं (एसआईआरडी) और विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों की सेवाएँ ली जा सकती हैं।

स्थानीय राजमिस्त्रियों एवं हितग्राहियों के लिए प्रशिक्षण, एवं कार्यशाला सेमीनार आयोजित नहीं किए गए

राज्य, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत स्तर पर अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान प्रकट हुआ कि विभाग द्वारा जिला एवं खण्ड स्तर पर आईएवाई से संबंधित आधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु कोई प्रबंध नहीं किया गया। खण्ड स्तर पर आपदारोधी, पर्यावरण अनुकूल एवं किफायती प्रौद्योगिकी बनाने हेतु कोई कार्यशाला अथवा सेमीनार आयोजित नहीं की गई। रायपुर जिले के जनपद पंचायत फिंगेश्वर में एक अपवाद देखने में आया, जहां आईएवाई हितग्राहियों को प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था तथा कुछ चयनित स्थानीय राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण हेतु हैदराबाद भेजा गया था।

निर्गम बैठक (जनवरी 2014) के दौरान एसीएस द्वारा प्रशिक्षण की आवश्यकता को स्वीकार किया एवं बताया गया कि 2013-14 के बाद से प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा।

उत्तर इस तथ्य को दर्शाता है कि विभाग द्वारा प्रशिक्षण हेतु प्रयास में कमी थी।

2.2.8.5(ङ) शिकायत निवारण प्रणाली

शिकायत निवारण प्रणाली किसी भी योजना की निगरानी, मूल्यांकन और प्रभावी क्रियान्वयन के लिये एक महत्वपूर्ण तंत्र है। दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 6.1.2 शिकायतों से संबंधित है एवं उसके अनुसार निराकरण के लिए शिकायत निवारण प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी राज्य स्तर पर स्थापित किया जाना चाहिये, जो नियमित निष्पादन शाखा से स्वतंत्र मैदानी निरीक्षण कर कमियों कों प्रभावी निराकरण हेतु क्रियान्वयन एजेंसी को रिपोर्ट प्रस्तुत करे। मंत्रालय के वेबसाईट में शिकायतों को दर्ज करने का प्रभावी प्रावधान है। सभी निरीक्षण प्रतिवेदन वेबसाईट पर प्रविष्टि किया जाना चाहिये।

विभाग द्वारा विशिष्ट शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित नहीं किया गया था

जाँच में पाया गया कि शिकायतों के निवारण के लिये किसी भी स्तर पर विभाग द्वारा हितग्राही या पात्र बीपीएल परिवारों के शिकायतों के प्रविष्टि को सुगमता से दर्ज कराने के लिए कोई विशेष दिशानिर्देश या तंत्र नहीं था।

इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि आवास योजना के लिये अलग से कोई शिकायत सेल नहीं है। शिकायतों को अद्यतन स्थिति के लिये आवास साफ्ट बहुत कार्यात्मक नहीं है।

निर्गम बैठक (जनवरी 2014) के दौरान एसीएस द्वारा बताया गया कि एक शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित किया जाएगा। आगे, यह भी कहा गया कि आईएवाई को सामाजिक अंकेक्षण में सम्मिलित कर लिया गया है।

2.2.8.5(च) आवास साफ्ट में डेटा अद्यतन नहीं किया जाना

आवास साफ्ट, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इंदिरा आवास योजना के लिए जुलाई 2010 में शुरू की गई एक वेब आधारित साफ्टवेयर है। यह योजना के ई-प्रशासन की सुविधा के लिये एक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) है। यह प्रणाली ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) द्वारा तैयार किया गया है। भौतिक, वित्तीय लक्ष्य और उपलब्धि से लेकर लाभार्थियों का विवरण, स्वीकृत आवासों की प्रगति तथा

वितरित निधि इत्यादि की पूर्ण तथा व्यापक आंकड़े योजना के क्रियान्वयन के सभी स्तरों को आवास साफ्ट में अपलोड किया जाना है।

आवास साफ्ट में डेटा को अद्यतन नहीं किया गया था

आवास साफ्ट के डाटा और राज्य स्तर पर उपलब्ध मासिक प्रगति प्रतिवेदन (एमपीआर) की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2009-10 से आगे के आंकड़े आवास साफ्ट के एमआईएस डाटा उपलब्ध थे। वर्ष 2009-13 के दौरान एमपीआर और एमआईएस में लगभग सभी आंकड़ों के बीच अंतर पाया गया। इससे स्पष्ट है कि आवास साफ्ट में आंकड़े को अद्यतन नहीं किया गया था और यह दर्शाता है कि विकसित किया गया एमआईएस पूरी तरह से क्रियान्वयित नहीं था और उपलब्ध आंकड़े भरोसेमंद नहीं थे। 2009-10 से 2012-13 की अवधि में एमपीआर एवं एमआईएस के आंकड़ों में काफी अंतर था जैसा कि ***परिशिष्ट 2.2.8*** में दिखाया गया है।

इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा लेखापरीक्षा आक्षेप स्वीकार करते हुए बताया गया कि आवास साफ्ट नया है तथा साफ्टवेयर के कुछ फील्ड कार्य नहीं कर रहे है। आगे, राज्य शासन द्वारा गलत प्रविष्टियों की सुधार नही की जा सकती चूंकि सर्वर केन्द्र शासन के अधीन है। यह भी बताया गया कि इंदिरा आवास के एमआईएस आंकड़ो के प्रविष्टि के लिए समर्पित अमला नहीं है, जो कि मनरेगा डाटा प्रविष्टि के लिये लगाये गये कर्मियों के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है।

विभाग के कठिनाईयों को स्वीकार करते हुए, पिछले चार वर्षों के अविश्वसनीय एम आई एस आंकड़े की सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्धता उचित नही ठहराया जा सकता है। आवास साफ्ट के आंकड़ों को यदि सावधिक रूप से अद्यतन किया जाता तो यह आंकड़े निगरानी और हितग्राहियों के वित्तीय एवं भौतिक आकड़ो के रखरखाव में उपयोगी होता जैसा कि कंडिका **2.2.8.1 (क)**, **2.2.8.2** एवं **2.2.8.5 (ख)** में उल्लेखित है।

निर्गम बैठक (जनवरी 2014) में एसीएस द्वारा उपरोक्त तथ्य को स्वीकारते हुए बताया गया कि सुधारात्मक कदम उठाये जायेंगें।

2.2.9 निष्कर्ष

निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान इंदिरा आवास योजना का लक्ष्य लगभग पूरी तरह से विभाग द्वारा प्राप्त किया गया था। तथापि, निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान कुछ कमियाँ दृष्टिगोचर हुई। ग्राम सभा द्वारा हितग्राहियों के चयन की निगरानी जनपद पंचायत के द्वारा उचित तरीके से नहीं किये जाने के कारण इंदिरा आवास योजना की प्रतीक्षा सूची बनाने में अनियमितता हुई। जनपद पंचायतों द्वारा इंदिरा आवास योजना की निधि अलग बैंक खाते में नही रखने के कारण अर्जित ब्याज को विभेदित नहीं किया जा सका। जिला पंचायतों में इंदिरा आवास योजना की निधि पर अर्जित ब्याज का उपयोग नहीं किया गया। राज्यांश विमुक्तिकरण में देरी हुई। अमान्य व्यय एवं निधियों के व्यपवर्तन के मामले दृष्टिगोचर हुए। इंदिरा आवास योजना में अन्य योजनाओं से सहभागिता की कमी थी। निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणाली को ज्यादा सशक्त बनाने के साथ योजना कार्यान्वयन से जुड़े कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।

2.2.10 अनुशंसाएँ

निष्पादन लेखापरीक्षा के परिप्रेक्ष्य में अनुशंसाएँः

- आईएवाई की प्रतीक्षा सूची का निर्माण एवं निर्दिष्ट वर्गों के हितग्राहियों का चिन्हांकन दिशानिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए।
- आईएवाई योजनान्तर्गत सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त इंदिरा आवास योजना निधि का उपयोग अन्य स्थानों पर न हो तथा इंदिरा आवास योजना निधि के लिये अलग बैंक खाता खोला जाना चाहिये।
- हितग्राहियों को लाभ पहुँचाने के लिये अन्य योजनाओं से सहभागिता को बढ़ावा देने के प्रयास के लिये राज्य सरकार द्वारा पहल की जानी चाहिये।
- नये एवं नवप्रवर्तित तकनीक, पर्यावरण अनुकुल वस्तुओं, विभेदक ब्याज दर एवं ऋण सहायता योजनाओं को प्रचलित करने के प्रयास किये जाने चाहिये।
- योजना की उचित निगरानी किये जाने के साथ-साथ निरीक्षण की आवृति एवं प्रक्षेत्र के मानक तय किये जाने चाहिए।
- आईएवाई योजना के क्रियान्वयन करने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए एवं राज्य स्तर पर एक शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना की जानी चाहिए।

उपरोक्त संस्तुतियाँ एसीएस के साथ चर्चा की गई थीं एवं उनके द्वारा बताया गया कि सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायतों को लेखापरीक्षा द्वारा की गयी अनुशंसाओं के पालन हेतु निर्देश जारी (दिसम्बर 2013) कर दिये गये हैं।

2.3 राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स योजना और सामान्य सेवा केन्द्रों के माध्यम से आम नागरिकों के लिए सेवाओं को प्रदान करने के लिये बुनियादी ढांचे के निर्माण की समीक्षा

कार्यपालिक सारांश

राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स योजना (एनईजीपी) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 'वेब सक्षम कभी भी, कहीं भी पहुँच' सूचना और सेवाओं को प्रदान करने के लिये तीन स्तंभ मॉडल[1] की परिकल्पना की गई। छत्तीसगढ़ शासन (जीओसीजी) ने गवर्नमेंट से सिटिजन (जी2सी) सेवायें प्रदान करने के लिए 10 आधारभूत सेवाओं[2] की पहचान की थी। नागरिकों को सरकारी सेवाओं के प्रदाय में सुधार लाने के लिये भारत सरकार के एनईजीपी का स्पष्ट फोकस था और ई-गवर्नेन्स का इस प्रयास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। राज्य द्वारा एनईजीपी के तहत सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) को स्थापित करने और सेवाओं के अधोसंरचना सृजन करने और ई-गवर्नेन्स के खर्च पर प्रभावी नियंत्रण के लिये कार्यप्रणाली स्थापित करने में यह अत्यंत आवश्यक है।

एनईजीपी के तीन प्रमुख परियोजनायें - स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (स्वान), राज्य डाटा केन्द्र (एसडीसी) और सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) हैं वर्ष 2005-13 के दौरान स्वान में कुल आवंटित निधि ₹ 71.85 करोड़ में से ₹ 69.64 करोड़ राशि का उपयोग किया गया। एसडीसी में कुल आवंटित निधि ₹ 18.93 करोड़ में से ₹ 15.05 करोड़ राशि का उपयोग किया गया जबकि सीएससी में कुल आवंटित निधि ₹ 23.93 करोड़ में से ₹ 17.73 करोड़ राशि का उपयोग किया गया था।

विभाग के निष्पादन लेखापरीक्षा जिसमें मितव्यतता, दक्षता एवं प्रभावशीलता की जांच की गई जिसकी निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि 2005 से 2013 तक थी। प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दशाये गए हैं।

- स्वान के माध्यम से गर्वनमेंट से गर्वनमेंट (जी2जी) की सेवायें प्रदान करने में विभाग विफल रहा जिसमें राशि ₹ 69.64 करोड़ का व्यय किया गया इसके पश्चात भी स्वान कनेक्शन के समानान्तर में अन्य नेटवर्क चलाने से राज्य शासन को अतिरिक्त राशि का वहन करना पड़ा।

{कंडिका *2.3.7.1 (घ)(ख)* }

- 2006 से 2011 के दौरान उपलब्ध राशि का केवल 37.11 प्रतिशत, 2.28 प्रतिशत और 26.47 प्रतिशत क्रमशः स्वान, एसडीसी और सीएससी के तहत उपयोग किया गया।

(कंडिका *2.3.6.1)*

- परियोजना के क्रियान्वयन की प्रगति धीमी थी जिसके चलते एसडीसी के लिए निविदा की फ्लोटिंग में 32 महीनों की देरी हुई ।

{कंडिका *2.3.7.2 (i)*}

[1] स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क, स्टेट डेटा सेंटर और कॉमन सर्विस सेंटर

[2] (i)भू अभिलेख (ii)वाहन रजिस्ट्रेशन (iii)प्रमाणपत्र जारी करना/सरकारी योजनाओं का (iv)रोजगार कार्यालय (v)राशनकार्ड(vi) मतदाता सेवायें (vii)पेंशन योजनायें (viii)सड़क परिवहन (ix)लोक शिकायत और (x)उपयोगिता बिल/टेलिफोन बिल (सरकारी उपक्रमों)

- सीएसएसी के माध्यम से प्रदान किए जाने के लिये 10 आधारभूत जी2सी सेवायें लक्षित थीं, जिसमें से केवल एक ही सेवा जो कि प्रमाण पत्र जारी करना इन आठ सीएससी द्वारा किया गया।

{कंडिका *2.3.7.4 (iv)*}

- बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) के माध्यम से सीएससी के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने में विफलता के कारण सीएससी योजना के तहत निवेश राशि ₹ 4.47 करोड़ का निष्फल व्यय ।

{कंडिका *2.3.7.4 (v)*}

- नियमित रूप से भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा करने में शीर्ष समिति की विफलता के कारण सीएससी के लक्षित कुंजी सेवाओं के विस्तार के परिचालन में कमी।

{कंडिका *2.3.7.4 (vii)*}

2.3.1 प्रस्तावना

'सामान्य सेवा केन्द्रों के माध्यम से अपने स्थानीय स्तर में आम आदमी के लिए सेवा केन्द्रों के माध्यम से अपने स्थानीय स्तर में सभी सरकारी सेवाओं की पहुंच बनाने के लिए और दक्षता, पारदर्शिता और बुनियादी जरूरतों की सेवाओं के लिए सस्ती कीमत पर इस तरह की सेवाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना' इस दृष्टि के साथ भारत सरकार ने मई 2006 में राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स योजना (एनईजीपी) को मंजूरी दी थी। विभिन्न राज्यों/विभागों द्वारा शुरू की गई सेवाओं को एनईजीपी के अन्तर्गत एक छतरी के नीचे लाने की परिकल्पना की गई। ई-गवर्नेन्स की आवश्यक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिक सेवा उन्मुखीकरण करने एक केन्द्रीयकृत पहल किया गया और तकनीक के अधिकतम उपयोग को विकेन्द्रीकृत करने के लिये क्रियान्वयन मॉडल की वकालत की गयी।

एनईजीपी के स्थापना और क्रियान्वयन के लिये छत्तीसगढ़ सरकार (जीओसीजी) ने राज्य शासन के नियंत्रण में कार्य करने वाली, एक सोसाइटी, छत्तीसगढ़ इंफोटेक एवं बायोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) को राज्य मनोनित एजेन्सी (एसडीए) के रूप में नियुक्त किया था। राज्य के प्रतिनिधि होने के नाते, चिप्स को एनईजीपी स्थापित करने के लिये आवश्यक नीति स्तर पर समर्थन, निजी क्षेत्र के सेवाओं के संवर्धन के लिये कार्य करता था । एसडीए की प्रारम्भिक भूमिका थीः राज्य में ई-रेडिनेस सुविधाओं का विस्तार, स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (स्वान) के अंतरापृष्ठीय समन्वय की सुविधा के लिये जागरूकता अभियान और राज्य सरकार/ भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता की प्राप्ति एवं उपयोग का समन्वय, प्रबंधन मॉनिटर करना, सीएससी स्थानों की पहचान में मदद करना, सर्विस सेंटर एजेंसियों (एससीए) और अन्य विभागों के बीच बातचीत की सुविधा, समन्वय और अन्य संबंधित राज्य स्तर संस्थाओं के साथ नेटवर्क और उच्च स्तरीय समिति/शीर्ष समिति के मार्गदर्शन में एससीए का चयन।

मूलभूत बुनियादी ढांचे के निर्माण के रूप में स्वान, एसडीसी, स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे (एसएसडीजी) और सहायक बुनियादी ढांचा के रूप में सीएससी को ई-सेवाओं के कुशल वितरण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण घटक के रूप में पहचान की गई।

2.3.2 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्याः

- एनईजीपी योजना के लिये आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु, समन्वय और कार्यक्रम में ई-गवर्नेन्स के तहत सरकार के नजरिये के अनुरूप था;
- एनईजीपी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये आधारभूत संरचना (स्वान, एसडीसी, एसएसडीजी) की योजना बनायी गयी थी;
- सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल कुशलतापूर्वक, प्रभावी ढंग से और आर्थिक रूप से लागू किया गया; और
- एनईजीपी को बढावा देने के लिए (सीएससी) की योजना बनाई और लागू की गयी

2.3.3 लेखापरीक्षा मापदंड

मापदंड निम्न स्त्रोतों से तैयार की गई हैः

- राज्य सरकार की आईटी नीति,
- सरकार द्वारा जारी किये गये परिपत्र और निर्धारित किये गए दस्तावेजों,
- ई-गवर्नेन्स योजना के क्रियान्वयन पर भारत सरकार के निर्देश,

2.3.4 लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा पद्धति

राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विभाग के अंतर्गत एनईजीपी के तहत् नोडल एजेंसी चिप्स द्वारा शुरू की गयी गतिविधियों की जांच 2005-06 से 2012-13 की अवधि तक करने के लिये निष्पादन लेखा परीक्षा आयोजित की गयी। लेखापरीक्षा के दौरान सरकार की अपेक्षाओं को एनईजीपी के माध्यम से प्रमुख बुनियादी सेवाओं के घटकों के निर्माण, क्रियान्वयन और संचालन में परियोजना प्रबंधन की दक्षता की जांच की गई। सेवाओं के प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों/विभागों द्वारा आधारभूत संरचना के उपयोग की समीक्षा किया गया।

सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन (सीओसीजी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चिप्स के साथ लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली पर सितम्बर 2011 में एक आगम बैठक कर चर्चा किया गया। सीएससी, स्वान और एसडीसी का व्यापक मूल्यांकन, चिप्स के रिकार्ड से सितम्बर 2012 से मई 2013, पाँच जिलों[3] (***परिशिष्ट 2.3.1***) में 43 सीएससी का भौतिक सत्यापन, रायपुर के 18 स्वान स्थापित स्थानों और 10 आधारभूत सेवा विभागों की जांच की गयी । चिप्स से जवाब प्राप्त कर संबंधित पैरा में शामिल किया गया।

[3] बिलासपुर, धमतरी, जांजगीर, रायगढ़, रायपुर

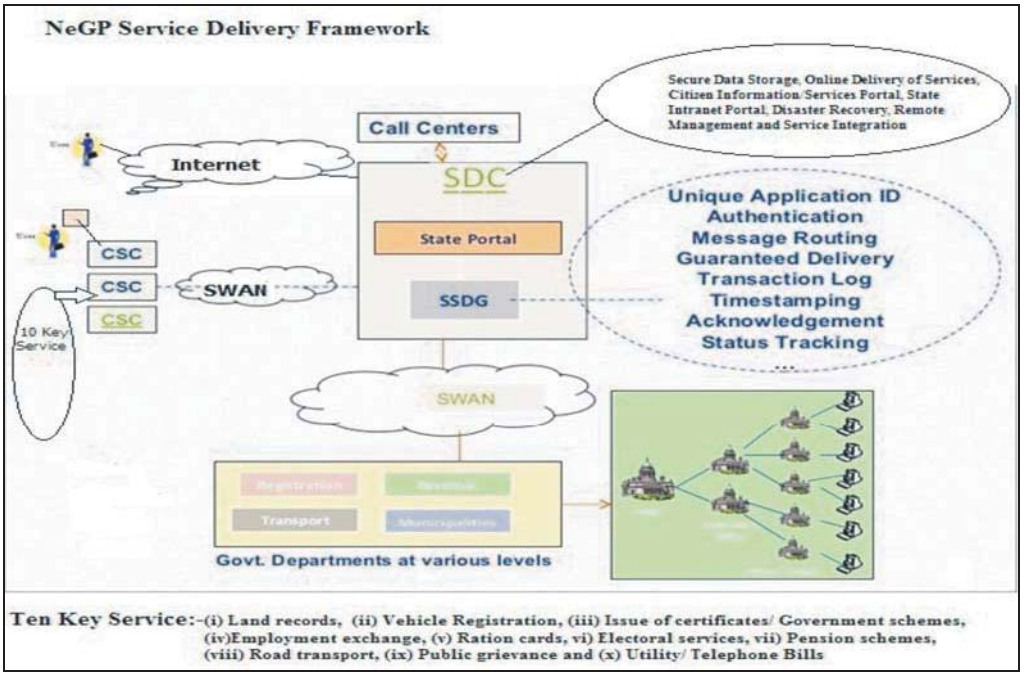
2.3.5 कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं

ई- गवर्नेन्स योजना मुख्य रूप से निम्नलिखित तीन प्रमुख घटकों के निर्माण से है

- आधारभूत संरचना (स्वान, एसडीसी और एसएसडीजी)
- मिशन मोड परियोजनाओं (एमएमपी) बैकएण्ड
- सीएससी-फ्रन्टएण्ड

ई-गवर्नेन्स के सामान्य और आधारभूत योजना के सबसे महत्वपूर्ण घटक इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं को स्थान प्रदान करने में पीपीपी मॉडल के माध्यम से किया गया।

छत्तीसगढ़ सरकार सीएससी के माध्यम से आम नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए 10 आधारभूत सेवाओं की पहचान की। जब उपयोगकर्ता सेवाएं प्रदान करने का अनुरोध करते हैं, दी गई जानकारी को सीएससी में संग्रहित कर इस जानकारी को स्वान या अन्य इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से एसएसडीजी पर अपलोड करते ही एसएसडीजी इस जानकारी के लिये एक यूनिक नम्बर प्रदान करने के पश्चात इस सूचना को एस डी सी में संग्रहण कर उपरोक्त जानकारी को उनके संबंधित विभाग को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजकर और विभाग उपरोक्त जानकारी का सत्यापन कर प्रमाण-पत्र / सेवायें को पुनः एसडीसी में भेजकर जानकारी सीएससी के माध्यम से उपरोक्त सेवायें जनसामान्य को प्रदान करता है।



(i) स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (स्वान)

ई-गवर्नेन्स योजना को शुरू करने के लिये आधारभूत संरचना का निर्माण में स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (स्वान) की प्रमुख भूमिका है। इस योजना का उद्देश्य गर्वनमेंट से गर्वनमेंट (जी2जी) और गर्वनमेंट से सिटिजन (जी2सी) की सेवायें प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य में एक सुरक्षित नेटवर्क तैयार करना था।

स्वान के दो घटक (वर्टिकल और होरिजंटल) हैं। वर्टिकल घटक तीन स्तरीय वास्तुकला का उपयोग कर कार्यान्वित किया जाता है, राज्य मुख्यालय (एसएचक्यू[4]), जिला मुख्यालय (डीएचक्यू[5]) और विकासखण्ड मुख्यालय (बीएचक्यू[6]), प्रत्येक एसएचक्यू, डीएचक्यू और बीएचक्यू उपस्थिति (पीओपी[7]) और एक बैंडविड्थ एकत्रीकरण बिंदु को एक प्वांईट कहा जाता है। होरिजंटल घटक में, प्रत्येक स्तर पर सरकारी विभागों संबंधित पीओपी से जुड़े हैं। होरिजंटल घटक 512 केबीपीएस के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए बैंडविड्थ प्रावधान ब्लाक स्तर तक 2 एमबीपीएस है।

(ii) राज्य डाटा केन्द्र (एसडीसी)

एसडीसी और एसडीए रायपुर छत्तीसगढ़ में एसडीए कार्यालय के परिसर में स्थित है। ई-गवर्नेन्स को शुरू करने में स्टेट डाटा सेन्टर का महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार के कुशल इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी के लिये एसडीसी के समग्र सेवाओं, अनुप्रयोग और आधारभूत संरचना पर आधारित जी2जी, जी2सी, और गर्वनमेंट से बिजनेस (जी2बी) सेवाओं को प्रदान करना था। एसडीसी द्वारा किये जाने वाले कुछ प्रमुख क्रियाकलाप हैं राज्य की सेट्रंल रिपोजिटरी,ऑनलाइन डाटा स्टोरेज,ऑनलाइन डिलेवरी सेवायें, नागरिक सूचना/ सेवा पोर्टल, राज्य इंटरनेट पोर्टल, आपदा रिक्वरी, दूरस्त प्रबंधन और सेवा एकीकरण इत्यादि।

(iii) स्टेट सर्विस डिलिवरी गेटवे (एसएसडीजी)

राज्य में कुशल ई-गवर्नेन्स के लिये राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों से एकीकृत जानकारी की आवश्यकता होती है उपरोक्त कार्य को आसान बनाने के लिये ई-गवर्नेन्स सर्विस डिलिवरी गेटवे की अवधारणा को सहज करने के मानकों पर आधारित विभागों के बीच ऐसा मानक मेसेसिंग स्विच के रूप में डाटा के आदान-प्रदान का कार्य करना था। स्टेट लेवल गेटवे की कार्यप्रणाली केन्द्र के नेशनल सर्विस डिलिवरी गेटवे (एनएसडीजी) के कार्यप्रणाली जैसा है इसका कार्य एनएसडीजी और अन्य गेटवे के साथ मिलकर कार्य करेगा। यह देशभर में अन्य गेटवे पर सूचीबद्ध सेवाओं के पते का संकलन कर एनएसडीजी में इसका राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग किया जा सकेगा। राज्य की सभी सेवाओं को इस निर्देशिका में सूचीबद्व किया जायेगा। गेटवे एक बिन्दु के रूप में सभी बाहरी संस्थओं के लिये अंतः विभागों के लिये कार्य करता है। स्टेट लेवल गेटवे भी केन्द्रीय स्तर पर एन एस डी जी के साथ सेन्ट्रल मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) के साथ डाटा का आदान-प्रदान करेगा।

(iv) सामान्य सेवा केंन्द्र (सीएससी)

सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) एनईजीपी के सामरिक आधारशिला हैं सीएससी उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी वीडियो, आवाज और डेटा सामग्री सेवाओं, शिक्षा स्वास्थ्य,

[4] एसएचक्यू- के संबंध में संदर्भित करता है कि पाइंट आफ प्रजेन्सा की स्थापना में सभी डब्ल्यूएएन सर्किट डीएचक्यू में समाप्त करते हैं।

[5] डीएचक्यू- के संबंध में संदर्भित करता है कि पाइंट आफ प्रेजेन्स की स्थापना में सभी डब्ल्यूएएन सर्किट ब्लाक में और एचएचक्यू पर समाप्त होते हैं।

[6] बीएचक्यू- के संबंध में संदर्भित करता है कि पाइंट आफ प्रेजेन्स की स्थापना सभी ब्लाक स्तर पर जिसे एक प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करता है।

[7] पीओपी के सबंध में संदर्भित करता है कि पाइंट आफ प्रेजेंसेस के राज्य में स्वान की स्थापना

टेलीमेडिसिन, मनोरंजन के साथ ही अन्य निजी सेवाओं को प्रदान करने के लिए कर रहे हैं। यह आवेदन पत्र और उपयोगी भुगतान जैसे बिजली, टेलीफोन और पानी के बिल सहित वेब सक्षम ई-गवर्नेन्स सेवाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में इन सेवाओं को प्रदान करना था। इस योजना का उद्देश्य राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा नागरिक केंद्रित सेवाओं को एक सुविधाजनक और कुशल तरीके से ग्रामीण भारत में जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ प्रदान करना था जिसमें सभी सीएससी को ब्राडबैंड इंटरनेट, सक्षम कनेक्टिविटी से जोड़ना था।

2.3.6 वित्तीय प्रबंधन

एनईजीपी के लिये धन राशि चिप्स को दो माध्यम से प्राप्त होता है। (i) डीईआईटीवाई का हिस्सा सीधे चिप्स को प्राप्त होता है और (ii) अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) और राज्य सरकार का हिस्सा राज्य बजट के माध्यम से उपलब्ध किया जाता है।

डीईआईटीवाई के दिशानिर्देशों के अनुसार घटकवार बैंक खाते चिप्स द्वारा खोले जाने चाहिये और इन खाते में वर्ष के दौरान इन खाते से प्राप्त ब्याज की राशि को इस खाते में समायोजित किया जाना चाहिये।

लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान एनईजीपी के तहत किए गएं व्यय एवं प्राप्ति **परिशिष्ट 2.3.2** में दिखाए गया हैं।

इस योजना में निधि की प्राप्ति और राशि के उपयोग की समीक्षा से यह मालूम हुआः

2.3.6.1 योजना के धन का उपयोग नहीं होना

स्वान, एसडीसी और सीएससी के लिये आवंटित राशि का उपयोग करने में चिप्स विफल रहा

वर्ष 2005-11 के दौरान चिप्स स्वान योजना से प्राप्त धन राशि का उपयोग करने में विफल रहा जिसका मुख्य कारण लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा साइट निर्माण के कार्य और बूट ऑपरेटर के साथ अंतिम स्वीकृति परीक्षण (एफएटी[8]) करने में हुई देरी थी जिससे बचत राशि का प्रतिशत 82 से 100 के बीच रहा। हालांकि निधि के उपयोग में 2011-12 में 85 प्रतिशत और 2012-13 में 93 प्रतिशत की वृद्वि हुई। इसके अलावा यह भी देखा गया कि निधि की उपयोगिता को सुनिश्चित किये बिना डीईआईटीवाई द्वारा समय-समय पर राशि जारी किया गया।

जवाब में, चिप्स ने लेखा परीक्षा द्वारा ली गयी आपत्ति को स्वीकार किया एवं यह बताया कि 2005-10 की अवधि में धनराशि का उपयोग बहुत कम था इस दौरान परियोजना प्रस्ताव की तैयारी, सलाहकार के चयन, तैयारी और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी[9]) के अनुमोदन साइट की तैयारी, बूट आपरेटर के चयन के लिये निविदा और समझौता पर हस्ताक्षर को पूरा किया गया था।

- वर्ष 2007-12 के दौरान ₹ 18.24 करोड़ रूपये का आवंटन एसडीसी में किया गया, चिप्स इस राशि में से ₹ 4.98 करोड़ (27 प्रतिशत) का उपयोग कर सका, इस देरी का कारण डाटा सेंटर ऑपरेटर (डीसीओ) के चयन के लिये निविदा प्रक्रिया

[8] एफएटी- का मतलब है स्वीकृति परीक्षण नेटर्वक उपकरण सहित एसएचक्यू, सभी डीएचक्यू और बीएचक्यू कार्यालय के उपकरण ।

[9] आरएफपी- का मतलब है समाधान, सेवाओं, सामग्री पर उनमें से किसी भी संयोजन का एक सेट की मांग का विस्तृत अधिसूचना ।

(मई 2012) को अंतिम रूप देने में हुई, हालांकि 2012-13 में निधि के उपयोग में 72 प्रतिशत की वृद्वि हुई।

इंगित किये जाने पर, चिप्स ने लेखा परीक्षा द्वारा ली गयी आपत्ति को स्वीकार किया और बताया कि आरएफपी को अंतिम रूप देने और एसडीसी के लिये नये भवन के निर्माण में देरी हुई, इसके लिये मई 2012 में डीसीओ के साथ समझौता किया गया था। इसके अलावा डीसीओ के साथ समझौता के अनुसार दो किश्तों की राशि को भुगतान किया गया और एक किस्त की राशि जारी की जा रही है।

वर्ष 2006-12 के दौरान ₹ 22.82 करोड़ रूपये का आवंटन सीएससी में किया गया, चिप्स इस राशि में से ₹ 8.82 करोड़ (37 प्रतिशत) का उपयोग कर सका। जिसके कारण लक्षित संख्या में सीएससी की स्थापना नहीं किया जाना और सीएससी के माध्यम से शासकीय सेवायें प्रदान नहीं किया गया। हालांकि 2012-13 में निधि के उपयोग में 60 प्रतिशत की वृद्वि हुई।

जवाब में, चिप्स ने लेखा परीक्षा द्वारा ली गयी आपत्ति को स्वीकार किया और बताया कि निविदा प्रक्रिया के बाद, परियोजना लागत में कमी दुर्ग और कोरबा क्षेत्र में नकारात्मक निविदा राशि को स्वीकार करने से हुई। आगे यह भी बताया कि रायपुर और रायगढ़ क्षेत्र में एससीए के रूप में मेसर्स जूम के साथ किये गये अनुबंध को समाप्त कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा के दौरान, हमने विभिन्न कमियाँ पायी गयी जिसकी चर्चा आगे के पैराग्राफ में किया गया हैं।

2.3.6.2 राज्यांश का जारी न होना

राज्य हिस्सा जारी नहीं किये जाने के कारण क्यूजीआर भुगतान में विलंब

स्वान परियोजना के लिए छत्तीसगढ़ को कुल अनुमानित लागत ₹ 91.27 करोड़ रूपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी । इसमें से सहायता अनुदान के रूप में डीईआईटीवाई और राज्य सरकार का योगदान क्रमशः ₹ 51.25 करोड़ और ₹ 40.02 करोड़ था। यह अनुदान चिप्स को क्वाटर्ली गारंटेड रेवेन्यू (क्यूजीआर) के लिये 20 तिमाही किश्तों में जारी किया गया था। इसी प्रकार राज्य सरकार के हिस्सेदारी की राशि को समय-समय पर जारी किया जाना था। जिस प्रकार डीईआईटीवाई द्वारा बूट ऑपरेटर को त्रैमासिक भुगतान किये जा रहे थे।

अभिलेखों की जांच में यह पाया गया कि राज्य सरकार राज्य की हिस्सेदारी को समय से जारी करने में विफल रहा। राज्य के हिस्सेदारी की राशि जारी नहीं किये जाने से बूट ऑपरेटर को ₹ 8.28 करोड़ की राशि का भुगतान नहीं किया गया।

चिप्स ने बताया कि छः क्यूजीआर तक राज्य हिस्से की राशि जारी कर दी गई है। क्यूजीआर की लंबित राशि (7 व 10 क्यूजीआर) जिसकी लेखापरीक्षा कर ली गयी है, छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग से निधि प्राप्त होते ही ऑपरेटर को यह राशि जारी की जायेगी।

2.3.6.3 शास्ति ₹ 19.56 लाख का कम आरोपण

सीजी स्वान का संचालन और रखरखाव फरवरी 2010 से शुरू किया गया था। कुल परियोजना लागत ₹ 80.02 करोड़[10] था। क्यूजीआर के रूप में 20 किस्तों में बूट ऑपरेटर को जारी किया जाना था। अनुबंध की शास्ति कंडिका के अनुसार, यदि बूट आपरेटर प्रत्येक पीओपी में अंतिम उपयोगकर्त्ता को सेवा प्रदान करने में विफल रहता है तो प्रत्येक क्यूजीआर पर टीपीए द्वारा गणना किये अनुसार शास्ति लगाया जायेगा। शास्ति की गणना प्रत्येक तिमाही के लिये क्यूजीआर की सम्पूर्ण राशि पर की जायेगी।

कम दण्ड अधिरोपण करने से बूट ऑपरेटर को अनुचित लाभ पहुँचाया गया

अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया कि टीपीए द्वारा क्रियान्वयन में देरी और सेवाओं की अपर्याप्त उपलब्धता के लिये शास्ति की गणना करते समय प्रत्येक क्यूजीआर की पूरी राशि पर शास्ति की गणना करने के बजाये क्यूजीआर के 50 प्रतिशत राशि पर शास्ति की गणना किया गया और इसी राशि को चिप्स द्वारा भुगतान के लिये पारित किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप, शास्ति की राशि ₹ 39.12 लाख के विरूद्ध राशि ₹ 19.56 लाख का शास्ति लगाया गया **(परिशिष्ट 2.3.3)** इससे राज्य सरकार को लेवी लेने में कमी हुई जिससे बूट ऑपरेटर को अनुचित वित्तीय लाभ भी प्रदान किया गया।

चिप्स ने लेखापरीक्षा के आक्षेप पर सहमति जतायी और बताया कि शास्ति की शेष राशि को छः क्यूजीआर (राज्य हिस्से) और 11वाँ क्यूजीआर (डीईआईटीवाई हिस्से) से समायोजित किया जायेगा।

2.3.6.4 उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया

स्वान की स्थापना के लिये 151 स्थान में फ्लोर प्लान और साइट निमार्ण हेतु डीईआईटीवाई ने ₹ 8.16 करोड़ राशि की प्रशासकीय स्वीकृति दी (मार्च 2005) साथ ही यह निर्देश दिया कि राशि का उपयोग उपरोक्त कार्य के लिये ही किया जायेगा। तदनुसार सिविल कार्य लोक निर्माण विभाग के माध्यम से किया गया (2007) लोक निर्माण विभाग को ₹ 3.88 करोड़ की राशि अग्रिम के रूप में भुगतान किया गया था। हालांकि 151 में से 149 साइट का निर्माण किया गया एवं उपरोक्त राशि में से लोक निर्माण विभाग द्वारा ₹ 2.51 करोड़ राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) लेखा परीक्षा तिथि (मई 2013) तक प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके बावजूद विभाग ने यूसी प्राप्त करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की।

2.3.6.5 राशि ₹ 43 लाख राजस्व की अनियमित विमुक्ति

आरएफपी के अनुसार, राजस्व समर्थन सभी सीएससी साइटों के भौतिक सत्यापन के बाद सीएससी के लिए सेवा केंद्र एजेंसियों (एससीए[11]) के लिए प्रदान किया जाना था। अभिलेखों की जांच से यह पता चला कि चिप्स ने 439 स्थापित सीएससी में से

[10] क्यूजीआर भुगतान पीओपी के लिये (डीईआईटीवाई निधि) ₹ 36,38,70,550 (20 क्वार्टर के लिये)
क्यूजीआर भुगतान पी ओ पी के लिये (राज्य निधि) ₹ 41,63,18,563 (20 क्वार्टर के लिये)
योग (20 क्वार्टरस के लिये) ₹ 80,01,81,113
क्यूजीआर के सिंगल क्वार्टर के भुगतान के लिये ₹ 4,00,09,456

[11] सर्विस सेंटर एजेंसी - राज्य के क्रियात्मक क्षेत्रों में पूर्व परिभाषित सीएससी नेटवर्क के स्वामी।

379 सीएससी का बिना भौतिक सत्यापन किये मेसर्स जूम डेवलपर लिमिटेड के लिए ₹ 43.69 लाख (2010-11) जारी किया था।

इंगित किये जाने पर, चिप्स ने बताया (फरवरी 2014) कि राजस्व समर्थन का भुगतान ऑनलाइन निगरानी उपकरण (ओएमटी) की तैनाती के द्वारा समर्थित संबंध एससीए द्वारा स्वयं प्रमाणीकरण पर आधारित सीएससी की स्थापना की तिथि से किया गया और डीईआईटीवाई के निर्देशानुसार जूम डेवलपर लिमिटेड को ₹ 43.69 लाख का राजस्व समर्थन जारी किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है लेखापरीक्षा के दौरान 43 में से 15 सीएससी के भौतिक सत्यापन जॉच में सीएससी का अस्तित्व नहीं पाया गया। इस प्रकार, सीएससी के अस्तित्व को सुनिश्चित किये बिना राजस्व का अनियमित भुगतान किया गया और फर्म को अनुचित लाभ दिया गया।

2.3.6.6 राजसात राशि सरकारी खाते में जमा नहीं

छत्तीसगढ़ सरकार ने दो क्षेत्रों में 1898 सीएससी को शुरू करने के लिये मेसर्स जूम डेवलपर्स के साथ अनुबन्ध (सितम्बर 2008) किया गया था। अनुबन्ध के अनुसार, एससीए की स्थापना के 12 महीनों के अंदर परिचालित सीएससी की स्थापना इसके स्वंय के खर्च पर करना था। हालांकि, अनुबन्ध के अनुसार कम्पनी सीएससी स्थापित करने में विफल रही नतीजतन अनुबन्ध समाप्त किया गया (सितंबर 2011) और चिप्स के पास उपलब्ध ₹ 1.28 करोड़ की निष्पादन प्रतिभूति राजसात कर ली गयी और इस राशि को बैंक बचत खाते में रखा गया, चूंकि अनुबन्ध जीओसीजी द्वारा निष्पादित किया गया था। और चिप्स का स्थापना व्यय और सीएससी में संबंधित व्यय राज्य सरकार और भारत सरकार के बजटीय प्रावधान के आधार पर व्यवस्थित किया गया था अतः प्राप्ति के तुरंत बाद सरकार के खाते में राजसात राशि जमा की जानी चाहिए थी।

इंगित किये जाने पर, चिप्स ने बताया (फरवरी 2014) कि, जूम डेवलपर्स लिमिटेड से निष्पादन बैंक गारंटी की राजसात राशि पर मार्गदर्शन के संबंध में वित्त विभाग को पत्र भेजा गया है (जनवरी 2014) ।

2.3.7 परियोजनाओं के प्रमुख बुनियादी ढांचा का क्रियान्वयन

2.3.7.1 स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क

अनुमानित लागत ₹ 91.27 करोड़ पर छत्तीसगढ़ के लिये स्वान परियोजना की मंजूरी दी गयी थी (दिसम्बर 2005) और इस परियोजना को पीपीपी मॉडल के तहत क्रियान्वयित किया जाना था। इसमें से सहायता अनुदान के रूप में डीईआईटीवाई और राज्य सरकार का योगदान क्रमशः ₹ 51.25 करोड़ और ₹ 40.02 करोड़ था। यह परियोजना बूट आधार पर टीसीएस को दी गयी थी। चिप्स और टीसीएस के मध्य इसके लिये अनुबन्ध किया गया था। इस अनुबन्ध के अनुसार, अक्टुबर 2008 में टीसीएस को वरटिकल और होरिजंटल में पीओपी स्थापित करना था। ई-गवर्नेन्स परियोजना में बैंडविडथ कनेक्टिविटि (वरटिकल और होरिजंटल) के लिये चिप्स और बीएसएनएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया (जून 2009)। साइट तैयार करने का

काम लोक निर्माण विभाग को 2007 में सौंपा गया था और इसके लिये ₹ 3.88 करोड़ राशि अग्रिम के रूप में भुगतान किया गया था। अभिलेखों की जाँच में हमने पाया कि 3500 होरिजंटल पीओपी और 151 वरटिकल पीओपी को अक्टुबर 2009 तक स्थापित करना था इसके विरूद्ध टीसीएस द्वारा मई 2013 तक 3212 होरिजंटल पीओपी और 149 वरटिकल पीओपी को ही स्थापित किया।

स्वान परियोजना के क्रियान्वयन के अभिलेखों की जाँच में विभिन्न कमियों का पता चला जिसकी चर्चा नीचे की गई है:

(क) स्वान परियोजना के क्रियान्वयन में विलंब

हार्डवेयर को भेजने में विलंब होने से स्वान के क्रियान्वयन में देरी

स्वीकृति जॉच और क्रियान्वयन अनुसूची से संबंधित अनुबंध अनुसूची-II के बिन्दु क्रमांक 5 और 8 के अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (सीजीस्वान) के प्रदाय, स्थापना, क्रियान्वयन, कमीशन, संचालन और रखरखाव के लिये टीसीएस जिम्मेदार था। राज्य में सीजीस्वान को फरवरी 2010 में बूट आधार पर पाँच वर्षो की अवधि के लिये कार्य प्रारम्भ किया गया। समझौते के अनुसार साइट तैयार करने, नेटवर्क हार्डवेयर को साइट में भेजने, नेटवर्क के क्रियान्वयन और एफएटी की कार्यवाही निर्धारित समय के भीतर किया जाना था। अंतिम स्वीकृति टेस्ट (एफएटी) में कंसेसियनार द्वारा किसी देरी के लिये निविदाकर्त्ता की उत्तरदायी होगी जिसके लिये उन पर उचित दंड अधिरोपित होगा।

अभिलेखों की जाँच में पता चला कि, स्वान समझौते में दी गई क्रियान्वयन अनुसूची का समयबद्ध तरीके से पालन नहीं किया गया था। समाग्री प्राप्ति नोट (एमआरएन) के अनुसार 149 स्थानों में से 120 स्थानों पर हार्डवेयर की प्राप्ति निर्धारित समय (हार्डवेयर प्राप्ति नवम्बर 2009 से नवम्बर 2010 के मध्य) पर नहीं किया गया था। हार्डवेयर के प्रेषण में देरी से नेटवर्क के क्रियान्वयन में भी देरी हुई। इसके बावजूद, इस देरी के लिए चिप्स ने कोई जुर्माना नहीं लगाया जिसके परिणामस्वरूप बूट ऑपरेटर को अनुचित वित्तीय लाभ मिला।

चिप्स लेखा परीक्षा अवलोकन पर सहमत (फरवरी 2014) था और बताया कि स्वान परियोजना के अन्तर्गत राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में वामपंथी उग्रवाद और अन्य कारणों जैसे बिजली कनेक्शन की अनुपलब्धता, बूट ऑपरेटर के पास सीमित मानवशक्ति और बैंडविड्थ प्रदाता की अनुपलब्धता होने के कारण साइट तैयार करने के काम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(ख) सीजी स्वान परियोजना के लिए तीसरे पक्ष के लेखा परीक्षक (टीपीए) की नियुक्ति में विलंब

दिशानिर्देशों के पैरा 2.1 के अनुसार स्वान के निष्पादन की निगरानी के लिये, स्वान के एफएटी और कमीशन होने से पहले स्वतंत्र टीपीए[12] की नियुक्ति किया जाना चाहिये।

[12] टीपीए- इसका मतलब है सीओजीसी द्वारा नियुक्त सफल निविदाकर्ता जिसको स्वान नेटवर्क का कमीशन और आपरेशन के दौरान इसकी निगरानी करने के लिये ।

एफएटी होने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के लिये नेटवर्क टीपीए की नियुक्त किया जाना था।

टीपीए की नियुक्ति में विलंब के कारण बिना सफल परीक्षण किये हुए एफएटी प्रमाण पत्र जारी करना

अभिलेखों की जांच में हमने पाया कि, फरवरी 2010 में एफएटी पूर्ण हुआ और स्वान का कमीशन भी उसी माह फरवरी 2010 में किया गया था। बूट ऑपरेटर को एफएटी प्रमाण पत्र फरवरी 2010 में जारी किया गया था। हालांकि, यह देखा गया कि एफएटी प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात 15 महीने के बाद टीपीए (मेसर्स इक्वांटम टेक्नोलाजी सर्विस इंडिया लिमिटेड) की नियुक्ति मई 2011 में की गयी अतः समय पर टीपीए के नियुक्त करने में चिप्स की विफलता के कारण एफएटी का आयोजन नहीं किया जा सका, परन्तु टीपीए द्वारा स्वान का सफल परीक्षण किये बिना बूट ऑपरेटर को प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया था। इसके अलावा, टीपीए की नियुक्ति करने में विलंब होने के कारण फरवरी 2010 से मई 2011 के मध्य इस परियोजना के निष्पादन की निगरानी नहीं की जा सकी।

चिप्स ने लेखा परीक्षा के अवलोकन के साथ सहमति (फरवरी 2014) व्यक्त की और बताया कि टीपीए के चयन के लिए आरएफपी तैयार नहीं था इस समय स्वान निविदा की प्रक्रिया की जा रही थी। यद्यपि टीपीए की नियुक्ति में देरी हुई है लेकिन डीईआईटीवाई के दिशानिर्देश के अनुसार, टीपीए द्वारा बूट ऑपरेटर के सभी 20 क्यूजीआर का लेखा परीक्षा करने के लिये और नेटवर्क के विभिन्न मानक निष्पादन रिपोर्ट को प्रस्तुत किया।

(ग) पाइंट आफ प्रेजेन्स (पीओपी) की स्थिति

एफएटी होने के तीन वर्ष पश्चात भी दो पीओपी को पूर्ण नहीं किया

अनुबंध के अनुसार, टीसीएस द्वारा उपकरणों की स्थापना के स्थान के अनुसार, एसटीपीआई और चिप्स द्वारा एफएटी आयोजित किया गया था। परियोजना का क्रियान्वयन और रखरखाव फरवरी 2010 से शुरू किया गया और तदनुसार टीसीएस को क्यूजीआर का भुगतान के लिये अधिकृत किया गया।

क्यूजीआर भुगतान के अभिलेखों की जांच में निम्नलिखित का पता चलाः

- कुल 151 उर्ध्वाधर पीओपी बेस स्टेशन के लिये कार्ययोजना बनायी गयी जिसमें से 149 पीओपी (एसएचक्यू के लिये एक, डीएचक्यू में 17 और बीएचक्यू में 131) को पूरा किया जबकि एफएटी होने के तीन वर्ष बाद भी दो पीओपी को पूरा नहीं किया गया। इसके कारण इन उपकरणों[13] पर पांच वर्ष की वारंटी अवधि में से तीन वर्ष से अधिक समय तक ये उपकरण निष्क्रिय पड़े रहे। इन दो स्थानों के उपकरणों पर निर्धारित पांच साल की तुलना में मात्र दो वर्ष के लिये वारंटी शेष रही।

जवाब में, चिप्स (फरवरी 2014) ने कहा कि नैला और चांपा विकासखण्ड कार्यालय जांजगीर जिला में संचालित हो रहे है। इन साइटों को लीज लाइन और वाई मैक्स की कनेक्टिविटी का उपयोग कर जोडा गया। उपकरण का एक सेट विभाग प्रमुख नया

[13] रूटर जूनियर एम10आई, एलएएन रूटर जूनियर जे 2320, एलएएन स्विच नोरटल ईआरएस 5510, आईपीफोन टाईप-1,राक 42 यू, एसी-2 टन, यूपीएस 5 केव्हीए, डीजी-8 केव्हीए,डेल ऑप्टिप्लेक्स 740, वार्कस्टेशन, विडियो काफरेंसिंग (व्हीएसएक्स 7000)

रायपुर के लिये आबंटन किया गया। शेष एक सेट को उपयुक्त स्थल की पहचान कर जल्द ही स्थापित किया जायेगा।

उत्तर मान्य नहीं है। क्योंकि, ₹ 60 लाख मूल्य के उपकरणों को तीन वर्ष से अधिक समय तक निष्क्रिय रखा गया। इससे पता चलता है कि विभाग द्वारा स्वान परियोजना को लागू करने से पहले व्यवहार्यता का अध्ययन नहीं किया गया था।

- समझौते के अनुसार, एसएचक्यू डीएचक्यू और बीएचक्यू पर कुल 3500 होरिजंटल पीओपी उपकरणों[14] की स्थापना के लिये पहचान की गई। हालांकि, टीपीए द्वारा प्रमाणित क्यूजीआर रिपोर्ट के अनुसार 3212 होरीजेंटल पीओपी को स्थापित किये गये और शेष 288 पीओपी को लेखा परीक्षा तिथि (मई 2013) तक स्थापित नहीं किया गया था।

चिप्स ने बताया (फरवरी 2014) कि विभिन्न समस्याओं जैसे क्वालिटि पावर, बीएसएनएल लिंक की उपलब्धता (फाइबर कट, दोषपूर्ण एसटीएम पोर्ट, चैनल की समस्या आदि) गैर कार्यालय समय के दौरान उपकरणों की पहुंच, पर्यावरणीय कारकों और मानव हस्ताक्षेप के कारण शेष पीओपी के कमीशन में देरी हुई।

(ड़) स्वान के द्वारा बनाये गये बुनियादी ढांचे का उपयोग नहीं किया जाना

(1) प्वाइंट आफ प्रेजेन्स का अनुपयोगी रहना

पीओपी की स्थापना के पश्चात अनुपयोगी बना रहा

- सीजी स्वान बैंडविड्थ के दिन प्रतिदिन अपटाइम नेटवर्क उपयोग की निगरानी रखने के लिये नेटवर्क मेनेजमेंट सिस्टम (एनएमएस) स्थापित किया गया। जब भी पीओपी प्रथम बार जुडा हुआ दिखाया गया तब इसे डिस्कवर पाइंट माना गया। एनएमएस निगरानी उपकरणों से हमने देखा (दिसम्बर 2012) की 3212 स्थापित पीओपी के विरूद्ध केवल 2672 पीओपी को ही डिस्कवर किया गया शेष 540 पीओपी को शुरू ही नहीं किया गया।

- एनएमएस के नौ दिनों (26 नवम्बर 2012 से 4 दिसम्बर 2012) के आंकडों के विश्लेषण के दौरान हमने देखा कि 2672 पीओपी में से 1272 पीओपी (47 प्रतिशत) ही डिस्कवर हुये जो कि ऑनलाइन से जुड़े थे। हालांकि शेष 1400 पीओपी जो ऑफलाइन में थे उन्हें पीओपी को शुरू करने के कोई कदम चिप्स ने नहीं उठाये।

- टीपीए द्वारा प्रमाणिक रिकार्ड (फरवरी 2013) के अनुसार 2766 स्थापित होरीजेंटल पीओपी में से 1618 पीओपी कार्य कर रहे थे। जबकि शेष पीओपी को उपयोगकर्त्ता द्वारा बंद किया बताया गया। इसके अलावा, टीपीए द्वारा 301 पीओपी का भौतिक सत्यापन किया जिसमें से 65 पीओपी कार्यरत थे। इस रिपोर्ट को चिप्स को प्रस्तुत किया गया था। चिप्स द्वारा इन निष्क्रिय पीओपी को उपयोग में लाने के लिये कोई कार्यवाही लेखा परीक्षा दिनांक तक नहीं किया गया।

चिप्स ने कहा (फरवरी 2014) कि ऑनलाइन साइटें प्रभावित रही जिसका कारण बिजली की अनुपलब्धता, उपकरण, गैर कार्यालय समय के दौरान कार्य नहीं करने, पर्यावरणीय कारकों, मानवीय हस्तक्षेप और बीएसएनल के लिंक न होना था।

[14] होरिजंटल राउटर,एलएएन स्विच,आईपी फोन,मोडेम स्पेशिफिकेशन लीज लाइन के लिये

इस उत्तर से यह पुष्टि होती है कि 151 वरटिकल और 3500 होरिजेंटल पीओपी को पांच वर्ष की अवधि के लिये स्थापित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था जिसके माध्यम से चिप्स सभी पीओपी की स्थापना सुनिश्चित करने और सरकार को सेवाएं प्रदान करने के लिय एक रोडमैप तैयार करने में विफल रहा।

(ii) गर्वनमेंट से गर्वनमेंट (जी2जी) सेवाओं का स्वान के माध्यम से विस्तार नहीं किया जाना

सीजी स्वान को सभी राज्य सरकार के विभागों के सूचना और संचार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बनाया गया था। एनईजीपी के समुचित कार्यप्रणाली को सक्षम बनाने में राज्य सरकार के सभी कार्यालयों को स्वान के माध्यम से जोड़ा जाना था। जिससे जी2जी और जी2सी की सेवायें प्रदान की जा सके। राज्य के स्वान परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति के नियम और शर्तो के क्रमांक 7 के अनुसार, राज्य के नेटवर्किंग जरूरतों को पूरा करने के लिये और जहां तक संभव हो स्वान के मौजूदा नेटवर्क का उपयोग किया जायेगा जिसके लिये राज्य में स्थापित होने वाले समानांतर नेटवर्क की अनुमति नहीं होगी।

हमने चार विभागों जिसमें कृषि, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण तथा उच्च शिक्षा विभाग का निरीक्षण किया और पाया की उपरोक्त विभागों में सीजी स्वान नेटवर्क से कनेक्शन लेने में चिप्स विफल रहा।

- 18 कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान हमने पाया कि 10 कार्यालयों[15] में सीजी स्वान नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुये थे। जबकि शेष 8 कार्यालयों[16] में सीजी स्वान नेटवर्क की पहुँच ही नहीं थी। हमने यह भी पाया कि सीजी स्वान नेटवर्क जिन 10 कार्यालयों में जुड़े थे उनमें से केवल चार[17] कार्यालयों में स्वान नेटवर्क संतोषजनक ढ़ंग से कार्य कर रहा था।

- दो या दो से अधिक या अन्य नेटवर्क कनेक्शन (अर्थात सीजी स्वान, एनआईसी लीज लाइन, बीएसएनएल ब्राडबैंड) आठ कार्यालयों में पाये गये जो कि पहले से ही सीजी स्वान नेटवर्क कनेक्शन से जुड़े हुये थे। जो कि सीजी स्वान के नियम एवं शर्त क्रंमाक 7 का स्पष्ट उल्लघंन था।

स्वान के प्रशासनिक स्वीकृति में दिये गये नियम व शर्तों का उल्लंघन करते हुये छः कार्यालयों में ब्रॉड के सामानांतर कनेक्शन स्थापित किया गया जिससे परिहार्य व्यय को नहीं रोका गया

- सीजी स्वान के अंतर्गत स्थापित नेटवर्क कनेक्शन का शुल्क भारत सरकार द्वारा भुगतान किया जाना था। लेकिन निरीक्षण के दौरान हमने पाया कि स्वान कनेक्शन होने के बावजूद समानांतर में ब्राडबैंड कनेक्शन की स्थापना छः कार्यालयों में की गयी थी। सीजी स्वान के समानांतर कनेक्टिविटी होना न केवल प्रशासनिक स्वीकृति के नियमों के शर्तों का स्पष्ट उल्लघंन था बल्कि परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा परिहार्य व्यय[18] भी किया गया।

15 छत्तीसगढ़ हिन्दी ग्रंथ अकादमी रायपुर, जनपद पंचायत अभनपुर, जनपद पंचायत आंरग,जनपद पंचायत धरसींवा, जनपद पंचायत तिल्दा, संयुक्त निर्देशक कृषि विकास रायपुर, कृषि विकास अधिकारी तिल्दा, वेयर हाउस तिल्दा

16 संचनालय उच्च शिक्षा रायपुर, नागार्जुन पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज रायपुर, विकास आयुक्त रायपुर, जिला पंचायत रायपुर, कृषि विकास अधिकारी आरंग, उप निदेशक कृषि रायपुर, संचनालय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोग्ता संरक्षण रायपुर, खाद्य नियंत्रक रायपुर

17 छत्तीसगढ़ हिन्दी ग्रंथ अकादमी रायपुर, जनपद पंचायत आंरग, जनपद पंचायत तिल्दा, कृषि विकास अधिकारी तिल्दा

18 ₹ 3.72 लाख

- जी2जी सेवायें प्रदान करने के लिये संचालनालय से विकासखण्ड स्तर तक के सभी सरकारी कार्यालयों को सीजी स्वान से जोड़े जाने थे। हालांकि हमने निरीक्षण के दौरान रायपुर के चार विभागों में पाया कि कोई भी विभाग तीन स्तरों पर सीजी स्वान के माध्यम से जुड़ा नहीं था। जिसका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका-2.3.1: स्वान नेटवर्क के माध्यम से जुडे विभाग

विभाग का नाम	संचालनालय कार्यालय	जिला कार्यालय	विकासखण्ड कार्यालय
कृषि विभाग	कनेक्टेड	कनेक्टेड नहीं	कुछ कार्यालय कनेक्टेड
उच्च शिक्षा विभाग	कनेक्टेड नहीं	कनेक्टेड नहीं	कुछ कार्यालय कनेक्टेड
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग	कनेक्टेड नहीं	कनेक्टेड नहीं	कनेक्टेड
पंचायत एवं ग्रामीण विकास	कनेक्टेड नहीं	कनेक्टेड नहीं	कनेक्टेड

(स्त्रोतः संबंधित विभाग का डाटा)

- दो कार्यालयों में अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के वेयरहाउस धरसींवा और उपनिदेशक कृषि, रायपुर इन कार्यालयों में पीओपी के उपकरण आलमारी के अंदर रखे पाये गये।

- बीएसएनएल द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकडों के अनुसार चिप्स द्वारा सीजी स्वान के तहत 502 लीज लाईन कनेक्शन विभिन्न विभागों में स्थापित किये गये थें। आगे यह भी पाया गया कि विभिन्न विभागों द्वारा 193 बीएसएनएल लीज लाईन कनेक्शन विभाग स्वयं के स्तर से लिये गये थें जिसके विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका-2.3.2: बीएसएनएल के लीज कनेक्शन

क्र. स.	राज्य सरकार के कार्यालयों में सीजी स्वान लीज लाईन कनेक्शन		राज्य सरकार के कार्यालयों में सीजी स्वान लीज लाईन कनेक्शन के अलावा अन्य कनेक्शन	
	वर्ष	बीएसएनएल लीज लाईन से सीजी स्वान कनेक्शनों की संख्या	वर्ष	बीएसएनएल लीज लाईन से सीजी स्वान कनेक्शनों के अलावा अन्य कनेक्शनों की संख्या
1	2009	145	2009 तक	13
2	2010	12	2010	21
3	2011	150	2011	19
4	2012	194	2012	126
5	2013	01	2013	14
	योग	**502**		**193**

(स्त्रोतः बीएसएनएल द्वारा प्राप्त डाटा)

स्वान की स्थापना के पश्चात भी विभिन्न विभागों द्वारा बीएसएनएल लीज लाइन लिया गया

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण पर हमने पाया कि सीजी स्वान नेटवर्क 2009 में शुरू किया गया था तब सीजी स्वान के अलावा राज्य में अन्य 13 लीज लाईन कनेक्शन थे। यद्यपि हमने पाया कि 501 सीजी स्वान कनेक्शन की उपलब्धता होने के बावजूद सीजी स्वान कनेक्शन के अलावा अन्य 126 नई लीज लाईन कनेक्शन विभिन्न विभागों द्वारा 2012 में लिया गया था, जो कि सीजी स्वान में दिये गये शर्तो का उल्लघंन है। इस प्रकार सरकार के अनुदेश के बावजूद चिप्स अन्य समानांतर कनेक्शन को रोकने में विफल रहा।

चिप्स ने बताया (फरवरी 2014) कि बैंडविड्थ प्रदाता के कनेक्टिविटी की सीमित संसाधन होने के कारणों से यह भौतिक रूप से सभी स्थानों पर कनेक्शन प्रदान नहीं किया जा सका, परन्तु कुछ स्थानों पर संबंधित कार्यालय आवश्यकता से अधिक बैंडविड्थ का उपयोग कर रहे हैं।

तथ्य यथावत है कि स्वान परियोजना के प्रशासनिक स्वीकृति नियम 7 के अनुसार राज्य में स्थापित होने वाले समानांतर नेटवर्क की अनुमति नहीं थी।

(च) निगरानी

एनईजीपी के लिए कार्यक्रम प्रबंधन संरचना के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव (आईटी) की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय शीर्ष समिति (एसएलएसी) के गठन की परिकल्पना की गई थी जिससे परियोजनायें प्राथमिकताओं से शुरू हो।

इसके अलावा सीजी स्वान की प्रशासनिक स्वीकृति (दिसंबर 2005) के अनुसार समिति राज्य में स्वान परियोजना के क्रियान्वयन के लिए समग्र जिम्मेदारी ले और समिति परियोजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक महीने में कम से कम एक बार मिले।

नियमित बैठक नहीं होने से स्वान परियोजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा नहीं की जा सकी

अभिलेखों की जांच के दौरान जीओसीजी द्वारा मार्च 2006 में समिति का गठन किया गया, हालांकि पिछले छः वर्षों के दौरान 84 बैठकों के विरूद्ध केवल आठ बैठकें आयोजित की गई और यह भी देखा गया कि बैठक नियमित रूप से आयोजित नहीं किए गए, जिससे स्वान की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा नहीं की जा सकी। एसएलएसी की बैठकों के नियमित न होने के कारण परियोजना के क्रियान्वयन में देरी, साइट तैयार करने का काम 288 होरिजेंटल और दो वरटिकल की स्थापना और जी2सी सेवाएं प्रदान करने जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा न तो की गई और न ही उपरोक्त मुद्दे को हल करने के लिए एसएलएसी बैठक की गयी। इस प्रकार परियोजना पूरी अवधि के दौरान समुचित निगरानी के बिना चला कंडिका 2.3.7.1 (घ) में वर्णित के रूप में इन कारणों के लिए, 3500 होरिजेंटल पीओपी में से केवल 1,618 पीओपी ही टीपीए के अनुसार, लेखा परीक्षा की तिथि (मई 2013) तक कार्यरत पाये गये।

चिप्स ने बताया (फरवरी 2014) कि परियोजना की प्रगति की निगरानी के लिए समिति गठित की गयी थी और आवश्यकता होने पर परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने के लिए सदस्यों द्वारा आवश्यक बैठकों का समय तय किया जाता था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रशासनिक स्वीकृति में यह स्पष्ट था कि समिति परियोजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक महीने में कम से कम एक बार बैठक करनी चाहिए, नियमित रूप से बैठकें नहीं किये जाने से परियोजना की समीक्षा और सभी पीओपी की वर्तमान में स्थापना और स्वान परियोजना के क्रियान्वयन में देरी हुई।

2.3.7.2 स्टेट डाटा सेंटर

अपने हितधारकों के लिए जल्दी और प्रभावी सेवाएं देने के लिए सरकार को सक्षम बनाने के लिए एक मजबूत बुनियादी ढ़ांचा की स्थापना के लिए एसडीसी की परिकल्पना की गई थी। स्वान से जुड़ी एसडीसी,को सरकारी कर्मचारियों को इंट्रानेट के माध्यम से और नागरिकों को इंटरनेट/सीएससी आदि के माध्यम से ई-गवर्नेन्स अनुप्रयोगों और सेवाओं के लिए एक्सेस प्रदान करना था।

छत्तीसगढ़ राज्य के लिए (फरवरी 2008) ₹ 49.15 करोड़ रूपए की कुल अनुमानित लागत पर एसडीसी परियोजना मंजूर की गयी थी जो कि प्रारंभ होने की तिथि से पांच

वर्ष की अवधि के लिए चिप्स द्वारा पीपीपी मॉडल पर लागू किया जाना था। इस लागत में इसे डीआईईटीवाई द्वारा राशि ₹ 30.91 करोड़ और एनईजीपी के तहत एसीए के माध्यम से शेष राशि ₹ 30.91 करोड़ दिया जाना था। परियोजना का क्रियान्वयन मेसर्स सिफी लिमिटेड द्वारा किया गया। चिप्स और मेसर्स सिफी लिमिटेड के बीच अनुबंध पर मई 2012 में हस्ताक्षर किए गए।

एसीडीसी के क्रियान्वयन के अभिलेखों की जांच से निम्नलिखित का पता चला:-

2.3.7.2 (i) एसडीसी के लिए निविदा जारी होने में 32 महीने का विलंब

निविदा के आमंत्रण में देरी होने के कारण परियोजना के क्रियान्वयन में विलंब

प्रशासनिक अनुमोदन के साथ संलग्न समय अनुसूची के अनुसार, सलाहकार के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से 13 सप्ताह के भीतर राज्य सरकार द्वारा आरएफपी जारी की जानी थी। हालांकि, इम्पलिमेंटिंग एजेंसी (आइए) का चयन मई 2011 में किया गया था। निविदा सलाहकार की नियुक्ति उपरोक्त तारीख के बाद से 32 महीनों के विलंब में किया गया। जिससे इस परियोजना के क्रियान्वयन में देरी हुई।

जवाब में, चिप्स ने (फरवरी 2014) बताया कि डीईआईटीवाई द्वारा दिये गए सभी सुझावों को सलाहकार द्वारा शामिल किया गया था और दिनांक 29 जून 2010 को डीईआईटीवाई को संशोधित आरएफपी प्रस्तुत की गयी और अंत में 18 जनवरी 2011 को मंजूरी दी गयी। नए भवन के निर्माण के लिए नियुक्त छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने पर्याप्त समय लिया और आरएफपी आवश्यकताओं को अंतिम रूप देते समय भवन तैयार नहीं थी जो कि देरी का कारण था। डाटा सेंटर संचालक का चयन किया गया था और एसडीसी की एफएटी को मार्च 2013 में पूरा किया और इस तारीख से एसडीसी का औपचारिक रूप से परिचालन शुरू हो गया।

तथ्य यथावत है कि परियोजना के क्रियान्वयन में देरी के कारण सरकारी सेवायें (जी2जी, जी2सी) को उपयोगकर्त्ताओं के लिये शुरू नहीं किया जा सका।

2.3.7.3 स्टेट सर्विस डिलिवरी गेटवे (एसएसडीजी)

स्टेट सर्विस डिलिवरी गेटवे (एसएसडीजी) परियोजना (अप्रैल 2011) ₹ 11.92 करोड़ की कुल अनुमानित लागत से छत्तीसगढ़ के लिए मंजूर किया गया था, जिसे पीपीपी मॉडल पर लागू किया जाना था। इसमें से अनुदान सहायता के रूप में डीईआईटीवाई और राज्य सरकार प्रत्येक का योगदान ₹ 5.96 करोड़ था। क्रियान्वयन के लिए टीसीएस को जून 2012 में ₹ 9.29 करोड़ की लागत से परियोजना दी गयी थी।

एसएसडीजी के क्रियान्वयन के साथ, ई-फार्म आवेदन डाउनलोड करने में नागरिक सक्षम हो और इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र की मदद से स्टेट पोर्टल (एसपी) पर होस्ट करने की कार्यवाही स्टेट सर्विस डिलिवरी गेटवे (एसएसडीजी) के द्वारा किया जाये। इस इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलिवरी की सुविधा एक महत्वपूर्ण पहल विशेष रूप से नागरिक सेवा प्रदान करने के लिए एक एकल प्रवेशद्वार के रूप में नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करेगा। छत्तीसगढ़ में स्टेट पोर्टल का विकास कार्य मई 2013 से प्रगति पर था।

एसएसडीजी के क्रियान्वयन के अभिलेखों की जांच से निम्नलिखित का पता चलाः

2.3.7.3 (i) अतिरिक्त कीमत प्रस्ताव के कारण अतिरिक्त बोझ

आर एफ पी में प्रस्तावित वारंटी का प्रस्ताव निविदा से मगाये जाने के कारण ₹ 25.75 लाख का राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय प्रभार

एसएसडीजी परियोजना के क्रियान्वयन के लिए वेब सर्वर, अनुप्रयोग सर्वर, डाटाबेस सर्वर, सीएमएस सर्वर और ईएमएस पर पांच वर्ष के लिये ऑन साइट कम्परहेंसिव वारंटी और हार्डवेयर सामग्री एवं अन्य बिल के लिये तीन वर्ष वारंटी की आवश्यकता के साथ एनआईटी आमंत्रित किया गया जो कि डीईआईटीवाई से अनुमोदित आरएफपी में उल्लेखित योग्य कंपनियों के निविदा दस्तावेजों की जाँच के दौरान, यह देखा गया कि सभी कंपनियों ने उपर बताये गये वारंटी अवधि को इंगित किया था। तकनीकी प्रस्तुति के बाद (14 और 15 मई 2012), सभी पाँच निविदाकर्त्ता[19] तकनीकी रूप से योग्य पाए गए और तकनीकी समिति द्वारा 16 मई 2012 पर इन कंपनियों की वित्तीय बोलियों को खोलने की सिफारिश की। निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गयी मूल वित्तीय निविदा दरों का विवरण नीचे दिया गया हैः

तालिका -2.3.3: निविदाकर्ता द्वारा दिये गये दरों का विवरण (मूल निविदा)

स.क्र.	निविदाकर्ता का नाम	निविदाकर्ता द्वारा भरी गई राशि (राशि ₹ करोड़ में)	रैंक
1	मेसर्स टीसीएस लिमिटेड	9.29	एल 2
2	मेसर्स एल एण्ड टी इन्फो लिमिटेड	10.61	एल 3
3	मेसर्स विपरों लिमिटेड़	9.03	एल 1
4	मेसर्स ऐसेनचर लिमिटेड़	13.95	एल 2
5	मेसर्स इन्फोसिस लिमिटेड	18.24	एल 5

(स्त्रोतः विप्रा से प्राप्त आंकड़े)

इस बीच निविदाकर्ताओं को एक केवीए यूपीएस में दो घंटे के बैकअप और सभी हार्डवेयर के लिये पांच वर्ष की ऑनसाइट कम्परहेंसिव वारंटी के साथ अलग लिफाफे में अतिरिक्त कीमत का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। संशोधित निविदा में मेसर्स विप्रो लिमिटेड ने एक केवीए यूपीएस की निविदा मूल्य[20] में 254 प्रतिशत की वृद्धि की।

19 मेसर्स ऐसेनकर, मेसर्स एल एण्ड टी इन्फो लिमिटेड और मेसर्स इन्फोसिस , मेसर्स विपरो लिमेटेड, मेसर्स टीसीएस लिमिटेड

20

प्रारंभिक निविदा/ अतिरिक्त निविदा	निविदाकर्ताओं के नाम	आइटम के नाम	मेक/वर्जन	वारंटी	युन्टि संख्या	युन्टि दर (₹ में)	कुल राशि (₹ में)	अतिरिक्त वारंटी	दो वर्ष की अतिरिक्त वारंटी के लिए राशि (₹ में)	महायोग (₹ में)
प्रारंभिक निविदा	मेसर्स टीसीएस लिमिटेड	1 के वी ए यु पी एस	युनिलाइन	3 वर्ष	532	8400	4468800	2 वर्ष	-	4468800
प्रारंभिक निविदा	मेसर्स एल एण्ड टी इन्फो लिमिटेड	1 के वी ए यु पी एस	स्मार्टलाइन	3 वर्ष	532	10088	5366816	-	-	5366816
अतिरिक्त निविदा	मेसर्स एल एण्ड टी इन्फो लिमिटेड	1 के वी ए यु पी एस	स्मार्टलाइन	3 वर्ष	532	18375	9775500	2 वर्ष	1688422	11463922
प्रारंभिक निविदा	मेसर्स विपरों लिमिटेड़	1 के वी ए यु पी एस	युनिलाइन	3 वर्ष	532	7615	4050867	-	-	4050867
अतिरिक्त निविदा	मेसर्स विपरों लिमिटेड़	1 के वी ए यु पी एस	युनिलाइन	3 वर्ष	532	27032	14381024	2 वर्ष	5500000	19881024

कमर्शियल निविदायें (16 मई 2012) को खोली गयी और मेसर्स टीसीएस को ₹ 9.29 करोड़ मूल्य के साथ एल 1 के रूप में घोषित किया गया था। एसएसडीजी परियोजना के क्रियान्वयन के लिये मेसर्स टीसीएस के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किये गए (जून 2012)। अतिरिक्त वारंटी समर्थन करने के बाद निविदाकर्ता द्वारा दिये गये दरों का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 2.3.4: अतिरिक्त वारंटी के शामिल किए जाने के बाद वित्तीय निविदाओं की तुलना

स.क्र.	निविदाकर्ता का नाम	निविदाकर्ता द्वारा भरी गई राशि (राशि ₹ करोड़ में)	रेंक
1	मेसर्स टीसीएस लिमिटेड़	9.29	एल 1
2	मेसर्स एल एण्ड टी इन्फो लिमिटेड	11.21	एल 2
3	मेसर्स विपरों लिमिटेड़	11.46	एल 3
4	मेसर्स ऐसेनचर लिमिटेड़	13.95	एल 4
5	मेसर्स इन्फोसिस लिमिटेड़	18.24	एल 5

(स्त्रोतः चिप्स से प्राप्त आंकडे)

चूंकि आरएफपी में दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार सर्वर के लिये ऑन साइट कम्परहेंसिव वारंटी न्यूनतम पांच वर्ष और अन्य हार्डवेयर सामग्री में ऑन साइट कम्परहेंसिव वारंटी तीन वर्ष दिया गया था जिसको निविदा प्रक्रिया के मध्य में बदलने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

अतिरिक्त कीमत प्रस्ताव पर विचार के बिना प्रारंभिक मूल्य प्रस्ताव के आधार पर निविदा का मूल्यांकन किये जाने पर मेसर्स विप्रो लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एल 1 होता जिससे निविदा को ₹ 9.03 करोड़ में अंतिम रूप दिया जा सकता था। इस प्रकार, अतिरिक्त कीमत प्रस्तावों पर विचार किये जाने से ₹ 25.75 लाख रूपये की अतिरिक्त लागत आई।

जवाब में, चिप्स ने कहा (फरवरी 2014) कि वारंटी संबंधी विसंगति को प्रारंभिक निविदा के समय स्पष्ट किया गया था कि सभी हार्डवेयर के लिये अलग वारंटी अवधि होगी। तकनीकी प्रस्ताव के मूल्यांकन के समय यह पाया गया कि हार्डवेयर के लिये निविदा अलग वारंटी अवधि के साथ प्राप्त किया गया था। निविदायें विभिन्न वारंटी अवधि होने से उनका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता था, इसलिये यह सुनिश्चित करने के लिये कि सभी की वारंटी अवधि समान हो, सभी निविदाकर्ताओं से अतिरिक्त कीमत के प्रस्ताव की आवश्यकता थी।

तथ्य यथावत है कि निविदा में मंगाये गये अतिरिक्त कीमत का प्रस्ताव, आरएफपी में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं था और उपरोक्त तथ्य यह इंगित करता है कि अतिरिक्त कीमत का प्रस्ताव आरएफपी में दिये गए मापदंडो के अनुरूप नहीं था एवं वेंडरो द्वारा उच्च दर गुणवता के आधार पर आरएफ के मापदंडो में बदलाव किया जाना निविदा प्रक्रिया का उल्लंघन है ।

2.3.7.4 सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी)

सरकार समन्वित तरीके से भारत के ग्रामीण नागरिकों को निजी और सामाजिक क्षेत्र की सेवाओं के लिये फ्रंट-इंड डिलवरी पांइट के रूप में एनईजीपी के तहत सीएससी योजना की परिकल्पना की गई थी। यह योजना राज्य मनोनीत एजेंसी (एसडीए) सर्विस सेंटर एजेंसी (एससीए) और ग्राम स्तरीय उद्यमी (व्हीएलईएस) को शामिल करने वाली एक तीन स्तरीय क्रियान्वयन संरचना है। योजना के क्रियान्वयन की निगरानी एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर इस योजना को स्थापित करने की परिकल्पना की गयी थी। राज्य सरकार द्वारा इस योजना का सफल संचालन सुनिश्चित करने के लिये एक एसडीए बनाने की आवश्यकता थी।

राज्य के लिये सीएससी परियोजना मंजूर की गयी (नवंबर 2006) जिसकी कुल अनुमानित लागत ₹ 53.68 करोड़ रूपये थी और चिप्स द्वारा चार वर्षो के लिये पीपीपी मॉडल के रूप में लागू किया जाना था। लागत राशि को डीईआईटीवाई और राज्य सरकार के बीच बराबर में बांटा गया था। डीईआईटीवाई द्वारा राशि, सहायता अनुदान के रूप में जारी किया गया था। परियोजना के क्रियान्वयन के लिये राज्य को चार क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। सीएससी परियोजना में 3385 सीएससी की स्थापना के लिये मेसर्स आईसेक्ट को दुर्ग और कोरबा क्षेत्र[21] और मेसर्स जूम डेवलपर लिमिटेड को रायपुर और रायगढ़ क्षेत्र[22] दिया गया था।

लक्षित 3385 सीएससी में से एससीए द्वारा 2460 सीएससी को स्थापित किया गया एवं शेष 925 सीएससी को लेखा परीक्षा की तिथि (मई 2013) तक स्थापित नहीं किया गया था।

सीएससी के क्रियान्वयन के अभिलेखों की जांच मे निम्नलिखित का पता चलाः

2.3.7.4 (i) सीएससी स्थानों का निर्धारण और संभावित क्षेत्रों की पहचान करने में एसडीए की भूमिका

आरएफपी के अनुसार, एससीए के माध्यम से हर छः गांवों में समग्र सीमा के भीतर एक सीएससी की स्थापना किया जाना था। एससीए के अंतिम स्थान का चयन करने से पहले चिप्स और जिला कलेक्टर से सहमति लेना था।

अभिलेखों की जांच के दौरान पता चला कि चिप्स सीएससी की स्थापना के लिये चयनित गांवों की एक सूची प्रदान करने के लिये हर जिला कलेक्टर को एक पत्र जारी किया गया। लेकिन कोरबा जिले के अलावा, अन्य जिलों से कोई दस्तावेज जिला कलेक्टरों से सूची प्राप्त होने के बारे में चिप्स के पास उपलब्ध नहीं था जिस सूची के आधार पर सीएससी के स्थानों को अंतिम रूप देना था। क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान यह भी देखा गया कि रिकॉर्ड के अनुसार दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित सीएससी बंद थे या अस्तित्व में ही नहीं थे जिसकी चर्चा बाद के पैरा में की गयी है।

[21] आईसेक्ट - छतीसगढ़ सरकार को ₹ 7 प्रति माह प्रति सीएससी की राशि प्राप्त होगा दुर्ग और कोरबा क्षेत्र के सीएससी से

[22] जूम डेवलपर- छ.ग. सरकार ने राजस्व समर्थन प्रति माह प्रति सीएससी रायपुर जोन के लिए ₹ 1786 और रायगढ़ के लिये ₹ 1345 रूपये का भुगतान करना होगा।

जवाब में चिप्स ने बताया (फरवरी 2014) कि सीएससी क्रियान्वयन के दिशा निर्देशों में एससीए पर सीएससी स्थान उपलब्ध कराने के लिये कोई विशेष दिशा निर्देश नहीं था। जैसे की योजना पीपीपी मोड पर आधारित है, एससीए को सीएससी के लिये संभावित क्षेत्र की पहचान करनी थी। हालांकि चिप्स और आईटी विभाग ने नियमित रूप से संवाद कर जिला प्रशासन से प्रस्तावित सीएससी स्थानों को एकत्रित कर सीएससी के स्थापना के लेये चिन्हित संभावित क्षेत्रों को अग्रेषित किया था।

2.3.7.4 (ii) कार्यरत सीएससी की संख्या में कमी

आरएफपी के अनुसार, को राजस्व समर्थन के लिये एससीए पात्र नहीं होगा जब तक निर्धारित समय सीमा के अन्दर सीएससी को रोल्डआउट कर और चिप्स द्वारा कार्यरत सीएससी होने का प्रमाण नहीं दिया जाता।

अभिलेखों की जांच के दौरान यह देखा गया कि :

- 3385 में से केवल 2460 सीएससी (73 प्रतिशत) ही स्थापित किए गए थे और केवल 60 सीएससी (दो प्रतिशत) का भौतिक सत्यापन लेखा परीक्षा की तिथि (मई 2013) तक चिप्स द्वारा किया गया था।
- दुर्ग और कोरबा क्षेत्र की मासिक रिपोर्ट (सितंबर 2013) से पता चला कि लक्ष्य के मुकाबले 1487 सीएससी के विरूद्ध 1249 सीएससी एससीए (मेसर्स आईसेक्ट) द्वारा स्थापित किये गये। हालांकि, ऑनलाइन मॉनिटरिंग टूल (ओएमटी) से केवल 1018 सीएससी स्थापित किया जाना दिखाया गया था।
- ओएमटी (सितम्बर 2012) रिपोर्ट के अनुसार, प्रति दिन कनेक्टिविटी 30 से 100 सीएससी के बीच था हालांकि मासिक रिपोर्ट के अनुसार 310 सीएससी बीएसएनएल और 942 सीएससी अन्य कनेक्टिविटी माध्यम के साथ जुड़ा हुआ दिखाया गया।
- एक एससीए को हटाये जाने (सितंबर 2011) से, 1200 सीएससी[23] जो एससीए द्वारा स्थापित किए गए थे की वास्तविक स्थिति चिप्स के पास (दिसंबर 2013) उपलब्ध नहीं था।

इंगित किये जाने परे चिप्स ने बताया (फरवरी 2014) कि सीएससी की स्थापना नहीं किये जाने के मुख्य कारण वामपंथी उग्रवाद, बुनियादी ढ़ाचे की अनुपलब्धता, स्थानीय लोगों की व्हीएलई बनने की अनिच्छा और कम जनसंख्या घनत्व आदि थे।

जवाब स्वीकार्य नहीं है चिप्स सीएससी परियोजना को अंतिम रूप देते समय इन कारकों को ध्यान में रखकर परियोजना बनाने में विफल रहा।

2.3.7.4(iii) सीएससी के लिये सेवा केंन्द्र एजेंसी (एससीए) के अनियमित चयन

राज्य में सीएससी के क्रियान्वयन के लिये चिप्स द्वारा (सितम्बर 2008) खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से एससीए के रूप में मेसर्स आईसेक्ट को दुर्ग और कोरबा क्षेत्र के

[23] मेसर्स जूम डेवलपर लिमिटेड

लिये और मेसर्स जूम डेवलवपर्स को रायपुर और रायगढ़ क्षेत्र के लिये चयन किया गया था। मास्टर सर्विस एग्रीमेंट (एमएसए) का पालन नहीं किये जाने एवं परियोजना का सही रूप से प्रचालन नहीं किये जाने के कारण मेसर्स जूम डेवलपर्स लिमिटेड के अनुबंध को समाप्त किया गया (सितंबर 2011)।

निविदा आमंत्रित किये बिना एससीए की नियुक्ति किये जाने के कारण एसपीवी को अनुचित वित्तीय लाभ प्रदान किया गया

अभिलेखों की जांच के दौरान यह देखा गया कि एससीए से अनुबंध की समाप्ति के बाद चिप्स द्वारा निविदा प्रक्रिया का पहल किये बिना सीधे रायपुर और रायगढ़ क्षेत्र के लिये एक एसएीए के रूप में एसपीवी को नियुक्त किया जो कि निविदा आमंत्रित किये बिना और उच्च स्तरीय समिति से अनुमोदन लिये बिना था। चिप्स द्वारा एसपीवी से किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किये गये थे और न ही निष्पादन गारंटी लिया गया था। एसपीवी द्वारा मेसर्स आईसेक्ट को रायपुर और रायगढ़ क्षेत्र के लिये सहभागीदार बनाया गया और पिछले एससीए की दर पर राजस्व समर्थन का निर्धारण किया गया।

जवाब में, चिप्स ने कहा (फरवरी 2014) कि मेसर्स जूम डेवलपर्स से अनुबंध की समाप्ति के बाद फिर से निविदा की प्रक्रिया नहीं की गयी। केवल दो वर्ष का समय ही सीएससी के क्रियान्वयन के लिये शेष था आगे यह भी बताया कि जिले में इन दो क्षेत्रों के अधिकांश भाग के वामपंथियों के क्षेत्र होने के कारण इन्हें छोड़ दिया गया था।

तथ्य यथावत है कि निविदा के बिना कार्य की स्वीकृति किया जाना न केवल अनियमित था बल्कि निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भी पालन नहीं किया गया।

2.3.7.4(iv) सीएससी के माध्यम गर्वेनमेंट से सिटीजन (जी2सी) सेवायें प्रदान नहीं किये

(क) एनईजीपी ग्रामीण क्षेत्रों में "वेब सक्षम कभी भी कहीं भी पहुँचें" सूचना और सेवाओं के वितरण के लिए तीन स्तंभ मॉडल[24] की परिकल्पना की गई। सीएससी की भूमिका सरकारी सेवाओं के लिए फ्रंट एण्ड डिलीवरी नेटवर्क के रूप में परिकल्पित किया गया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने उल्लेख पैरा फुट नोट दो में 10 अधारभूत सेवाओं की पहचान की।

चिप्स द्वारा पहल नहीं करने के कारण जी2सी सेवायें नहीं प्रदान किया गया

अभिलेखों की जांच से पता चला कि छत्तीसगढ़ नागरिक सेवा (इलेक्ट्रॉनिक शासन) नियम-2003, में नोटिफाईड जी2सी सेवायें प्रदान करने के लिये च्वाइस पोर्टल के माध्यम से इन सेवाओं को प्रदान किया गया जिसके लिये च्वाइस एजेंट को ₹ 20,000 की सुरक्षा जमा राशि के साथ संबंधित जिला कलेक्टर के साथ अनुबंध पर अमल करना था। ग्रामीण च्वाइस एजेंट के रूप में जीओसीजी ने सीएससी घोषित किया और उपर दिये गए नियम का पालन करना अनिवार्य था। च्वाइस पोर्टल से जी2सी सेवायें प्रदान करने व पंजीकृत होने के लिए राज्य में स्थापित कुल 2597 सीएससी में से केवल आठ सीएससी ने चिप्स को अनुबंध की प्रति प्रस्तुत की थी। शेष 2589 सीएससी द्वारा अनुबंध किया ही नहीं गया और ना ही चिप्स ने इन सीएससी से अनुबंध करने के लिये कोई भी आवश्यक कार्यवाही की। यद्यपि, 10 आधारभूत सेवाओं को प्रदान करने के

[24] स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, सेड डाटा सेंटर और कॉमन सर्विस सेंटर

विरूद्ध आठ सीएससी में मात्र एक सेवा (प्रमाण पत्र जारी करना) प्रदान की थी जिसमें इन सीएससी द्वारा विगत चार वर्षों में केवल 859 प्रमाण पत्र ही जारी किये गये।

जवाब में चिप्स ने कहा (फरवरी 2014) कि सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक वितरण लाइन विभागों के कम्प्यूटरीकरण पर आधारित है। ऐसे सभी विभागों को पहले से ही सीएससी परियोजना के बारे में सूचना दिया गया था और सम्बंधित विभागों को जी2सी सेवायें प्रदान करने हेतु डीईआईटीवाई द्वारा बनायी गयी आधारभूत संरचना का उपयोग करने का अनुरोध किया गया। विभिन्न नागरिक केन्द्रित-सेवायें देने के लिये माह अक्टूबर 2013 से एसएसडीजी शुरू किया गया। जिस पर वर्तमान में महिला एवं बाल विकास तथा वाणिज्य और उद्योग विभाग की सेवायें चल रही है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है सीएससी के माध्यम से जी2सी सेवायें प्रदान करने में चिप्स विफल रहा जिससे स्वान, एसडीसी और एसएसडीजी प्रमुख बुनियादी ढ़ांचा परियोजनाओं के क्रियान्वयन और विभागीये आकड़ों के डिजिटाईजेशन में देरी हुई।

(ख) विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी (फरवरी 2014) की जाँच से आगे पता चला कि 10 प्रमुख विभागों में से समाज कल्याण विभाग ने जी2सी सेवाएं शुरू नहीं की थी, तीन विभागों, खाद्य विभाग, लोक शिकायत विभाग और शहरी विकास विभाग में आईटी समर्थित सेवाओं के बारे में कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की। बाकी छः विभागों में जी2सी सेवाएं प्रदान करने और अपने स्वयं के वेब पोर्टल से स्वयं के डाटा केन्द्रों को विकसित किया गया लेकिन इसको एनईजीपी योजना के तहत नहीं किया गया। एनईजीपी के साथ लिंक के अभाव में, योजना का उद्देश्य वेब सक्षम कभी भी, कहीं भी पहुँच प्रदान करने के लिए एसएसडीजी के मार्फत सामान्य सेवाओं के गेटवे को प्राप्त नहीं किया जा सका ।

2.3.7.4(v) बीएसएनएल और चिप्स के बीच समन्वय की कमी के कारण सीएससी परियोजना में ₹ 4.47 करोड़ का निष्फल व्यय

छत्तीसगढ़ की सरकार ने सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान करने के लिये, 3385 सीएससी स्थापित करने का फैसला किया था। इनमें से 2417 सीएससी (71 प्रतिशत) स्थापित किए गए थे और भारत सरकार द्वारा बीएसएनएल को इन सीएससी में इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिये अधिकृत किया गया था। सीएससी पर कनेक्टिविटी के लिए बीएसएनएल द्वारा प्रस्तुत विस्तार परियोजना रिपोर्ट में निम्नानुसार शामिल है :

टेबल–2.3.5 : सीएससी स्थानों पर बेस ट्रांसीवर स्टेशन के माध्यम से बीएसएनएल कनेक्टिविटी (बीटीएस)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	विवरण	बीटीएस टावर की संख्या	सीएससी की संख्या	लागत कीमत
1	वाई-मेक्स फेस-I	40	240	5.28
2	वाई-मेक्स फेस- II	348	2088	45.95
3	ब्राडबैंड	----	897	6.39
योग		**388**	**3225**	**57.62**

(स्त्रोतः चिप्स से प्राप्त आकड़े)

सीएससी की सेवाओं का विस्तार नहीं किये जाने से ₹ 4.47 करोड़ का निष्फल व्यय

अभिलेखों की जांच के दौरान यह देखा गया कि सीएससी में कनेक्टिविटी के लिए वाई मैक्स फेस-I के तहत बीएसएनएल द्वारा 40 बीटीएस टावर स्थापित किए गए थे (फरवरी 2010) और चिप्स ने इसके लिये बीएसएनएल को ₹ 4.47 करोड़ भुगतान की राशि जारी किया (अक्टुबर 2010)। हालांकि चिप्स न तो इन बीटीएस टावर के स्थान के बारे में सीएससी को सूचित किया और न ही वाई मैक्स के माध्यम से कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए बीएसएनएल के साथ कोई पत्राचार किया गया ।

बीएसएनएल के रिकॉर्ड (दिसंबर 2013) के अनुसार कुल 1042 सीएससी जुड़े होने की योजना बनाई थी और जिसमें से 694 सीएससी कनेक्शन 40 बीटीएस टावरों के माध्यम से प्रदान किए गए। हालांकि, उनमें से केवल 23 सीएससी वास्तव में वाई मैक्स (दुर्ग जिला) से जुड़े थे। इस प्रकार यह स्पष्ट है क्योंकि बीएसएनएल और चिप्स के बीच समन्वय की कमी के कारण, कनेक्टिविटी समस्या हल नहीं की जा सकी जिसके कारण ₹ 4.47 करोड़ राशि का निष्फल व्यय हुआ।

जवाब में चिप्स ने कहा (फरवरी 2014) कि यद्यपि बीएसएनएल ने एसीए निधि की पूरी राशि का उपयोग किया गया है लेकिन अभी तक अधिकांश स्थान में सीएससी वाई मैक्स की सुविधा चालू ही नहीं कर पाया हैं जिसके निम्नलिखित कारण हैं वाई मैक्स से नेटवर्क कनेक्टिविटि बाधित रहने से, बीएसएनएल की लाइन कार्यालयों में सीएससी योजना के बारे में जागरूकता का अभाव और बीएसएनएल में वाई मैक्स के टैरिफ चार्ज अधिक होना।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, बीएसएनएल के साथ सही सामंजस्य स्थापित कर वाई मैक्स के माध्यम से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने में चिप्स असफल रहा।

2.3.7.4(vi) सीएससी के कामकाज में विसंगतियाँ

रायगढ़, धमतरी, बिलासपुर, रायपुर और जांजगीर चाम्पा में एससीए के तहत विभिन्न ब्लाकों में कार्यरत 43 सीएससी के परीक्षण की जांच के दौरान, निम्नलिखित विसंगतियों को देखा गया:-

- जाँच परीक्षण में 43 सीएससी में से केवल 28 सीएससी स्थापित और काम करते पाये गये और 15 सीएससी अस्तित्व में नहीं पाये गये।
- यद्यपि स्थापित और कार्यरत सीएससी में बुनियादी सुविधा (प्रिंटर स्कैनर और जेरोक्स मशीन के साथ दो से 10 कंम्प्यूटर) उपलब्ध थी। इंटरनेट कनेक्टिविटी इन सीएससी में ना के बराबर था।
- 43 में से 28 सीएससी ने बी2सी सेवाएं प्रदान की। तथापि सरकार द्वारा किसी भी सीएससी में जी2सी सर्विस प्रदान नहीं किया गया।
- ऑनलाइन बी2सी सेवाओं में ऑनलाईन एसबीआई कियॉस्क बैंकिंग, सुविधा आनलाईन, फार्म भरने और परिणाम जानने की सुविधा के माध्यम से प्रदान किया गया। ऑफलाइन सेवाएं मुख्य रूप से फोटोकॉपी, फोटोग्राफी, स्कैनिंग और मोबाइल रिचार्ज था। शैक्षिक पाठयक्रम 28 में से 11 सीएससी में प्रदान किया गया।

इंगित किये जाने पर चिप्स ने बताया (फरवरी 2014) कि रायपुर और रायगढ़ क्षेत्र में सीएससी स्थापित ही नहीं किये गये जहां एससीए का प्रर्दशन ठीक नहीं होने के कारण राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र के एससीए को हटा दिया गया था।

अतः चिप्स द्वारा निगरानी की कमी के कारण सभी सीएससी स्थापित नहीं किये जा सके हैं और सभी सेवाओं को इन सीएससी के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

2.3.7.4(vii) एनईजीपी के क्रियान्वयन पर शीर्ष समिति द्वारा अपर्याप्त निगरानी

दिशानिर्देशों के अनुसार, सीएससी परियोजना के क्रियान्वयन की निगरानी करने के लिये जी ओ सी जी द्वारा राज्य में एक उच्च स्तरीय समिति के रूप में अधिकार प्राप्त समिति घोषित किया (जनवरी 2007) जिसके द्वारा माह में कम से कम एक बार सीएससी परियोजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा किया जाना था। समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव थे जिसमें विभिन्न विभागों के सचिवों (इंडस्ट्रीज और आई टी, लोक निर्माण विभाग,जल संसाधन विभाग और ऊर्जा, वित्त, स्कूल शिक्षा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास,पब्लिक रिलेशन आदि) को सदस्य बनाया गया था।

यह देखा गया कि विगत सात वर्षों के दौरान उच्चाधिकार प्राप्त समिति की कुल 13 बैठकें आयोजित की गयी जिसमें से केवल पाँच बैठकों में ही सीएससी के एजेंडा को सम्मिलित किया गया था। जिन मुद्दों को उच्च अधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदन के बाद लागू किया जाना था जैसे जूम डेवलपर की अनुबंध की समाप्ति, सीएससी के रोल्ड आउट की स्थिति, एससीएस के रूप में एसपीवी की नियुक्ति, सीएससी के माध्यम से जी2सी सेवायें प्रदान करने इन विषयों को न तो एजेंडा आइटम में शामिल किया गया और ना ही उच्च अधिकार प्राप्त समिति से इन पर अनुमोदन लेकर सही से लागू किया गया।

उत्तर में, चिप्स ने कहा (फरवरी 2014) कि उच्च अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव और अन्य समिति के सदस्य जीओसीजी राज्य के विभिन्न विभागों के सचिव होते हैं इसलिए यह संभव नहीं है की मिटिंग प्रत्येक माह आयोजित की जा सके। आवश्यकता के आधार पर मिटिंग का निर्धारण होता है।

तथ्य यह है कि दिशानिर्देशों में निर्धारित की गयी बैठकों को नियमित रूप से आयोजित नहीं किया गया। समन्वय की कमी के कारण चिप्स द्वारा लाइन विभागों से समन्वय स्थापित नहीं किया जा सका जिसके कारण चिप्स जी2जी और जी2सी की सेवायें उपलब्ध कराने में असफल रहा।

2.3.8 निष्कर्ष

एनईजीपी के शुभारंभ से सात साल से अधिक व्यतीत हो जाने के बाद भी, योजना के उद्देश्यों को हासिल नहीं किया जा सका, आईटी जैसे प्रमुख बुनियादी ढांचा के अधुरे होने व आवश्यक वस्तुएं की सफल स्थापना नहीं होने से परियोजना का परिचालन नहीं किया जा सका। जी2सी सेवाओं की उपलब्धता के अभाव और ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी के अधुरे रोल्डआउट होने से स्वान नेटवर्क का उपयोग नहीं किया जा सका। जानकारी साझा करने और सेवा प्रदान करने के लिये विभिन्न विभागों के बीच परस्पर इंटरक्नेक्टिविटि भी स्थापित नहीं किया जा सका। उच्च स्तरीय समिति द्वारा निगरानी

की कमी के परिणामस्वरूप सीएससी का निरीक्षण और रोल्डआउट सीएससी का सत्यापन नहीं किया गया। इस प्रकार परियोजना को योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वयन और निगरानी सही नहीं होने के कारण एनईजीपी के दिशा-निर्देशों में परिकल्पित योजना के उपयोग के अंतिम परिणाम अर्थात 'सरकारी सेवाओं का किसी भी समय किसी भी जगह की उपयोग' की उपलब्धता को हासिल नहीं किया जा सका।

2.3.9 अनुशंसाएँ

हम अनुशंसा करते हैं कि:

- *उचित योजना, क्रियान्वयन और निगरानी के माध्यम से परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाए।*
- *समानांतर नेटवर्क कनेक्टिविटी की ओवरलैपिंग से बचने के लिए उचित योजना बनाया जाना चाहिए/*
- *एनईजीपी के क्रियान्वयन के लिये प्रदान किये गये निधियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए।*
- *एनईजीपी के क्रियान्वयन के लिए बनाए गये दिशानिर्देश का ठीक से पालन किया जाना चाहिए।*
- *प्राथमिकता के आधार पर सभी रिकार्डस/डेटा को डिजिटाईजड किया जाना चाहिए।*

संक्षेपण

सं.क्र.	संक्षेपण	विवरण
1	ए सी ए	एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंट
2	बी ई एल	भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड
3	बी एच क्यू	ब्लाक हेडक्वाटर
4	बी ओ ओ टी	बिल्ड, ओन,ऑपरेटर एण्ड ट्रॉसफर
5	बी एस एन एल	भारत संचार निगम लिमिटेड
6	बी टी एस	बेस ट्रांसइवर स्टेशन
7	सी जी एस एस डी जी	छत्तीसगढ़ स्टेट सर्विसेस डिलवरी गेटवे
8	सी जी एस डब्लू ए एन	छत्तीसगढ़ स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क
9	सी एच आई पी एस	छत्तीसगढ़ इफोंटेक एण्ड बयो-टेक प्रमोशन सोसाइटी
10	सी एस सी	कॉमन सर्विस सेंटर
11	डी सी ओ	डॉटा सेंटर ऑपरेटर
12	डी ई आई टी वाई	डिपार्टमेंट आफ इलेक्ट्रानिक एण्ड इंफोरमेंशन टेक्नोलाजी
13	डी एच क्यू	डिस्ट्रीक्ट हेडक्वाटर
14	एफ ए टी	फाइनल एक्सेपटेंश टेस्ट
15	जी 2 बी	गवर्नमेंट टू विजनेस
16	जी 2 सी	गवर्नमेंटटू सिटिजन
17	जी 2 जी	गवर्नमेंट टू गर्वनमेंट
18	जी ओ सी जी	गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़
19	जी ओ आई	गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
20	एच एल सी	हाई लेवल कमिटी
21	आई ए	इंप्लीमेंटिंग एजेंसी
22	आई सी टी	इन्फारमेशन कमुनिकेशन टेक्नॉलाजी
23	आई टी	इन्फॉरमेशन टेक्नॉलाजी
24	के बी पी एस	किलो बाइट पर सेकेन्ड
25	के व्ही ए	किलो वॉल्ट एम्पियर
26	एल ओ ए	लेटर ऑफ एक्सेंपटेंशन
27	एम बी पी एस	मेगा बाइट पर सेकेन्ड
28	एम एम पी	मिशन मोड प्रोजेक्ट
29	एम आर एन	मेटेरियल रिसिप्ट नोट
30	एम एस ए	मास्टर सर्विस एग्रीमेंट
31	एन ई जी पी	नेशलनल ई-गवर्नेन्स प्लान
32	एन आई टी	नोटिस इनवाईटिंग टेंडर
33	एन एम एस	नेटवर्क मेनेजमेंट सिस्टम
34	एन एस डी जी	नेशलन सर्विस डिलेवरी गेटवे
35	ओ एम टी	ऑन लाईन मानिटरिंग टूल
36	पी ओ पी	पॉईन्ट ऑफ प्रजेंस
37	पी पी पी	पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप
38	पी डब्लू डी	पब्लिक वर्कस डिपाटमेंट
39	क्यू जी आर	क्वाटर्ली गारंटेड रेवेन्यू
40	आर एफ पी	रिक्यूसट फॉर प्रोपोजल
41	एस सी ए	सर्विस सेंटर एजेंसी
42	एस डी ए	स्टेट डेजीनेटेड एजेंसी
43	एस डी सी	स्टेट डाटा सेंटर
44	एस एच क्यू	स्टेट हेड क्वाटर्स
45	एस एल ए सी	स्टेट लेवल एपेक्स कमेंटी
46	एस पी	स्टेट पोर्टल
47	एस पी वी	स्पेशल परपज व्हीकल
48	एस एस डी जी	स्टेट सर्विस डिलेवरी गेटवे
49	एस टी पी आई	सॉफ्टवेयर टेक्नॉलाजी पार्क ऑफ इंडिया
50	स्वान	स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क
51	टी सी एस	टाटा कंसलटेंसी सर्विस लिमिटेड
52	टी पी ए	थर्ड पार्टी ऑडिटर
53	यू पी एस	अन इंटरपटेड पावर सप्लाई
54	व्ही एल ई	व्हीलेज लेवल इंटरप्रनेयोर
55	व्ही ओ आई पी	वाईस इंटरनेट प्रोटोकॉल

2.4 सेंट्रल रोड फण्ड (सीआरएफ) और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी) के तहत सड़कों का विकास

कार्यपालिक सारांश

सेन्ट्रल रोड फण्ड तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत वर्ष 2008-13 की अवधि में छत्तीसगढ़ में सड़कों के विकास की समीक्षा की गई। लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई प्रमुख अनियमितताओं का वर्णन निम्नानुसार है:

- एमएनपी तथा सीआरएफ के तहत स्वीकृतियों के दोहरीकरण के परिणामस्वरूप राशि ₹ 1.47 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया।

{ कंडिका 2.4.6.1(क) }

- नियोजन की कमी तथा सड़कों की वरीयता का निर्धारण नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप सीआरएफ के तहत निधि के प्रावधान किये जाने के बावजूद राज्य निधि से ₹ 3.73 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया।

{कंडिका 2.4.6.1(ख) }

- विस्तृत सर्वेक्षण किये बिना ही प्राक्कलन तैयार किये जाने तथा स्पेसीफिकेशन में तदोपरान्त परिवर्तन किये जाने के परिणामस्वरूप राशि ₹ 4.91 करोड़ के अतिरिक्त व्यय के साथ ही कार्य की पूर्णता में विलम्ब हुआ।

{कंडिका 2.4.6.2(ख) }

- वन अनापत्ति तथा भूमि अधिग्रहण किये बिना ही कार्य के निष्पादन के परिणामस्वरूप कार्य की पूर्णता में विलम्ब हुआ तथा ₹ 2.80 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया।

(कंडिका 2.4.6.3)

- आवश्यकता से अधिक कार्य के निष्पादन के परिणामस्वरूप राशि ₹ 1.40 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(कंडिका 2.4.6.4)

- राशि ₹ 11.42 करोड़ के एमएनपी निधि का अनाधिकृत रूप से व्यपवर्तन किया गया तथा राशि ₹ 1.31 करोड़ की रॉयल्टी का शासकीय खाते में प्रेषण नहीं किया गया।

(कंडिका 2.4.7.1 एवं 2.4.7.2)

- कार्य के निष्पादन में विलम्ब किये जाने के बावजूद राशि ₹ 2.94 करोड़ की शास्ति की वसूली नहीं किया गया।

(कंडिका 2.4.8.1)

- अनुबंध के अविवेकपूर्ण पूर्वसमापन के परिणामस्वरूप ₹ 1.46 करोड़ अतिरिक्त लागत के अलावा राशि ₹ 47.02 लाख का ठेकेदार को अदेय लाभ प्रदान किया गया।

(कंडिका 2.4.8.5)

- कार्यपालन अभियंता के द्वारा बैंक गारंटियों के वैधता तिथि के भीतर नगदीकरण में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 90 लाख के शासकीय दायित्वों की वसूली नहीं की गयी।

(कंडिका 2.4.8.8)

- वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही, आरक्षित वन क्षेत्र में राशि ₹ 18.07 लाख मूल्य के कार्य का संदिग्ध निष्पादन।

(कंडिका 2.4.8.11)

- शासकीय निर्देशों की अवहेलना कर राशि ₹ 1.62 करोड़ के कार्य का निष्पादन।

(कंडिका 2.4.8.13)

2.4.1 परिचय

लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) , विभिन्न योजनाओं उदाहरणतः सेंट्रल रोड फंड (सीआरएफ), न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी), बुनियादी न्युनतम आवश्यकता कार्यक्रम (बीएमएनपी) आदि के अधीन सड़कों एवं सेतु जैसे राज्य राजमार्ग (एसएच), राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच), मुख्य और अन्य जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें आदि के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। लेखापरीक्षा में हमने सीआरएफ और एमएनपी योजनाओं के तहत सड़कों के विकास की समीक्षा की।

सेन्ट्रल रोड फण्ड

सेंट्रल रोड फण्ड (सीआरएफ) अधिनियम 27 दिसंबर 2000 से प्रभाव में आया। अधिनियम के तहत उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, अनुसूची के प्रत्येक वस्तु के तहत उत्पादित या भारत में आयातित और रिफाईनरी या कारखानों या निकास, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा स्थानांतरित, जिसके द्वारा ऐसी वस्तु उत्पादित या आयतित, किसी अन्य व्यक्ति को निर्दिष्ट दरों पर केन्द्र सरकार लेवी और उपकर लगाती है। यह निधि ग्रामीण सड़कों को छोड़कर आर्थिक महत्व सहित राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य सड़क सहित अंतर-राज्य की सड़कों के विकास और रखरखाव के लिए उपयोग किया जाता है। विभिन्न राज्यों में होने वाले खर्च के लिए आवंटित कोष के हिस्से को केन्द्र सरकार द्वारा बनाए रखता है जब तक कि वास्तव में खर्च के लिए आवश्यकता न हो। भारत सरकार द्वारा 1528.22 किलोमीटर की लंबाई वाले सड़कों के विकास के लिए ₹ 505.60 करोड़ की मंजूरी छत्तीसगढ़ शासन (2001-2013) को दी गयी जिसमें से मार्च 2013 की स्थिति में 1279.52 किमी सड़क का विकास पूर्ण हो चुका है तथा राशि ₹ 403.72 करोड़ के व्यय उपरान्त 248.70 किमी का कार्य प्रगति पर है।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी) एक राज्य प्रायोजित योजना है जिसे पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में प्रारंभ किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य एक निर्धारित समय सीमा के भीतर राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मानकों पर सभी क्षेत्रों में सामाजिक खपत की बुनियादी सेवाओं और सुविधाओं का एक नेटवर्क स्थापित करना है। कार्यक्रम की रूपरेखा जीवन स्तर को उपर उठाने और विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम के तहत् ग्रामीण सड़कों[1] के विकास के लिए लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन जिम्मेदार है। इस कार्यक्रम के तहत

[1] ग्रामीण सड़कों में वे सड़कें सम्मिलित है जो पीएमजीएसवाई के कोर नेटवर्क में नहीं है तथा लोनिवि के क्षेत्राधिकार में हो।

विभाग के द्वारा वर्ष 2008-13 के दौरान 5470 किमी सड़क के विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें से मार्च 2013 की स्थिति में ₹ 524.64 करोड़ के व्यय के साथ 3725 किमी सड़क विकसित की गई।

2.4.2 संगठनात्मक संरचना

शासन स्तर पर लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) का नेतृत्व प्रमुख सचिव (पीएस) के पास है। इंजीनियर इन चीफ (ईएनसी) लोक निर्माण विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए चार[2] मुख्य अभियंता (सीई), आठ अधीक्षण अभियंता (एसई) और 35 कार्यपालन अभियंता (ईई) है। कार्य लोनिवि के 35 संभागों के कार्यपालन अभियंता द्वारा निष्पादित किया जा रहा है ।

2.4.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का क्रियान्वयन यह आकलन करने हेतु किया गया कि-

- सड़कों के चयन हेतु प्रक्रिया, कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुरूप थी तथा कार्यों के निष्पादन हेतु उचित नियोजन किया गया था;
- निधि का प्रबंधन कार्यकुशल एवं प्रभावी तरीके से किया गया;
- परियोजना का क्रियान्वयन मितव्ययता, कार्यकुशलता प्रभावी रूप से तथा मानदण्डों के अनुसार किया गया।

2.4.4 लेखापरीक्षा के मानक/मापदण्ड

लेखापरीक्षा के मानकों का निर्धारण निम्नांकित स्त्रोतों से किया गया-

- एमओआरटीएच, भारत शासन के द्वारा जारी सेन्ट्रल रोड फण्ड (राज्य सड़कें) नियम 2007;
- विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन/प्रथम चरण प्राक्कलन जिसके आधार पर शासन के द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई;
- तकनीकी स्वीकृति, विस्तृत प्राक्कलन, निविदा आमंत्रण सूचना/अनुबंध के अभिलेख;
- कार्य विभाग मैनुअल तथा शिड्यूल ऑफ रेट्स (एसओआर) के प्रावधान;
- भुतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) तथा भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के द्वारा सड़क एवं पुल कार्यों हेतु जारी स्पेसिफिकेशन तथा
- उच्च अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन।

[2] अंबिकापुर, बिलासपुर, जगदलपुर तथा रायपुर।

2.4.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं प्रक्रिया

निष्पादन लेखापरीक्षा में, हमारे द्वारा प्रमुख अभियंता (ईएनसी) तथा संबंधित क्रियान्वयन संभागों में सीआरफ तथा एमएनपी के तहत सड़कों के विकास से संबंधित अभिलेखों की जाँच (अप्रैल-जुलाई 2013) की गई। विस्तृत समीक्षा हेतु एमएनपी कार्यों के लिए सात संभागों[3] सीआरएफ तथा एमएनपी दोनों के लिए चार संभागों[4] तथा सीआरएफ कार्यों के लिए चार संभागों[5] के अभिलेखों की समीक्षा की गई। लेखापरीक्षा में हमारे द्वारा वर्ष 2008-13 की अवधि में इन संभागों द्वारा निष्पादित सीआरएफ के 10 कार्य तथा एमएनपी के 26 कार्यों की जाँच की गई।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य, क्षेत्र एवं प्रक्रिया पर चर्चा करने हेतु प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग के साथ आगम बैठक का आयोजन (मई 2013) में किया गया। लेखापरीक्षा आपत्तियों को शासन के ध्यान में लाया गया, तथापि कोई उत्तर प्रदान नहीं किया गया (जनवरी 2014)। निर्गम बैठक के लिये 27 जनवरी 2014 को अनुरोध किया गया था परन्तु विभागाध्यक्ष के उपलब्ध नहीं होने के कारण आयोजित नहीं की जा सकी । संबंधित संभागों के ईई से प्राप्त उत्तरों को निष्पादन लेखापरीक्षा में सम्मिलित किया गया है।

2.4.6 योजना एवं क्रियान्वयन

एमओआरटीएच, भारत सरकार (10 जुलाई 2007) द्वारा राज्य की सड़कों के विकास संबंधित निर्दिष्ट परियोजनाओं के संबंध में सीआरएफ के लिए जारी विस्तृत दिशा-निर्देश केन्द्रीय सड़क कोष (राज्य सड़क) 2007 नियमों के रूप में जाना जाता है, इन नियमों के अनुसार सीआरएफ के तहत मंजूरी प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार शुरू किए जाने वाले परियोजनाओं की एक सूची उनकी लागत अनुमान के साथ भारत सरकार को उपलब्ध कराना चाहिए। भारत सरकार के द्वारा राज्य शासन के परामर्श से निधि जारी करने हेतु परियोजनाओं का चिन्हांकन किया जाएगा । यदि निधि की कमी के कारण इस तरह चिन्हांकित सभी परियोजना स्वीकृत नहीं की जा सकती तो भारत सरकार के द्वारा राज्य शासन के परामर्श से परियोजनाओं की वरीयता का निर्धारण किया जाएगा।

एमएनपी के तहत बजट में शामिल सड़कों की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया और अनुमोदन प्राप्त होने बाद लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य क्रियान्वित किया गया है ।

निर्माण विभाग (डब्लूडी) मैनुअल के कंडिका क्रमांक 2.025 और 2.017 के अनुसार निर्माण कार्यों का प्राक्कलन जहां तक संभव हो सके विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए। आईआरसी के दिशा निर्देश में वर्णित मोटर चलित वाहनों के लिए सड़कों का निर्माण सीबीआर[6] मुल्य, सबग्रेड़ मिट्टी एवं एमएसए[7] इत्यादि के मुल्यांकन के पश्चात किया जाना चाहिए।

[3] अंबिकापुर, दुर्ग, गरियाबंद, पेन्ड्रा रोड, रायपुर, कवर्धा तथा सूरजपुर।
[4] बलौदबाजार, चाम्पा, कोरबा तथा राजनांदागांव।
[5] भानुप्रतापपुर, धमतरी, कोण्डागांव तथा मनेन्द्रगढ़।
[6] कैलिफोर्निया बेयरिंग रैशियों।
[7] मिल्यन स्टैंडर्ड अक्सल

सीआरएफ और एमएनपी के अंतर्गत सड़कों के विकास के लिए योजना एवं क्रियान्वयन में परिलक्षित कुछ अनियमितताओं की चर्चा नीचे की गई है:

2.4.6.1 स्वीकृतियों का दोहरीकरण

सीआरएफ के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी सड़क जिस पर विगत तीन वर्षों में किसी भी अन्य योजना के तहत सुधार कार्य निष्पादित किया गया है, वह सीआरएफ योजना के तहत सम्मिलित किए जाने हेतु पात्र नहीं होगा ।

अभिलेखों की समीक्षा के दौरान, नियोजन की कमी तथा सड़कों की वरीयता का निर्धारण न किये जाने के कारण सड़कों की स्वीकृतियों में दोहरीकरण हमारे द्वारा देखा गया जो आगे वर्णित है -

(i) एमएनपी योजना के तहत राशि ₹ 3.24 करोड़ की लागत से कोरबी-चोटिया-चिरमिरी सड़क[8] के उन्नयन का कार्य पूर्ण (नवंबर 2010) किया गया तथा यह दिसम्बर 2010 से नवंबर 2013 तक परफारमेंस गारंटी के अधीन था। सड़क का विकास, ईई लोनिवि (भ/स) संभाग कोरबा के द्वारा 10 वर्ष की डिजाईन लाईफ के साथ, 5.5 मीटर की चौड़ाई में काली सतह हेतु 50 मिमी बिटुमिनस मकैडंम[9] (बीएम) तथा 20 एमएम मिक्स सील सरफेस[10] (एमएसएस) के प्रावधानों के साथ किया गया।

एमएनपी तथा सीआरएफ स्वीकृतियों के दोहरीकरण के कारण राशि ₹ 1.47 करोड़ परिहार्य व्यय हुआ

हमने पाया कि उसी सड़क की स्वीकृति सीआरएफ (मार्च 2010) के तहत फिर से प्रदान की गई तथा उसी ईई द्वारा ₹ 16.13 करोड़ का व्यय (अक्टूबर 2010 से मार्च 2013) सड़क निर्माण कार्य हेतु 50 मिमी बीएम तथा 25 मिमी सेमीडेन्स बिटुमिन कांक्रीट[11] (एसडीबीसी) के प्रावधानों के साथ 5.5 से 7 मीटर के अतिरिक्त चौड़ीकरण कार्य किया गया। जिस हेतु एमएनपी के तहत 5.5 मीटर में निष्पादित काली सतह के कार्य पर सीआरएफ के तहत राशि ₹ 1.47 करोड़[12] के व्यय के साथ डामरीकृत मदों का एक अन्य सतह डाला गया।

चूँकि यह सड़क एमएनपी के तहत पूर्व में कम से कम 10 वर्ष की अवधि के लिए डिजाइन लाइफ के साथ और परफार्मेन्स गारंटी के तहत विकसित किया गया था, उसी सड़क पर सीआरएफ के तहत उन्नयन कार्य का निष्पादन दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं था । इस प्रकार उचित योजना और सड़कों की प्राथमिकता के निर्धारण नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप एक ही सड़क का विकास एमएनपी एवं सीआरएफ दोनों योजनाओं के अधीन हुआ।

[8] कोरबा-चोटिया-चिरमिरी सड़क के उन्नयन का कार्य, ईई, लोक निर्माण विभाग, (भ/स) संभाग कोरबा के द्वारा प्रदान (अप्रेल 2010) किया गया।

[9] इस कार्य में एक बार में 50 से 100 मि मी मोटाई का निर्माण अथवा अधिक बार में पूर्वनिर्मित बेस पर डामरीकृत बंधक के साथ पूर्वमिश्रित संघनित पिसा हुआ मिश्रण सम्मिलित होता है।

[10] इस कार्य में 20 मि मी मोटाई के क्लोज-ग्रेड प्रीमिक्स सरफेस सामग्री जिसमें वर्गीकृत मिश्रण सम्मिलित है के डामर के बंधन की एक पहले से तैयार सतह पर स्पेसिफिकेशन की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयारी, बिछाने और संघन्न किया जाना है जिससे कि यह एक वियरिंग कोर्स के रूप में कार्य कर सके।

[11] इस कार्य में वियरिंग कोर्स के रूप में उपयोग करने हेतु पहले से तैयार डामर पर अर्द्ध सघन डामरीकृत कोंक्रीट का एक या कई परतों में निर्माण सम्मिलित है। एक परत 25 मिमी से 100 मिमी मोटाई की होगी।

[12] बिटुमिनस मेकाड़म (बीएम) ₹ 62.26 लाख, मिक्स सील सरफेस (एमएसएस) ₹ 63.63 लाख, टैक कोट (ग्रेनुलर) ₹ 3.80 लाख, टैक कोट (सामान्य) ₹ 4.28 लाख और प्राईम कोट ₹ 12.85 लाख।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर ईई लोनिवि (भ/स) संभाग कोरबा द्वारा बताया गया (जून 2013) कि सड़क के राज्य राजमार्ग घोषित किये जाने (मई 2009) और यातायात घनत्व में वृद्धि के कारण उसे सात मीटर तक चौड़ा किया गया।

तथ्य यह है कि संभाग के ईई के द्वारा लापरवाही की गई क्योंकि मई 2009 में राजमार्ग घोषित किये जाने तथा मार्च 2010 में स्वीकृति उपरान्त सीआरएफ तथा एमएनपी दोनों के तहत कार्य का निष्पादन उसी संभाग के द्वारा किया गया।

(ii) सीआरएफ योजना के तहत पिथौरा-कसडोल रोड (किमी 1 से 55) के चौड़ीकरण और सुधार कार्य ₹ 23.30 करोड़ स्वीकृत (सितम्बर 2008) किया गया था। ईई लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, बालौदाबाजार द्वारा 18 महीने (अर्थात फरवरी 2011 तक) के भीतर कार्य पूर्ण करने हेतु राशि ₹ 29.25 करोड़ का कार्यादेश एक ठेकेदार को जारी (अगस्त 2009) किया गया था। विवेचना के दौरान निम्न तथ्य पाए गए :

- यद्यपि पूरे 55 किमी पर कार्य सीआरएफ के तहत सितम्बर 2008 में स्वीकृत किया गया था, उसी संभाग के द्वारा उक्त सड़क राज्य निधि से ₹ 1.32 करोड़ मूल्य के 20.70 किमी लंबाई पर डामरीकृत कार्य किया गया। तदोपरान्त ईई के द्वारा सीआरएफ के तहत 55 कि मी की स्वीकृति के विरूद्ध मात्र 25.30 किमी का निष्पादन ₹ 25.62 करोड़ की लागत से किया गया तथा सीआरएफ के तहत निधि के समाप्त हो जाने के कारण अनुबंध का पूर्वसमापन (मार्च 2012) कर दिया गया।

सीआरएफ के तहत स्वीकृति के उपरान्त भी राशि ₹ 3.73 करोड़ का राज्य निधि से परिहार्य व्यय हुआ

सीआरएफ के तहत प्रदत्त कुल 55 किमी के विस्तार में से शेष नौ किमी के वन सड़क पर डामरीकृत कार्य को लोनिवि के द्वारा राज्य निधि से ₹ 2.41 करोड़ में पृथक से निष्पादित किया गया।

इस प्रकार, सीआरएफ में समाहित होने के बावजूद राज्य निधि से कार्य निष्पादित किया जाना विभाग के अनुचित नियोजन तथा सड़कों की वरीयता का चिन्हांकन नहीं किये जाने को इंगित करता है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के खजाने पर अतिरिक्त भार पड़ा।

उत्तर में ईई लोनिवि (भ/स) संभाग बलौदाबाजार द्वारा बताया गया कि (जून 2013) प्राक्कलन सीआरएफ के तहत प्रशासकीय स्वीकृति के लिए भेजा गया था और देरी की प्रत्याशा में राज्य सरकार ने वार्षिक मरम्मत कार्यक्रम के अधीन कार्य की स्वीकृति दी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीआरएफ के तहत अनुमोदन प्राप्त होने के बाद लोनिवि के उसी संभाग द्वारा उक्त कार्य राज्य निधि से निष्पादित किया।

- हमारे द्वारा देखा गया कि उक्त सड़क के 55 किमी में से 20.70 किमी पर डामरीकृत कार्य का निष्पादन किये जाने तथा वन क्षेत्र से गुजरने वाले नौ कि मी में कार्य के निष्पादन की अनुमति न प्राप्त होने के कारण, एसई लोनिवि, रायपुर-2 तथा सीई रायपुर के द्वारा ईई, लोनिवि (भ/स), संभाग बलौदाबाजार को, इन विस्तारों में कार्यों को छोड़कर प्राक्कलन पुनरीक्षित करने हेतु निर्देशित किया गया (नवम्बर 2009 तथा जनवरी 2010) । सीआरएफ के अधीन कार्य सुपुर्द किये जाने

कार्य प्रदान होने के उपरान्त प्राक्कलन के पुनरीक्षण किये जाने के फलस्वरूप विलंब के कारण मूल्य वृद्धि के रूप में राशि ₹ 84.62 लाख का परिहार्य व्यय हुआ

के छः माह पश्चात फरवरी 2010 में प्राक्कलन पुनरिक्षित किया गया । फलस्वरूप ठेकेदार को लेआउट प्रदान करने में भी विलंब हुआ और कार्यनिष्पादन में अनुवर्ती विलम्ब हुआ। जिसके कारण कार्य के निष्पादन में विलंब हुआ, परिणामस्वरूप फरवरी 2011 के नियत पूर्णता तिथि के विरूद्ध, कार्य जून 2011 तक जारी रहा। सीआरएफ कार्य के ठेकेदार को समयवृद्धि अवधि हेतु ₹ 84.62 लाख का मूल्यवृद्धि भुगतान किया गया। चूँकि विलंब हेतु लोनिवि उत्तरदायी था, अतएव प्राक्कलन का निर्माण विस्तृत सर्वेक्षण एवं जॉच के पश्चात किया जाता तो मूल्यवृद्धि के भुगतान से बचा जा सकता था।

लेखापरीक्षा में उक्त तथ्य इंगित किए जाने पर ईई, लोनिवि (भ/स) संभाग बलौदाबाजार के द्वारा बताया गया (जून 2013) कि कार्य का निष्पादन उच्च प्राधिकारियों के आदेशानुसार किए जाने के कारण उसमें विलंब हुआ।

तथ्य यही है कि प्राक्कलन में विचलन होने के कारण कार्य के सीआरएफ से राज्य निधि में स्थानांतरण से उसमें विलंब हुआ तथा यह संभाग के द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण एवं नियोजन की कमी को प्रकट करता है।

(iii) आईआरसी 37 स्पेसिफिकेशन की **कंडिका 3.3.3.2** अनुसार सड़क की ड़िजाइन लाईफ हेतु 10 से 15 वर्ष की अवधि ली जानी चाहिए ।

सड़कों की प्राथमिकता का चिन्हांकन न किये जाने से सीआरएफ तथा एमएनपी के तहत स्वीकृतियों का दोहरीकरण हुआ

हमारे द्वारा देखा गया की अचानकपुर-जुरेरेय-उमरेली-सिवनी-चाँपा सड़क[13] का उन्नयन कार्य एमएनपी के तहत राशि ₹ 1.94 करोड़ की लागत पर पूर्ण (अप्रैल 2007) किया गया । सड़क का विकास 420 मिमी मोटे परत जिसमें ग्रानुलर सबबेस[14] वॉटर बाउण्ड मेकडम[15] (तीन परतों) के पश्चात् ब्लैक टॉपिंग के लिए ओपन ग्राडेड प्रिमिक्स कार्पेट[16] (ओजीपीसी) आइटम और सील कोट[17] के मद सम्मिलित थे, के प्रावधान के साथ किया गया था।

तथापि एमएनपी के तहत सड़क के विकास के चार साल के भीतर ही उसी सड़क को सीआरएफ के तहत सम्मिलित (2010-11) किया गया तथा एक ठेकेदार को 550 मिमी

[13] ईई, लोक निर्माण विभाग (भ/स), संभाग चाम्पा के द्वारा निष्पादित।

[14] इस कार्य में तैयार सबग्रेड पर अच्छी तरह से वर्गीकृत सामग्री के स्पेसिफिकेशन की आवश्यकताओं के अनुसार बिछाने एवं संघनन करना सम्मिलित होगा। सामग्री को एक या एक से अधिक परत से सब बेस, निम्न सब बेस एवं उपरी सब बेस के रूप मे आवश्यकता अनुसार लाइनों, ग्रेड और ड्राइंग में प्रदर्शित क्रॉस सेक्शन के अनुसार जैसा कि अभियंता के द्वारा निर्देशित किया जाएगा, बिछाया जाएगा।

[15] इस कार्य में जहां आवश्यक हो, छलनी, बंधनकारी सामाग्री तथा अच्छि तरह से तैयार सबग्रेड़/सब-बेस या मौजूदा फुटपाथ, जो भी हो, उस पर पानी डालना तथा रपेसिाफिकेशन की आवश्यकता एवं स्वीकृत योजना अथवा अभियंता के निर्देशानुसार लाइनों, ग्रेड, क्रॅस सेक्शन और मोटाई अनुसार पूर्ण किया जाना, के साथ ही घुमाने एवं बांधने से यांत्रिक रूप से गूँथे हुये स्वच्छ, पीसे मिश्रण सम्मिलित होगा।

[16] इस कार्य में 20 मि मी मोटाई के ओपन-ग्रेड प्रीमिक्स सारफेस सामग्री जिसमें छोटे आकार के मिश्रण सम्मिलित है के डामर के बंधन की एक पहले से तैयार आधार पर तैसारी, बिछाने और संघन्न किया जाना है जिसमें कि यह एक वियिरंग कोर्स के रूप में कार्य कर सके।

[17] इस कार्य के अंतर्गत निर्दिष्ट स्तर ग्रेड एवं क्रोसफल के डामरीकृत सतह में रिक्तियों को बंद करने हेतु एक सील कोट का निष्पादन सम्मिलित होगा।

मोटाई का कर्स्ट प्रावधानों के लिए जीएसबी वेट मिक्स मकैडम[18] (डब्लूएमएम) के प्रावधान के साथ सुपुर्द (नवम्बर 2011) किया गया तथा राशि ₹ 16.35 करोड़ के भुगतान ठेकेदार को किया गया (जून 2013) चूँकि मानकों (आईआरएस 37) के अनुसार सड़कों को न्यूनतम् 10 वर्ष की अवधि हेतु डिजाइन किया जाना चाहिए, अतएव् न्यूनतम डिजाईन लाईफ की अवधि के भीतर ही सड़कों का पुनः विकास, सड़कों की वरीयता का निर्धारण न किये जाने के कारण उनके मनमाने ढंग से चयन को इंगित करता है। यदि लोनिवि के द्वारा सड़कों की प्राथमिकता का निर्धारण कर लिया गया होता तो स्वीकृतियों के दोहरीकरण से बचा जा सकता था।

उत्तर में ईई लोनिवि (भ/स) संभाग चाँपा द्वारा बताया गया (जुलाई 2013) कि एमएनपी तहत सड़क की डिजाईन लाइफ निर्धारित नहीं की गई तथ्या केवल सड़क की सतह निर्धारित थी । यद्यपि, यातायात घनत्व की बढ़त को दृष्टिगत रखते हुये सड़कों की स्वीकृति एवं निर्माण सीआरएफ के अंतर्गत निधि की उपलब्धता के अनुसार किया गया ।

उत्तर से स्पष्ट है कि उचित योजना एवं सड़कों की प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित किये बिना एक ही सड़क को दो योजनाओं, एमएनपी एवं सीआरएफ के तहत निर्माण किया गया एवं आईआरसी में वर्णित डिजाईन लाईफ के संदर्भ में पालन किये बिना उक्त सड़क का विकास किया गया ।

2.4.6.2 विस्तृत सर्वेक्षण किये बिना ही कार्य किया जाना

विस्तृत सर्वेक्षण के बिना ही प्राक्कलन के तैयार करने के कारण राज्य निधि पर ₹ 1.37 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ा

(i) हमारे द्वारा पाया गया कि सीआरएफ के तहत ₹ 7.70 करोड़ में स्वीकृत नान्दघाट-भाटापारा-चन्दखुरी सड़क का निर्माण एक ठेकेदार को ₹ 8.31 करोड़ में प्रदान (अगस्त 2005) किया गया। निष्पादन के दौरान मिट्टी कार्य की मात्रा में वृद्धि की गई। फलस्वरूप कार्य को अंतिम रूप से ₹ 9.84 करोड़ की लागत पर पूर्ण किया गया। चूँकि, सीआरएफ के दिशानिर्देशों के अनुसार स्वीकृत राशि के 10 प्रतिशत की सीमा तक ही अतिरिक्त व्यय अनुमत्य है, अतएव् राज्य शासन को राशि ₹ 1.37 करोड़[19] के अतिरिक्त व्यय को वहन करना पड़ा।

ईई लोनिवि(भ/स) संभाग बलौदाबाजार के द्वारा उत्तर में यह बताया गया (जून 2013) कि कार्यस्थल की वास्तविक परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुरूप कार्य के निष्पादन के कारण लागत में वृद्धि हुई।

निविदा आमंत्रण पश्चात् मिट्टी कार्य की मात्रा में परिवर्तन कार्य के प्रारंभ किये जाने से पहले अपर्याप्त सर्वेक्षण एवं जाँच को इंगित करता है। यदि प्राक्कलन का निर्माण विस्तृत सर्वेक्षण एवं जाँच के पश्चात् सही तरीके से किया गया होता तो भारत सरकार द्वारा संपूर्ण

[18] इस कार्य में तैयार किए गए सबग्रेड/सब-बेस/बेस अथवा फुटपाथ पर, जैसी की स्पेसिफिकेशन की आवश्यकताओं के अनुरूप स्थिति हो, पानी के साथ मिलाया हुआ, स्वच्छ, पिसा हुआ वर्गीकृत मिश्रण तथा दानेदार सामग्री के बिछाने एवं सघन पदार्थ के रूप में संघन्न किया जाना सम्मिलित है। सामाग्री को आवश्यकता के अनुसार लाइनों, ग्रेड, एवं ड्राईग में प्रदर्शित क्रॉस सेक्शन अथवा अभियंता के निर्देशानुसार एक या अधिक परतों में बिछाया जाएगा।

[19] ₹ 9.84 करोड़ - (₹ 7.70 करोड़ का 10 प्रतिशत)

राशि की प्रतिपूर्ति की जाती तथा राज्य निधि का उपयोग राज्य के अन्य प्राथमिकताओं हेतु किया जा सकता था।

(ii) छत्तीसगढ़ शासन लोनिवि के द्वारा एमएनपी के तहत अंबिकापुर रिंग रोड के निर्माण कार्य हेतु राशि ₹ 10.46 करोड़ की स्वीकृति (सितम्बर 2006) प्रदान की गई। प्राक्कलन में सड़क के ब्लैक टॉप के कार्य के लिये 20 मिमी ओजीपीसी तथा सील कोट की मद सम्मिलित थी। ईई लोनिवि (भ/स) संभाग अंबिकापुर के द्वारा कार्य के निष्पादन हेतु, एक ठेकेदार को एसओआर से 19.80 प्रतिशत निम्न दर पर 18 माह के भीतर (अर्थात जुलाई 2008 तक) कार्य पूर्ण करने हेतु कार्यादेश जारी किया गया (जनवरी 2007)। प्रमुख अभियंता तथा सीई, बिलासपुर के द्वारा कार्य के निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि अनुबंध में वर्णित स्पेसिफिकेशन, सड़क की ट्रैफिक डेन्सिटी के अनुरूप नहीं थी अतएव् निर्देशित किया (अक्टूबर 2007 तथा जुलाई 2008) कि ओजीपीसी एवं सील कोट के मदों का प्रतिस्थापन बीएम तथा एसडीबीसी के मदों से किया जाए। तदोपरान्त स्वीकृति को पुनरीक्षित कर (अगस्त 2008) ₹ 13.08 करोड़ किया गया। ठेकेदार के द्वारा पुनरीक्षित प्राक्कलन के अनुसार शेष कार्य के निष्पादान हेतु मना किये जाने पर ईई के द्वारा अनुबंध का पूर्वसमापन (अगस्त 2008) कर दिया गया तथा ठेकेदार को ₹ 4.51 करोड़ का भुगतान (जनवरी 2009) किया गया।

विस्तृत सर्वेक्षण के बिना ही प्राक्कलन तैयार करने तथा स्पेसिफिकेशन में तदोपरान्त परिवर्तन किये जाने के कारण ₹ 4.91 करोड़ के अतिरिक्त व्यय के साथ कार्य में विलम्ब हुआ

हमारे द्वारा यह देखा गया कि अनुबंध के पूर्वसमापन के पश्चात् ईई के द्वारा राशि ₹ 7.82 करोड़ के शेष कार्य हेतु एक ठेकेदार को एसओआर से 43 प्रतिशत अधिक दर पर कार्यादेश जारी (जून 2009) किया गया, जो कि पूर्व अनुबंधित लागत से 78.30 प्रतिशत[20] अधिक था तथा कार्य में 44 माह (जुलाई 2008 से मार्च 2012 तक) का विलंब हो गया। इस प्रकार, कार्य के निष्पादन के दौरान स्पेसिफिकेशन में परिवर्तन न केवल पर्याप्त नियोजन की कमी को इंगित करता है अपितु इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 4.91 करोड़[21] का अतिरिक्त लागत भी आई।

ईई लोनिवि (भ/स) संभाग अंबिकापुर के द्वारा उत्तर में यह बताया गया कि मूल आकलन में 20 मिमी ओजीपीसी तथा सील कोट का प्रावधान था जिसे कि प्रमुख अभियंता के द्वारा निरीक्षण के दौरान बीएम तथा एसडीबीसी में परिवर्तित कर दिया गया तथा छ.ग. शासन के द्वारा पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकृत किया गया।

उत्तर से स्वंय यह पुष्टि हो जाती है कि प्राक्कलन का निर्माण बिना ट्रैफिक डेन्सिटी सर्वेक्षण के अंतिम रूप दिया गया जिससे की निविदा पश्चात् के चरण में कार्य के निष्पादन के दौरान प्राक्कलन को पुनरीक्षण किया गया जिसके फलस्वरूप न केवल पुनः निविदा के कारण उच्च दर पर कार्य प्रदान किया गया, अपितु पूर्णता में भी विलंब हुआ।

[20] ₹ 143/80.20 प्रतिशत

[21] पुराने अनुबंध के अनुसार कार्य की लागतः ₹ 6.27 करोड़ (₹ 7.82 करोड़ से/ ₹ 19.80 प्रतिशत कम) नए अनुबंध के अनुसार कार्य की लागतः ₹ 11.18 करोड़ (₹ 7.82 करोड़ से 43 प्रतिशत अधिक), अंतर अतिरिक्त लागत ₹ 4.91 करोड़।

2.4.6.3 वन अनापत्ति एवं भूमि अधिग्रहण के बिना ही कार्य का निष्पादन किये जाने के फलस्वरूप पूर्णता में विलंब होना

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 यह प्रावधान करता है कि वनभूमि के गैर-वानिकी प्रायोजनों हेतु उपयोग किये जाने हेतु भारत शासन की पूर्वानुमति आवश्यक है। भारत शासन ने आगे यह भी स्पष्ट किया (मार्च 1982) कि स्वीकृति की प्रत्याशा में वन भूमि का गैर-वानिकी प्रयोजनों हेतु परिवर्तन अनुमत्य नहीं है तथा कार्योत्तर स्वीकृति के कोई भी प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होंगे।

कार्य विभाग मैनुअल की कंडिका 2.104 नोट (3) यह प्रावधान करता है कि जब प्राक्कलन स्वीकृत किया जाता है तथा निधि का आवंटन किया जाता है, तब प्राधिकृत अधिकारियों के द्वारा भूमि अधिग्रहण का आवेदन कलेक्टर को प्रेषित किया जाएगा तथा कार्य के प्रारंभ किये जाने के पूर्व ही उस विशिष्ट कार्य हेतु आवश्यक भूमि के अधिग्रहण की अधिसूचना प्रस्तुत किया जाना होता है।

अभिलेखों की समीक्षा के दौरान, जैसा कि आगे की कंडिकाओं में वर्णित है, कार्य का निष्पादन वन अनापत्ति तथा भूमि अधिग्रहण के बिना ही किये जाने के परिणामस्वरूप पूर्णता में विलंब तथा परिहार्य व्यय हुआ।

(अ) राशि ₹ 2.80 करोड़ के मूल्यवृद्धि का परिहार्य भुगतान

एमएनपी के तहत रतनपुर-मझवानी-केन्दा- केंओची मार्ग के उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य राशि ₹ 38.18 करोड़ में स्वीकृत किया गया (जुलाई 2009)। चूँकि कार्य में वन क्षेत्र में कार्य का निष्पादान भी सम्मिलित था, अतएव् ईई लोनिवि (भ/स) संभाग पेन्ड्रा रोड के द्वारा वनमंडलाधिकारी (डीएफओ) मरवाही संभाग को विस्तृत सर्वेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा गया (सितम्बर 2009) जिसे डीएफओं के द्वारा भारत शासन को अग्रेषित करने हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह के साथ दिसंबर 2009 में प्रस्तुत किया गया। ईई के द्वारा विस्तृत प्रस्ताव, मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम, छत्तीसगढ़ रायपुर को प्रस्तुत (19 अप्रैल 2010) किया गया तथा स्वीकृत अपेक्षित है (जुलाई 2013)।

वन अनापत्ति के बिना ही कार्यादेश जारी किये जाने से ₹ 2.80 करोड़ का परिहार्य मूल्यवृद्धि का भुगतान हुआ

अभिलेखों की समीक्षा में यह पाया गया कि तकनीकी स्वीकृति के प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय ईई के द्वारा यह सूचित किया गया कि प्रत्येक कि मी में 80 फीट भूमि उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, उपर वर्णित प्रावधानों के विपरीत भारत सरकार से वन अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही निविदा आमंत्रित किये गये (नवंबर 2009) तथा ठेकेदार को कार्यादेश जारी किये गये (8 अप्रैल 2010)। परिणामस्वरूप ठेकेदार के द्वारा अप्रैल 2011 तक कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका। यद्यपि, ठेकेदार के द्वारा वन अधिकारियों के निर्देशानुसार खाई की खुदाई किए बिना ही कार्य प्रारंभ किया गया तथा तदोपरान्त ₹ 18.55 करोड़ मुल्य (65 प्रतिशत) के कार्य का निष्पादन किया गया। वन अनापत्ति प्राप्त न होने तथा तदोपरान्त कार्य प्रारंभ में विलंब होने के कारण एसई के द्वारा समयावधि में वृद्धि (मई 2012 से फरवरी 2013 तक) स्वीकृत किया गया (अगस्त 2012) तथा ठेकेदार को समयवृद्धि अवधि हेतु ₹ 2.80 करोड़ के मूल्यवृद्धि का भुगतान किया गया। वन विभाग द्वारा आपत्ति किये जाने पर ठेकेदार के द्वारा कार्य रोक दिया गया (मार्च 2013) तथा लेखापरीक्ष की तिथि तक (जुलाई 2013) कार्य अपूर्ण था। राशि ₹ 16.05 करोड़ के शेष कार्य का निष्पादन लंबित है।

यदि वन अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात् कार्य प्रारंभ किया जाता तो कार्य समय पर पूर्ण किया जा सकता था तथा ₹ 2.80 करोड़ के मूल्यवृद्धि भुगतान से भी बचा सकता था।

ईई के द्वारा उत्तर में यह बताया (जुलाई 2013) गया कि अचानकमार मार्ग के बंद किये जाने के पश्चात् निर्माणधीन सड़क पेन्ड्रा, मरवाही तथा गौरेला विकासखण्ड को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क है। इसके अतिरिक्त उपलब्ध राजस्व भूमि में ही कार्य प्रारंभ किये जाने तथा वन अनापत्ति के शीघ्र प्राप्त होने की प्रत्याशा में कार्यादेश जारी किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ठेकेदार के द्वारा उपलब्ध राजस्व भूमि (10 किमी) में कार्यादेश जारी होने के एक वर्ष तक किसी भी कार्य का निष्पादन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त ईई का यह तर्क कि वन अनापत्ति की प्रत्याशा में कार्य प्रदान किया गया सही नहीं है क्योंकि उनके द्वारा वन अनापत्ति का प्रस्ताव कार्य प्रदान किये जाने के बाद प्रस्तुत किया गया।

(ब) भूमि अधिग्रहण नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप कार्य में विलंब

भूमि अधिग्रहण नहीं किये जाने से न केवल कार्य में विलम्ब हुआ अपितु हितग्राही भी अपेक्षित लाभ से वंचित रह गए

एमएनपी के तहत पेन्ड्रा-बंटी बहेरा मार्ग के निर्माण हेतु कुल चार किमी सड़क में से प्रथम दो किमी हेतु निजी भूमि आवश्यक थी तथा प्राक्कलन में निजी भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रावधान किया गया था। ईई लोनिवि (भ/स) संभाग पेन्ड्रारोड के द्वारा भूमि अधिग्रहण के किसी भी प्रस्ताव को प्रारंभ किए बिना ही एक ठेकेदार को 12 माह (अर्थात मई 2013) में पूर्ण करने हेतु कार्य प्रदान कर दिया गया (मई 2012) । ईई लोनिवि संभाग पेन्ड्रारोड के द्वारा राजस्व अधिकारियों को भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव अगस्त 2013 में अर्थात कार्यादेश जारी होने की तिथि से 15 माह के पश्चात् प्रस्तुत किया गया। भूमि अधिग्रहण न किये जाने के परिणामस्वरूप जुलाई 2013 तक ठेकेदार के द्वारा दो किमी में ₹ 2.57 करोड़ के अनुबंधित मूल्य के विरूद्ध ₹ 93.20 लाख मूल्य के कार्य का निष्पादन किया जा सका। चूँकि प्रारंभ के दो किमी का निष्पादन नहीं किया गया, अतएव् सड़को से जोड़ने का उद्देश्य फलीभूत नहीं हो सका।

ईई के द्वारा उत्तर में यह बताया गया (जुलाई 2013) कि यदि भूमि अधिग्रहण प्रकरण के निराकरण के पश्चात् कार्य प्रदान किया जाता तो कार्य की लागत में वृद्धि हो सकती थी। ईई के द्वारा आगे यह भी बताया गया कि भूमि अधिग्रहण प्रकरण के निराकरण हेतु राजस्व विभाग का लोनिवि से सामंजस्य आवश्यक है। भूमि अधिग्रहण प्रकरण के निराकरण के प्रयास किए जा रहे है।

तथ्य यह है कि भूमि अधिग्रहण किए बिना ही कार्य के निष्पादन किए जाने से प्रारंभिक संपर्क प्रदान नहीं किया जा सका जिससे की राशि ₹ 93.20 लाख का व्यय निष्फल हो गया।

2.4.6.4 बिना आवश्यकता के कार्य निष्पादन से ₹ 1.40 करोड़ का परिहार्य व्यय

एमओआरटी और एच (मार्च 2010) द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार 10-15 वर्ष की अनुमानित यातायात की मात्रा की वृद्धि के आधार पर सड़क की यातायात डिजाईन निर्धारित किया जाना चाहिये। सड़क की चौड़ाई के प्रयोजन के लिए यातायात की

मात्रा, यात्री कार इकाइयों की संख्या (पीसीयू) के रूप में गणना की जानी है। डिजाइन लाइफ के लिए यातायात को पूरा कर सकने की सड़क की क्षमता नीचे विस्तृत है:

सं. क्र.	आवागमन मात्रा	लेन चौड़ाई
1.	4000 पीसीयू तक	सिंगल लेन 9 मीटर फॉरमेशन और 3.75 मीटर कैरेज चौड़ाई
2.	4000 पीसीयू के उपर	इंटरमीडिएट लेन 10 मीटर फॉरमेशन और 5.50 मीटर कैरेज चौड़ाई
3.	10000 पीसीयू के उपर	डबल लेन 10 मीटर फॉरमेशन और सात मीटर कैरेज चौड़ाई

सर्वेक्षण (2008) के अनुसार, सीआरएफ के तहत कांकेर-भानुप्रतापपुर-संबलपुर रोड[22] का यातायात गणना 3119 पीसीयू था। तदनुसार, 7.5 फीसदी की वार्षिक यातायात वृद्धि और प्रत्याशित 7428 पीसीयू के साथ दो वर्ष निर्माण अवधि को छोड़कर (2010) 10 साल के जीवन अवधि के लिए सड़क बनाया गया था । उपरोक्त निर्देशों के अनुसार, आवश्यक 7428 पीसीयू के लिए 5.5 मीटर चौडाई होना चाहिए।

आवश्यकता से अधिक सड़क कार्य के निष्पादन पर ₹ 1.40 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त लागत आया

हमने पाया कि उपरोक्त सारणी के विरूद्ध इस सड़क को 7 मीटर की चौड़ाई में निर्माण किया गया था। इस प्रकार सड़क कार्य 1.5 मीटर अधिक चौड़ाई के निष्पादन के कारण ₹ 1.40 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ जो **परिशिष्ट 2.4.1** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

उत्तर में ईई लोनिवि (भ/स) संभाग भानुप्रतापपुर द्वारा बताया (जून 2013) गया कि अतिरिक्त चौड़ाई के संबंध में निर्णय उच्च अधिकारियों द्वारा एनएच की चौड़ाई से समानता बनाए रखने के लिए लिया गया था।

उत्तर से यह पुष्टि होती है कि एचओआरटी एवं एच भारत शासन के द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया तथा सड़क का आवश्यकता से अधिक चौड़ीकरण किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग से सड़क की समानता के संबंध में राज्य शासन के द्वारा भारत शासन को कोई प्रस्ताव प्रेषित नहीं किया गया।

2.4.7 निधि प्रबंधन

सीआरएफ के तहत, राज्य शासन के द्वारा त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन के साथ निर्दिष्ट प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके आधार पर कार्य के भौतिक प्रगति तथा किये गए व्यय की सीमा तक निधि की किस्त जारी की जाती है।

सीआरएफ के तहत सड़कों के निष्पादन के लिए, जो निधि[23] बजट में लोक निर्माण विभाग के लिए प्रदान की जाती है, की उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है। विभाग वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान ₹ 252.25 करोड़ का व्यय किया । एमएनपी के तहत सड़कों के निष्पादन के लिए निधि[24] राज्य सरकार द्वारा

[22] ईई लोनिवि (भ/स), संभाग भानुप्रतापपुर के द्वारा निष्पादित।
[23] मुख्य शीर्ष 5054-{03}-{337}-(1001) (8716)-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता- रोन्ट्रल रोड फण्ड।
[24] मुख्य शीर्ष 5054-01-800-0102-2457

लोक निर्माण विभाग को प्रदान किया गया। विभाग द्वारा एमएनपी के तहत् वर्ष 2008-09 से वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 524.64 करोड़[25] का व्यय किया। आवंटन और व्यय का वर्षवार विभाजन नीचे है:

तालिका 2.4.1 वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान आवंटन, व्यय और बचत का विवरण दर्शाने वाली तालिका

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एमएनपी			सीआरएफ		
	आवंटन	व्यय	बचत (-) /अतिरिक्त (प्रतिशत)	आवंटन	व्यय	बचत (-) /अतिरिक्त(+) (प्रतिशत)
2008-09	240.00	204.58	(-)35.42(15)	49.97	14.44	(-)35.53(71)
2009-10	132.00	119.52	(-)12.48(10)	20.00	42.63	(+) 22.63(113)
2010-11	141.27	86.57	(-)54.70(39)	70.00	71.85	(+)1.85(3)
2011-12	108.96	56.49	(-)52.47(48)	90.00	54.50	(-)35.50(39)
2012-13	100.00	57.48	(-)42.52(44)	100.00	68.83	(-)31.71(31)
योग	**722.23**	**524.64**		**329.97**	**252.25**	

(स्त्रोत ईएनसी, लोक निर्माण विभाग छग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार)

यद्यपि निधि एमएनपी के तहत सड़कों के विकास के लिए आवंटित किए गए थे, विभाग 2008-13 के दौरान आवंटित राशि का 73 फीसदी ही उपयोग कर सका और ₹ 197.59 करोड़ के उपयोग करने में विफल रहा। आवंटन से बचत 10 से 48 प्रतिशत के बीच राजसात हो गया। निधि का उपयोग नहीं करने के वजह से भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति न होने का मुख्य कारण कंडिका क्रमांक 2.4.6.2(ii), 2.4.6.3, 2.4.8.1 और 2.4.8.4 में चर्चा किया गया है।

सीआरएफ के अंतर्गत समरूप से लोनिवि द्वारा आवंटित निधि वर्ष 2008-13 के दौरान केवल 76 प्रतिशत उपयोग हो पाया एवं वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 को छोड़कर आवंटन से बचत 31 से 71 प्रतिशत के बीच रहा। निधि के अनुपयोगिता के मुख्य कारण कंडिका क्रमांक 2.4.6.1(ii) 2.4.8.1 एवं 2.4.8.2 में चर्चा की गयी है। वर्ष 2009-10 में ₹ 22.63 करोड़ के अतिरिक्त व्यय होने के कारण लोनिवि द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए । चूंकि बजट में निधि का प्रावधान लोनिवि द्वारा प्रस्ताव पेश करने के आधार पर होता है, अतः यह लोनिवि का उत्तरदायित्व है कि कार्य का निष्पादन समयबद्ध रूप से हो जिससे निधि व्यपगत न हो सके।

2.4.7.1 एमएनपी निधि का अनाधिकृत उपयोग ₹ 11.42 करोड़

एमएनपी निधि की राशि ₹ 11.42 करोड़ गैर योजना व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग किया गया और कार्य का निष्पादन एमएनपी के तहत शामिल नहीं किया गया

एमएनपी के तहत् ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए वर्ष 2008-13 के दौरान निधि ₹ 70.07 करोड़ तीन संभागों[26] के ईई को प्रदान किया गया, जिसके विरूद्ध ईई द्वारा ₹ 61.51 करोड़[27] का व्यय किया गया था।

हमने पाया कि ईई के द्वारा ₹ 11.42 करोड़ का उपयोग (अंबिकापुर ₹ 8.06 करोड़, बलौदाबाजार ₹ 1.03 करोड़ और पेण्ड्रा ₹ 2.33 करोड़) ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं के बिल के भुगतान के लिए, गैर योजना रखरखाव कार्य के लिए और एमएनपी के तहत मंजूर नहीं

[25] ईएनसी, लोनिवि, छ.ग. शासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार
[26] अम्बिकापुर ₹ 33.65 करोड़, बलौदाबाजार ₹ 3.72 करोड़ और पेण्ड्रारोड ₹ 32.70 करोड़
[27] अम्बिकापुर ₹ 31.83 करोड़,बलौदाबाजार ₹ 1.18 करोड़ और पेण्ड्रारोड ₹ 28.50 करोड़

कार्य के लिए उपयोग किया गया। इस प्रकार एमएनपी निधि का अन्य प्रयोजनों, जो कि एमएनपी के तहत उद्देशित नहीं थे, हेतु उपयोग किया गया।

उत्तर में ईई लोनिवि (भ/स) संभाग बलौदाबाजार (जुन 2013) द्वारा बताया गया कि उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार और साईट की आवश्यकता के अनुसार कार्य किया गया है। ईई, लोक निर्माण विभाग (भ/स)संभाग, अंबिकापुर (जुन 2013) द्वारा बताया गया कि भुगतान अधीक्षण अभियंता (एसई) के आदेश के अनुसार किया गया है। ईई, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग पेण्ड्रा (जुलाई 2013) द्वारा बताया गया कि मार्च 2013 के कुछ भुगतान ट्रांस्फर इंट्री आडर (टीईओ) के माध्यम से ठीक किया जा रहा है जो एमएनपी शीर्ष के तहत बनाया गया है । अन्य भुगतान मुख्य जिला सड़क से संबंधित है जिसके लिए आवंटन उपलब्ध नहीं था, जबकि काम पूरे जोरों पर था और ठेकदार के बिलों को भुगतान किया गया, जिसे भविष्य में टीईओ के माध्यम से समायोजित किया जाएगा।

तथ्य यह है, कि गैर योजना व्यय तथा ऐसे कार्य के निष्पादन जो एमएनपी में सम्मिलित नहीं है, हेतु निधि का व्यपवर्तन वित्तीय नियमों और बजट प्रावधानों के विपरीत है।

2.4.7.2 सरकार के खाते में ₹ 1.31 करोड़ की रॉयल्टी का प्रेषण नहीं किया जाना

मानक अनुबंध दस्तावेज के खण्ड-35 ठेकेदार गौण खनिजों जैसे रेत, मूरूम, धातु के उपयोग संबंधित सभी खदानों के अनुसार रॉयल्टी की शुल्क का भुगतान करेगा। यदि ठेकेदार विभाग से रॉयल्टी मंजूरी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो ईई अपने बिलों से रॉयल्टी शुल्क घटा देते है और संबंधित विभाग से रॉयल्टी मंजूरी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ठेकेदार को लौटा दी जाएगी और जमा शीर्ष में रखेगा। यदि ठेकेदार द्वारा अंतिम बिल जमा करने के 30 दिनों के भीतर रॉयल्टी शुल्क संबंधित विभाग शीर्ष को जमा किया जाएगा और ठेकेदार के अंतिम बिल का भुगतान जारी किया जाएगा।

ठेकेदारों के बिलों से रॉयल्टी के रूप में काटी गई राशि ₹ 1.31 करोड़ को प्रेषण किये बिना सिविल डिपॉजिट्स के रूप में रखा गया

हमने पाया कि अंतिम बिल के भुगतान के 19 से 32 महीने के समाप्त होने के बावजूद तीन संभाग[28] के ईई द्वारा सिविल डिपॉजिट्स में सात ठेकेदारों के बिलों से रॉयल्टी के रूप में काटी गई ₹ 1.31 करोड़ की राशि सरकार के खाते में प्रेषण नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में उक्त तथ्य इंगित किये जाने पर (दिसंबर 2013) ईई, लोनिवि, गरियाबंद के द्वारा राशि ₹ 17.04 लाख का प्रेषण कटौती के 15 से 25 माह के बाद किया गया। ईई, लोनिवि(भ/स), बलौदाबाजार और कोरबा के द्वारा बताया गया (जून 2013) कि आवंटन के प्राप्त होते ही रायल्टी की राशि का प्रेषण कर दिया जाएगा।

तथ्य यही है कि ईई, लोनिवि (भ/स), संभाग बलौदाबाजार तथा कोरबा से संबंधित ₹ 1.14 करोड़ अब तक सिविल जमा के रूप में रखा हुआ है (दिसंबर 2013) ।

[28] कोरबा (अनुबंध क्र. 10/डी.एल, 2008-09;68/डी.एल,2005-06), बालोदा बाजार (9/डी.एल, 2009-10;158 /डी.एल, 2008-09 और 26 /डी.एल, 2005-06) और गरियाबंद (अनुबंध क्रं. 5/डी.एल, 2006-07 और 2 /डी.एल, 2008-09)

2.4.8 अनुबंध प्रबंधन एवं कार्य का निष्पादन

प्रबंधन और कार्य के निष्पादन से संबंधित अभिलेखों की जाँच में पाई गई विभिन्न अनियमितताएँ जैसे की शास्ति की वसूली न किया जाना, अमान्य मूल्य वृद्धि भुगतान, अतिरिक्त लागत, ठेकेदार को अदेय लाभ, ठेकेदारों को अतिरिक्त भुगतान, काम का संदिग्ध निष्पादन इत्यादि जिनकी चर्चा निम्नानुसार की गयी है:

2.4.8.1 कार्यों के निष्पादन में देरी के बावजूद शास्ति की राशि ₹ 2.94 करोड़ की वसूली नहीं किया जाना

अनुबंध की कंडिका-2 के प्रावधानुसार निविदा प्रपत्र में अंकित, कार्य के निष्पादन हेतु अनुमत्य समयावधि का ठेकेदार द्वारा अनिवार्यतः पालन किया जाएगा तथा इसे अनुबंध का सार माना जाएगा। ठेकेदार द्वारा उपरोक्त शर्तों के अनुपालन नहीं किए जाने की दशा में कार्यपालन अभियंता द्वारा ठेकेदार पर प्रत्येक सप्ताह के विलंब हेतु कार्य के मूल्य का 0.5 प्रतिशत की दर से क्षतिपूर्ति भारित की जाएगी परंतु कुल क्षतिपूर्ति की राशि, कार्य के मूल्य के छः प्रतिशत की सीमा के भीतर होगी।

अनुबंध की कंडिका-3 के प्रावधानुसार ठेकेदार द्वारा अनुबंध का मूलभूत उल्लंघन[29] किए जाने पर कार्यपालन अभियंता के द्वारा अनुबंध निरस्त किया जा सकता है। अनुबंध के निरस्त किए जाने के पश्चात कार्यपालन अभियंता के द्वारा अनुबंध की कंडिका-2 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही किए जाने के अतिरिक्त, अमानत राशि एवं/अथवा सुरक्षा निधि को राजसात किया जाएगा तथा साथ ही शेष अपूर्ण कार्य के 10 प्रतिशत की दर से वसूली/कटौती/समायोजन किया जाएगा।

दो संभागों[30] में निष्पादित तीन अनुबंधों के अभिलेखों की जांच में यह उजागर हुआ कि कार्य पूर्ण करने हेतु नियत अवधि 12 माह से 18 माह के बीच थी। परंतु ठेकेदार के द्वारा नियत अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका तथा विलंब की अवधि 6 से 15 माह के बीच थी। विलंब के कारण मुख्यतः ठेकेदार कि ओर से थे तथा एसई के द्वारा अनुबंध की कंडिका-2 के अधीन समयावधि की वृद्धि स्वीकृत की गयी। चूंकि ठेकेदारों से कुल राशि ₹ 1.44 करोड़ की शास्ति वसूली योग्य थी, तथापि ठेकेदारों से शस्ति की राशि ईई द्वारा वसूली नहीं की गयी जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को अनुचित सहायता के विस्तार से अदेय लाभ प्राप्त हुआ, जैसा की **परिशिष्ट- 2.4.2** में वर्णित है।

कार्यों के निष्पादन में देरी और अनुबंध के उल्लंघन के बावजूद ठेकेदारों से दंड की वसूली नहीं करने से ठेकेदारों को ₹ 2.94 करोड़ का अनुचित सहायता प्रदाय किया गया

उसी तरह तीन संभागों[31] में निष्पादित तीन अनुबंधों के अभिलेखों की जांच में यह उजागर हुआ कि ठेकेदार नियत अवधि में कार्य पूर्ण करने में विफल रहे। परिणामस्वरूप संभागों के ईई के द्वारा अनुबंधों को कंडिका-3 के तहत निरस्त कर दिया गया। तथापि ₹ 1.50 करोड़ ठेकेदारों से शास्ति के राशि की वसूली की जानी थी जिसे ईई द्वारा वसूल नहीं की गयी ।

[29] मौलिक उल्लंघन जैसे कि ठेकेदार चार सप्ताह के लिए काम बंद किया हो, जब कोई कार्य को मौजूदा कार्यक्रम के तहत रोका न गया हो या कार्यपालन अभियंता द्वारा कार्य को रोके जाने को अधिकृत नहीं किया गया है।

[30] अंबिकापुर और कोण्डागाँव।

[31] भानुप्रतापपुर, अंबिकापुर और कोरबा।

जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को अनुचित सहायता के विस्तार से अदेय लाभ प्राप्त हुआ, जैसा की **परिशिष्ट 2.4.2** में वर्णित है।

उत्तर में ईई लोनिवि (भ/स), संभाग कोंडागाँव के द्वारा बताया गया कि (अक्टुबर 2012) ठेकेदार के देयक से देय राशि का छः प्रतिशत रोका गया था। ईई लोनिवि (भ/स) संभाग, कोरबा के द्वारा बताया गया (जून 2013) ठेकेदार की राशि ₹ 19.87 लाख, संभाग के पास, जमा के रूप में उपलब्ध है तथा शेष राशि को जमा करने हेतु ठेकेदार को सूचना पत्र जारी किया जाएगा। ईई लोनिवि (भ/स) संभाग, अंबिकापुर के द्वारा बिसरपानी-सुपलगा मार्ग तथा अम्बिकापुर रिंग मार्ग के संबंध में कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया तथापि, दरिमा-मैनपाट मार्ग के विषय में ईई के द्वारा बताया गया की एसई के द्वारा मार्च 2008 तक अनुबंध[32] की कंडिका-5 के अंतर्गत बिना शास्ति के समयावधि में वृद्धि प्रदान की गयी थी। अतएव ठेकेदार से शास्ति की वसूली नहीं की गयी।

ईई लोनिवि (भ/स) संभाग, कोंडागाँव एवं कोरबा के द्वारा प्रदत्त उत्तर, शास्ति की वसूली हेतु अपर्याप्त प्रयासों को इंगित करता है।

दरिमा-मैनपाट मार्ग के विषय में ईई लोनिवि (भ/स) संभाग, अंबिकापुर के द्वारा प्रदत्त उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रकरण में पूर्व ईई तथा एसई के द्वारा कंडिका-2 के अधीन अनुशंसा (मई 2008) की गई थी परंतु वर्तमान एसई द्वारा कंडिका-5 के अधीन प्रदत्त स्वीकृति न्यायोचित नहीं है क्योंकि इसे 44 माह के व्यतीत होने के पश्चात् (अर्थात जनवरी 2012) अभिलिखित साक्ष्यों के बिना ही विभाग की ओर से विलंब मानते हुये प्रदान किया गया था।

2.4.8.2 ठेकेदार द्वारा कार्य के निष्पादित में देरी के बावजूद ₹ 49.02 लाख की मूल्य वृद्धि का भुगतान

कंडिका 11 (सी) के प्रावधानुसार मूल्य समायोजन निर्धारित तिथि से, उपरोक्तानुसार कंडिका-5 अधीन विस्तृत वैधानिक समयावधि तक लागू होगी परंतु जब कार्य कंडिका-2 के अधीन निष्पादित किया गया हो तब लागू नहीं होगा।

अनुबंध के कंडिका 2 के तहत समयवृद्धि की स्वीकृति के पश्चात भी ठेकेदार को ₹ 49.02 लाख की मुल्यवृद्धि का भुगतान किया जाना

अभिलेखों की जांच में यह परिलक्षित हुआ कि ईई, लोनिवि (भ/स) संभाग, कोंडागाँव के द्वारा सीआरएफ योजना के अंतर्गत कोंडागाँव-अमरावती-येरला मार्ग के निर्माण का कार्य (मार्च 2007) एक ठेकेदार को प्रदान किया गया जिसमें पाया गया कि विभाग के अनेकों स्मरण पत्रों के उपरोक्त भी ठेकेदार के द्वारा सितंबर 2008 की कार्य पूर्णता की नियत तिथि के विरूद्ध जून 2013 तक भी कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका। सीई, जगदलपुर ने अनुबंध की कंडिका 2 के अंतर्गत सितंबर 2008 से मई 2009 की अवधि के लिये समयवृद्धि प्रदान की थी तथा मई 2009 के बाद कोई समयवृद्धि स्वीकृत नहीं दी गयी थी। चूंकि अनुबंध की कंडिका 2 के अंतर्गत समयवृद्धि प्रदान की गई थी, ठेकेदार को मूल्यवृद्धि भुगतान देय नहीं था। तथापि अनुबंध की कंडिका 11 (सी) का उल्लंघन कर ठेकेदार को राशि ₹ 49.02 लाख का मूल्यवृद्धि भुगतान किया गया।

[32] अनुबंध की शर्त कंडिक-5 अनुबंधित करता है कि यदि ठेकेदार काम पूरा करने के लिए समय वृद्धि की इच्छा, इसके निष्पादन में ''अपरिहार्य'' या अन्य जमीनी आधार रूकावट करेगा, उसे समय वृद्धि की विशिष्ट स्वीकृति लेनी चाहिए।

उत्तर में ईई लोनिवि (भ/स) संभाग, कोंडागाँव के द्वारा बताया गया (अक्टुबर 2012) कि मूल्यवृद्धि का भुगतान अनुबंध के प्रावधानों के अनुरूप ही किया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुबंध की कंडिका 11 (सी) के अनुसार कंडिका-2 के अधीन नियमित की गयी समयावधि हेतु मूल्यवृद्धि देय नहीं था।

2.4.8.3 डेन्स बिटुमिनस मेकाडम /बिटुमिनस मेकाडम की आवश्यक डिजाइन से अधिक निष्पादित किए जाने के कारण अनावश्यक व्यय

आईआरसी 37 के अनुसार, सड़क की क्रस्ट डिजाइन सीबीआर मूल्य और सड़क की यातायात की घनत्व के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए।

डिजाइन से परे कार्य के निष्पादन की वजह से आवश्यकता से अधिक ₹ 3.30 करोड़ व्यय किया गया

अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि सीआरएफ और एमएनपी के तहत तीन सड़कों[33] का निष्पादन किया जा रहा था, जिनका प्राक्कलन आईआरसी 37 के अनुसार तैयार किया गया था । स्वीकृत प्रक्कलन के अनुसार, डब्ल्यूबीएम/डब्लूएमएम के नई परत पर बीएम/डीबीएम के साथ प्रोफाइल करेक्शन कोर्स की एक 53-56 मिमी औसत मोटाई की परत के साथ करना था। हालांकि, वास्तविक निष्पादित में बीएम/डीबीएम की मोटाई स्वीकृत मोटाई से औसत मोटाई 71-74 मिमी बढ़ाया गया था। बीएम/डीबीएम की अतिरिक्त मोटाई के निष्पादन का कोई कारण अभिलेख में नहीं पाया गया। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.30 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। (**परिशिष्ट 2.4.3**)

उत्तर में ईई लोनिवि (भ/स), संभाग अंबिकापुर द्वारा बताया गया कि बीएम की मोटाई बढ़ाई गई थी क्योंकि बीयूएसजी मद जिसका लेवलिंग कोर्स के रूप में उपयोग किया जाना था, का निष्पादित नहीं किया गया था। इसके अलावा, ईई लोनिवि, (भ/स) संभाग मनेन्द्रगढ़ (नवम्बर 2012) द्वारा बताया गया कि अतिरिक्त मोटाई डीबीएम के निष्पादित प्रोफाइल सुधार को बनाए रखने के लिए और केंबर हेतु प्रदान किया गया था।

ईई लोनिवि, (भ/स) संभाग अंबिकापुर का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बीयूएसजी मद का प्रावधान प्राक्कलन में नहीं किया गया था और प्रक्कलन में 53 मिमी की औसत मोटाई के साथ लेवलिंग कोर्स का प्रावधान पूर्व से ही प्राक्कलन में किया गया था।

ईई लोनिवि (भ/स) संभाग मनेन्द्रगढ़ का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकी 55-56 मिमी की औसत मोटाई के साथ डीबीएम की मद पहले से प्रोफाइल सुधार को बनाए रखने के लिए और केम्बर[34] के लिए स्वीकृत प्राक्कलन में प्रदान किया गया है।

2.4.8.4 लंबे समय से देरी के बावजूद अनुबंध का समापन नहीं किया जाना

सुपलगा ग्राम के आदिवासी जनसंख्या को मुख्य सड़क से संपर्क प्रदान करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा एमएनपी योजना के अंतर्गत बिरसापानी-सुपलगा मार्ग (8.40 कि.मी) के निर्माण हेतु राशि ₹ 1.36 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति(मई 2006) प्रदान की

[33] (1) अंबिकापुर-अंबिकापुर रिंग रोड (एमएनपी) (2) मनेन्द्रगढ़ - केदाई- बरदास-बैकुण्ठपुर-सोनहत-रामगढ़ रोड (सीआरएफ) और कोरबा-चिरिमिरी रोड (सीआरएफ)।

[34] सड़क की सतह के केंद्र के लिए थोड़ा ऊपर की ओर वक्र (यह सड़क से पानी की निकासी के लिए प्रदान की जाती है)।

गयी। स्वीकृति के अनुसार मिट्टी कार्य, मूरूम सब बेस (जीएसबी), वॉटर बाउण्ड मेकाडम (डब्ल्यूबीएम) मद के प्रावधानों के साथ 8.40 किमी ब्लैक टाप सड़क, 14 संख्या पुलों के साथ निष्पादित किया जाना था। ईई लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग अंबिकापुर (सितम्बर 2007) द्वारा ठेकेदार को 12 महीने (सितम्बर 2006) में कार्य पूर्ण करने के लिये जारी किया गया तथा कार्य के लिए कार्य आदेश ठेकेदार को ₹ 1.06 करोड़ का भुगतान (मार्च 2010) किया गया। कार्य लेखापरीक्षा दिनांक तक अपूर्ण था (जून 2013)।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कार्य की निर्धारित तिथि तक (सितम्बर 2007) ठेकेदार द्वारा मात्र मिट्टी कार्य और आंशिक रूप से जीएसबी (5.85 किमी), डब्ल्यूबीएम (6.20 किमी) एवं पांच नग पुलों का निर्माण किया गया। ठेकेदार द्वारा दिसंबर 2007 के पश्चात् कार्य बंद किए जाने के बावजूद ईई द्वारा कार्य की प्रगति में तेजी लाने के लिए ठेकेदार को अक्टुबर 2007 में मात्र एक ही पत्र जारी किया गया। इसके अतिरिक्त, ईई के द्वारा कंडिका-3 के तहत अनुबंध की समाप्ति हेतु दो वर्ष के पश्चात् कारण बताओ नोटिस जारी किया (यानी जुलाई, 2009) तथा शासन को प्रस्ताव भेजा गया जिसे दिसंबर 2009 में स्वीकृत की गई। ईई द्वारा कंडिका-3[35] के तहत निविदा निरस्त नहीं किया गया और कार्य पुनः आरम्भ करने की अनुमति दी गई (जनवरी 2010)। 2.40 किमी पर विटुमिनस मद के निष्पादन के पश्चात ठेकेदार द्वारा कार्य रोक दिया गया (मार्च 2010) । इसके बाद, ईई द्वारा शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु न तो उचित कदम उठाया गया एवं न ही कार्य बंद किए जाने के 44 महीने के बाद भी अनुबंध निरस्त किया गया।

उत्तर में ईई अंबिकापुर के द्वारा बताया गया (जून 2013) कि अब तक किए गए कार्य से सड़क सभी मौसम के लिए उपयोगी बन गया है एवं इस पिछड़े क्षेत्र के निवासियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने का उद्देश्य पूर्ण हुआ है।

तथ्य यह है कि ठेकेदार द्वारा 19 नग पुलो तथा छः किमी लम्बे मार्ग पर बिटुमिनस कार्य नहीं करने से कार्य अधूरा रहा। इसके अतिरिक्त अनुबंध को कंडिका-3 के तहत निरस्त करने के शासन के निर्देश के बावजूद ईई के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किया गया । जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को अदेय लाभ प्रदान किया था, जैसे की पैराग्राफ क्रं. 2.4.8.1 में वर्णित है।

2.4.8.5 अनुबंध के अविवेकपूर्ण पूर्वसमापन के कारण राशि ₹ 1.46 करोड़ का अतिरिक्त लागत के साथ ही ठेकेदार को राशि ₹ 47.02 लाख का अदेय लाभ

अनुबंध की कंडिका-14 के अनुसार अनुबंध के निष्पादन के पश्चात किसी भी समय प्रभारी अभियंता, यदि चाहे तो किसी भी कारण से प्रकरण अनुसार, कार्य को निलंबित या बंद कर सकता है।

हमने पाया कि दरिमा-मैनपाट सड़क कार्य ठेकेदार को एसओआर से 23.89 प्रतिशत अधिक की दर पर प्रदान (जून 2009) किया गया, जिसे नियत तिथि (मई 2010) में पूर्ण नहीं

[35] मानक अनुबंध दस्तावेजों के कंडिका-3 में अनुबंधित है कि ईई अनुबंध समाप्त कर सकता है, यदि ठेकेदार अनुबंध के मौलिक उल्लंघन का कारण बनता है, अनुबंध की समाप्ति के बाद, ईई कंडिका-2 में निहित प्रावधानों के अलावा, बयाना और या सुरक्षा जमा अर्थदंड और आगे की वसूली/कटौती/शेष अधूरा छोड़े कार्य का 10 फीसदी मुआवजा समायोजित करेगा।

किया गया और ठेकेदार अनुबंध की अनुमानित राशि ₹ 2.43 करोड़ के विरूद्ध ₹ 23.44 लाख का कार्य निष्पादित किया था। चूंकि ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य की प्रगति काफी धीमी थी, अतएव ईई के द्वारा कारण बताओ सूचना जारी की गयी (6 एवं 27 जनवरी 2010) तथा ठेकेदार से संतोषप्रद उत्तर प्राप्त न होने पर अनुबंध को कंडिका-3 के तहत समाप्त कर दिया गया (मई 2010)। ठेकेदार के द्वारा एसई को वन विभाग द्वारा की गयी बाधा के तर्क पर अनुबंध को कंडिका-3 के स्थान पर कंडिका-14 के अधीन समापन हेतु अपील किया गया (जून 2010)। एसई (जुलाई 2010) तथा सीई (जुलाई 2010) के अनुशंसा पर, प्रमुख अभियंता (ईएनसी), लोनिवि के द्वारा प्रस्ताव को शासन को प्रस्तुत किया गया (सितम्बर 2010), जिसे शासन के द्वारा वन भूमि विवाद के अधार पर स्वीकृर्ति (अक्टूबर 2010) प्रदान की गयी।

ठेकेदार एवं वन विभाग के मध्य हुए पत्राचार की समीक्षा में हमने यह पाया कि वन विभाग की बाधा के आधार पर विलंब का ठेकेदार के तर्क अनुचित तथा तथ्यों पर आधारित नहीं है, जैसा कि ईई के पत्र (मई 2010) से स्पष्ट है, जिसमें ईई के द्वारा एसई को सूचित किया गया कि यद्धपि सड़क वन क्षेत्र में स्थित है, परंतु वन की कोई समस्या नहीं थी। आगे ईई द्वारा यह उल्लेख किया गया कि ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत विलंब के कारण सर्वथा असत्य है और कार्य में विलंब के मुख्य कारण ठेकेदार के वित्तिय अक्षमता, निम्न प्रबंधन एवं आत्मविश्वास की कमी है।

एसई के द्वारा अनुबंध को कंडिका-3 के स्थान पर कंडिका-14 के समाप्त करने के समय यह उल्लेख किया गया था कि वन विभाग के द्वारा सड़क कार्य के निष्पादित पर आपत्ति संबंधी कोई पत्राचार नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत शासन कि वामपंथ उग्रवाद क्षेत्र योजना (एलडब्ल्यूई) के तहत सड़क का विकास हेतु स्वीकृत है तथा शेषकार्य की आवश्यकता नहीं है।

अनुबंध समाप्ति के कंडिका में परिवर्तन के कारण ठेकेदार को ₹ 47.02 लाख की अदेय लाभ के अतिरिक्त शेष काम के निष्पादन पर राशि ₹ 1.46 करोड़ की अतिरिक्त लागत आया

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनुबंध की समय पुर्व समाप्ति हेतु कंडिका 3 से कंडिका 14 में परिवर्तन तथ्यों पर आधारित नहीं था तथा इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को राशि ₹ 47.02 लाख[36] का अदेय लाभ प्रदान करने के लिये शास्ति की वसूली कंडिका-14 के अधीन नहीं की गई। आगे, शेष कार्य की आवश्यकता नहीं होने का तर्क सही नहीं था क्योंकि शेष कार्य (मार्च 2012) अन्य ठेकेदार को एसओआर से 89 प्रतिशत अधिक दर से प्रदान किया गया तथा उसे राशि ₹ 2.24 करोड़ का भुगतान किया गया (नवंबर 2012)। साथ ही शेष कार्य को अधिक दर से प्रदान किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 1.46 करोड़[37] का अतिरिक्त लागत आया।

उत्तर में ईई, अम्बिकापुर के द्वारा कहा (जून 2013) गया कि वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (जून 2010) अनुबंध अवधि के समाप्त होने (मई 2010) के पश्चात प्राप्त हुआ। ठेकेदार के द्वारा वन विभाग द्वारा उत्पन्न बाधा के कारण कार्य जारी रखने से मना कर दिया गया तथा अनुबंध को समाप्त करने का निवेदन किया। तदनुसार, विभाग के द्वारा अनुबंध को कंडिका-14 के तहत समाप्त किया गया।

[36] अनुबंध लागत = ₹ 301.37 लाख; पेनल्टी = छह प्रतिशत = ₹ 18.08 लाख + लंबित कार्य का 10 प्रतिशत ₹ 27.79 लाख + एसडी ₹ 1.15 लाख

[37] (₹ 89 - ₹ 23.89) के दर से = ₹ 224.66 लाख का ₹ 65.11 प्रतिशत = ₹ 146.28 लाख

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ईई द्वारा स्वयं बताया गया कि प्रस्ताव में वन विभाग की आपत्ति की कोई समस्या नहीं थी। आगे, सड़क के उन्नयन कार्य के लिये वन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (जून 2010) वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र योजना के अंतर्गत स्वीकृत था, जो कि वर्ष 2010-11 में निष्पादित किया गया था।

2.4.8.6 बल्क एवं पैक्ड डामर के मूल्य के अंतर की वसूली नहीं किया जाना ₹ 10.66 लाख

लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) द्वारा जारी आदेश (दिसंबर 2004) के अनुसार क्रियान्वित सड़क कार्य पर डामर की खपत पर ₹ 1100 प्रति एमटी की दर से ठेकेदार से वसूली की शर्त पर बल्क डामर का सड़क मार्ग से परिवहन की अनुमित प्रदान की गयी, जो कि नवम्बर 2002 के एसओआर के अनुसार निष्पादित किया जाना था।

ठेकेदार से ₹ 10.66 लाख की राशि डामर की लागत के अंतर की वसूली नहीं किया जाना

सीआरएफ योजना अंतर्गत नांदघाट भाटपारा चंदखुरी सड़क के निर्माण से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा में यह पाया गया कि सड़क कार्य में ठेकेदार के द्वारा 969.112 एमटी बल्क डामर का उपयोग किया गया। शासन के द्वारा जारी आदेशानुसार, ठेकेदार से राशि ₹ 10.66 लाख (969.112 एमटी X ₹ 1100) की वसूली की जानी थी। तथापि ईई लोनिवि (भ/स) संभाग बालौदाबाजार के द्वारा ठेकेदार से वसूली की कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को राशि ₹ 10.66 लाख का अदेय लाभ एवं तदनुरूप शासन को हानि हुई।

लेखा परीक्षा में उक्त तथ्य इंगित किए जाने पर ईई, लोनिवि (भ/स) संभाग, बलौदाबाजार के द्वारा (जून 2013) कहा गया कि समीक्षा उपरांत उचित कार्यवाही की जाएगी।

2.4.8.7 निविदा पश्चात एसओआर से कम दर मदों में परिवर्तन कर निविदा प्रक्रिया दूषित करना

(i) सीआरएफ योजना के तहत स्वीकृत केंदई-चोटिया-बरदर-बैकुंठपुर-सोनहट-रामगढ़ मार्ग का कार्य एक ठेकेदार को प्रदान (अक्टुबर 2010) किया गया। विस्तृत प्राक्कलन एवं अनुबंध शैडयूल के अनुसार प्राक्कलन में "200 मिमी मोटाई के स्टोन पेव्ड शोल्डर के साथ ही ड्रेसिंग, कैम्बर के अनुरूप समतलीकरण तथा आधार के सघनीकरण इत्यादि" के मद का प्रावधान किया गया था। ठेकेदार ने ₹ 339 प्रति वर्गमी के प्राक्कलित दर के विरूद्ध ₹ 100 प्रति वर्गमी का दर प्रस्तुत किया था। अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार, कार्य के लिए आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करना ठेकेदार का उत्तरदायित्व था।

पोस्ट निविदा स्तर पर वस्तुओं के प्रतिस्थापन से निविदा प्रक्रिया दूषित करना

ईई, लोनिवि (भ/स) संभाग, कोरबा के अभिलेखों की जांच में यह परिलक्षित हुआ कि ईई के द्वारा कार्य स्थल के आसपास के 40 से 50 किमी क्षेत्र में अपेक्षित आकार के पत्थर की अनुपलब्धता के आधार पर 200 मिमी मोटाई के स्टोन पेव्ड शोल्डर के स्थान पर चयनित मिट्टी जिसकी सीबीआर[38] 12 से कम न हो, के शोल्डर का निष्पादित किया गया और पूरक प्रस्ताव एसई बिलासपुर द्वारा अनुमोदित किया गया। उसके अनुसार ठेकेदार द्वारा 12248.55 घन मी. चयनित मिट्टी में शोल्डर कार्य किया गया और ₹ 258 प्रति घन मी की

[38] कैलिफोर्निया बीयरिंग अनुपात।

एसओआर दर से ₹ 31.60 लाख का भुगतान किया गया । चूंकि सामग्री की व्यवस्था की जिम्मेदारी अनुबंध के अनुसार ठेकेदार की थी , स्टोन पेविंग के स्थान पर हार्ड सोलडर की प्रतिस्थापना कर ठेके प्रक्रिया को दुषित किया और परिणामस्वरूप ठेकेदार को अनुचित लाभ प्राप्त हुआ ।

उत्तर में ईई, लोनिवि (भ/स) संभाग, कोरबा के द्वारा बताया (जून 2013) गया कि कार्यस्थल की परिस्थिति के अनुरूप अतिरिक्त मद स्वीकृत करना आवश्यक था।

तथ्य दर्शाता है कि ठेकेदार के निवेदन पर अपेक्षित आकार के पत्थर की अनुपलब्धता के आधार पर निविदा पश्चात परिवर्तन किए गया। चूंकि, ठेकेदार निविदा करते समय सामग्री की अवशयकता से अवगत था, अतः निविदित मद में एसओआर से एक तिहाई कम दर की सामग्री निविदा पश्चात परिवर्तित करना, स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा और निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी को दर्शाता है ।

(ii) सीआरएफ योजना के तहत स्वीकृत केंदई-बरदर-बैकुंठपुर-सोनहट-रामगढ़ मार्ग के निर्माण का कार्य एक ठेकेदार को ₹ 19.94 करोड़ के आईटम दर निविदा पर 18 माह के भीतर (अर्थात अप्रैल 2012) पूर्ण करने हेतु प्रदत्त किया गया (अक्टुबर 2010) और ₹ 26.31 करोड़ का भुगतान (अगस्त 2012) किया गया है। अनुबंध के अनुसार ठेकेदार के द्वारा ₹ 339 प्रति घन मी के प्राक्कलित लागत के विरूद्ध ₹ 250 प्रति घन मी की दर से (26 प्रतिशत कम) 200 मिमी मोटाई का 69150 वर्ग मी स्टान पेव्ड शोल्डर का निष्पादित किया जाना था।

तथापि, ईई लोनिवि (भ/स) संभाग, मनेन्द्रगढ़ के अभिलेखों की जांच में यह उजागर हुआ कि निष्पादन के समय उक्त वर्णित मद का बिना किसी विशिष्ट कारण के प्री-कास्ट सीमेंट कंक्रीट के मद से प्रतिस्थापन कर दिया गया। जिस हेतु ठेकेदार के द्वारा ₹ 2817 प्रति घन मी. के प्राक्कलित लागत के विरूद्ध ₹ 2500 प्रति घन मी का दर प्रस्तुत किया गया था। निविदा के पश्चात, कम निविदा दर के मद का इस प्रकार प्रतिस्थापन अनुचित था तथा इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को अदेय लाभ प्राप्त हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर ईई लोनिवि (भ/स) संभाग, मनेन्द्रगढ़ द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

2.4.8.8 कार्यपालन अभियंता के द्वारा वैधता अवधि के भीतर बैंक गारंटी का नकदीकरण किए जाने में विफलता के परिणामस्वरूप शासकीय देय राशि ₹ 90 लाख की वसूली न हो पाना

अनुबंध के विशेष शर्तों के अनुसार, ठेकेदार, उसके द्वारा निष्पादित कार्य के पूर्ण होने के 36 माह की अवधि तक, कार्य के परफारमेंस हेतु उत्तरदायी होगा। उसके द्वारा अनुबंधित मूल्य के 15 प्रतिशत की दर से परफारमेंस गारंटी देय होगा। निर्माण कार्य के पूर्ण होने के दो वर्षों के पश्चात् ठेकेदार को ईई की संतुष्टि पर, उपलब्ध परफारमेंस गारंटी राशि का 50 प्रतिशत वापस किया जाना था। परफारमेंस गारंटी की शेष राशि को कार्य पूर्णता के तीन वर्षों के पश्चात वापस किया जाना था।

सीआरएफ के तहत दुधावा-नगरी-बेसिन सड़क कार्य निष्पादन ठेकेदार के अनुबंध की विशेष शर्त के तहत ₹ 1.59 करोड़ की बैंक गारंटी (बीजी) जून 2009 से जून 2012 तक सड़क के परफॉरमेंस के लिए ईई, लोनिवि (भ/स) संभाग, धमतरी को प्रस्तुत (जून 2009) किया जाना था।

हमने पाया कि ईई, लोनिवि (भ/स) संभाग, बेमेतरा ने ईई, लोनिवि, (भ/स) संभाग धमतरी को सूचित किया कि ठेकेदार के प्रति अत्याधिक मात्रा में वसूली लंबित है तथा ठेकदार की उपलब्ध प्रतिभूतियों की स्थिति के संबंध में निवेदन (मई 2009) किया। आगे, ईई लोनिवि (भ/स) संभाग, बेमेतरा साथ ही सीई, रायपुर के द्वारा भी ईई, लोनिवि (भ/स) संभाग, धमतरी को उक्त ठेकेदार से राशि ₹ 67.90 लाख की वसूली किए जाने हेतु निर्देशित (दिसम्बर 2010) किया। ईई, लोनिवि (भ/स) संभाग, बेमेतरा के द्वारा पुनः ईई, लोनिवि (भ/स) संभाग, धमतरी से उक्त ठेकेदार से राशि ₹ 1.21 करोड़ की वसूली किए जाने का निवेदन किया गया (जुलाई 2011)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 1.59 करोड़ की बैंक गारंटी की उपलब्धता के बावजूद ईई, लोनिवि (भ/स) संभाग, धमतरी द्वारा ₹ 69 लाख आहरित (दिसम्बर 2010) किया गया जिसमें से ₹ 42.83 लाख का समायोजन दुधावा-नगरी-बेसिन मार्ग के मरम्मत में किया गया। हालांकि, वह ₹ 90 लाख[39] की बैंक गारंटी की शेष राशि वैधता अवधि के भीतर भुनाने में असफल रहे तथा राशि व्यपगत (मार्च और जून 2011) हुई।

उत्तर में ईई, लोनिवि (भ/स) संभाग, बेमेतरा (मार्च 2013) द्वारा बताया गया कि अनुबंध के अनुसार परफारमेंश गारंटी के दो वर्ष की अवधि के समाप्ति के पश्चात् पचास प्रतिशत राशि ठेकेदार को वापस किया जाना होता है। इसके अतिरिक्त, ईई, लोनिवि (भ/स) संभाग, बेमेतरा का पत्र दो वर्षों के व्यतीत होने के पश्चात् प्राप्त हुआ। अतएव बैंक गारंटी नवीनीकरण नहीं किया जा सका।

तथ्य से स्पष्ट है कि सीई के निर्देश के बावजूद ईई, लोनिवि (भ/स) संभाग, धमतरी द्वारा ईई, लोनिवि (भ/स) संभाग, बेमेतरा के दिसम्बर 2010 में निवेदन के बावजूद बैंक गारंटी को राजसात करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई।

2.4.8.9 दर के गलत लागू किए जाने से राशि ₹ 46.12 लाख का अधिक भुगतान

सड़क के चौड़ीकरण हेतु एमबैंकमेंट, सबग्रेड के उत्खन्न के प्रावधान वाले एसओआर (अप्रैल 2005) का मद क्रमांक 2.6, जिसमें सड़क के निर्धारित आयाम से उत्खन्न, पृथकरण, कटाई एवं ड्रेसिंग सम्मिलित है, का इकाई दर ₹ 111 प्रति घन मी था। इसमें परिवहन के सभी प्रावधान शामिल है। नीचे चर्चित दो निर्माण कार्य[40] का प्राक्कलन एसओआर (अप्रैल 2005) के आधार पर तैयार किया गया था।

[39] ईई के पास उपलब्ध कुल बैंक गारंटी; ₹ 1.59 करोड़ बैंक गारंटी कम भुनाया जाना; ₹ 69 लाख = ₹ 90 लाख।

[40] (1) राजनांदगांव - अर्जुनदा - गुंडरदेही सीआरएफ के तहत सड़क और (2) एमएनपी के अंतर्गत दुर्ग सिटी रोड का चौड़ीकरण कार्य।

गलत दर लागू किए जाने से राशि ₹ 46.12 लाख का अधिक भुगतान किया जाना

(i) हमने प्राक्कलन तथा माप पुस्तिका में देखा कि सीआरएफ योजना के तहत राजनॉदगाँव-अर्जुन्दा-गुंडरदेही मार्ग[41] के चौड़ीकरण कार्य में ठेकेदार के द्वारा 21733.62 घन मी मिट्टी कि खोदाई की गयी तथा उसे उक्त वर्णित मद क्र. 2.6 के अनरूप भुगतान किया गया। हमने आगे पाया कि इस उत्खनित मिट्टी में से 13201.47 घन मी का उपयोग तटबंध के निर्माण में किया गया जिस हेतु ठेकेदार को ₹ 178 प्रति घन मी की दर से एसओआर[42] के मद क्रमांक 2.4 के तहत भुगतान किया गया। चूंकि उत्खनित मिट्टी का उपयोग तटबंध में किया गया तथा उसे किसी अन्य क्षेत्र से नहीं लाया गया, अतएव ठेकेदार को एसओआर[43] के मद क्रमांक 2.3 के अनुसार ₹ 38 प्रति घन मी की दर से भुगतान किया जाना था। ठेकेदार को अधिक दर से भुगतान करने के परिणामस्वरूप ₹ 17.46 लाख[44] अधिक भुगतान किया गया।

इसके अतिरिक्त, ठेकेदार को, अतिरिक्त उत्खनित मिट्टी के निपटारे हेतु ₹ 52.80 प्रति घन मी की दर से ₹ 4.25 लाख (₹ 52.80 x 8532.15 प्रति घन मी कम 5.55 प्रतिशत निम्न निविदा की दर से) का भुगतान किया गया। चूंकि मद क्रमांक 2.6 से मिट्टी के निपटारे हेतु परिवहन सम्मिलित था, अतएव ठेकेदार को उत्खनित मिट्टी के निपटारे के लिये अतिरिक्त भुगतान के परिणामस्वप ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया।

उत्तर में ईई के द्वारा बताया (जून 2013) गया कि मद क्र. 2.6 में मात्र एक कि मी तक का ही परिवहन सम्मिलित है। अतएव एक किमी के आगे परिवहन किए गए मिट्टी का भुगतान किया गया है। इसके अतिरिक्त, तटबंध में उपयोग हेतु उत्खनित मिट्टी उपयुक्त नहीं थी अतएव तटबंध हेतु चयनित मिट्टी का उपयोग किया गया है।

ईई का उत्तर तथ्यात्मक सही नहीं है क्योंकि मद क्रं. 2.6 (एसओआर 2005) में सामग्री के उठाव एवं परिवहन बिना किसी सीमित दूरी के प्रावधान सम्मिलित है। एक किलोमीटर के अधिक दूरी के परिवहन का प्रावधान संशोधित एसओआर जिसे वर्ष 2009 से लागू किया गया है सम्मिलित है। आगे ईई के पत्र (जून 2008) से यह स्पष्ट है कि ठेकेदार के द्वारा मात्र 8532.015 घन मी मिट्टी का ही निपटारा किया गया और शेष मिट्टी का उपयोग तटबंध के निर्माण कार्य में किया जबकि चयनित मिट्टी दूसरे स्थान से लाया जाना था।

(ii) एमएनपी योजना के तहत दुर्ग नगर मार्ग के चौड़ीकरण के प्राक्कलन तथा माप पुस्तिका की संवीक्षा में पाया गया कि प्राक्कलन अप्रैल 2005 से प्रभावी एसओआर के आधार पर तैयार किया गया था। एसओआर के मद क्र. 2.6 के अनुसार ₹ 111 प्रति घन मी की दर से ठेकेदार को 38604.14 घन मी हेतु ₹ 42.84 लाख का भुगतान किया गया।

[41] ठेकेदार को कार्य (अप्रैल 2007) अवंटित किया गया और ईई, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, राजनांदगांव द्वारा ₹ 3.29 करोड़ (मार्च 2009) का भुगतान किया गया।

[42] एसओआर के मद क्र. 2.4 के अनुसार कंडिका 305 और इसके उप कंडिका के अनुसार तटबंध/सबग्रेड/मिट्टी के किनारो का निर्माण, जहां आवश्यक है अनुमोदित सामग्री के साथ खुदाई और ढुलाई, लेकिन, पानी की लागत, संघनन आदि सहित होती है,

[43] एसओआर के मद क्र. 2.3 के अनुसार फेलाने, बिछाने, सड़क चौड़ा करने के लिए मिट्टी का तटबंध निर्माण, सबग्रेड, सड़क निर्माण के लिए मिट्टी के तटबंध विनिर्देश के अनूसार अनुमोदित सामग्री के साथ आवश्यक सभी कार्य का प्रचालन, नालियाँ सड़क कि 250 मी से ढुलाई आदि।

[44] (178-38) * 13,201.47 क्यू.मी. की दर से निविदा दर से 5.55 प्रतिशत कम।

उक्त भुगतान के अतिरिक्त ठेकेदार को उत्खनित मिट्टी के निपटारे हेतु ₹ 24.41 लाख (36604.14 घन मी हेतु ₹ 61.20 प्रति घन मी की दर से) का भी भुगतान किया गया। चूंकि पूर्व में मद क्र. 2.6 के अनुसार किए गए भुगतान में परिवहन की लागत भी सम्मिलित थी, अतएव ₹ 24.41 लाख का पृथक भुगतान अनुचित था तथा इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया।

ईई दुर्ग द्वारा उत्तर में बताया गया (मई 2013) कि एसओआर का मद क्र. 2.6 का प्रावधान पानी के जमाव को रोकने हेतु है। उत्खनित समाग्री के कार्य-स्थल से दूर परिवहन की दशा में एसओआर का मद क्र. 5.5 टिप्पर के द्वारा पत्थर का पाँच किमी तक परिवहन लागू होगा।

तथ्य यह है कि एसओआर के मद क्र. 2.6 में उत्खनित सामाग्री के परिवहन का कोई प्रावधान नहीं था। आगे, ईई द्वारा उल्लेखित मद क्रमांक 5.5 इस स्थिति में मान्य नहीं है चूंकि कार्य में कोई मेटल का परिवहन शामिल नहीं है।

2.4.8.10 विनिर्देशन का पालन किये बिना कार्य का निष्पादन

एमओआरटी एवं एच के द्वारा सड़क एवं सेतु कार्यों हेतु जारी स्पेसिफिकेशन की कंडिका 507.3.3 तथा 509.3.3 के अनुसार, सेमी डेन्स बिटुमिनस कोंक्रीट (एसडीबीसी) के निष्पादन हेतु प्रभारी अभियंता द्वारा विधिवत अनुमोदित मिक्स डिजाइन आवश्यक है तथा इसे ठेकेदार के द्वारा कार्य प्रारम्भ करने के न्यूनतम 20 दिन पूर्व लिखित रूप में प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए।

₹ 1.32 करोड़ मूल्य के अवमानक कार्य का निष्पादन किया जाना

सीआरएफ योजना के तहत स्वीकृत नांदघाट-भाटापारा-चंदखुरी मार्ग के अभिलेखों की जांच में यह उजागर हुआ कि ₹ 1.32 करोड़ मूल्य (₹ 2860 x 4110.33 घनमी + 12 प्रतिशत अधिक की दर) से एसडीबीसी मद का निष्पादन जैसा की स्पेसिफिकेशन में आवश्यक था, उसके विपरीत मिक्स डिजाइन के बिना ही किया गया (2007-08)।

एसई का निरीक्षण टिप्पणी (अगस्त 2007) के अनुसार हमने पाया कि सड़क जो अनुबंध के परफारमेंस गारंटी अवधि के अधीन था, इसके पूरा होने के सिर्फ पांच माह की अवधि में क्षतिग्रस्त हो गया है। परिणामस्वरूप पीडब्ल्यूडी क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत के लिए ₹ 39.42 लाख (₹ 17.14 लाख+ ₹ 22.28 लाख) का व्यय किया जोकि लेखापरीक्षा की तिथि (जून 2013) तक ठेकेदार से वसूल नहीं किया गया था, क्योंकि मामला न्यायाधीन था। अतः बिना मिक्स डिजाइन के एसडीबीसी कार्य का निष्पादन किए जाने के फलस्वरूप ₹ 1.32 करोड़ का अवमानक कार्य स्वीकार किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (जून 2013), ईई बलोदाबाजार के द्वारा बताया गया (जून 2013) कि कार्य का वास्तविक निष्पादन जॉब मिक्स फॉर्मूला के आधार पर ही किया गया था। तत्कालीन सम्बंधित उप-अभियन्ताओं के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने के कारण जॉब मिक्स फॉर्मूला अभिलेखों में नहीं पाया जा सका।

मिक्स डिजाइन की स्वीकृति से संबंधित रिकार्ड की अनुपलब्धता और निर्माण कार्य के तुरंत बाद सड़क को नुकसान संभावना का संकेत देती है कि इसे क्रियान्वित करते हुए एमओआरटी एवं एच के विनिर्देशों का पालन नहीं किया गया था ।

2.4.8.11 वन विभाग से अनुमति प्राप्त किए बिना ही आरक्षित वन क्षेत्र में ₹ 18.07 लाख मूल्य के कार्य का संदिग्ध निष्पादन

कार्य विभाग मैनुअल के पैरा 4.017 के अनुसार, माप पुस्तिका (एमबी) सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है। यह निष्पादित कार्य के मात्रा के सभी लेखा-जोखा का आधार है तथा इसमें सभी तथ्यों का इस प्रकार पूर्ण समावेश होना चाहिए कि न्यायालय में इसे निर्णायक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। कार्य का विवरण सुबोध होना चाहिए जिससे कि इसे आसानी से चिन्हांकित किया जा सके। हर माप का अभिलेखन, जब भी उसे लिया जाए, सीधे ही एमबी में किया जाना चाहिए। हर माप के दौरान कार्यस्थल का उल्लेख की जानी चाहिए।

बिना कार्य के ठेकेदार को ₹ 18.07 लाख का भुगतान किया गया

एमएनपी योजना के अंतर्गत कवर्धा-रेगाखार मार्ग का निर्माण कार्य के अभिलेखों में हमने पाया कि ठेकेदार को किमी. 17/10 से 18/6 के बीच का भाग, जो कि आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत था, पर तटबंध के उत्खन्न (16279 घन मी) हेतु ₹ 18.07 लाख का भुगतान किया गया। चूंकि, किमी. 17/10 से 18/6 के बीच का भाग आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत था, अतएव वन विभाग की अनुमति के बिना किया गया कार्य, माप पुस्तिका में दर्ज माप तथा माप के आधार पर किया गया भुगतान संदिग्ध प्रतित होता है।

उक्त तथ्य इंगित किए जाने पर ईई के द्वारा बताया गया (दिसंबर 2013) कि मील के पत्थर के अभाव में माप त्रुटिपूर्ण अंकित हो गये थे तथा कथित स्थान के बीच आरक्षित वन क्षेत्र होने के कारण कोई कार्य नहीं किया गया। ईई ने यह भी बताया कि माप में सुधार कर लिया गया है तथा भुगतान हेतु नियत अंतिम देयक से आवश्यक कटौती कर ली जायेगी।

तथ्य यह है कि दर्ज माप संदिग्ध थे और ईई की ओर से कर्मिष्ठता की कमी के संकेत है।

2.4.8.12 तत्काल बिछाए गए डामरीकृत सतह पर टैक कोट किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 20.19 लाख का अनियमित तथा अतिरिक्त परिहार्य व्यय

एमओआरटी एवं एच स्पेसिफिकेशन की कंडिका 503.1 में प्रावधान है कि आवरण प्राप्त करने वाली समाग्री, यदि एसडीबीसी मद के बिछाए जाने से पूर्व तत्काल बिछाई गयी डामरीकृत सतह है, जिस पर यातायात प्रारंभ नहीं हुआ है अथवा जो धूल से दूषित नहीं हुई है, तो टैक कोट की अनिवार्यता नहीं होगी।

अतिरिक्त टेक कोट के उपयोग के कारण अनियमित और परिहार्य अतिरिक्त व्यय ₹ 20.19 लाख

हमने, सीआरएफ योजना के तहत स्वीकृत केदई-बरदर-बैकुंठपुर-सोनहट-रामगढ़ मार्ग का कार्य के अभिलेखों में देखा कि तत्काल बिछाए गए डीबीएम सतह पर टैक कोट की अतिरिक्त परत बिछाई गयी तथा ठेकेदार को ₹ 20.19 लाख का भुगतान किया गया। इस मद का प्रावधान, सीई बिलासपुर के द्वारा तकनीकी रूप से स्वीकृत प्राक्कलन में नहीं था। अतएव, बिना पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए इसका निष्पादन अनियमित था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, ईई के द्वारा बताया गया कि डीबीएम तथा एसडीबीसी के बीच टैक कोट का प्रावधान प्राक्कलन में सम्मिलित नहीं था तथा इसका निष्पादन एसई, अम्बिकापुर से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत ही किया गया।

तथ्य यह है कि तत्काल बिछाए गए डामरीकृत सतह पर टैक कोट की अतिरिक्त परत बिछाने का कार्य के बिना प्राक्कलन सीई के द्वारा स्वीकृत थे, अतएव दोहरे टैक कोट के निष्पादान हेतु एसई का अनुमोदन न्यायसंगत नहीं था।

2.4.8.13 शासन के निर्देशों का उल्लंघन कर ₹ 1.62 करोड़ मूल्य के कार्य का अनियमित निष्पादन

ईएनसी, लोनिवि के द्वारा जारी निर्देशों (जुलाई 1998 एवं अप्रैल 1999) के अनुसार, मूल कार्य के बाहर कोई भी पूरक कार्य स्वीकृत नहीं किया जाएगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में पूरक कार्य मूल कार्य के अनुबंधित मूल्य से 25 प्रतिशत की सीमा में ही होनी चाहिए। शासन ने यह भी स्पष्ट किया कि ईई के द्वारा एसई के लिखित अनुमति के आधार पर 25 प्रतिशत तक ही पूरक अनुसूची स्वीकृत की जा सकती है। 25 प्रतिशत से अधिक की पूरक अनुसूची शासन की अनुमति उपरांत ही स्वीकृत की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त, अनुबंध की कंडिका 7.11 के अनुसार प्रभारी अभियंता किसी भी मद के (+)25 प्रतिशत की कुल सीमा के भीतर कार्य बढ़ा या घटा सकता है। परन्तु यह तकनीकी अनुमोदन प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरांत ही अनुबंधित मूल्य के (+)10 प्रतिशत तक ही होगा।

शासन के निर्देशों का उल्लंघन कर ₹1.62 करोड़ मुल्य के अतिरिक्त कार्य का निष्पादन

ईई, लोनिवि (भ/स) संभाग, अम्बिकापुर के अभिलेखों की जांच में यह उजागर हुआ कि उक्त प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए दो अनुबंधों में ₹ 1.62 करोड़ मूल्य के अतिरिक्त मात्रा के मिट्टी कार्य का निष्पादन शासन से स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही किया गया। कार्य के लागत में वृद्धि मिट्टी कार्य में असाधारण वृद्धि जैसा कि निम्नानुसार प्रदर्शित है, के कारण हुआः-

तालिका- 2.4.2: मिट्टी कार्य की अधिक मात्रा का विवरण

स.क्र.	कार्य का नाम (अनुबंध क्र.)	संभाग का नाम	प्राक्कलन के अनुसार मिट्टी कार्य की मात्रा	वास्तविक निष्पादन एवं भुगतान	अधिक निष्पादन (प्रतिशत)	दर प्रति घन मी.	राशि
			(घन मी. में)				(₹ लाख में)
1.	दरिमा-नवानगढ़ - कर्रा रोड (148/डीएल,2007-08)	अम्बिकापुर	7624	77005.43	69381.43 (910)	139.55	96.82
2.	असकला-अहिरपर मार्ग (26/डीएल,2008-09)	अम्बिकापुर	50384.20	103517.95	53133.75 (105)	121.75	64.89
योग							161.71

जैसा कि उक्त तालिका से देखा जा सकता है कि दरिमा-नवानगर कर्रा मार्ग के प्रकरण में 910 प्रतिशत विचलन हुआ तथा असकला-अहिरपरा मार्ग के प्रकरण में यह 105 प्रतिशत था। इतना महत्वपुर्ण विचलन होने के उपरांत भी, ईई के द्वारा ठेकेदार को ₹ 1.62 करोड़

का भुगतान शासन से अनुमति प्राप्त किए बिना ही कर दिया गया, जो कि अनियमित था। इसके अतिरिक्त, यह अपर्याप्त सर्वेक्षण एवं जाँच का सूचक है।

उत्तर में ईई, लोनिवि (भ/स) संभाग अम्बिकापुर के द्वारा बताया गया (जून 2013) कि कार्य का निष्पादन, स्थल की आवश्यकता एवं उच्च अधिकारियों के निर्देशों के अनुरूप ही किया गया तथा पूरक अनुसूची को स्वीकृति हेतु भेजा गया है। हालांकि सक्षम अधिकारी से स्वीकृति अपेक्षित है।

तथ्य यह है कि उपरोक्त प्रावधान के अधीन शासन की स्वीकृति प्राप्त किये बिना अतिरिक्त कार्य का क्रियान्वयन किया गया जोकि उपरोक्त प्रावधान के अधीन वांछित था।

2.4.9 निष्कर्ष

अपर्याप्त योजना और सड़क की प्राथमिकता नहीं होने के कारण वहाँ स्वीकृतियों का परस्पर दोहरीकरण था। लोनिवि भी सड़क निर्माण कार्य के निष्पादन से पहले विस्तृत सर्वेक्षण और जांच करने में असफल रहा जिसके चलते मात्रा में महत्वपूर्ण बदलाव और निर्माण के पूरा होने में देरी हुई। आवश्यक भूमि की उपलब्धता तथा वन विभाग की अनुमति के बिना ही सड़क कार्यों के निष्पादन के फलस्वरूप देरी और निर्माण की लागत में वृद्धि हुई। सरकार के निर्देशों और संविदात्मक शर्तों का पालन करने के लिए लोनिवि की विफलता न्यूनतम कार्यक्रम में धन का अनाधिकृत व्यपवर्तन, दंड की वसूली न होना, अग्राह्य मूल्य वृद्धि का भुगतान, निर्माण की अनियमित निष्पादन, आवश्यकता से ज्यादा व्यय अतिरिक्त भुगतान आदि।

2.4.10 अनुशंसा

- लोक निर्माण विभाग योजना की रूपरेखा ठीक से और विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृति के दोहरीकरण से बचने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत विकसित किए जाने की सड़कों की आवश्यकता हेतु प्राथमिकता की सूची को अंतिम रूप देने चाहिए।
- निर्माण के पूर्ण होने में विलम्ब से बचने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण और जांच के बाद और सभी बाधाओं से मुक्त भूमि की उपलब्धता को अंतिम रूप देने के बाद निर्माण किया जाना चाहिए।
- निधि, निर्धारित परियोजनाओं के लिए समयबद्ध तरीके में उपयोग किया जाना चाहिए।
- मितव्ययता, कुशलता और प्रभावी ढंग से कार्य पूरा करने के लिय विशिष्टियों और नियमावली के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

शासकीय विभाग की कार्यप्रणाली

2.5 खेल एवं युवा कल्याण विभाग का क्रियाकलाप

कार्यपालिक सारांश

राज्य में खेल गतिविधियों का आयोजन कराने एवं बढ़ावा देने की जिम्मेदारी खेल एवं युवा कल्याण विभाग की है। विभाग की मुख्य गतिविधियों में पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका) (एक केन्द्र प्रवर्तित योजना) का क्रियान्वयन, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन तथा महिला खेलकूद उत्सव, विभिन्न खेल संगठनों को वित्तीय सहायता देना, प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहन व पुरस्कार, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन तथा युवा गतिविधियों और प्रदेश में खेलकूद अधोसंरचनाओं का निर्माण करना शामिल हैं।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग की कार्य प्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा में वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान महत्वपूर्ण गतिविधियों की मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावशीलता की जांच के लिए किया गया। प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे वर्णित हैः-

- पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका) के क्रियान्वयन के लिए अपूर्ण विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया तथा क्रियान्वयन एजेंसी के चयन में विलंब के कारण ₹ 5.05 करोड़ 18 माह तक अवरूद्ध रही।

{कंडिका 2.5.6.2(क) तथा 2.5.8.1}

- निधि का उपयोग नहीं होने के कारण वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान 10 से 88 प्रतिशत तक बचत रही।

{कंडिका 2.5.7.1 (क) }

- पायका निधि से मल्टी जिम एवं उपभोग्य वस्तुओं की खरीदी में ₹ 1.84 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

(कंडिका 2.5.8.2)

- होस्ट सिटी अनुबंध में परिकलित सामान्य संगठनत्मक योजना प्रस्तुत करने में विभाग विफल रहा तथा तीन साल व छः माह व्यतीत होने के बाद भी 37वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की मेजबानी की ठोस तैयारी नहीं की गई।

(कंडिका 2.5.9)

- अनुचित योजना व कार्य आदेश जारी करने में विलंब के कारण मूल्यवृद्धि का अनुचित भुगतान ₹ 4.39 करोड़ किया गया।

{ कंडिका 2.5.11 (क)}

- नियमावली के प्रावधान का उल्लंघन करते हुये ठेकेदार को ब्याज रहित मोबेलाईजेशन अग्रिम की स्वीकृति से ठेकेदार को ₹ 4.73 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

{कंडिका 2.5.11(ख)}

- अत्यधिक रिक्तियों जो 33 से 100 प्रतिशत तक था के कारण विभाग की गतिविधियों का क्रियान्वयन और अनुश्रवण बुरी तरह प्रभावित हुआ।

(कंडिका 2.5.15)

- नमूना जांच के लिये चयनित जिलों में वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई।

{ कंडिका 2.5.16 (क)}

2.5.1 प्रस्तावना

संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में खेल सूचीबद्ध है। अतः राज्य में खेल गतिविधियों का विकास सुनिश्चित करने की प्रमुख जिम्मेदारी राज्य शासन की है। भारत सरकार, खेल गतिविधियों के विकास में पूरक भूमिका निभाता है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ राज्य में खेल गतिविधियों के संचालन एवं बढ़ावा देने के लिए प्रमुख संस्था है। राज्य शासन द्वारा खेल संस्कृति बनाने और ग्राम पंचायत स्तर पर खेल सबंधित सभी योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए खेल नीति 2001 बनाई गई। विभाग के मुख्य कार्यों में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन और महिला खेल उत्सव, विभिन्न खेल संगठनों को वित्तीय सहायता, प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका) का क्रियान्वयन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन व युवा गतिविधियों तथा राज्य में खेल अधोसरंचनाओं का निर्माण करना है।

राज्य का प्रदर्शन, राष्ट्रीय स्तर पर पदक मिलने के संबंध में औसत से कम, यहां तक कि आबादी और पिछड़े राज्यों जैसे मणिपुर और जम्मू व कश्मीर से नीचे रहा। भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित पिछले दो राष्ट्रीय खेल (गुवाहाटी 2007 एवं राँची 2011) में क्रमशः 06 एवं 07 पदक के साथ राज्य का 21 वाँ स्थान रहा। यद्यपि दो नवगठित राज्य झारखण्ड एवं उत्तराखण्ड को क्रमशः 2007 में 22 एवं 13 पदक और 2011 में 96 एवं 13 पदक प्राप्त हुआ था।

छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ, जो वर्ष 2001 से भारतीय ओलंपिक संघ से संबंध था, राज्य में खेल संस्कृति का प्रचार करने के लिए सक्रिय रहा। भारतीय ओलंपिक संघ ने छत्तीसगढ़ राज्य को 37वें राष्ट्रीय खेल, की मेजबानी दी है जिसे वर्ष 2017 में आयोजित होना है।

2.5.2 संगठनात्मक संरचना

शासन स्तर पर, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग के प्रमुख हैं और आयुक्त/संचालक विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं। आयुक्त/संचालक की सहायता के लिए संचालनालय स्तर पर संयुक्त संचालक, उप संचालक, सहायक संचालक खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी व अन्य अधिकारी हैं। जिला कार्यालय, जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी के नेतृत्व में होता है, जिनकी सहायता के लिए वरिष्ठ खेल अधिकारी/खेल अधिकारी, वरिष्ठ प्रशिक्षक/प्रशिक्षक व अन्य अधिकारी हैं।

2.5.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह मूल्यांकन करना था कि क्या :

- खेल के विकास के लिए योजना उचित एवं पर्याप्त थी।
- वित्तीय प्रबंधन कुशल व प्रभावी था।
- विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों का प्रबंधन कुशल, प्रभावी व किफायती था।
- भंडार प्रबंधन कुशल और प्रभावी था।
- मानव संसाधन प्रबंधन कुशल और प्रभावी था।
- आंतरिक नियंत्रण तंत्र स्थापित था और अनुश्रवण प्रभावी था।

2.5.4 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्न मापदंडों के आधार पर बनाए गयेः-

- परिप्रेक्ष्य योजना और वार्षिक योजना जो लेखापरीक्षा अवधि के अतंर्गत थे।
- छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता।
- छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता।
- राज्य शासन की योजनाएँ और केन्द्र शासन की योजनाएँ जैसे पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका) के क्रियान्वयन के दिशानिर्देश।
- होस्ट सिटी अनुबंध, भारत शासन द्वारा एवं भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए जारी दिशानिर्देश।
- भंडार क्रय नियम।

2.5.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र व कार्यप्रणाली

खेल एवं युवा कल्याण विभाग की निष्पादन लेखापरीक्षा करने के लिए संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अलावा, 27 में से 10[1] जिलों का चयन किया गया। वर्ष 2010-11 से 2012-13 की अवधि को लेखापरीक्षा में शामिल किया गया। लेखापरीक्षा मई से जुलाई 2013 के दौरान की गई। निष्पादन आधारित लेखापरीक्षा में योजना, वित्तीय प्रबंधन, कार्यक्रम प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण सहित अन्य पहलुओं को शामिल किया गया। प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन के साथ एक आगम बैठक की गई थी (10 जून 2013) जिसमे लेखापरीक्षा कार्य प्रणाली, उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र पर चर्चा की गयी थी। प्रमुख सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के साथ एक निर्गम बैठक की गयी (17 जनवरी 2014) एवं विभागीय अधिकारियों के विचारों को सम्बन्धित टिप्पणियों मे सम्मिलित किया गया।

2.5.6 संस्थागत कमजोरियाँ

योजनाओं के कुशल एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभाग को वर्तमान खेल नीति का पालन, परिप्रेक्ष्य योजना एवं वार्षिक कार्य योजना को तैयार करना, और योजनाओं को राज्य, जिला, विकासखंड व ग्राम स्तर पर उचित अनुश्रवण सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी। निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, संस्थागत कमजोरियाँ जैसे खेल नीति 2001 का पालन न होना, पायका योजना के क्रियान्वयन के लिए अपूर्ण परियोजना प्रतिवेदन बनाना, अपर्याप्त निधि के प्रावधान और छत्तीसगढ़ खेल परिषद का गठन न किया जाना देखा गया जिसकी चर्चा आगामी कंडिकाओं में की गई है।

2.5.6.1 खेल नीति 2001 का पालन न करना

खेल मैदानों की पहचान व विकास

राज्य के खेल नीति 2001 में अन्य बातों के अलावा उपलब्ध खेल मैदानों व खुली जगहों जिसे खेल मैदान के रूप में उपयोग किया जाए, के लिये सर्वे किया जाना शामिल है। आगे नीति के अनुसार सभी खेल मैदानों का चिन्हांकन और सुरक्षा के लिए जरूरी कदम भी उठाए

[1] बलौदा बाजार, भाटापारा, बस्तर, बेमेतरा, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, कांकेर, कोंडागाँव, रायगढ़ एवं रायपुरगुर

जाने चाहिए। इसी तरह, लोकप्रिय खेलों के लिए खेल मैदान और ग्राम स्तर पर ग्रामीण खेल केन्द्र की स्थापना के बाद नियमित अभ्यास शुरू किया जाना चाहिये। विकासखंड स्तर पर हायर सेकेंडरी स्कूल में खेल मैदान, जिला स्तर पर खेल काम्पलेक्स और राज्य स्तर पर खेल प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण राज्य में खेल गतिविधियों के विकास के लिए करना था।

राज्य शासन द्वारा विभिन्न जिला मुख्यालयों में आठ खेल अधोसंरचनाओं जैसे खेल काम्पलेक्स, हाकी एस्ट्रोटर्फ, स्टेडियम तथा एथलेटिक ट्रेक और रायपुर में अंर्तराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की पहल की गई।

यद्यपि अभिलेखों की जांच में यह देखा गया कि खेल नीति बनाने के 12 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी खेल सुविधाओं, खेल मैदानों तथा खेल मैदान के लिए उपयुक्त खुले क्षेत्रों का कोई सर्वे और खेल मैदानों का चिन्हांकन विभाग द्वारा नहीं किया गया। विभाग द्वारा लोकप्रिय खेलों जैसे एथलेटिक्स, वॉलीबाल, कबड्डी, फूटबॉल और खो-खो के लिए ग्राम स्तर पर खेल मैदान या विकासखंड स्तर पर हायर सेकेंडरी स्कूल में खेल मैदान निर्माण के लिए कदम नहीं उठाए गए।





फोटो दर्शाता है दुर्ग जिला के पुरयी में खेल मैदान नहीं होने से महिलाओं की खेल प्रतियोगिता खुले मैदान में की जा रही है।

नमूना जाँच जिलों से प्राप्त जानकारी से यह ज्ञात हुआ कि विभाग के पास खेल मैदान की उपलब्धता/अनुपलब्धता और अन्य स्त्रोतों जैसे, मनरेगा के अंतर्गत ग्राम स्तर व स्कूल स्तर पर निर्मित/निर्माणाधीन मैदान के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। सभी जिलों से संग्रहित जानकारी से ज्ञात हुआ कि 27 में से 12 जिलों में स्टेडियम, मिनी स्टेडियम व इंडोर स्टेडियम उपलब्ध नहीं थे जैसा कि **कंडिका 2.5.10 (क)** में चर्चा की गई है।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि खेल नीति का पालन न होने से विगत 12 वर्षों से विभाग के उद्देश्यों जैसे राज्य में खेल संस्कृति का विकास, जिला, विकासखंड व ग्राम स्तर पर खेल संबंधी योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन की पूर्ति नहीं की गयी।

निर्गम बैठक (जनवरी 2010) में शासन ने बताया कि जिला स्तर (रायपुर, राजनादगांव, बिलासपुर) पर निर्माणाधीन खेल अधोसंरचनाओं की स्थिति पूर्णता में है। आगे शासन ने बताया कि विकासखण्ड स्तर पर खेल अधोसंरचना विकसित करने के लिए 25 स्थल चिन्हित किया गया और मनरेगा के अन्तर्गत कार्य अनुमोदित किया गया और खेल को बढ़ावा देने के लिए एक नवीन योजना युवा भारत दर्शन इस वर्ष से शुरू किया गया। जैसे खेल नीति में दर्शाया गया है, उपलब्ध खेल मैदानों का विस्तृत सर्वे चिन्हांकन और सभी खेल मैदानों का सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी ।

2.5.6.2 आयोजना

खेल विकास के लिए युवा विकास महत्वपूर्ण घटक है और राष्ट्रीय विकास के लिए युवा विकास सुनिश्चित किया जाना चाहिए, इसे सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय खेल नीति 2001 में खेल के व्यापक आधार को बढ़ावा देने के लिए निचले स्तर की खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। राष्ट्रीय खेल नीति के आधार पर वर्ष 2001 में राज्य खेल नीति बनाई गई। पंचायत स्तर पर बुनियादी खेल अधोसंरचनाओं और उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत शासन द्वारा मई 2008 में पायका का शुभारंभ किया गया और विकासखंड, जिला राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई जिससे ग्राम स्तर पर खेलों को बढ़ावा दिया जाए। आयोजना से संबंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि पायका के क्रियान्वयन के लिए अपूर्ण विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किए गए थे और छत्तीसगढ़ खेल परिषद का गठन नहीं किया गया था। जिसका उल्लेख निम्नानुसार हैः-

(अ) पायका के क्रियान्वयन के लिए अपूर्ण विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना

भारत शासन के युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा जारी पायका दिशानिर्देशों के अनुसार यह कार्यक्रम भारत के सभी गाँवों और विकासखंड पंचायतों को शामिल करेगा। इस कार्यक्रम की अवधि वर्ष 2007-08 से प्रारंभ होकर 10 वर्ष के लिए होगी और ग्यारहवीं (2007-08 से 2011-12) एवं बारहवीं योजना (2012-13 से 2016-17) अवधि में चरणबद्ध ढंग से क्रियान्वित होगी। दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य द्वारा परिप्रेक्ष्य एवं वार्षिक कार्य योजना के साथ-साथ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना और इसके अतिरिक्त निम्न पहलुओं का भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है।

- पंचायतें जो स्वयं के ससांधनों, राज्य शासन अंशदान और योजनाएँ जैसे सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एमपीएलएडी), विधानसभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) से मिलने वाली राशि जुटाने में सक्षम हो और ऐसी पंचायतें जिनके पास पहले से ही बुनियादी खेल अंधोसंरचना उपलब्ध है उन्हें प्राथमिकता से शामिल किया जाएगा।

पायका के क्रियान्वयन के लिए अपूर्ण विस्तृत परियोजना तैयार करना

अभिलेखों की जांच में देखा गया कि विभाग द्वारा पायका योजना के क्रियान्वयन के लिए परियोजना प्रतिवेदन के साथ-साथ परिपेक्ष्य योजना और वार्षिक कार्य योजना तैयार (जनवरी 2011) की गई परंतु जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, उसमें पंचायतों द्वारा स्वयं के संसाधनों या अन्य संसाधनों द्वारा मिलान राशि के संबंध में किए गए प्रयासों की जानकारी शामिल नहीं थी। आगे यह भी देखा गया कि विभाग द्वारा जिला कार्यालयों से खेल गतिविधियों गाँव, विकासखण्ड एवं स्कूल स्तर पर उपलब्ध खेल मैदानों एवं खेल अधोसंरचना और ग्रामों में प्रशिक्षक की उपलब्धता आदि की जानकारी भेजने के निर्देश (नवम्बर 2010) दिए गए जिससे उन्हें भी प्रतिवेदन में शामिल किया जा सके। परंतु प्रतिवेदन तैयार होने से पूर्व विभाग को वांछित जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। नमूना जांच में चयनित जिलो के अभिलेखों की जांच मे देखा गया कि जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारियों द्वारा विभाग को विस्तृत जानकारी पांच से 22 माह विलंब से प्रस्तुत की गई। जिसके अभाव में, विभाग द्वारा योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रतिवेदन तैयार करने हेतु प्रत्येक जिले के 10 से 12 प्रतिशत ग्रामों/विकासखंडो का चयन (जनवरी 2011) बिना कोई औचित्य से किया गया था। विस्तृत

परियोजना प्रतिवेदन को भारत शासन के खेल मंत्रालय द्वारा नवम्बर 2011 में स्वीकार किया गया। इसी आधार पर पायका योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा था।

इंगित किए जाने पर संचालक, खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने कहा (अगस्त 2013) कि शिक्षा एवं आदिवासी विकास विभागों की सहायता से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया था। आगे यह भी बताया कि पायका के लिए ग्रामों के चयन में खेल अधिकारियों, स्कूल प्राचार्य/प्रधान पाठकों सचिव पंचायत की सहायता ली गई। निर्गम बैठक (जनवरी 2014) में शासन ने बताया कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिये सभी पहलुओं को लिया जाएगा।

यह तथ्य यथावत रहा कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में दिशानिर्देशों में उपलब्ध पहलुओं को शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा प्रतिवेदन को तैयार करने के लिए पायका केन्द्र, स्कूलों के खेल अधिकारियों/ से प्राप्त जानकारी जैसा की बताया गया लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गया।

(ब) छत्तीसगढ़ खेल परिषद का गठन नहीं किया जाना।

खेल नीति 2001 के अनुसार, राज्य में खेल गतिविधियों के विकास के लिए प्रतिष्ठित खेल व्यक्तियों/पत्रकारों और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक समिति छत्तीसगढ़ खेल परिषद का गठन खेल के विकास के लिए करना था और इस परिषद द्वारा राज्य शासन को सलाह दी जानी थी।

अभिलेखों की जांच में देखा गया कि राज्य गठन के 12 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी छत्तीसगढ़ खेल परिषद गठित नहीं की गई। परिषद का गठन न किया जाना, राज्य में अधोसंरचनाओं के अपर्याप्त विकास व विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन नहीं किए जाने के कारणों में से एक हो सकता है जिस पर आगे की कंडिकाओं में चर्चा की गयी है।

निर्गम बैठक (जनवरी 2014) में शासन ने बताया कि वर्ष 2000 के पूर्व मध्यप्रदेश में खेल परिषद था। इसी अनुरूप में खेल नीति 2001 के प्रावधान में रखा गया था। तथापि जैसा कि राज्य में खेल संघों के विकास के लिये खेल एवं युवा कल्याण विभाग कार्य कर रहा है जो खेल गतिविधियों के विकास के लिये राज्य शासन को आवश्यक सलाह प्रदान करता है जिससे खेल परिषद की जरूरत नहीं है। उन्होनें आगे कहा कि भविष्य में खेल परिषदों के लिए आवंटन नहीं किया जाएगा।

यह तथ्य यथावत रहा कि राज्य के खेल नीति के अनुसार, राज्य में खेल परिषद का गठन किया जाना था जिसे बजट प्रावधान करने के बावजूद नहीं किया गया था।

2.5.7 अनुपालन के मामले

वित्तीय प्रबंधन

सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन व नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि व्यय न केवल वित्तीय नियमों व विनियमों के अनुरूप हो किंतु सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी आदेशों के भी अनुरूप हो। यह सुदृढ़ वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने के अलावा वित्तीय अनियमिताओं दुर्विनियोजन और गबन को रोकने में भी सहायता करता है।

2.5.7.1 वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

भारत शासन एवं राज्य शासन द्वारा विभाग को विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निधियां प्रदान की जाती है। केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए भारत शासन एवं राज्य शासन द्वारा निधि साझा की जाती है जबकि राज्य योजनाओं के लिए राज्य शासन द्वारा निधि वार्षिक बजट में प्रावधानित की जाती है। विभिन्न योजनाओं के लिए वित्तीय ढ़ांचा ***परिशिष्ट 2.5.1*** में दर्शाया गया है।

बजटीय प्रावधान एवं उपयोग से संबंधित अभिलेखों की जांच में कमियाँ पाई गई जैसे निरंतर बचत, जिला स्तर पर निधियों का कम उपयोग, और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलंब आदि जिसकी चर्चा आगे की कंडिकाओं में है।

(अ) बजटीय प्रबंधन

(1) विगत तीन वर्षों में भारत शासन एवं राज्य शासन द्वारा प्रदत्त वित्तीय व्यय का विवरण निम्नानुसार हैः

तालिका 2.5.1: राज्य योजना व केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में विगत तीन वर्षों का बजट प्रावधान, व्यय और बचत का विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य योजनाएँ				केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ (पायका)					
	बजट प्रावधान	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत	भारत सरकार का हिस्सा	राज्य शासन का हिस्सा	कुल बजट प्रावधान	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
2010-11	12.01	11.05	0.96	*7.99*	14.52	2.66	17.18	15.38	1.80	10.47
2011-12	12.14	11.07	1.07	*8.81*	14.52	2.66	17.18	2.09	15.09	87.83
2012-13	55.37	51.28	4.09	*7.39*	32.52	8.66	41.18	14.95	26.23	63.70
योग	**79.52**	**73.40**	**6.12**	**7.70**	**61.56**	**13.98**	**75.54**	**32.42**	**43.12**	**57.08**

(स्त्रोतः विभाग द्वारा प्रदायित जानकारी)

केन्द्र प्रवर्तित योजना पायका में 10 से 88 प्रतिशत तक निरंतर बचत

उपरोक्त से स्पष्ट है कि विगत तीन वर्षों के दौरान खेल एवं युवा कल्याण सबंधी विभिन्न योजनाओं के लिये कुल राशि ₹ 155.06 करोड़ (₹ 79.52 करोड + ₹ 75.54 करोड़) का प्रावधान किया गया परंतु मात्र ₹ 105.82 करोड़ (₹ 73.40 करोड + ₹ 32.42 करोड़) (68 प्रतिशत) का उपयोग किया गया। इस प्रकार लगभग ₹ 49.24 करोड़ का उपयोग नहीं किया गया जिससे राज्य योजना में ₹ 6.12 करोड़ तथा पायका योजना में ₹ 43.12 करोड़ की बचत रही।

राज्य योजनाओं में बचत ₹ 6.12 करोड़ का मुख्य कारण 15 राज्य योजनाओं का कुशल क्रियान्वयन नहीं किया जाना रहा। योजनावार आवंटन, व्यय और बचत का विगत तीन वर्षों का विवरण **परिशिष्ट 2.5.2** में दिया गया है। यह देखा गया कि दस योजनाओं में बचत 25 प्रतिशत तक रहा, जबकि दो योजनाओं में यह 11 से 30 प्रतिशत रहा। शेष तीन योजनाओं जैसे राष्ट्रीय खेलों की तैयारी, खेल एकादमी और राज्य खेल परिषद की स्थापना में अत्यधिक बचत रही जिसका प्रतिशत 54 से 100 रहा जिसपर आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है। इसी प्रकार, केन्द्र प्रवर्तित योजना पायका में ₹ 43.12 करोड़ की बचत रही

जिसका कारण योजना के क्रियान्वयन में विलंब था जिसपर कंडिका क्र. 2.5.8.1 में चर्चा की गयी है।

निर्गम बैठक में शासन ने बताया (जनवरी 2014) कि भारत सरकार द्वारा समय पर निधि नहीं देने के कारण पायका योजना के अंतर्गत बचत रही।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने में विलंब तथा पायका के क्रियान्वयन के लिये कार्यकारी एजेंसी के अंतिमीकरण में विलंब के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

- 10 चयनित जिलों में से पाँच जिलों में निधि का बचत प्रतिशत 37.42 से 100 प्रतिशत तक रहा एवं शेष पाँच जिलों में कोई भी बचत नहीं देखा गया।

उत्तर में जिला खेल अधिकारियों ने बताया कि राशि का कम उपयोग होने के कारण वित्तीय वर्ष का समाप्ति के समय निधि का प्राप्त होना तथा विकासखण्ड/ग्राम स्तर पर प्रतियोगिताएँ/उत्सवों का आयोजन नहीं किया जाना था। निर्गम बैठक के दौरान शासन ने बताया (जनवरी 2014) कि नियमित कार्यों की योजना बनाकर निधि के उपयोग के लिये प्रयास किया जायेगा।

2.5.7.2 उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाना।

वित्तीय सहायता नियम 2007 (सामान्य 14) के अनुसार, प्रत्येक खेल संगठन को खेल गतिविधियों जैसे राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता संचालन, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और खिलाड़ियों के यात्रा व्यय के लिए विभाग द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है उन्हे सहायता स्वीकृति के दो माह के भीतर जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

नमूना जांच जिलों के अभिलेखों की जांच में यह देखा गया कि वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान खेल गतिविधियों के संचालन के लिए 43 खेल संगठनों को 191 बार राशि ₹ 5000 से ₹ 20 लाख तक प्रदान की गई थी। इन संगठनों की कुल वित्तीय सहायता की राशि ₹ 2.51 करोड़ थी। इसमें से सिर्फ 21 प्रकरणों में खेल संगठनों द्वारा समय सीमा में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए जबकि 92 प्रकरणों में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में एक से 15 माह तक विलंब देखा गया। शेष 78 प्रकरणो में जिला अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्रों के प्रस्तुत करने की तिथि की जानकारी लेखापरीक्षा को नहीं देने से विलंब की स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकी।

उत्तर में संबंधित जिलों के खेल एवं युवा कल्याण अधिकारियों ने बताया कि खेल संगठनों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र चार्टर्ड एकाउंटेड द्वारा जारी लेखापरीक्षा प्रमाण पत्रों के साथ में ही दिए जाते है। इसीलिए उपयोगिता प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने में विलंब हुआ। निर्गम बैठक के दौरान शासन ने बताया (जनवरी 2014) कि खेल संगठन द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी किया जावेगा।

2.5.8 सेवा प्रदाय

पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका)

भारत सरकार ने पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका) जो एक क्रेन्द्र प्रायोजित योजना थी, की शुरूआत की (मई 2008), जिसके अन्तर्गत ग्रामीण युवकों को क्रीड़ा और खेल की बुनियादी सुविधा एवं खेल सामग्री उपलब्ध कराकर पंचायत स्तर पर प्रमुख खेलों मे उनकी भागीदारी को बढ़ावा देते हुये उन्हें खेल के प्रति उत्साहित किया जाना था ताकि भविष्य में वे विकास खण्ड एवं जिला स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए अपनी खेल प्रतिभाओं के प्रदर्शन के लिए भविष्य में होने वाली प्रतियोगिताओं में अपने क्रीड़ा एवं खेल कौशल का और अच्छा प्रदर्शन कर राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्तम प्रदर्शन करने के लिए सामने आ सके। यद्यपि यह योजना वर्ष 2007-08 में पूरे देश में लागू की गई, राज्य में इस योजना को वर्ष 2009-10 में लागू किया गया। इस योजना के अन्तर्गत 2017 तक समाप्त होने वाले 10 वर्षों के अवधि में समस्त ग्राम एवं विकास खण्ड पंचायतों को सम्मिलित किया जाना था। पायका के अन्तर्गत घटकों का विवरण **परिशिष्ट 2.5.3** में दर्शाया गया है।

अभिलेखों की जांच से योजना के क्रियान्वयन में देरी, अनियमित क्रय, क्रीड़ाश्री[2] की कम नियुक्ति,एवं क्रीड़ाश्रीयों को मानदेय का भुगतान नहीं किया जाना, ग्राम एवं विकास खण्ड पंचायतों को सम्मिलित नहीं किया जाना, विकास खण्ड स्तर के प्रतियोगिताओं में ग्राम पंचायतों की कम भागीदारी एवं पायका के अन्तर्गत अनुदान की राशि का उपयोग न किया जाना देखा गया जैसा कि आगे की कंडिका में चर्चा की गयी है।

2.5.8.1 योजना के क्रियान्वयन में विलम्ब

भारत सरकार, खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किये गये पायका (मई 2009) के क्रियान्वयन हेतु कंडिका 12.4 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य स्तर पर नामांकित कार्यान्वयन एजेंसी जिनके नाम पर अनुदान दिया जाएगा के स्वीकृति पत्र में दिए गये नियम एवं शर्तों के अनुसार उसे अनुदान का उचित उपयोग करने की जवाबदेही होगी। आगे, भारत सरकार के स्वीकृति पत्र (जून 2009) के अनुसार, अनुदान प्राप्तकर्ता वित्तीय वर्ष समाप्ति के 12 महीनों के अंदर लेखापरीक्षित व्यय विवरण के साथ निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा उपरोक्त दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार पायका का क्रियान्वयन इस तरह चरणबद्ध रूप से किया जाना था ताकि वर्ष 2016-17 तक सभी ग्राम पंचायतों को सम्मिलित किया जा सके।

अभिलेखों की जांच में यह ज्ञात हुआ कि भारत सरकार ने प्रथम किश्त ₹ 3.94 करोड़ रूपये खेल के बुनियादी ढाचें के विकास हेतु एकमुश्त वार्षिक पूंजी अनुदान, ₹ 50.50 लाख रूपये खेल सामग्री क्रय करने हेतु एवं ₹ 60.50 लाख रूपये वार्षिक परिचालन अनुदान के रूप में गैर-प्रतियोगी गतिविधियों के लिए जिसमे क्रीड़ाश्री को मानदेय प्रदान करने एवं भवनों एवं अन्य बुनियादी ढ़ांचों के रख-रखाव के लिए जून 2009 में पायका का क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार को प्रदान किये गये। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए अक्टूबर 2009 में राज्य स्तरीय पायका समिति का गठन किया गया। इस संबंध में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया

[2] मानदेय प्राप्त खेल स्वयंसेवक

(मार्च 2010) कि एकमुश्त पूंजी अनुदान एवं वार्षिक अधिग्रहण अनुदान का उपयोग जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायतों और वार्षिक परिचालन अनुदान का उपयोग जिला खेल अधिकारी के माध्यम से पूर्ण किया जाएगा। डीपीआर तैयार करने के लिए विभाग ने जिला विकास खण्ड स्तर के अधिकरियों से नवम्बर 2010 में जानकारी प्राप्त करने की शुरूआत की (जैसा की कंडिका 2.5.6.2(अ) में दर्शाया गया है) और जनवरी 2011 में डीपीआर भारत सरकार को भेज दिया गया। यह डीपीआर भारत सरकार द्वारा नवम्बर 2011 में अनुमोदित किया गया। संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने जनवरी 2011 में समस्त जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को राशि आवंटित कर दी थी। उक्त राशि फरवरी 2011 से जून 2012 की अवधि में जिला पंचायतो द्वारा उपयोग कर लिया गया था एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग को प्रस्तुत कर दिए गये थे। ऐसे उपयोगिता प्रमाण पत्रों को संकलित कर राज्य शासन द्वारा अगस्त 2012 में खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को भेज दिये गये थे।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की तैयारी एवं क्रियान्वयन एजेंसी के अंतिमीकरण में विलंब के कारण पायका योजना के क्रियान्वयन में देरी हुई

उक्त तथ्यों से यह देखा जा सकता है कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने मार्च 2010 में पायका के क्रियान्वयन हेतु एजेंसी[3] का अंतिमीकरण एवं डीपीआर तैयार करने का कार्य भारत सरकार द्वारा अनुदान स्वीकृत करने के आठ माह एवं 16 माह बीत जाने के बाद नवम्बर 2010 में प्रारंम्भ किया गया था। इसका नतीजा यह हुआ कि कार्यान्वयन एजेंसी को अनुदान प्रदान करने में 18 महीनों का बिलम्ब हुआ जैसा की ऊपर वर्णित है।

उपरोक्त दिशा निर्देश के अनुसार अनुदान राशि का उपयोग मार्च 2010 तक किया जाकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र मार्च 2011 तक भारत सरकार को प्रस्तुत कर दिया जाना था। फिर भी, राज्य सरकार द्वारा अनुदान राशि का उपयोग फरवरी 2011 से जून 2012 तक किया गया और 16 माह के विलंब से उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को अगस्त 2012 में भेजे गये। परिणामस्वरूप भारत सरकार ने पायका के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2009-10 की द्वितीय किश्त, वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिये निधि कुल राशि ₹ 25.27 करोड़ पायका के क्रियान्वयन के लिए सितम्बर 2012 में प्रदान कर दी।

इसे इंगित करने पर संचालक, खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने कहा (अगस्त 2013) कि राज्य शासन ने 2009-10 का अपना अंशदान पायका के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2010-11 में स्वीकृत किया। बाद में संचालनालय ने सीईओ जिला पंचायतों को प्रदान किये जाने हेतु जनवरी 2011 में अनुदान राशि का आवंटन आदेश दिया। सीईओ, जिला पंचायतों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलंब किया गया। इस तरह योजना के कार्यान्वयन में विलंब हुआ।

उत्तर लेखापरीक्षा आपत्ति को पुष्टि करता है कि यद्यपि वर्ष 2009-10 में निधि का अनुमोदन किया गया परन्तु राज्य सरकार द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु समुचित रूपरेखा के अभाव के कारण निधि का उपयोग नहीं किया जा सका।

2.5.8.2 एकमुश्त प्राप्त पूंजी अनुदान से मल्टी जिम एवं उपभोग्य वस्तुओं की खरीदी पर अनियमित व्यय।

पायका के दिशानिर्देशों के कंडिका 10.1 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या वाली आबादी के लिये अनुपात आधार पर अतिरिक्त अनुदान के प्रावधान के साथ कम से

[3] जनपद पंचायत

कम 4600 की आबादी वाले प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक लाख पूंजी अनुदान का प्रावधान है। इसी प्रकार डीपीआर के आधार पर वर्ष 2011-12 में चिन्हित प्रत्येक विकास खण्ड पंचायतों के लिये पाँच लाख का प्रावधान है। आगे पैरा 9.1 में दिए गए दिशा-निर्देशों अनुसार एक मुश्त पूंजी अनुदान का उपयोग स्थायी प्रकृति के कार्यों के लिए खर्च किया जा सकता है जैसे कि भूमि की लेवलिंग करना, खेल मैदानों को विकसित करना, एथलेटिक ट्रैक, गोलपोस्ट, नेट खेलों के लिए खम्भे लगाना, खेल मैदान के चारो ओर फेन्सिंग लगाना, जल संसाधनों के विकास कार्य, बैठने के लिए निर्माण कार्य मौजूदा खेल संबंधित बुनियादी ढ़ांचे में आवश्यक सुधार, शौचालय/ ड्रेसिंग रूम, इंडोर सुविधाए एवं विस्तृत राज्य कार्य योजना के अंतर्गत स्वीकृति योग्य कार्य आदि।

₹ 1.84 करोड़ के मल्टीजिम एवं उपभोग्य वस्तुओं के खरीद पर अनियमित व्यय

अभिलेखों की जांच से यह ज्ञात हुआ कि बुनियादी ढ़ांचे के विकास के बजाय राज्य स्तरीय पायका समिति के निर्देशानुसार (अक्टुबर 2009) एकमुश्त पूंजी अनुदान का उपयोग मल्टी जिम की खरीद कर ऐसे ग्रामों एवं विकास खण्ड में स्थापित किया जाय जिनके पास कमरों की उपलब्धता हो एवं जिन्होंने जिम चलाने के लिए अपनी सहमति दी हो। इस निर्णयानुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा ₹ 118.16 लाख के मल्टी जिम खरीद कर ग्राम एवं विकास खण्ड स्तरीय पायका केन्द्रों में स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त कुछ जिलों में उपभोग्य सामग्री जैसे शॉट पुट डिसक्स, जेवलिन, फुटबाल, वालीबाल एवं नेट आदि जो स्थायी प्रकृति के नहीं है को एकमुश्त पूंजी अनुदान की राशि से ₹ 65.69 लाख का क्रय किया गया। दिशा-निर्देशों के अनुसार एकमुश्त पूंजी अनुदान से मल्टी जिम एवं उपभोग्य वस्तुओं की खरीदी नही की जा सकती थी। एकमुश्त पूंजी अनुदान के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि, मल्टी जिम एवं अन्य उपभोग्य सामग्री पर किये गए व्यय का जिलेवार ब्यौरा निम्न तालिका में दिया गया है:-

तालिका 2.5.2: एकमुश्त पूंजी अनुदान राशि से खरीदे गये मल्टी जिम एवं अन्य उपभोग्य सामग्री

जिले का नाम	एकमुश्त प्राप्त अनुदान (₹ लाख में)	मल्टी जिम की खरीदी पर व्यय (₹ लाख में)	प्रतिशत	उपभोग्य समाग्री की खरीदी पर व्यय (₹ लाख में)	प्रतिशत
रायपुर बलोदा बजार भाटापारा	65.50	53.42	82	निरंक	निरंक
दुर्ग-बेमेतरा	52.50	13.76	26.21	निरंक	निरंक
बिलासपुर	46.00	निरंक	निरंक	27.81	60.47
बस्तर-कोण्डागाँव	32.00	निरंक	निरंक	25.58	79.94
कांकेर	21.50	7.28	33.88	9.76	45.39
धमतरी	16.50	13.76	83.39	निरंक	निरंक
रायगढ़	38.00	29.94	78.81	2.54	6.70
योग	**272.00**	**118.16**		**65.69**	

(स्त्रोतः विभाग द्वारा प्रदायित जानकारी)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अनुदान के एक बड़े अंश से उपभोग्य वस्तुयें तथा मल्टीजिम खरीदी गयी, जो नियमित नहीं था। इसके अतिरिक्त, नमूना जाँच में यह भी देखा गया कि कांकेर में खराब खेल सामग्री खरीदी गयी थी मल्टीजिम एवं उपभोग्य वस्तुओं को खरीद कर निधि का उपयोग करना न केवल भारत सरकार के दिशा निर्देश के विरूद्ध था, बल्कि इसके परिणामस्वरूप पायका दिशा निर्देश में प्रावधानित मूल अधोसंरचना बनाने, के लिये निधियों का उपयोग भी नहीं किया जा सका।



दुर्ग जिला के धमदा विकास खण्ड के माल पुरी कला एवं अछोति जिला पंचायत के पायका केन्द्र में स्थापित मल्टीजिम को दर्शानेवाला फोटो ग्राफ।

निर्गम बैठक के दौरान शासन ने कहा (जनवरी 2014) कि चूंकि पायका के दिशा निर्देशों अनुसार आउटडोर फिटनेस सामग्री खरीदने का प्रावधान है और राज्य स्तर की पायका समिति ने मल्टीजिम खरीदने का निर्णय लिया था, इसलिये ये सामग्री क्रय किये गय थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बुनियादी ढ़ांचे के लिये अनुदान का उपयोग किये जाने के दिशानिर्देश के विपरीत उपभोग्य सामग्री एवं इंडोर फिटनेस सामग्री खरीदने में निधी का व्यय किया गया।

2.5.8.3 क्रीड़ाश्री की नियुक्ति एवं संचालन

पायका के दिशानिर्देशों की कंडिका 4.9 के अनुसार क्रीड़ाश्री का चुनाव, खेल मैदान के रख-रखाव एवं उन्नयन, खेल की गतिविधियों में उपस्थित होने के लिये खिलाड़ियों को प्रेरित करने एवं खेल सामग्री को उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु, पंचायत स्तर पर कार्यालय द्वारा किया जाएगा। वे खेल सुविधाओं का भी प्रबंध करेंगे एवं खेल शिक्षक की तरह कार्य करेगे। सभी क्रीड़ाश्री भारतीय खेल प्राधिकरण के तकनीकी सहयोग से राज्य सरकार द्वारा आयोजित ओरिएन्टेशन कोर्स के माध्यम से प्रशिक्षित किए जाएंगे। क्रीड़ाश्री को ग्राम स्तर पर ₹ 500 रूपये एवं विकास खण्ड स्तर पर ₹ 1000 रूपये प्रति माह योजना के अन्तर्गत मानदेय वार्षिक परिचालन अनुदान से प्राप्त करने की पात्रता होगी।

अभिलेखों की जांच से क्रीड़ाश्री से संबंधित निम्नलिखित कमियों का पता चला।

(क) आवश्यकता अनुसार क्रीड़ाश्री की नियुक्ति नहीं होना ।

पायका योजना के कार्यान्वयन के डीपीआर के अनुसार वर्ष 2009-10 से 2012-13, के दौरान 2673 क्रीड़ाश्री की नियुक्ति चिन्हित जिलों में की जानी चाहिए थी। चिन्हित जिलों मे क्रीड़ाश्री की वर्षवार नियुक्ति ***परिशिष्ट 2.5.4*** में दर्शायी गयी है

यह देखा जा सकता है कि 2673 की अपेक्षित संख्या की जगह केवल 1082 क्रीड़ाश्री (41 प्रतिशत) ही नियुक्त किये गये और 1591 पायका केन्द्रो में क्रीड़ाश्री की नियुक्ति नही की गई। आगे यह भी देखा गया कि क्रीड़ाश्री की नियुक्ति चयनित जिलों में 19 से 58 प्रतिशत के बीच रही ।

यह इंगित करने पर संबंधित जिलों के खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी ने कहा (जुलाई 2013) कि वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के लिए क्रीड़ाश्री की नियुक्ति की स्वीकृति राज्य स्तर की पायका समिति द्वारा प्रदान की गई थी एवं वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए नियुक्ति हेतु कोई स्वीकृति नही दी गई थी।

यह तथ्य यथावत रहा कि प्रतिवर्ष आवश्यकता अनुसार क्रीड़ाश्री की नियुक्ति नहीं की गई जिससे दिशानिर्देशों में परिकल्पित खेल मैदानों के रख-रखाव एवं उन्नयन, खिलाड़ियों को प्रेरित किये जाने को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

(ब) सभी क्रीड़ाश्री को प्रशिक्षण नहीं दिया जाना।

पायका के दिशा निर्देश अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण के तकनीकी सहयोग से राज्य शासन द्वारा आयोजित ओरिएन्टेशन कोर्स के माध्यम से सभी क्रीड़ाश्री प्रशिक्षित किये जाने थे।

चयनित जिलों के अभिलेखों की जांच में देखा गया कि वर्ष 2009-13 में 1082 क्रीड़ाश्री, पायका केन्द्रो में नियुक्त किये गए थे जिनमें से केवल 731 क्रीड़ाश्री को ही उपरोक्त प्रशिक्षण प्रदान किया गया। आगे यह भी देखा गया कि धमतरी जिलों में सभी क्रीड़ाश्री को वांछित प्रशिक्षण प्रदान किया गया एवं अन्य जिलो में 38 से 82 प्रतिशत क्रीड़ाश्री को प्रशिक्षण दिया गया।

इसे इंगित करने पर चयनित जिलों के खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी ने कहा (जुलाई 2013) कि संचालनालय स्तर पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था और वर्ष 2010 के बाद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन नहीं किये जाने के कारण क्रीड़ाश्री को प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया। संचालक, खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने कहा (अगस्त 2013) कि भारत सरकार द्वारा अनुदान प्रदान न किये जाने के कारण क्रीड़ाश्री को वांछित प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

तथ्य यथावत रहा कि डीपीआर, कार्यान्वयन एजेंसी को अंतिम रूप देने में विलंब एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र के प्रस्तुत करने में विलंब के कारण भारत शासन द्वारा अनुदान प्रदान नहीं किया जा सका।

(स) क्रीड़ाश्री को मानदेय का भुगतान न किया जाना

पायका के दिशा निर्देशनुसार क्रीड़ाश्री ग्राम पंचायत स्तर पर ₹ 500 एवं विकास खण्ड पंचायत स्तर ₹ 1000 था मानदेय पाने की पात्रता रखते थे और इनका भुगतान पायका योजना के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक परिचालन अनुदान की राशि में से किया जाना था।

अभिलेखों की जांच से ज्ञात हुआ कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग, समय पर अनुदान का उपयोग न किये जाने के कारण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलंब होने के कारण जैसा कि कंडिका 2.5.8.1 मे उल्लिखित है, भारत सरकार से अनुदान (परिचालन) पाने में असफल रहा। साथ ही यह भी ज्ञात हुआ कि जांच हेतु चयनित जिलों में क्रीड़ाश्री को एक से 43 महीनों तक मानदेय की राशि ₹ 1.64 करोड़ रूपये नहीं दी गई थी। जिन क्रीड़ाश्री को मानदेय नहीं दिया गया उनका जिलेवार विवरण ***परिशिष्ट 2.5.5*** में दर्शाया गया है।

इसे इंगित किये जाने पर जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी ने कहा कि (जुलाई 2013) निधि के अभाव में क्रीड़ाश्री को मानदेय का भुगतान नहीं किया गया था।

तथ्य यथावत रहा कि अनुदान का उपयोग नहीं किये जाने से तथा विभाग द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलंब होने से भारत सरकार द्वारा आगे के वर्ष में अनुदान नहीं दिया गया था एवं जिसके परिणामस्वरूप क्रीड़ाश्री को मानदेय का भुगतान नहीं किया गया।

2.5.8.4 ग्राम पंचायत एवं विकास खण्ड पंचायतों को सम्मिलित करने में कमी।

भारत सरकार द्वारा निधि उपलब्ध कराये जाने के बावजूद विगत पाँच वर्षों में पायका योजना के अंतर्गत मात्र 13 प्रतिशत ग्राम पंचायत एवं 20 प्रतिशत विकास खण्ड पंचायतों को सम्मिलित किया गया

पायका के दिशा-निर्देश की कंडिका 5.4 के अनुसार वर्ष 2008-09 से 2011-12 के मध्य 10 प्रतिशत ग्राम एवं विकास खण्ड पंचायतों को सम्मिलित किया जाना था और वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक के छः वर्षों में 12 प्रतिशत को सम्मिलित किया जाना था ताकि राज्य में वर्ष 2016-17 तक 100 प्रतिशत की प्राप्ति किया जा सके। तदनुसार, राज्य द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु डीपीआर को अंतिम रूप दिया गया और बाद में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रस्तुत की गयी जानकारी के अनुसार पायका योजना के कार्यान्वयन हतु कुल 5106 ग्राम पंचायत एवं 71 विकास खण्ड पंचायतों को सम्मिलित किया गया, जिसके विरूद्ध उक्त अवधि में केवल 673 ग्राम पंचायत (13 प्रतिशत) ही सम्मिलित किये गए और 4433 (86.81 प्रतिशत) ग्राम पंचायत, योजना के क्रियान्वयन किये जाने के पांच वर्षों तक सम्मिलित नहीं किये गए। इसी तरह योजना के कार्यान्वयन के पांच सालों तक 80.28 प्रतिशत विकास खण्ड पंचायत भी शामिल नहीं किये गये। शामिल नहीं करने का मुख्य कारण भारत सरकार द्वारा निधि उपलब्ध कराने के बावजूद पायका योजना के क्रियान्वयन में विलंब होना रहा जैसा कि कंडिका 2.5.8.1 में दर्शाया गया है।

इस तरह, राज्य में पायका योजना के कार्यन्वयन में अपर्याप्त ग्रामों और विकास खण्ड को सम्मिलित करने का नतीजा यह हुआ कि ग्रामीण युवकों के बीच क्रीड़ा एवं खेलों का समुचित विकास नहीं हो पाया। आगे, धीमी प्रगति की वजह से दिशा निर्देशों में निधारित दस वर्षों में समस्त ग्रामों को सम्मिलित किया जाना संभव नहीं हो सकेगा।

उत्तर में संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि राज्य में वर्ष

2008-09 में योजना लागू नहीं की गयी थी और इस अवधि में वर्ष 2009-10 का केवल 50 प्रतिशत अनुदान जून 2009 में प्राप्त हुआ एवं शेष 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2010-11 और 2011-12 की अनुदान राशि सितम्बर 2012 में प्राप्त हुई थी। निर्गम बैठक में शासन ने बताया (जनवरी 2014) कि पायका योजना के अंतर्गत ग्राम एवं विकास खण्ड पंचायत की संख्या भविष्य में बढ़ा दी जाएगी।

2.5.8.5 *विकास खण्ड स्तर की प्रतियोगिता में ग्रामों की कम भागीदारी।*

पायका दिशानिर्देशो के कंडिका 8.1.4 के अनुसार विकास खण्ड एवं जिला स्तर की पायका प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिये वार्षिक प्रतियोगिता अनुदान का प्रावधान है। यह भारतीय खेल प्राधिकरण के तकनीकी सहयोग से राज्य शासन/संघ राज्य के माध्यम से लागू किया जाएगा। ऐसी प्रतियोगिताएं, आगे होने वाले क्रीड़ा के अंतर्गत प्रति वर्ष ग्रामीण विकास खण्ड, जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जाएगें।

चयनित 10 जिलो के प्रतियोगिता अनुदान के उपयोग और प्रगति प्रतिवेदन की जांच करते समय यह देखा गया कि पिछले तीन वर्षों में ग्राम पंचायतों की छः प्रतिशत से लेकर 44 प्रतिशत तक अपर्याप्त भागीदारी रही **(परिशिष्ट 2.5.6)**। विकास खण्ड स्तर की प्रतियोगिताओं में ग्राम पंचायत की कम भागीदारी होने की वजह से पायका योजना के क्रियान्वयन से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकी।

उत्तर में दो जिलों[4] के खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी ने कहा (जुलाई 2013) कि कम भागीदारी का कारण पायका प्रतियोगिता का स्कूल प्रतियोगिताओं के साथ आयोजित किया जाना था। चार जिलों[5] के खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी ने कहा कि अपर्याप्त धन की वजह से सभी ग्रामों की भागीदारी संभव नहीं थी। रायगढ़ के खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी ने कहा कि वर्ष 2009-10 के बाद पायका योजना लागू करने के लिये 10 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया था एवं इसके बाद पायका लागू करने के लिये प्रत्येक वर्ष में दस प्रतिशत ग्रामों को चिन्हित किया गया है जिससे भविष्य में ग्रामों की भागीदारी के प्रतिशत बढ़ेंगे। शेष बचे हुए तीन जिलों द्वारा कोई विशिष्ट टिप्पणी नहीं की गई।

अतः विकास खण्ड स्तर पर प्रतियोगिता में ग्रामों की कम भागीदारी के कारण पायका योजना के मुख्य उद्देश्य प्राप्ति जैसे ग्रामीण युवायों को पंचायत स्तर पर प्रेरित करने एवं खेल कूद में प्रगति लाने में कमी रहा।

2.5.8.6 *क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा पायका राशि का उपयोग न किया जाना।*

पायका के दिशा निर्देशानुसार, राज्य स्तर की नामांकित एजेंसी ही नियम एवं शर्तों अनुसार अनुदान राशि का सही उपयोग किये जाने के लिये जिम्मेदार होंगे।

अभिलेखों की जांच से स्पष्ट होता है कि ₹ 5.26 करोड़ एकमुश्त पूंजी अनुदान (जनवरी 2011) और ₹ 50.50 लाख वार्षिक अधिग्रहण अनुदान की राशि, राज्य में पायका लागू करने के लिए जारी किया गया। जनपद पंचायत के सीईओ द्वारा क्रमश ₹ 5.14 करोड़ और ₹ 49.95 लाख के लिये उपयोगिता प्रमाण-पत्र खेल एवं युवा कल्याण विभाग के निदेशक कार्यालय को प्रस्तुत किया हालांकि एजेंसी को अनुदान राशि जारी करने के दो वर्ष बीत

[4] बेमेतरा एवं दुर्ग

[5] बस्तर,बिलापुर, कोंडागाँव एवं कांकेर

जाने के बाद भी 14 जिलों के जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारीयों द्वारा शेष बचे हुए ₹ 12.79 लाख राशि लौटाई नहीं गई। आगे यह भी देखा गया कि संबंधित विभाग ने जिला पंचायतों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये कोई प्रयास नहीं किया।

इसे इंगित करने पर संचालक खेल एवं कल्याण विभाग ने इस तथ्य को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2013) कि जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से उपरोक्त राशि के खर्च संबंधी जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी। निर्गम बैठक के दौरान शासन ने कहा (जनवरी 2014) कि कार्यान्वयन एजेंसी से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी कर दिए जाएंगे।

उपरोक्त उत्तर यह सुनिश्चित करता है कि राशि की उपयोगिता और उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की प्रस्तुति में नियंत्रण की कमी थी।

2.5.9 राष्ट्रीय खेलों की तैयारियाँ

राष्ट्रीय खेल स्पर्धा जिसे द्विवार्षिक हिसाब से भारतीय खेल संघ के दिशानिर्देश के अंतर्गत राज्य और केन्द्रशासित राज्य में जागरूकता लाने के उद्देश्य से और अधोसंरचना और भारतीय खेलों को अंतराष्ट्रीय मानदंड के तहत वृद्धि उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ ने छत्तीसगढ़ को 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन (मार्च 2010) के लिए मनोनीत किया था। भारतीय ओलंपिक संघ, छत्तीसगढ़ शासन एवं छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ द्वारा 37वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए होस्ट सिटी अनुबंध नई दिल्ली में मार्च 2010 को किया गया था।

होस्ट सिटी अनुबंध के मूलभूत सिद्धान्तों के अनुसार अनुबंध से छः माह के अंदर शासन एवं राज्य ओलंपिक संघ द्वारा एक विधिक व्यक्ति की हैसियत को सुनिश्चित करने वाले एक राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति का गठन किया जाना चाहिए। सिद्धांत आगे यह प्रावधानित करता है की जितनी जल्दी संभव हो सके, लेकिन किसी भी अवसर पर राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति के गठन के छः माह के बाद नहीं, यह अपना सामान्य आयोजन योजना तथा खेलों के आयोजन की योजना अनुमोदनार्थ तथा खेलों की तैयारी पर एक अर्द्धवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन भारतीय ओलंपिक संघ को प्रस्तुत करेगा, खेलों के उदघाटन समारोह से दो वर्ष पहले से इसे त्रैमासिक रूप से भेजा जाना चाहिए।

अभिलेखों कि जांच में देखा गया कि जुलाई 2010 में सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन, को राष्ट्रीय खेल सेक्रेटेरियेट के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में पदांकित किया गया था एवं अगस्त 2010 में छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रेशन नियम 1973 के अनुसार छत्तीसगढ़ नेशनल गेम्स सेक्रेटेरियेट बनाया गया था। आगे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 34 सदस्य वाली गवर्निंग बॉडी एवं नेशनल गेम्स सेक्रेटेरियेट के कार्य के क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में 19 सदस्य वाली एक्जीक्यूटिव कमेटी गठित की गयी। यद्यपि भारतीय ओलंम्पिक संघ की स्वीकृति हेतु नेशनल गेम्स सेक्रेटेरियट एवं राष्ट्रीय खेल स्पर्धा के साधारण संगठनात्मक योजना नहीं बनायी गयी थी। पुनः पिछले साढ़े तीन वर्षों में राष्ट्रीय खेलों के अयोजन के संबध में अर्धवार्षिक तथा त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन जैसा कि उपर में दर्शाया गया है भारतीय ओलम्पिक संघ को नहीं भेजा गया था।

राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए गवर्निंग बॉडी एवं एक्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा लिए गये

बैठक की विस्तृत जानकारी **परिशिष्ट 2.5.7** में दिया गया है, जिससे यह देखा जा सकता है कि

- राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए गवर्निंग बॉडी की प्रथम मीटिंग मार्च 2011 में हुई थी तथा राष्ट्रीय खेलों में सम्मिलित 34 खेल स्पर्धा के बारे में होस्ट सिटी अनुबंध के एक साल बाद निर्णय लिया गया था। जुलाई 2012 के पश्चात, गवर्निंग बॉडी तथा एक्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा कोई मीटिंग नही की गई थी।

- मई 2011 में राष्ट्रीय खेलों के नये सेटअप के लिए 57 अतिरिक्त पद स्वीकृत किये थे, इस स्वीकृत पद के विरूद्ध सचिव मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं वित्त अधिकारी के मात्र तीन पद पद भरे गये।

- यद्यपि एक्जीक्यूटिव कमेटी ने राष्ट्रीय खेल के डीपीआर हेतु निविदा आमंत्रण के लिये मार्च 2011 में निर्णय लिया गया था, डीपीआर हेतु निविदा आमंत्रण के प्रपत्र का जुलाई 2011 में अंतिमीकरण किया गया था। जबकि एक्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा निविदा आमंत्रण की प्रक्रिया निविदा प्रपत्र के अंतिमीकरण किये जाने दो साल बाद तक अगस्त 2013 तक पूर्ण नहीं की गयी थी।

- मार्च 2011 में राष्ट्रीय खेलों के मैसकॉट एवं लोगो के डिजाईन के लिये खुली निविदा हेतु जन संपर्क विभाग को निर्देशित किया गया था। आगे मई 2012 में राष्ट्रीय खेलों के मैसकॉट एवं लोगो के लिए नये विज्ञापन हेतु विभाग को निर्देशित किया गया था जबकि मैसकॉट एवं लोगो के बारे में अगस्त 2013 तक निर्णय नही लिया गया था।

- यद्यपि जुलाई 2012 में एक्जीक्यूटिव कमेटी के 125 एकड़ जमीन अधोसंरचना के निर्माण एवं 50 एकड़ जमीन राष्ट्रीय खेल के आयोजन हेतु अधिग्रहण के लिए निर्णय लिया था। अगस्त 2013 तक जमीन अधिग्रहण करने के प्रक्रिया को प्रारंभ नहीं किया गया था।

यद्यपि वर्तमान में राज्य में अधोसंरचना की कमी है एवं 37वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन हेतु होस्ट सिटी अनुबंध के साढ़े तीन वर्ष हो चुके है, तथापि राज्य शासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं लिया गया है।

शासन ने बताया (जनवरी 2014) के 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन छत्तीसगढ़ को मिला है एवं वर्ष 2017 में आयोजन किया जायेगा। आगे यह भी बताया गया कि राष्ट्रीय खेल के आयोजन एवं डीपीआर की निविदा प्रक्रिया की जा रही है। गवर्निंग बॉडी एवं एक्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक बहुत शीघ्र बुलाया जायेगा।

राज्य शासन के राष्ट्रीय खेल के आयोजन हेतु जो ठोस कदम उठाया जाना चाहिए था इसे साढ़े तीन साल बीत जाने के बावजूद प्रारंभ ही नही किया गया है।

2.5.10 अधोसंरचना

देश में मूल खेल अधोसंरचनाओं की सीमित उपलब्धता खेल गतिविधियों को जमीनी स्तर पर ले जाने में मुख्य बाधा बनी हुई है। आगे वर्तमान में उपलब्ध मूल अधोसंरचना अत्यन्त न्यूनतम है क्योंकि यह मुख्यतः शहरों में उपलब्ध है जो कि 25 प्रतिशत जनसंख्या से अधिक नहीं है।

शेष 75 प्रतिशत जनसंख्या जो मुख्यतः ग्रामीण इलाकों में रहती है वह न्यूनतम खेल सुविधाओं[6] से भी वंचित है।

(क) राज्य में उपलब्ध खेल अधोसंरचना

खिलाड़ियों को अधोसंरचना की सुविधा प्रदान किया जा कर खेल गतिविधियों को बढ़ाना खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मुख्य क्रियाकलापों में से एक है। जिला स्तर पर उपलब्ध खेल अधोसंरचना की जानकारी निम्न तालिका में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.5.3: राज्य में उपलब्ध अधोसंरचना की विस्तृत जानकारी

राज्य में जिलों की कुल संख्या	27
उन जिलों की संख्या जहां स्टेडियम, मिनी स्टेडियम, ईन्डोर स्टेडियम, उपलब्ध है।	1 (कवर्धा)
जिलों की संख्या जहां केवल स्टेडियम, मिनी स्टेडियम, उपलबध है।	2 (रायगढ़ एवं जशपुर)
उन जिलों की संख्या जहां केवल स्टेडियम, इन्डोर स्टेडियम, उपलब्ध है	2 (कांकेर एवं कोंडागाँव)
उन जिलों की संख्या जहां केवल इन्डोर स्टेडियम, एवं मिनी स्टेडियम, उपलब्ध है	2 (कोरिया एवं नारायणपुर)
उन जिलों की संख्या जहां केवल स्टेडियम, उपलब्ध है	3 (रायपुर, राजनंदगाँव, बिलासपुर)
उन जिलों की संख्या जहां केवल मिनी स्टेडियम उपलब्ध है	5 (धमतरी, बेमेतरा, जगदलपुर, जांजगीर, चांपा, बलरामपुर)
उन जिलों की संख्या जहां केवल इन्डोर स्टेडियम उपलब्ध है	निरंक
उन जिलों की संख्या जहां स्टेडियम मिनी स्टेडियम इन्डोर स्टेडियम उपलब्ध नहीं है	12 (दन्तेवाड़ा, बीजापुर, सुक्मा, दुर्ग, बालोद बौलोदाबाजार, भाटापारा, सरगुजा, महासमुंद, मुंगेली, सूरजपुर, कोरबा, गरियाबन्द)

(स्त्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि राज्य के 27 जिलों में से 12 जिलों में स्टेडियम मिनी स्टेडियम एवं इन्डोर स्टेडियम आदि उपलब्ध नहीं है जबकि स्टेडियम आठ जिले में एवं मिनी स्टेडियम मात्र 10 जिलें में उपलब्ध है। उपलब्ध अधोसंरचना जैसा कि ऊपर बताया गया है अलावा रायपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण किया गया है एवं आठ अन्य अधोसंरचना का निर्माण कार्य विभिन्न जिलों में लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जा रहा है। प्रगतिरत निर्माण कार्यों की स्थिति **परिशिष्ट 2.5.8** में दर्शायी गयी है।

आठ खेल अधोसंरचना का निर्माण कार्य निर्माण एजेन्सी लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पूर्ण नहीं किया गया है। जिला स्तर में खेल अधोसंरचना की उपलब्धता को छोड़कर विकास खण्ड एवं ग्राम स्तर पर स्टेडियम, मिनी स्टेडियम एवं इन्डोर स्टेडियम की उपलब्धता की जानकारी विभाग में नहीं थी।

[6] पायका योजना के दिशानिर्देश के अनुसार

2.5.11 अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण

रायपुर में एक अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम (60,000 क्षमता) के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने ₹ 65.94 करोड़ की प्रशासाकीय स्वीकृति (फरवरी 2003) दी थी, इस स्टेडियम के निर्माण के लिये, शासन द्वारा निधि की व्यवस्था तथा ड्रॉईंग डिजाईन को अंतिम रूप दिये बिना मेसर्स नागार्जुन कन्स्ट्रकशन कंपनी लिमिटेड की ₹ 58.72 करोड़ की निविदा को स्वीकृत (मार्च 2003) किया गया था। अनुबंध के अनुसार कार्य के उपयुक्त अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन के लिए एक प्रोजेक्ट मेनेजमेन्ट कन्सलटेंसी (पीएमसी) नियुक्त किया जाना था जो यह परीक्षण करता कि आर्किटेक्ट द्वारा उपलब्ध कराये गये ड्रॉईंग एवं डिजाइन के अनुरूप तथा गुणवत्ता के साथ कार्य किये गये एवं ठेकेदार द्वारा भुगतान के लिए प्रस्तुत देवकों का निरीक्षण करता, इस कार्य के लिए शासकीय यांत्रिकी महाविद्यालय को पीएमसी के रूप में नियुक्ति (नवंम्बर 2003) किया गया था। स्टेडियम के निर्माण कार्य के लिए शासन ने मार्च 2003 एवं जून 2004 के मध्य हुडको से ऋण के लिये प्रयास किया था। जुलाई 2004 में शासन ने स्टेडियम निर्माण कार्य के लिए लगने वाले सारे खर्च राज्य वजट से करने के लिए निर्णय लिया तथा माननीय मंत्री, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अध्यक्षता में एक स्टेडियम निर्माण समिति का गठन किया गया था। निविदा स्वीकृत होने के 17 माह बाद कार्य आदेश सितम्बर 2004 में जारी किया गया था तथा कार्य समाप्ति के लिए वर्षा ऋतु सहित 24 माह का निर्धारित समय दिया गया था। अर्थात सितम्बर 2006 या इससे पूर्व कार्य को समाप्त किया जाना था। निर्माण कार्य के दैरान मटेरियल के मूल्य में वृद्धि हेतु एस्केलेसन के भुगतान के लिए छत्तीसगढ़ शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने ₹ 98.45 करोड़ के संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति (अगस्त 2007) दी थी। स्टेडियम निर्माण समिति ने फाउन्डेंशन के स्ट्रक्चर डिजाइन में विलम्ब, कार्य बन्द रहने के आधार पर समय वृद्धि स्वीकृत (जुलाई 2009) की थी। कार्य समाप्त होने के पश्चात नवम्बर 2011 में स्टेडियम की देखभाल के लिए लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित किया गया था। सितम्बर 2012 में ₹ 96.44 करोड़ (जिसमें ₹ 22.88 करोड़ का मुल्य वृद्धि भुगतान शामिल है) ठेकदार को 27वां चलित तथा अंतिम शेष देयक से भुगतान किया गया था।

अभिलेखों कि जांच में निम्नानुसार देखा गया

(क) स्टेडियम के फाउन्डेशन /स्ट्रक्चर के डिजाईन में बदलाव के कारण मूल्यवृद्धि में ₹ 4.39 करोड़ का अधिक व्यय

अनुबंध के विशेष प्रावधान की कंडिका 13 के अनुसार सीमेन्ट मेटेरियल, इस्पात एवं श्रम के मूल्य में वृद्धि हेतु ठेकेदार मूल्यवृद्धि भुगतान का हकदार है।

अभिलेखों कि जांच में देखा गया है कि यद्यपि मार्च 2003 में ठेकेदार से स्टेडियम के निर्माण के लिए अनुबंध हुआ था, कार्य आदेश सितंबर 2004 जो निविदा स्वीकृत होने से 17 माह बाद जारी हुआ था। यह देखा गया कि स्टेडियम के लेआउट एवं केपिटल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति नवंबर 2004 में ली गयी थी। पहले से नियुक्त पीएमसी (जीईसी) द्वारा मना किये जाने से तथा दूसरे पीएमसी (स्टेडियम निर्माण समिति) नियुक्त किये जाने पर फाउण्डेशन /स्ट्रक्चर डिजाईन को अंतिम रूप देने में मार्च 2005 तक बिलंब हुआ। अतः शासन के नियोजन में कमी के कारण शुरूआत में कार्य की प्रगति प्रभावित रही एवं कार्य समाप्त होने की समयावधि को दो बार शुरूआत में दिसम्बर 2007 तक तथा उसके बाद 31 अक्टूबर 2009 तक बढ़ाया गया। कार्य सितम्बर 2006 तक पूर्ण हो जाना

चाहिए था परंतु निर्माण कार्य 24 माह के स्थान पर 79 माह तक चला।

खराब योजना के कारण मूल्यवृद्धि पर ₹4.39 करोड़ का परिहार्य भुगतान

चूंकि यह आइटम रेट निविदा थी एवं ठेकेदार ने प्रत्येक आईटम के लिए मार्च 2003 के मूल्य सूचकांक के आधार पर मूल्य दिया था। मार्च 2003 से अक्टूबर 2009 के मध्य तक मटेरियल, श्रम, सीमेन्ट एवं इस्पात सहित सभी आइटमों में 41 से 181 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। कंडिका 13 के अनुसार ठेकेदार सभी आईटमों के मूल्यो में मूल्यवृद्धि के भुगतान हेतु हकदार था। ठेकेदार ने जनवरी 2005 से मार्च 2009 के मध्य प्रत्येक चलित देयकों के माध्यम मूल्यवृद्धि के रूप में अप्रेल 2007 तक के ₹ 18.41 करोड़ के स्थान पर ₹ 23.41 करोड़ का दावा किया था एवं स्टेडियम निर्माण समिति ने कार्य के शुरूआती विलम्ब के लिए ठेकेदार को जिम्मेदार नहीं बताकर इसे पारित किया था। सितम्बर 2012 तक ₹ 23.41 करोड़ में से ₹ 22.88 करोड़ मूल्यवृद्धि का भुगतान ठेकेदार को हुआ था। विभाग द्वारा निधि का बन्दोबस्त किए बिना तथा ड्रॉईंग एवं डिजाईन की स्वीकृति किए बिना निविदा बुलाने के कारण कार्य समाप्त होने में विलम्ब हुआ तथा ठेकेदार को मूल्यवृद्धि के रूप में ₹ 4.39 करोड़ समयवृद्धि अवधि में मई 2007 से अक्टूबर 2009 तक दिया गया था।

अतः निधि का बन्दोबस्त बिना निविदा के अंतिमीकरण, कार्यादेश जारी लाने में विलंब, लेआउट स्ट्रक्चरल ड्राईंग डिजाईन की स्वीकृति में बिलंब के कारण कार्य समाप्त होने में न केवल विलंब हुआ अपितु इससे परिहार्य मुल्यवृद्धि ₹ 4.39 करोड़ का भुगतान भी करना पड़ा।

इसे इंगित किये जाने पर संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने बताया (जुलाई 2013) कि निधि के बन्दोबस्त में विलंब, काडा से प्लान लेआउट स्वीकृति में विलंब, निर्माण कार्य के पीएमसी द्वारा अनुश्रवण नहीं किए जाने तथा मटेरियल के मूल्य सूचकांक में वृद्धि के कारण उपरोक्त मूल्यवृद्धि का भुगतान करना पड़ा।

उत्तर लेखापरीक्षा के अवलोकन की पुष्टि करता है कि ड्रॉईंग डिजाईन की स्वीकृति तथा निधि के वन्दोबस्त किये बिना विभाग ने निविदा जारी किया था।

(ख) ठेकेदार को अनुचित लाभ प्रदाय किया जाना

छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग नियमावली की कंडिका 3.23.1 के अनुसार, मोबिलाईजेशन एडवांस अनुबंध राशि से पांच प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना तथा ₹ 10 लाख तक सीमित होना चाहिए एवं इसे कार्यादेश जारी होने से तीन माह के मध्य ठेकेदार द्वारा लिखित में अनुरोध करने पर दिया जाना चाहिए। ऐसे प्रकरण में ठेकेदार को अग्रिम स्वीकृत होने से पहले एक बैंक गारंटी जमा करना पड़ता है। यह अग्रिम प्रति वर्ष 14 प्रतिशत की दर से ब्याज वहन करता है।

अभिलेखों की जांच में यह देखा गया कि लोक निर्माण विभाग नियमावली के उपरोक्त प्रावधान को नहीं मानते हुए अनुबंध के 37वें कंडिका में स्वीकृत निविदा मूल्य के 15 प्रतिशत तक बिना ब्याज के मोबिलाईजेशन एडवांस का प्रावधान रखा गया था। अनुबंध के अनुसार मार्च 2003 से जनवरी 2005 के मध्य तीन बार में ₹ 8.81 करोड़ का मोबिलाईजेशन एडवांस ₹ 5.00 करोड़ मार्च 2003 में, ₹ 2.50 करोड़ अक्टूबर 2004 में एवं ₹ 1.31 करोड़ जनवरी 2005 में ठेकेदार को भुगतान किया गया था। जनवरी 2005 से अक्टूबर 2008 के मध्य ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत अंतरिम भुगतान प्रमाण पत्र से अग्रिम राशि ₹ 8.81 करोड़ की वसूली की गयी थी। जैसा कि पिछले कंडिका में बताया गया विभाग ने स्ट्रकचरल ड्राईंग डिजाईन तथा लेआउट की स्वीकृति करने हेतु लगभग दो साल का समय लिया इस दौरान कार्य किए बिना ठेकेदार द्वारा ₹ 5.00 करोड़ का मोबिलाईजेशन एडवांस रखा गया।

अतः कार्यनियमावली का प्रावधान के पालन नहीं करते हुए ठेकेदार को ब्याज मुक्त मोबिलाईजेशन एडवांस देना अनियमित था तथा ठेकेदार को ₹ 4.73 करोड़[7] का वित्तीय अनुचित लाभ दिया गया।

उत्तर में संचालक, खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने बताया (जुलाई 2013) कि अनुबंध की कंडिका 37 के अनुसार ठेकेदार को मोबिलाईजेशन एडवांस दिया गया।

लोक निर्माण विभाग के कार्यनियमावली के प्रावधान के अनुसार अनुबंध नहीं बनाया गया। आगे अग्रिम स्वीकृत होने के बावजूद भी कार्य समय पर समाप्त नहीं हुआ।

(ग) शासकीय यांत्रिकी महाविद्यालय को प्रोग्राम मैनेजमेन्ट कंन्सलटेन्सी के लिए अधिक भुगतान

अनुबंध की सामान्य शर्तों के अनुसार शासन द्वारा प्रोजेक्ट मैनजमेन्ट कन्सलटेन्ट की नियुक्ति की जानी थी। कंडिका 55.1 के अनुसार, अनुबंध के हिसाब से कार्य को माप कर ठेकेदार को कार्य के मूल्य के अनुसार भुगतान करना प्रोजेक्ट मेनेजमेन्ट कन्सलटेन्ट के मूल कर्तव्यों में से एक है।

अभिलेखों की जांच में देखा गया कि छत्तीसगढ़ शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने नवम्बर 2003 में शासकीय यांत्रिकी महाविद्यालय को पीएमसी का कर्तव्य एवं जिम्मदारी निभाने के लिए नियुक्त किया। स्टेडियम निर्माण के लिए प्रोजेक्ट मैनजमेन्ट कन्सलटेन्ट का कर्त्तव्य एवं जिम्मेदारी निभाने के लिए, लागत मूल्य का एक प्रतिशत शुल्क के रूप में दिया जाना था तथा देयक को प्रत्येक चलित देयकों के साथ प्रस्तुत करना था। यह देखा गया कि फरवरी 2005 में द्वितीय चल देयक में ₹ 5.40 करोड़ पारित किया गया था तथा ₹ 5.40 लाख शुल्क के विरूद्ध ₹ 30.00 लाख का भुगतान पीएमसी को किया गया था, जिसका कोई कारण अभिलेखों में नहीं पाया गया था। मार्च 2005 में शासकीय यांत्रिकी महाविद्यालय पीएमसी कार्य के लिए मना कर दिया था जिससे शासन ने पीएमसी कार्य से शासकीय यांत्रिकी महाविद्यालय को बर्खास्त कर दिया था एवं यह कार्य स्टेडियम निर्माण समिति को दिया गया था। यद्यपि विभाग ने अधिक भुगतान की राशि ₹ 24.60 लाख की वसूली हेतु प्रयास किया था, शासकीय यांत्रिकी महाविद्यालय ने मात्र ₹ 7.43 लाख फरवरी 2006 में जमा किया था एवं खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अनुरोध पर कलेक्टर रायपुर द्वारा बकाया राशि की वसूली हेतु रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट (आरआरसी) जारी किया था जो दिसम्बर 2013 तक वसूल नहीं हुआ था।

इसे इंगित किये जाने पर संचालक, खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने बताया (जुलाई 2013) कि कलेक्टर, रायपुर को राशि कि वसूली हेतु पत्र जारी कर दिया गया है।

भुगतान योग्य ₹ 5.40 लाख के विरूद्ध ₹ 30 लाख का भुगतान विभाग द्वारा निधि प्रबंधन में कमी दर्शाता है।

2.5.12 राज्य शासन द्वारा क्रियान्वयन किये जा रहे अन्य योजनाओं में कमियाँ

2.5.12.1 राष्ट्रीय प्रतिभा खोज का प्रभावहीन क्रियान्वयनः

आदिवासी क्षेत्रों एवं गाँवों के 10 से 14 साल की उम्र के बालक एवं बालिकाओं की खेल प्रतिभा को चिन्हित करने और भारत सरकार के खेल प्राधिकरण, एवं आदिवासी विभाग द्वारा

[7] ₹ 8.81 करोड़ *14/100=1.23*46 (जनवरी 2005- अक्टुबर 2008)/12= ₹4.73 करोड

संचालित क्रीड़ा संस्थानों के प्रशिक्षण केन्द्रो में प्रवेश हेतु पहल करने के दृष्टिकोण से राज्य सरकार ने राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना की शुरूआत वर्ष 2009-10 में की थी।

अभिलेखों की जाँच से ज्ञात हुआ कि नमूना जांच किये गये जिलों को अवधि 2010-11 से 2012-13 के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत ₹ 27.03 लाख आवंटित किया गया था। तथापि केवल 157 प्रतिभाशाली बालक एवं बालिकाओं को तीन जिलों से चिन्हित किया गया। साई/क्रीड़ा संस्थानों द्वारा संचालित प्रशिक्षण शिविर में उनके प्रवेश से संबंधित कोई जानकारी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई। यद्यपि बिलासपुर जिला में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के अंतर्गत कुछ बालक एवं बालिकाओं का चयन किया गया था पर उसकी सूची लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई। बाकी बचे हुए पाँच जिलों[8] में प्राप्त अनुदान राशि का उपयोग खेल प्रतियोगिता आयोजित करने में या खुराक राशि की तरह भुगतान करने में किया गया। रायगढ़ जिले में उपयोग न किये जाने के कारण अनुदान राशि लौटा दी गयी (**परिशिष्ट 2.5.9**)।

अतः निधि के व्यपवर्तन/समर्पण के कारण दिशा निर्देश में बताये गये बालक बालिकाओं में प्रतिभा खोज के उद्देश्य का, लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ था।

दो जिलों[9] के खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी ने कहा कि संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण विभाग से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उपरोक्त खर्च किये गये थे। कांकेर के खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी ने कहा कि विकास खण्ड एवं ग्राम स्तर पर संसाधन उपलब्ध न होने के कारण राष्ट्रीय प्रतिभा खोज का कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका। तीन जिलों[10] के खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी ने कहा कि अन्य खेल स्पर्धा के आयोजन से यह पूरा नहीं किया जा सका। निर्गम बैठक के दौरान शासन ने कहा (जनवरी 2014) कि आदिवासी विभाग द्वारा संचालित साई/क्रीड़ा संस्थानों के प्रशिक्षण शिविरों में प्रतिभावान खिलाड़ियों के प्रवेश-हेतु आवश्यक कदम उटाये जाएगें।

2.5.12.2 दिशा-निर्देशों को तैयार किये बिना साहसिक खेलों का आयोजनः

खेल नीति के अनुसार, युवाओं में साहसिक कार्यों से निपटने एवं साहसी होने के साथ ही सर्वांगीण विकास भी हो सके इसलिये साहसिक खेलों का आयोजन किये जाएगें। प्रति वर्ष इस आयोजन के लिय खेल एवं युवा कल्याण विभाग एक खेलों का कार्यक्रम बनायेगा। आगे भारत शासन के पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार एडवेंचर टूर आपरेटर्स (एटीओ) को देश में कहीं भी एटीओ की हैसियत से साहसिक खेलों को शुरू करने के लिए मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन करना होगा। खेल सामग्री और सुरक्षा साधनों की उपलब्धता अनुसार उन्हे अ, ब, और स, स्तर का लाईसेंस प्रदान किया जा सकता है। जिस पर एक्रेडिटेशन कमेटी द्वारा छः महीनों के अंदर पुनः विचार किया जा सकेगा।

अभिलेखों की जांच के दौरान एवं विभाग द्वारा अन्य जानकारी प्रस्तुत किये जाने पर यह देखा गया कि वर्ष 2010-11 से 2012-13 की अवधि में राज्य के दस जिलों[11] में 11 साहसिक

[8] बेमेतरा, दुर्ग, कांकेर, रायपुर एवं बलोदा बाजार भाटापरा
[9] बेमेतरा, दुर्ग
[10] रायपुर, बलौदाबाजर, भाटापरा एवं रायगढ़
[11] बलौदा बाजार, वस्तर, बेमेतरा, बिलासपुर, गरियाबांध, कांकेर, कोंडागाँव, मुंगेली, रायपुर एवं राजन्दगाँव

खेलों[12] का आयोजन किया और इसके लिए ₹ 64.78 लाख खर्च किये गये। आगे यह भी देखा गया कि विभाग कोटेशन के माध्यम से स्पर्धा प्रबंधक का चयन,यह सुनिश्चित किये बिना कि उन्हें भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से मान्यता प्राप्त है या नहीं करते हुए, साहसिक खेलों का आयोजन किया,। यह भी देखा गया कि विभाग ने साहसिक खेलों के आयोजन के लिए स्पर्धा प्रबंधक से कोई इकरारनामा भी निष्पादित नही किया था। पर्यटन मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन न करने एवं इकरारनामा निष्पादित न किये जाने से, साहसिक खेलों के आयोजन के लिए स्पर्धा प्रबंधक के औचित्य, और सुरक्षा सामग्री जो साहसिक स्पर्धा के दौरान लिए गए, के बारे में लेखा परीक्षा द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

इसे इंगित किये जाने पर संचालक, खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने कहा (अगस्त 2013) कि वर्तमान में साहसिक खेलों के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं है। यद्यपि भविष्य में उपयुक्त दिशा निर्देश तैयार किया जाएगा।

उक्त जवाब मान्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों का पालन नही किया, गया इस तरह प्रतिभागियों के जीवन पर खतरा होने की संभावना का अनदेखा नहीं किया जा सकता।

2.5.13 सामग्री प्रबंधनः

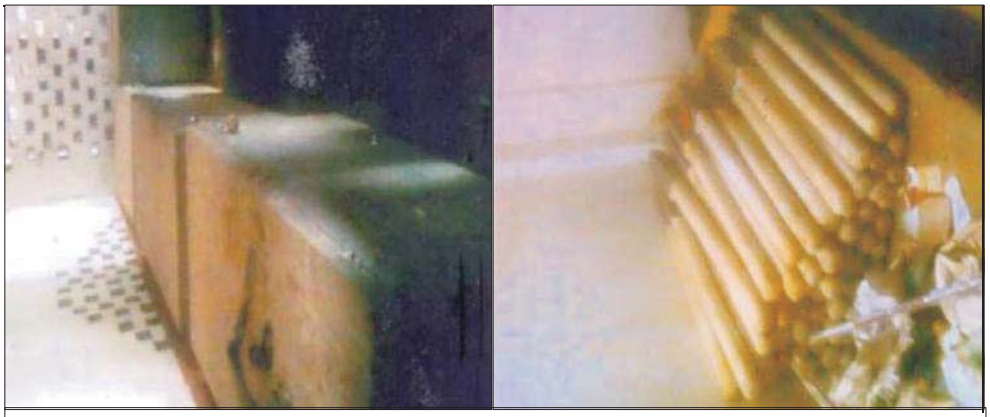
सुदृढ़ सामग्री प्रबंधन में सही योजनाबद्ध रूप से जरूरत अनुसार सामग्री क्रय करना,मितव्ययी क्रय, सामग्री दिये जाने पर नियंत्रण, सामयिक गणना एवं सुरक्षित भौतिक रख-रखाव आदि कार्य सम्मिलित है। अभिलेखों की जाँच किये जाने पर निम्न बातें ज्ञात हुई।

(अ) भंडार का भौतिक सत्यापन

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता के नियम-133 के अनुसार, संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा जैसा निर्धारित किया जाये प्रतिवर्ष एक बार भंडार के भौतिक सत्यापन का प्रावधान है। जब ऐसा सत्यापन किया जाये तब भंडार के सत्यापन का प्रमाण पत्र इसके परिणाम सहित भंडार की सूची विस्तृत विवरण या लेखा जैसा भी प्रकरण हो, पर अंकित किया जाना चाहिये।

अभिलेखों की जाँच से एवं विभाग द्वारा प्रस्तुत जानकारी से पता चला कि काँकेर के खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी के कार्यालय एवं संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग के कार्यालय में वर्ष 2010-11 से 2012-13 की अवधि में कोई जाँच परीक्षण नही किया गया। यद्यपि नौ चयनित जिलों के खेल एवं युवा कल्याण अधिकारियों ने कहा कि भौतिक सत्यापन किया गया था, परन्तु इसके समर्थन में कोई प्रमाण-पत्र लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। आगे यह भी देखा गया कि बस्तर के खेल एवं युवा कल्याण कार्यालय में जगह की अनुपलब्धता के कारण खेल सामाग्रियाँ बस्तर के पुलिस रक्षित केन्द्र में रखे गये थे जैसा कि फोटो में दिखाया गया है।

[12] रॉक क्लाईम्बिंग, वाटर फॉल, पैरासेलिंग, रैफलिंग इत्यादि



फोटोग्राफ दर्शाता है कि सामान पुलिस रक्षित केन्द्र के गैरेज में रखा गया

संचालक, खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने बताया खेल सामग्री और स्टाक का भौतिक सत्यापन कराया जाकर उसे लेखापरीक्षा को दिखाया जाएगा। काँकेर के खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी ने कहा कि भौतिक सत्यापन किया नहीं गया है। निर्गम बैठक के दौरान शासन ने कहा (जनवरी 2014) कि प्रमाणीकरण और भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जायेगा।

उपरोक्त जवाब इस बात की पुष्टि करता है कि काँकेर एवं संचालनालय और खेल एवं युवा कल्याण कार्यालय में सामग्री का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।

(ब) आवश्यक न होने पर भी सामग्री क्रय करनाः

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता खण्ड-1 के नियम 118 के अनुसार निश्चित जरूरत की गणना करने के बाद ही खरीदी की जानी चाहिए। आगे छत्तीसगढ़ स्टेट ट्रेजरी कोड के नियम 284(1) में यह भी उल्लेखित है कि ट्रेजरी से रूपये तभी निकाले जाये जब तक भुगतान करने के लिये रूपयों की आवश्यकता न हो। खर्च किये जाने की संभावना होने पर या बजट निरस्त होने से बचने के लिये राशि का आहरण किया जाना गंभीर अनियमितता होगी।

निदेशक कार्यालय के अभिलेखों की जांच से ज्ञात हुआ कि संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने कबड्डी एसोसिएशन की मांग पर ₹ 34.78 लाख खर्च कर स्के स्पोर्टस पटियाला से पाँच सेट कबड्डी मेट खरीदा था (फरवरी 2013 में)। उक्त सामानों को माह फरवरी 2013 में विक्रयकर्ता द्वारा प्रदाय किया गया था एवं जिसकी पावती स्टाक रजिस्टर में दर्ज की गई थी। इसके बावजूद यह देखा गया कि छः माह बीत जाने के बाद भी कबड्डी संघ को सामग्री नहीं दी गई थी और कबड्डी संघ द्वारा कबड्डी मेट को लेने की कोई उत्सुकता न होने की वजह से सामग्री संचालनालय मे ही पड़ी हुई थी। इस तरह बिना त्वरित आवश्यकता के खेल सामग्री खरीदने से निधि ₹ 34.78 लाख अवरूद्ध रहा।

संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने कहा (अगस्त 2013) कि कबड्डी मैटस के पड़े हाने एवं इसे अधिपत्य में लेने बाबत् जानकारी स्टेट लेवल कबड्डी एसोसिएशन से मांगी गई है। जानकारी प्राप्त होने पर मेट्स को वितरित किया जायेगा। निर्गम बैठक के दौरान सरकार ने कहा कि (जनवरी 2014) भविष्य में खेल सामग्री जैसे ही खरीदा जाता है, खेल संगठन को दे दी जाएगी।

2.5.14 युवा आयोग को सहायताः

आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक चुनौतियों के लिए युवाओं को शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से और उनके लिए सभी नीतियों की गुणवत्तायुक्त व्याख्या करने के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा युवा आयोग का गठन किया गया (2005-06)। इस युवा आयोग का मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा, वाणिज्य, विज्ञान, कला एवं संस्कृति, मनोरंजन, साहसिक खेल पर्यटन आदि के क्षेत्र में वर्तमान विकास संबंधित सूचनाएं दिया जाना है।

कार्यालय, खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी रायपुर के अभिलेखों की नमूना जांच निरीक्षण करने के दौरान यह पाया गया कि पिछले तीन सालों में युवा आयोग की सहायता के लिए ₹ 1.60 करोड़[13] रूपये आंवटित किये गये थे। इस राशि में से ₹ 66.58 लाख (42 प्रतिशत) की राशि कार्यालय व्यय के रूप में खर्च की गयी जैसे वेतन, यात्रा व्यय, मकान किराया, डीजल वाहन, मोबाइल एवं मरम्मत आदि, जिनका युवा गतिविधियों के विकास से कोई संबंध नहीं था और बाकी के 58 प्रतिशत अनुदान राशि खेलों के आयोजन, समूह नृत्य, लोक नृत्य आदि पर उपयोग की गयी। इस तरह एक बड़ी प्रतिशत तक की राशि जो युवाओं के विकास के लिए आंवटित की गई थी, कार्यालयीन व्यय के लिए खर्च कर दी गयी।

इसे इंगित किये जाने पर संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने कहा (अगस्त 2013) कि चार जिलों में जुलाई 2012 से मार्च 2013 की अवधि में विभिन्न युवा गतिविधियों का आयोजन किया गया था। कार्यालयीन व्यय के रूप में खर्च किये जाने के बारे में कोई विशिष्ट टिप्पणी नहीं दी गई।

वेतन एवं अन्य मद में आवंटन के बड़े हिस्से के व्यय को देखते हुऐ शासन को उक्त व्यय के लिय नया मापदण्ड तय करने के बारे में विचार करना चाहिए।

2.5.15 मानव संसाधन प्रंबधन

(अ) अपर्याप्त कर्मचारी

विभाग में प्रभावी तौर पर कार्य किये जाने के लिए, योजनांतर्गत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और विभिन्न गतिविधियों पर निगरानी हेतु पर्याप्त मानव संसाधनों का होना आवश्यक है। विभाग में मार्च 2013 में स्वीकृत संख्या या पद पर उपलब्ध व्यक्ति का विवरण **परिशिष्ट 2.5.10** में दर्शाया गया है।

वरिष्ठ खेल अधिकारी/अधिकारी, वरिष्ठ प्रशिक्षक/प्रशिक्षक जैसे मुख्य पदों पर अत्यधिक रिक्तियां होना

यह देखा गया कि प्रमुख पदों जैसे सहायक संचालक खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, वरिष्ठ प्रशिक्षक और प्रशिक्षक आदि के पद में 33 से 100 प्रतिशत तक अधिक रिक्तियां थी। लिपिक श्रेणी के पद जैसे सहायक श्रेणी-1, सहायक श्रेणी-2, और सहायक श्रेणी-3, और डाटा एंट्री आपरेटर में 33-100 के अनुपात में रिक्तियां थी। सभी स्तर पर मानव संसाधन के अभाव में विकास खण्ड एवं ग्राम स्तर पर ईकाईयों की कमी की वजह से राज्य में आयोजित किये गये विभिन्न खेलकूद एवं कल्याण से संबंधित गतिविधियों से विभागीय कार्यक्षमता पर बुरी तरह प्रभाव पड़ा है, जैसा कि कंडिका 2.5.7.1 एवं 2.5.8.3 (ब) में उल्लेखित है। आगे यद्यपि राज्य शासन ने नवंबर 2012 में ही रिक्त पदों पर भर्ती के लिए

[13] वर्ष 2010-11 के दौरान ₹10 लाख, वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 50 लाख एवं वर्ष 2012-13 के ₹100 लाख

नये सेट-अप की स्वीकृति कर दी थी, परन्तु रिक्त पदों को भरने के लिए लेखापरीक्षा के दिनांक (अगस्त 2013) तक भी भर्ती प्रक्रिया की शुरूआत नहीं की गई थी।

निर्गम बैठक के दौरान शासन ने कहा (जनवरी 2014) कि रिक्त पदों को भरने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाएंगे।

2.5.16 निगरानी

निगरानी कार्यकलाप

योजना-बद्व परिणाम-मूलक और गहन क्षेत्र निगरानी दिशा-निर्देशो के अनुसार, योजनाओं के प्रभाव एवं क्रियान्वयन को समझने के लिए सतत क्षेत्रीय निगरानी किया जाना आवश्यक है। विभाग द्वारा सतत निगरानी में कमी पर दिये गये कुछ कमियों पर नीचे चर्चा की गई है।

आंतरिक नियंत्रण

(अ) आंतरिक लेखापरीक्षण

आंतरिक कार्यप्रणाली पर नियंत्रण बनाये रखने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षण किया जाना अति आवश्यक है। अभिलेखों की जांच से यह विदित हुआ कि यद्यपि निदेशक कार्यालय में आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा थी तथापि जांच हेतु चयनित कार्यालयों में वर्ष 2010-11 से 2012-13 की अवधि में आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं किया गया था।

इंगित किये जाने पर यह कहा गया (अगस्त 2013) कि कर्मचारियों की कमी के कारण आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं किया जा सका।

यह जवाब स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि दो लेखापरीक्षकों की पद-स्थापना के बाद भी विभाग द्वारा लेखा परीक्षण नहीं कराया गया।

(ब) *उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण*

योजना के सही क्रियान्वयन, कार्यप्रणाली और दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रबंधन के पास विभागीय अधिकारियों द्वारा सामयिक निरीक्षण कराये जाने जैसा महत्वपूर्ण और प्रभावी कदम प्रबंधन के पास रहता है। यह देखा गया कि उच्चाधिकारियों जैसे संचालक, उप-संचालक एवं सहायक संचालक किसी के द्वारा भी पिछले तीन सालों में जांच हेतु चयनित जिलों का निरीक्षण नहीं किया गया।

निर्गम बैठक के दौरान शासन द्वारा यह कहा गया (जनवरी 2014) कि जिला खेल एवं युवा कल्याण कार्यालय पुलिस विभाग की निगरानी में थे क्योंकि आहरण और भुगतान करने का अधिकार उन्हें ही प्राप्त था। इस वर्ष से आहरण और भुगतान हेतु जिला खेल एवं युवा कल्याण कार्यालयों को अधिकार आवंटित किया गया था। इसलिए, भविष्य में आंतरिक लेखापरीक्षा कराये जाने के लिए आवश्यक कदम उठाया जावेगा।

2.5.17 निष्कर्ष

राज्य में खेल गतिविधियों का आयोजन करने एवं बढ़ावा देने की जिम्मेदारी खेल एवं युवा कल्याण विभाग की है। हमने योजना में कमियाँ जैसे खेल नीति 2001 का पालन नहीं करना, पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान (पायका) के क्रियान्वयन के लिए अधूरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाना है। आगे, निधि का उपयोग नहीं करना, खरीदी में अनियमितता, क्रीड़ाश्री की नियुक्ति में कमियाँ, ग्राम एवं विकास खण्ड को शामिल करने में कमियाँ अवलोकन में देखा गया। यद्यपि भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा 2017 में 37वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ को आवंटन (2010) किया है, राज्य शासन द्वारा पिछले साढ़े तीन वर्ष में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। आगे और भी कमियाँ जैसे डिजाईन एवं स्कोप के बदलने से मूल्यवृद्धि में अधिक भुगतान,मोबिलाईजेशन अग्रिम में ठेकेदार को अनुचित लाभ आदि पायी गयी। विभाग में विभिन्न स्तर पर मानव संसाधन के कमियों के कारण क्रियाकलापों में अप्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में कमी रही। आतंरिक नियंत्रण जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण शामिल है वह अप्रभावी रहा।

2.5.18 अनुशंसा

हम यह अनुशंसा करते हैं कि विभाग द्वारा

- पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान योजनाओं का भारत सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार खेल अधोसंरचना एवं खेल गतिविधियों को बढ़ाना सुनिश्चित किया जाय।
- बजट में प्रदत्त अनुदान राशि का सही उपयोग सुनिश्चित किया जाय।
- राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति डीपीआर के अनुमोदन, स्थल चयन, डिजाईन एवं विस्तृत मापदण्ड प्राथमिकता के साथ कार्य पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने में शीघ्रता करनी चाहिए।
- योजना की गतिविधियों पर सतत निगरानी के लिए उपर्युक्त कर्मचारी (स्टाफ) नियुक्त किया जाना चाहिए।
- आंतरिक नियंत्रण, निरीक्षण एवं अनुश्रवण को मजबूत किया जाये जिससे खेल अधोसंरचना की समय पर पूर्णता एवं राज्यों के खेल गतिविधियों को बढ़ाने को सुनिश्चित किया जा सके।

जनशक्ति और नियोजन विभाग

2.6 सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन

2.6.1 परिचय

तकनीकी शिक्षा किसी राज्य और देश के संपूर्ण समाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करती है। भारत सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत् उन्नयन करने का निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ के कुल 118 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में से 42 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का चयन पीपीपी के तहत् विद्यमान व्यवसाय का उन्नयन एवं नये व्यवसाय का प्रारम्भ करने के लिए किया गया था। भारत सरकार द्वारा जारी (अप्रैल 2008) दिशनिर्देश के अनुसार योजना का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षण का स्वरूप तथा सुपुर्दगी और अधिक माँग आधारित बनाकर व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रणाली से निकलने वाले स्नातकों की रोजगारपरकता में सुधार लाना है। दिशानिर्देश में आगे यह व्यवस्था है कि, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के उन्यन से संबंधित कार्य के लिए एक औद्योगिक भागीदार (आईपी) को नामांकित किया जाए। एक संस्थान प्रबंधन समिति (आईएमसी) जो एक पंजीकृत सोसाईटी होगी, स्थापित किये जाने की आवश्यकता है, जिसका अध्यक्ष औद्योगिक भागीदार होगा और आईटीआई का प्राचार्य उसका सदस्य सचिव होगा। आईएमसी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के विकास के लिए संस्थान विकास योजना (आईडीपी) तैयार करेगा और इसे भारत सरकार से ऋण प्राप्त करने के लिए राज्य समन्वय समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। सचिव, श्रम नियोजन विभाग, का सम्पूर्ण नियंत्रण राज्य के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पर रहता है। केन्द्र सरकार ने योजना के कार्यन्वयन के मार्गदर्शन तथा प्रबंधन हेतु एक शीर्षस्थ निकाय के रूप में कार्य करने हेतु उद्योग, राज्य सरकारें तथा केन्द्र सरकार के अन्य विभागों के पर्याप्त प्रतनिधित्व से एक राष्ट्रीय विषय निर्वाचन समिति (एनएससी) का गठन किया है। निदेशक रोजगार एवं प्रशिक्षण के सहायता के लिए चार[1] क्षेत्रीय कार्यालय है जिसका प्रमुख संयुक्त निदेशक होता है, जिसके अन्तर्गत राज्य के सभी 118 आईटीआई के प्राचार्य/प्रशिक्षण अधीक्षक कार्यरत है। अवधि 2007-08 से 2012-13 को सम्मिलित करते हुए अप्रैल-जुलाई 2013 के मध्य योजना की लेखापरीक्षा की गई थी। हमने निदेशक रोजगार एवं प्रशिक्षण, रायपुर एवं पीपीपी के अन्तर्गत संचालित 42 आईटीआई में से 16 आईएमसी ***(परिशिष्ट 2.6.1)*** में योजना से संबधित अभिलेखों की जाँच की।

[1] अम्बिकापुर,बिलासपुर,जगदलपुर व रायपुर

लेखापरीक्षा आपत्ति

नमूना जाँच इकाईयों की लेखापरीक्षा के दौरान हमने निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई।

2.6.2 वित्तीय प्रबंधन

भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका (अप्रैल 2008) के अनुसार भारत सरकार द्वारा प्रत्येक आईटीआई के उन्नयन के लिए ₹ 2.5 करोड़ का ब्याज रहित ऋण दिया जाना था। ऋण राशि को चयनित आईएमसी द्वारा खोले गये एक बचत बैंक खाता में रखा जाना था। ऋण के पुर्नभुगतान के लिए आईएमसी को ऋण जारी किये जाने वाले वर्ष के बाद 10 वर्ष तक स्थगन काल है। ऋण का स्थगन काल समाप्त होने के पश्चात्, आईएमसी द्वारा ऋण की अदायगी अगले बीस वर्षों में समान किस्तों की जानी है। भारत सरकार आईएमसी को ऋण, राज्य समन्वय समिति द्वारा अनुमोदित आईडीपी के आधार पर स्वीकृत करेगी।

भारत सरकार द्वारा ₹ 105 करोड़ का ऋण योजनान्तर्गत चयनित 42 आईटीआई को दिया गया था। उन्नयन के लिए चयनित आईटीआई, भारत सरकार द्वारा जारी राशि, मार्च 2013 तक व्यय राशि एवं शेष अनुपयोगी राशि का विस्तृत विवरण निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत है।

तालिका-2.6.1 पीपीपी के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी निधि और व्यय

(₹ करोड़ में)

ऋण स्वीकृति वर्ष	चयनित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की संख्या	भारत सरकार द्वारा जारी राशि	व्यय की गई राशि मार्च 2013 की स्थिति में	उपलब्ध राशि
2007-08	12.00	30.00	9.47	20.53
2008-09	10.00	25.00	5.66	19.34
2009-10	15.00	37.50	9.54	27.96
2010-11	5.00	12.50	1.08	11.42
योग	**42.00**	**105**	**25.75**	**79.25**

उपरोक्त तालिका से यह पाया गया कि योजना को लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा ₹ 105 करोड़ का ऋण जारी किया गया था, जिसमें से केवल ₹ 25.75 करोड़ राशि व्यय की गई थी और ₹ 79.25 करोड़ की राशि दो से छः वर्ष व्यतीत होने के बावजूद अनुपयोगी रही। अभिलेखों की जाँच में अनियमितताएं पाई गई, जैसे निधियों का अवरूद्ध रहना, निधियों का अनाधिकृत निकासी और मूलभूत अभिलेखों का रख-रखाव न किया जाना इत्यादि जिसकी चर्चा नीचे की गई है:

2.6.3 आय का सृजन

आईएमसी के नियम एवं शर्तें के नियम 55 के अनुसार, सोसाइटी की निधियों ब्याज मुक्त ऋण, बचत और निवेश से प्राप्त ब्याज, आईटीआई में सोसाइटी द्वारा चलाये जा रहे किसी दीर्घावधि या अल्पावधि पाठ्यक्रम से प्राप्त शुल्क के रूप में प्राप्त राशि, आईटीआई द्वारा प्रदाय परामर्शदायी सेवाओं हेतु प्रभार, सोसाईटी द्वारा प्राप्त अनुदान, अंशदान, दान और किसी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में भुगतान

की गई सीटों के लिए सोसाईटी को राज्य सरकार द्वारा एकत्र करने हेतु अनुमत्य अतिरिक्त प्रभार शामिल होगा।

हमने नमूना जाँच आईटीआई में पाया कि वर्ष 2007-08 से 2012-13 के दौरान ₹ 9.89 करोड़[2] का आय अर्जित किया गया था। आय का लगभग 90 प्रतिशत आईटीआई के उन्नयन के लिए उपलब्ध राशि के ब्याज से प्राप्त हुआ था। जबकि आईटीआई (महिला), बिलासपुर ने लघु पाठ्यक्रम संचालित कर ₹ 34.56 लाख आय अर्जित किया था, शेष 15 नमूना जाँच आईटीआई ने कुल मिलाकर केवल ₹ 18 लाख का आय, प्रशिक्षण शुल्क के रूप में विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित कर किया था। कम मात्रा में आय के सृजन का मुख्य कारण आईडीपी के अनुसार नये व्यवसाय का प्रारम्भ न किया जाना और विद्यमान व्यवसाय के उन्नयन में असफल रहना था। जिसे नीचे की कण्डिका में उल्लेख किया गया है आईटीआई द्वारा नगण्य आय के सृजन को देखते हुए स्थगन काल के पश्चात ऋण के पुर्नभुगतान की संभावना अभी दूर है एवं आईटीआई को आय के बढ़ोत्तरी के लिए अल्पावधि पाठ्यक्रम संचालित करने की आवश्यकता है।

राज्य शासन को, जब कभी भी ऋण देय हो, को सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक उपाय करना चाहिए।

2.6.3.1.आईडीपी को लागू न किये जाने के कारण निधियों का अवरूद्ध रहना

मार्गदर्शिका की कण्डिका सात के अनुसार, आईएमसी द्वारा संस्था विकास योजना इस प्रकार तैयार किया जाना था कि यह आईटीआई के समग्र विकास में मार्गदर्शक हो। साथ-साथ किसी विशेष व्यवसाय का उन्नयन भी किया जा सके। आईडीपी, योजना के दीर्घावधि लक्ष्यों को परिभाषित करता है और आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु वर्षवार ब्योरा सहित वित्तीय आवश्यकताओं ***(परिशिष्ट 2.6.1)*** का ब्योरा तैयार करता है।

मार्गदर्शिका में आगे यह उल्लेख है कि, आईडीपी राज्य विषय-निर्वाचन समिति (एसएससी) को प्रस्तुत किया जाना था और जाँच के उपरांत निधियाँ जारी करने हेतु इसे केन्द्र सरकार को अग्रेषित की जानी थी। चयनित आईटीआई के अभिलेखों के जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा आईडीपी को एसएससी से अनुमोदन प्राप्त किये जाने की प्रत्याशा में राष्ट्रीय विषय निर्वाचन समिति (एनएससी) को अग्रेषित कर दिया गया था। चयनित 16 आईटीआई में वर्ष 2007-08 से 2009-10 के दौरान आईएससी को ₹ 40 करोड़ की ऋण राशि प्राप्त हुई थी। पिछले छः वर्षों में आईएमसी ने बैंक में जमा राशि और बैंक समयावधि जमा से ₹ 8.77 करोड़ का ब्याज अर्जित किया था। कुल उपलब्ध निधि ₹ 49.89 करोड़ में से (***परिशिष्ट 2.6.2***), ₹ 11.37 करोड़ का उपयोग औजार एवं उपकरण, साज-सज्जा को क्रय करने में और अतिरिक्त कर्मचारी के वेतन इत्यादि पर किया गया था एवं शेष बचत राशि ₹ 38.52 करोड़ दो से छः वर्षों तक निम्न कारणों से अनुपयोगी रही।

- आईडीपी के अनुसार, पाँच वर्षों की योजना तैयार कर निधियों का उपयोग नये व्यवसाय के पाठ्यक्रमों को नेशनल कॉउसिल आफ वोकेशनल ट्रेनिंग

[2] ब्याज ₹ 8.77 करोड़, अतिरिक्त राजस्व ₹ 1.12 करोड़

(एनसीवीटी) से संबद्धता प्राप्त कर स्नातकों के रोजगार संख्या को बढ़ाना था। नये व्यवसाय के संबद्धता के लिए सभी आईटीआई में प्रशिक्षण का मानक एवं एकरूपता जैसा कि पाठ्यक्रम औजार एवं संयत्र, स्थान एवं प्रशिक्षण इत्यादि सुनिश्चित करने के लिए, एनसीवीटी द्वारा एक समिति का गठन किया जाता है। संतोषप्रद निरीक्षण के उपरान्त संबद्धता को मान्य किया जाता है।

नमूना जाँच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि आईडीपी में 47 नये व्यवसाय (***परिशिष्ट 2.6.3***) प्रारम्भ कर 1444 कुशल श्रमिक की संख्या में वृद्धि की जानी की योजना थी। इसके विरूद्ध केवल एक आईटीआई पाली आईडीपी के अनुसार नये व्यवसाय प्रारम्भ किया गया। जबकि आईटीआई जगदलपुर और महासमुन्द द्वारा नियोजित छः व्यवसाय में से केवल तीन व्यवसाय ही प्रारम्भ किया था। शेष 13 आईटीआई एनसीवीटी से, नये व्यवसाय प्रारम्भ करने के लिए योजना प्रारम्भ होने के दो से छः वर्ष पूर्ण होने पर भी, आवेदन नहीं किया। इस प्रकार आईटीआई केवल 176 (12 प्रतिशत) कुशल श्रमिक ही उपलब्ध करा सका।

- विद्यमान व्यवसाय के उन्नययन के लिए (जो एनसीवीटी से संबंध है), आईटीआई को औजार एवं संयंत्र खरीदने की आवश्यकता थी। यह देखा गया कि 16 नमूना जाँच आईटीआई में से 14 ने (***परिशिष्ट 2.6.4***) आईडीपी में विद्यमान व्यवसाय के उन्नयन के लिए प्रावधान किया था, लेकिन केवल दो आईटीआई[3] ने पाठ्यक्रम के अनुसार विद्यमान व्यवसाय के उन्नयन के लिए औजार एवं संयंत्र का क्रय किया था। शेष 12 आईटीआई ने दो से छः वर्षों से निधियों के उपलब्ध रहने के बावजूद भी पूर्ण औजार एवं संयंत्र का क्रय नहीं किया था। इस प्रकार विद्यार्थी सुविधाओं से वंचित रहे और निधियाँ निष्क्रिय रहीं।
- आईडीपी को पाँच वर्षों के लिए तैयार किया गया था, जिसके आधार पर भारत सरकार द्वारा ऋण जारी किया गया था। यह देखा गया कि, पाँच वर्षों की अवधि में पाँच आईटीआई[4] मूल आईडीपी के योजना को लागू न किये जाने के कारण इसे पुनरीक्षित किया था और तीन आईटीआई [5] को मूल आईडीपी को लागू न किये जाने के कारण पुनरीक्षित करने की योजना थी। इस प्रकार, आइडीपी को बनाते समय उचित योजना न रहने के कारण इसे बार-बार पुनरीक्षित करना /बदलना पड़ा, जिससे योजना को लागू करने में विपरीत प्रभाव पड़ा।

लेखापरीक्षा के द्वारा इंगित किए जाने पर पाँच आईटीआई[6] के प्राचार्य ने लेख किया (अप्रैल-जुलाई 2013) कि नये भवन में स्थानान्तरित होने पर नये व्यवसाय प्रारम्भ किये जाएंगे और आठ प्राचार्य[7] ने कहा कि एनसीवीटी से संबद्धता प्राप्त करने के

[3] पाली, महासमुन्द

[4] अम्बिकापुर, बिलासपुर, (म), चिरमिरी, जगदलपुर और पाली

[5] आरंग, हथबंद और महासमुन्द,

[6] आरंग, चिरमिरी, जगदलपुर, महासमुन्द, और सक्ती

[7] अम्बिकापुर, बिलासपुर, धमतरी, कसाडोल, पाली, परपोड़ी, रायपुर, और सारंगढ़

पश्चात् नये व्यवसाय प्रारम्भ किए जायेंगे। विद्यमान व्यवसाय के उन्नययन के लिए प्राचार्य ने लेख किया कि कमी पाये गये औजार एवं सयन्त्र का क्रय शीघ्र किया जाएगा।

उत्तर से स्पष्ट था कि आईडीपी के पाँच वर्षों की योजना का परिपालन नहीं किया गया था, आईडीपी के अनुसार नये व्यवसाय प्रारम्भ नहीं किये गए थे,विद्यमान व्यवसाय का उन्नयन असफल रहा जिससे योजना के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका था।

राज्य शासन को योजना निर्माण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करना चाहिए जिससे योजना के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।

2.6.4 अनुदेशकों की कमी

योजना की मार्गदर्शिका की कंडिका पाँच के अनुसार, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के कर्मचारी पर राज्य शासन का प्रशासनिक नियंत्रण है और वह उन्हे वेतन एवं अन्य परिलब्धियाँ देना जारी रखेगी। राज्य शासन को यह सुनिश्चित करना होता है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अनुदेशकों के पदों की स्वीकृत संख्या हमेशा भरी रहे तथा रिक्तियाँ किसी भी स्थिति में स्वीकृत संख्या के दस प्रतिशत से अधिक न हो। आगे, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आपेक्षित समस्त अतिरिक्त पदों की स्वीकृति प्रदान कि जाए तथा उन्हे प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए।

नमूना जांच किये गये आईटीआई के अनुदेशकों की स्थिति नीचे तालिका में दर्शायी गयी है।

तालिका-2.6.2: अनुदेशकों का विवरण 31 मार्च 2013 की स्थिति में

आईटीआई का नाम	स्वीकृत पद	नियमित पद	अनुबंधित पद	अतिथि पद	योग	रिक्तियाँ	रिक्तियों का प्रतिशत
आईटीआई, रायपुर	39	30	9	-	39	0	0.00
आईटीआई, महासमुन्द	24	12	6	2	20	4	17
आईटीआई, सारंगगढ़	14	3	2	1	6	8	57
आईटीआई, कारडोल	16	12	1	1	14	2	13
आईटीआई, कोनी, बिलासपुर (महिला)	7	5	-	-	5	2	29
आईटीआई, जगदलपुर	14	5	2	3	10	4	29
आईटीआई, आरंग	9	4	-	-	4	5	56
आईटीआई,धमतरी	11	3	3	1	7	4	36
आईटीआई, सक्ती	7	5	1	-	6	1	14
आईटीआई, हथबंध	11	3	2	-	5	6	55
आईटीआई, चिरमिरी	17	5	3	2	10	7	41
आईटीआई, परपोड़ी	9	6	1	-	7	2	22
आईटीआई, पाली	11	3	3	1	7	4	36
आईटीआई,अम्बिकापुर (महिला)	12	5	-	1	6	6	50
आईटीआई, मोहला	10	1	-	2	3	7	70
आईटीआई, सनजारी	10	-	1	-	1	9	90

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि आईटीआई रायपुर में अनुदेशकों की संख्या पूर्ण थी जबकि अन्य आईटीआई में अनुदेशकों की रिक्तियां 13 से 90 के मध्य थी। अनुदेशकों को अधिक संरचना में कमी योजना के मार्गदर्शिका का उल्लंघन था जो आईटीआई के उन्नयन में अवरोधक था और योजना के अर्न्तनिहित उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा।

राज्य शासन रिक्तियों को भरने के लिए उचित उपाय करे जो योजना को प्रभावकारी ढंग से लागू करने और गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराने में सहायक हो।

2.6.5 योजना का अनुश्रवण

योजना की मार्गदर्शिका की कंडिका पाँच के अन्तर्गत अनुलगनक iv में यह व्यवस्था है कि, राज्य स्तर पर योजना के कार्यान्वयन का प्रबोधन करने के लिए राज्य सरकार उद्योग के पर्याप्त प्रतिनिधित्व से एक राज्य विषय-निर्वाचन समिति का गठन करेगी। राज्य विषय-निर्वाचन समिति को राज्य स्तर पर योजना के प्रबंधन, प्रबोधन तथा मूल्यांकन हेतु पर्याप्त कर्मचारी सहित राज्य कार्यान्वयन प्रकोष्ठ और प्रत्येक आईटीआई में शासी परिषद[8] द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी । दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य विषय-निर्वाचन समिति की बैठक दो माह के अन्तराल में कम से कम एक बार आयोजित की जानी चाहिए। हमने योजना के प्रबंधन में अनेक कमियाँ पाई गई जिसका वर्णन नीचे दिया गया है।

- हमने देखा कि, राज्य शासन द्वारा वर्ष 2007 में उत्कृष्ट केन्द्र योजना के अन्तर्गत गठित राज्य विषय-निर्वाचन समिति को इस योजना के लिए भी एसएससी मनोनीत किया गया था, और राज्य निर्वाचन समिति की प्रथम बैठक अप्रैल 2011 में आयोजित की गई थी, इसके बाद दो और बैठक (मई 2012 और अप्रैल 2013) आयोजित की गई। इस प्रकार मार्गदर्शिका के अनुसार अप्रैल 2013 तक आवश्यक 12 बैठक (दो महीने में एक बार) के विरूद्ध केवल तीन बैठकें आयोजित की गई थी। राज्य-विषय निर्वाचन समिति के अनुमोदन हेतु 16 आईटीआई के आईडीपी को एसएससी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया एवं विभाग द्वारा इसे एसएससी से अनुमोदन की प्रत्याशा में भारत सरकार को भेज दिया गया था। एसएससी की नियमित बैठक के आभाव में योजना के प्रगति का प्रबोधन और समय से कार्यवाही नहीं किया जा सका जिससे योजना को लागू करने में हो रहे विलम्ब को टाला जा सके।

- राज्य स्तर पर योजना के प्रबंधन, प्रबोधन एवं मूल्यांकन के लिए एक राज्य कार्यान्वयन प्रकोष्ठ का गठन पाँच वर्षों कि अवधि 2007-08 से 2011-12 तक के लिए किया जाना था। एसएससी के मार्गदर्शन में राज्य कार्यान्वयन प्रकोष्ठ, योजना को लागू करने के लिए, उत्तरदायी था। योजना के परिव्यय में राज्य कार्यान्वयन प्रकोष्ठ के कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य परिश्रमिकों सहित

[8] शासी परिषद का गठन आईपी द्वारा नामांकित प्रतिनिधि अध्यक्ष के रूप में, राज्य सरकार द्वारा स्थानीय अवसर से संबधित नामांकित चार सदस्य, आईटीआई का प्राचार्य सदस्य सचिव होगा।

कार्यालय तथा प्रशासनिक व्यय का वहन किया जाना था। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से संबंध राज्य के निदेशक एसआईसी के प्रमुख होगें जो पूर्वकालिक अधिकारियों जिसमें एक संयुक्त निदेशक तथा दो उप निदेशक/सहायक निदेशक से गठित होगा। उपरोक्त उद्देश्य के लिए भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2009-10 में ₹ 17 लाख (मार्च 2010) की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

हमने पाया कि योजना को लागू किए जाने के बावजूद एसआईसी का गठन, जैसे कि योजना में परिकल्पित किया गया था, नहीं किया गया और एसआईसी का कार्य एक संयुक्त निदेशक को निदेशक रोजगार एवं प्रशिक्षण के अन्य नियमित कार्य के साथ सौंपा गया था। एसआईसी का गठन न किए जाने से भारत सरकार कि राशि ₹ 17 लाख का उपयोग नहीं किया जा सका और योजना प्रबोधन भी उचित ढ़ंग से नहीं किया जा सका ।

- आईएमसी के नियम व विनियम के कंड़िका 40 के अनुसार शासी परिषद के बैठक अध्यक्ष द्वारा यदि आवश्यक समझा जाए तो सोसाइटी की बैठक बार-बार या किसी भी स्थिति में प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। तथापि, सोसाइटी के गठन के प्रथम वर्ष के दौरान जब औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन की प्रक्रियाधीन हो शाषी परिषद से प्रत्येक माह में एक बार बैठक करने की अपेक्षा है।

हमने देखा कि आईटीआई, हथबंद, महिला आईटीआई बिलासपुर और आईटीआई धमतरी ने योजना के अनुसार आवश्यक बैठक समय से आयोजित किया था। जबकि सात आईटीआई[9] ने दस से कम बैठकें आयोजित की थी और छः आईटीआई[10] ने पिछले पाँच वर्षों में 10 से 12 बैठकें ही आयोजित की थी।

यह देखा गया कि आईटीआई के गतिविधियों पर देख-रेख करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली उचित नहीं था एवं प्रबोधन की प्रक्रिया अपर्याप्त था। नीचे चर्चा की गई आईटीआई मोहला के निधियों का अविनियोजन, को रोका जा सकता था अगर शासी परिषद ने योजना को लागू करने के प्रबोधन के लिये नियमित रूप से बैठकें आयोजित की होती।

योजना के मार्गदर्शिका के अनुसार बैंक से निधियों की निकासी के लिए आईएमसी के सचिव एव अध्यक्ष का संयुक्त हस्ताक्षर होना आवश्यक था।

आईटीआई, मोहला के लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि विशाल आयरन एवं स्टील कारपोरेशन को मोहला आईटीआई के लिए उद्योग भागीदार के रूप में चयन किया गया था और कंपनी के प्रबंधक निदेशक को आईएमसी का अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। आईएमसी को (सितम्बर 2009) ₹ 2.5 करोड़ का ब्याज रहित ऋण जारी किया गया था, जिसे भारतीय स्टेट बैंक भिलाई में आईएमसी के खाते में जमा किया था।

[9] आरंग, कसडोल, महासमुन्द, रायपुर, मोहला, सारंगढ, और संजारी

[10] अम्बिकापुर, चिरमिरी, जगदलपुर, परपौंडी, पाली, और सक्ती

यह देखा गया कि सचिव ने बैंक से यह निवेदन किया (दिसम्बर 2010) कि बैंक से धन निकासी पर प्रतिबंध लगा दिया जाए जो कि सचिव के बगैर हस्ताक्षर के संचालित किया जा रहा था। यद्दपि यह देखा गया कि 31 दिसम्बर 2010 से 12 मार्च 2012 के दौरान बैंक से ₹ 12.03 लाख की निकासी की गई थी।

आगे रोकड़ बही, बैंक पासबुक, स्टाक पंजी, देयक और प्रमाणक सचिव के पास उपलब्ध नहीं थे। वार्षिक लेखे 31 मार्च 2010 तक ही बनाये गये थे। उपरोक्त अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण, सचिव तिमाही प्रगति प्रतिवेदन निदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, रायपुर को दिसम्बर 2010 के बाद अग्रेषित नहीं कर सका था।

चूंकि कोई भी लेख अभिलेख, देयक और प्रमाणक आईटीआई मोहला में संधारित नहीं किए गये थे, हमने, निधियों का मिलान बैंक विवरण और दिसम्बर 2010 के तिमाही मासिक प्रतिवेदन से किया और यह देखा कि आईटीआई मोहला, के तीन बैंक खातों में प्राप्त ₹ 2.54 करोड़ में से ₹ 1.04 करोड़ को व्यय के रूप में त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन में दिखाया गया था, ₹ 1.13 करोड़ सावधि जमा/बचत खाता में उपलब्ध था जबकि शेष राशि ₹ 36.70 लाख की कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी।

इंगित किए जाने पर सचिव ने कहा (जुलाई 2013) कि ये तीनों बैंक खाते अध्यक्ष की पहल पर खोले गए थे। आगे, उन्होने यह कहा कि आईएमसी से संबंधित अभिलेख जैसे रोकड़ बही, चेकबुक, पासबुक, स्टाक पंजी, वार्षिक लेखे इत्यादि अध्यक्ष के पास बिना उसकी जानकारी में रहता था। सचिव द्वारा यह भी कहा गया कि, जबकि सभी अभिलेख अध्यक्ष के पास उपलब्ध थे तो निधियों के संबंध में जानकारी केवल वे ही उपलब्ध करा सकते हैं।

सचिव का उत्तर तथ्यों की ओर संकेत करता है कि, अध्यक्ष आईएमसी के खातों से राशि बगैर सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के भी आहरण किया करते थे और निधियों का विस्तृत अभिलेख आईएमसी द्वारा संधारित नहीं किये जा रहे थे।
इस संबंध में एक समिति द्वारा, जिसका प्रमुख जिले का कलेक्टर है, एक विभागीय जाँच प्रारम्भ की गई थी जिसके अनुसार विभाग ने (सितम्बर 2012) सोसाईटी रजिस्ट्रार, रायपुर से आईटीआई मोहला के आईएमसी को विघटित करने का आग्रह किया था। यह भी ज्ञात हुआ कि, आईएमसी, मोहला के अध्यक्ष के विरूद्ध वित्तीय अनियमितताओं के लिए प्रथम दृष्टया प्रतिवेदन (एफआईआर) दर्ज़ की गई थी।

इस प्रकार, एसएससी के नियमित बैठक के अभाव में योजना के अनुचित प्रबंधन एवं प्रबोधन और कमजोर आन्तरिक प्रबंधन प्रणाली उपरोक्त उल्लेखित अनियमितताओं का कारण था।

विभाग द्वारा योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा विधि और प्रबोधन प्रक्रिया का विकास किया जाना चाहिए।

2.6.6 मुख्य निष्पादक संकेतक

मुख्य निष्पादक संकेतक (केपीआई), अगले पाँच वर्षों के लिए आईटीआई के आन्तरिक और साथ-साथ वाह्य कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए एक वार्षिक लक्ष्य है। केपीआई में शामिल है, सीटों की संख्या के विरूद्ध प्राप्त आवेदन, सीटों के संख्या के

विरूद्ध प्रवेशित छात्रों की संख्या, प्रवेशित होने के सापेक्ष में संस्था छोड़े गए छात्रों की प्रतिशतता और सफलता के एक वर्ष के अन्तर्गत सफल विद्यार्थियों को प्राप्त रोजगार/स्वरोजगार एवं उनका मासिक आय। योजना अवधि के दौरान और बाद में ये मापदंड योजना की सफलता का मूल्यांकन करने के लिए है। आईएमसी और राज्य सरकार द्वारा हस्ताक्षरित सहमत केपीआई करार ज्ञापन में जोड़ा गया है । हमने देखा कि, चौदह आईटीआई[11] में वर्ष 2007-08 से 2012-13 तक स्थिति निम्न प्रकार से थी।

- इस अवधि के दौरान कुल प्राप्त 44,890 आवेदनों में से केवल 11,907 (27 प्रतिशत) का नामाकंन ही किया जा सका था। यद्यपि ये आईटीआई के उन्न्यन के लिए चयनित था लेकिन नामाकंन की संख्या बढ़ाने के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई थी।
- जबकि तीन आईटीआई[12] में सफल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 90 से अधिक था तथा शेष आईटीआई में यह प्रतिशत 40 से 89 के मध्य था।
- किसी भी चयनित आईटीआई में सफल विद्याथियों के मासिक रोजगार और मासिक आय का आधारभूत डाटाबेस संधारित नहीं किये गये थे। इस डाटाबेस के अभाव में मुख्य निष्पादन संकेतक जो आईटीआई के आंतरिक और साथ-साथ बाह्य कार्यकुशलता को बेहत्तर बनाने के लिए अगले पाँच वर्ष के लिए एक वार्षिक लक्ष्य था, की समीक्षा नहीं की जा सकी थी।

2.6.7 निष्कर्ष

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी के माध्यम से विद्यमान व्यवसाय का उन्नयन एवं नये व्यवसाय प्रारम्भ कर कुशल श्रमिकों की संख्या में वृद्धि के योजना के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका था। व्यवसाय का उन्नयन एवं नये व्यवसाय को प्रारम्भ करने के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना का विकास नहीं किया जा सका और संबद्धता प्राप्त नहीं किया जा सका, जिससे योजना का निष्पादन अच्छा नहीं रहा। वित्तीय कुप्रबंधन जैसे निधियों का अवरूद्ध रहना, और अभिलेखों का उचित रख-रखाव न किया जाना पाया गया था। आईएमसी द्वारा आईडीपी को लागू नहीं किया जाना अधोसंरचना में कमी एवं नियमित प्रशिक्षकों का अभाव के कारण योजना प्रारम्भ से ही असफल रही। इसके अतिरिक्त, आय सृजन के लिए जैसा कि परिकल्पित किया गया था संस्था प्रबंध समिति द्वारा कोई कदम नहीं उठाये गऐ थे । कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अनुचित प्रबोधन और एसआईसी के नियमित बैठक के अभाव में योजना के लागू करने में व्याप्त कमियों को चिन्हित कर दूर नहीं किया जा सका था।

[11] आरंग, अंबिकापुर (डब्ल्यू), बिलासपुर, चिरमिरी, धमतरी, हथबंद, जगदलपुर, रायपुर, मोहला, परपैंदी, पाली, संजरी, सक्ति और सारंगढ़
[12] आरंग, बिलासपुर, धमतरी

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग

2.7 प्री-मैट्रिक आदिवासी छात्रावासों एवं आश्रमों की कार्यप्रणाली

2.7.1 प्रस्तावना

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों को दूरस्थ क्षेत्रों से विद्यालयों में लाकर अध्ययन को जारी रखने के उद्देश्य से छात्रावास एवं आश्रम योजना (2010) लागू की गई थी। राज्य शासन ने छात्रावास एवं आश्रम नियम (2010-11) को प्रारूपित किया तथा नियमों के अनुसार छात्रावास में न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं जैसे स्वच्छ पेय जल, साफ सुथरा शौचालय एवं स्नान करने का कमरा, पाक्षिक स्वास्थ्य जाँच, निःशुल्क विद्युत सहित आवास, बिस्तर, मैट्रेस, कंबल, मच्छरदानी एवं भोजन बनाने हेतु बर्तनों का प्रावधान किया जाना था तथा आश्रमों में आवासीय एवं विद्यालयीन सुविधायें निःशुल्क प्रदाय किया जाना था। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग द्वारा छात्रावासों एवं आश्रमों में विद्यालय समय के पश्चात् विद्यार्थियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण के साथ साथ कक्षा 6वीं से 10वीं के विद्यार्थियों को कठिन विषयों की कोचिंग देने की व्यवस्था की जानी थी। आयुक्त अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के मुख्य नियंत्रण अधिकारी है जिसकी सहायता राज्य स्तर पर संचालक, अतिरिक्त संचालकों एवं उपायुक्तों द्वारा, जिला स्तर पर सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा एवं विकास खंड स्तर पर विकास खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा तथा छात्रावास /आश्रम स्तर पर अधीक्षकों द्वारा की जाती है। छात्रावासों एवं आश्रमों में मूल आधारभूत संरचना, विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएँ तथा अन्य सुविधाओं की पर्याप्तता को देखने के लिये हमने योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की।

राज्य में 1254 प्री-मैट्रिक आदिवासी छात्रावास एवं 1153 आदिवासी आश्रम है जिसमें से आठ[1] जिलों (27 जिलों में से प्रत्येक संभाग[2] से दो जिलें) के 371 छात्रावासों एवं 254 आश्रमों का लेखापरीक्षा किया गया था। प्री-मैट्रिक आदिवासी छात्रावासों एवं आश्रमों से संबंधित अभिलेख का नमूना जाँच चयनित जिलों के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालयों में किया गया था।

2.7.2 बजट आवंटन एवं व्यय

विभाग द्वारा 2008-13 के दौरान छात्रावासों एवं आश्रमों के निर्माण के लिये ₹ 274.74 करोड़ आवंटित किये गये, ₹ 769.94 करोड़ मुलभुत सुविधाएँ प्रदान करने हेतु ,₹ सात करोड़ कठिन विषयों की कोचिंग देने के लिए और ₹ 1.21 करोड़ छात्रावासों एवं आश्रमों में कम्प्युटर प्रशिक्षण के लिए दिये गये। विभाग द्वारा 2008-13 के दौरान आवंटन के विरूद्ध छात्रावास एवं आश्रमों के निर्माण पर ₹ 271.29 करोड़,

[1] बलौदा बाजार, बिलासपुर, दन्तेवाड़ा, कांकेर, कोरबा, राजनांदगांव, सरगुजा, तथा सुरजपुर

[2] बस्तर, बिलासपुर, रायपुर, सरगुजा

आधारभूत सुविधाओं के प्रदाय पर ₹ 633.36 करोड़[3] कठिन विषयों पर विशेष कोचिंग पर ₹ 6.40 करोड़ तथा छात्रावासों एवं आश्रमों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण पर ₹ 7.30 करोड़ व्यय किया गया था।

2.7.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.7.3.1 स्वयं के भवनों की अनुपलब्धता

यह देखा गया कि लेखापरीक्षित जिलों के नमूना जाँच किए गए 625 छात्रावासों एवं आश्रमों में से 171 का संचालन किराये, अन्य शासकीय भवनों, स्कूलों के अतिरिक्त कक्ष, सामुदायिक भवनों अथवा पंचायत भवनों में हो रहा था। नमूना जाँच किये गए छात्रावासों एवं आश्रमों में भवनों की स्थिति निम्न प्रकार से है।

तालिका 2.7.1:नमूना जांच किये छात्रावास एवं आश्रमों में भवनों की स्थिति दर्शाने वाला तालिका

जिला का नाम	नमूना जांच किये गये छात्रावास एवं आश्रमों की संख्या	जिलों में स्वयं के भवनों की अनुपलब्धता	भवन स्वीकृत (2006-07 से 2012-13) तथा कार्य प्रगति पर (जनवरी 2014 तक)				किराये अथवा अन्य शासकीय भवनों में संचालित होने के वावजूद भवनों का स्वीकृत न होना
			स्वीकृत भवनों की कुल संख्या	निर्माणधीन भवनों की कुल संख्या	निर्माणाधीन भवनों हेतु कुल आवंटन (₹ लाख में)	निर्माणधीन भवनों पर कुल व्यय (₹ लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
बलौदा बाजार	38	15	3	3	279.50	25.90	12
बिलासपुर	84	29	28	1	30.27	25.65	28
दन्तेवाड़ा	93	11	18	8	428.79	266.95	03
कांकेर	116	27	07	2	118.30	60.65	25
कोरबा	58	15	09	3	165.88	105.64	12
सरगुजा	109	15	17	4	277.02	138.52	11
सुरजपुर	45	19	09	5	244.34	109.69	14
राजनांदगांव	82	40	28	28	1884.22	442.02	12
योग	**625**	**171**	**119**	**54**	**3428.32**	**1175.02**	**117**

उपरोक्त तालिका से यह साक्ष्य था कि विभाग द्वारा 177 भवन स्वीकृत नहीं थे तथा 54 भवनों के निर्माण कार्य प्रगति पर थे (जनवरी 2014)। स्वयं के भवनों के अभाव में इन छात्रावासों एवं आश्रमों के विद्यार्थियों को मूल सुविधाएँ जैसे शौचालय, स्नानागार, ओव्हरहेड टैंक और सुरक्षा से वंचित होना पड़ा था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर सहायक आयुक्तों, बिलासपुर, कांकेर तथा राजनांदगांव ने (मई अगस्त 2013) बताया कि भवनों की आवश्यकता को आयुक्त, आदिवासी विकास को भेजा गया था तथा भवनों के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मीटिंग के दौरान निर्माण एजेंसी को निदेशित किया जा रहा था। सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास दन्तेवाड़ा ने बताया कि 12 निर्माण कार्य प्रगति पर हैं तथा एक कार्य स्वीकृत था जिसे प्रारम्भ किया जाना है। सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, कोरबा एवं सूरजपुर ने बताया कि विभाग के संज्ञान में स्वयं के भवन के अभाव के तथ्य को लाया गया था तथा स्वीकृति प्रतीक्षित है।

[3] स्वच्छ पेयजल, शौचालय एवं बाथरूम, विद्युत, पलंग, गद्दा, कंबल, मच्छरदानी तथा भोजन बनाने के लिये बर्तन आदि।

शासन स्तर पर किराये अथवा अन्य शासकीय भवनों में संचालित छात्रावासों एवं आश्रमों के निमार्ण हेतु स्वीकृति के लिये तत्काल कदम उठाया जाना चाहिए तथा विद्यार्थियों को समस्त निर्धारित सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु अपूर्ण भवनों को पूर्ण करने हेतु आवश्यक कदम उठाया जाना चाहिए।

छायाचित्र क्रमांक-1	छायाचित्र क्रमांक-2
	
कन्या छात्रावास, कसडोल के किराये के क्षतिग्रस्त भवनों को दर्शानेवाला छायाचित्र छायाचित्र क्रमांक-3	कन्या छात्रावास, निपनिया के खुले स्नानागार को दर्शानेवाला छायाचित्र छायाचित्र क्रमांक-4
	
कन्या आश्रम, कसडोल के शौचालय की अच्छी स्थिति दर्शानेवाला छायाचित्र	बालक छात्रावास, बोरसी, विकास खंड-कसडोल में सौर उर्जा सिस्टम को दर्शानेवाला छायाचित्र

चर्चा (दिसम्बर 2013) के दौरान सचिव , आदिवासी विकास ने लेखा परीक्षा द्वारा उठाये गये आपत्तियों पर सहमति जताई तथा यह उल्लेख किया कि लोक प्रतिनिधि के आग्रह पर छात्रावासों को स्थापित किये जाने की आवश्यकता है। यह भी उल्लेख किया कि निर्माण एजेन्सियों द्वारा कार्यों के अपूर्ण रहने के कारण स्वयं के छात्रावास एवं आश्रम भवनों का अभाव रहा।

2.7.3.2 प्री-मैट्रिक छात्रावासों एवं आश्रमों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव

छात्रावास एवं आश्रम नियमों के शर्तों तथा नियम 2010 के अनुसार विभाग को छात्रावासों एवं आश्रमों के विद्यार्थियों को निःशुल्क आवास विद्युत सहित, पेयजल, ओव्हरहेड टैंक तथा निःशुल्क चिकित्सीय परीक्षण करना था। लेखापरीक्षा में छात्रावासों एवं आश्रमों की आधारभूत सुविधाओं (अगस्त 2013) की स्थिति निम्नानुसार है।

तालिका 2.7.2 प्री-मैट्रिक छात्रावासों एवं आश्रमों में आधारभुत सुविधाओं का आभाव

जिला का नाम	लेखापरीक्षित छात्रावास एवं आश्रमों की संख्या		शौचालय के बिना		स्नानागार के बिना		ओवरहेड टैंक के बिना स्नानागार एवं शौचालय		विद्युत अथवा सौर ऊर्जा की सुविधा विहीन		विद्युत नहीं होना अथवा कम वोलटेज के दौरान सौर उर्जा की सुविधा नहीं		स्वास्थ परीक्षण की सुविधा नहीं	
1	2		3		4		5		6		7		8	
	आ.	छा.	आ.	छा.	आ.	छा.	आ.	छा.	आ.	छा.	आ.	छा.	आ.	छा.
बलौदा बाजार	5	33	0	5	1	8	2	16	0	0	2	18	1	26
बिलासपुर	24	60	2	9	4	14	8	28	0	0	9	30	12	44
दन्तेवाड़ा	62	31	7	3	11	5	27	13	0	0	33	24	7	0
कांकेर	53	63	9	5	15	5	18	14	0	0	39	35	19	28
कोरबा	25	33	3	7	9	10	11	22	0	0	8	17	1	5
सरगुजा	46	63	6	9	12	17	20	29	0	0	10	39	30	45
सुरजपुर	14	31	3	9	7	16	11	24	5	3	6	23	5	11
राजनांदगांव	25	57	1	16	5	28	15	34	0	0	20	54	8	30
योग	**254**	**371**	**31**	**63**	**64**	**103**	**112**	**180**	**5**	**3**	**127**	**240**	**83**	**189**
आश्रम एवं छात्रावास का प्रतिशत			**12**	**17**	**25**	**28**	**44**	**49**	**02**	**01**	**50**	**65**	**33**	**51**
प्रतिदिन प्रभावित[4] विद्यार्थी			**1487**	**2955**	**3220**	**4374**	**5914**	**7781**	**249**	**115**	**7324**	**11182**	**4395**	**8513**

(स्त्रोतः विभाग द्वारा प्रदायित डाटा एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)
(आ-आश्रम, छा- छात्रावास)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है किः-

- बिना शौचालय के आश्रमों एवं छात्रावासों का प्रतिशत क्रमशः 12 एवं 17 था, जैसा कि आश्रमों एवं छात्रावासों के अधीक्षकों द्वारा बताया गया कि इस आश्रमों एवं छात्रावासों के विद्यार्थियों को शौचालय के लिये ,खुली जगहो पर निर्भर रहना पड़ा था।
- आश्रमों का पच्चीस प्रतिशत तथा छात्रावासों का 28 प्रतिशत स्नानागार के बिना था। जैसा कि आश्रमों एवं छात्रावासों के अधीक्षकों द्वारा बताया गया कि इन छात्रावासों एवं आश्रमों के विद्यार्थियों को स्नान हेतु मजबूरन नजदीक के तालाबों अथवा खुली जगहों पर निर्भर रहना पड़ा।
- आश्रमों का 44 प्रतिशत तथा छात्रावासों का 49 प्रतिशत बिना ओव्हरहेड टैंक का था। हमने अवलोकन में पाया कि ओव्हर हेड टैंक की अनुपलब्धता के

[4] नमूना जाँच किये गये 625 छात्रावासों और आश्रमों में छात्रों की कुल संख्या 34,159 थी जबकि वास्तविक अधिवास 33,244 छात्रों की थी। प्रभावित छात्रों का प्रतिशत छात्रावासों एवं आश्रमों के वास्तविक अधिवास से प्राप्त किया गया।

कारण इस छात्रावासों एवं आश्रमों के विद्यार्थियों को शौचालय हेतु नजदीक के तालाबों के पास खुली जगहों पर जाना पड़ा।

- दो प्रतिशत आश्रमों तथा एक प्रतिशत छात्रावासों के पास कोई विद्युत अथवा सौर उर्जा की व्यवस्था नहीं थी ।
- 50 प्रतिशत छात्रावासों तथा 65 प्रतिशत आश्रमों में जहाँ प्रकाश की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी। आदिवासी छात्रावास एवं आश्रमें ज्यादातर अंदरूनी तथा वन क्षेत्रों में स्थित है एवं इन क्षेत्रों में विद्युत का विचलन होना सामान्य सी बात है।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर सहायक आयुक्तों आदिवासी विकास ने बताया (मई-अगस्त 2013) कि किराये/अन्य शासकीय भवनों में छात्रावासों एवं आश्रमों के संचालित होने के कारण इन छात्रावास एवं आश्रमों में शौचालय तथा स्नानागार, ओव्हरहेड टैंक की अनुपलब्धता रहा एवं यह भी बताया कि अस्थायी व्यवस्थाएँ कर इस समस्याओं को दूर किया जा रहा था। वैकल्पिक विद्युत के संबंध में बताया कि विद्युत की अनुपलब्धता के संदर्भ में वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर इमरजेंसी लाइट/लालटेन की उपयोग करने हेतु आश्रमों एवं छात्रावासों के अधीक्षकों को आवश्यक निर्देश जारी किये गये थे।

यह तथ्य विद्यमान है कि किराये/अन्य शासकीय भवनों में संचालित होने के कारण छात्रावास एवं आश्रमों के विद्यार्थियों को आधारभूत आवश्यकताएँ से इंकार नहीं किया जा सकता है। विभाग, स्वयं के भवनों में शुरू होने तक न्यूनतम आधारभूत सुविधाएँ को प्रदान करने हेतु वैकल्पिक व्यवस्थाएँ कर सकता है। उपायुक्त, राजनांदगांव द्वारा इमरजेंसी लाइट/लालटेन के उपयोगिता के संबंध में दिया गया उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बजट में आश्रम अधीक्षकों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था हेतु बजट प्रावधान नहीं था।

चर्चा (दिसंबर 2013) के दौरान सचिव ने लेखा परीक्षा द्वारा उठायी गई आपत्तियों पर सहमति जताई तथा पाया कि निजी तथा अन्य शासकीय भवनों में छात्रावासों एवं आश्रमों के संचालित होने के कारण आधारभूत सुविधाओं का अभाव जैसे शौचालय, स्नानागार एवं ओव्हरहेड टैंक आदि रहा। स्वंय के भवनों के निर्माण पूर्ण होने पश्चात् इन छात्रावास एवं आश्रमों को स्वयं के भवनों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। जिससे समस्या का निराकरण हो जाएगा।

2.7.3.3 छात्रावास एवं आश्रमों में स्वास्थ्य परीक्षण

'स्वस्थ तन और स्वस्थ मन' योजना के अन्तर्गत छात्रावासों एवं आश्रमों के विद्यार्थियों का पाक्षिक स्वास्थ्य परीक्षण जिला अस्पाताल / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक द्वारा किया जाना था। यद्यपि, जहां छात्रावासों एवं आश्रमों में इस तरह की सुविधा नहीं थी, वहां परीक्षण किसी निजी चिकित्सकों द्वारा किया जा सकता था।

अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि 625 छात्रावासों एवं आश्रमों में से 353 में पाक्षिक स्वास्थ्य परीक्षण या तो निजी चिकित्सक द्वारा अथवा नजदीक के प्राथमिक

स्वास्थ्य केन्द्रों में किया गया था। शेष 272 छात्रावासों एवं आश्रमों के विद्यार्थियों को 2008-13 के दौरान पाक्षिक स्वास्थ्य परीक्षण का लाभ नहीं दिया गया।

यद्यपि एक अपवाद के तौर पर **तालिका 2.7.2** से यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में दन्तेवाड़ा जिला अंदरूनी होने के साथ-साथ नक्सल प्रभावित होने के बावजूद छात्रावास एवं आश्रमों में नियमित अन्तराल में स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर सहायक आयुक्तों, आदिवासी विकास, बलौदाबाजार, दन्तेवाड़ा एवं सूरजपुर ने बताया (मई-जुलाई 2013) कि छात्रावासों एवं आश्रमों के विद्यार्थियों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करने हेतु स्वास्थ्य विभाग को पत्र जारी किया जायेगा। सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, राजनांदगांव ने बताया कि छात्रावास के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था करने हेतु निजी चिकित्सक के चयन की प्रक्रिया जारी है। सहायक आयुक्तों, आदिवासी विकास, बिलासपुर, कांकेर एवं कोरबा ने बताया कि छात्रावासों एवं आश्रमों के विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण निजी चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा था।

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, बलौदाबाजार, दन्तेवाड़ा, राजनांदगांव एवं सूरजपुर का जवाब यह पुष्टि करता है कि वहां स्वास्थ्य परीक्षण नहीं किया जा रहा था। यद्यपि सहायक आयुक्तों ने बताया कि छात्रावासों एवं आश्रमों से स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा दी गई थी तथापि बिलासपुर (56), कांकेर (47), कोरबा (06) प्री-मैट्रिक आदिवासी छात्रावासों एवं आश्रमों के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

चर्चा (दिसम्बर 2013) के दौरान सचिव ने लेखा परीक्षा के आपत्ति पर सहमति जताई तथा यह बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की अनुपलब्धता के कारण ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। यह भी आश्वस्त किया गया कि वस्तु स्थिति पर गौर किया जाएगा तथा भविष्य में इन कमियों को दूर किया जाएगा।

2.7.3.4 कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना

छात्रावास के विद्यार्थियों को कम्प्यूटर युग में हो रहे नित नये प्रयोग तथा कम्प्यूटर ज्ञान के साथ परिचित करने के उद्देश्य से वर्ष 2006-07 में कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना प्रारंभ की गई थी। योजनान्तर्गत छात्रावासों एवं आश्रमों के कक्षा 6वीं तथा उसके ऊपर के समस्त विद्यार्थियों को तीन माह का कम्प्यूटर व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाना है।

नमूना जाँच में किये गये 625 छात्रावासों एवं आश्रमों के अभिलेखों की संवीक्षा वर्ष 2011-12 से 2012-13 के दौरान किसी भी विद्यार्थी को कम्प्यूटर प्रशिक्षण नहीं दिया जाना पाया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर सहायक आयुक्तों, आदिवासी विकास,बिलासपुर, दन्तेवाड़ा एवं कांकेर ने बताया (मई-जुलाई 2013) कि विभाग से निर्देश प्राप्त कर प्रस्ताव भेजा जाएगा। सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, कोरबा एवं सूरजपुर ने

बताया कि छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण देने हेतु एक प्रस्ताव आयुक्त आदिवासी विकास, को भेजा (मई-जून 2013) गया था। सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, सरगुजा ने कोई भी विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।

तथ्य यह जाहिर करता है कि आदिवासी छात्रावासों एवं आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण से वंचित रखा गया।

चर्चा (दिसम्बर 2013) के दौरान सचिव ने लेखापरीक्षा द्वारा उठायी गई आपत्तियों पर सहमति जताई तथा बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य कम्प्यूटर ज्ञान से विद्यार्थियों को जागरूक करना है। कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण वर्ष 2011-13 में योजना का क्रियान्वयन नहीं किया जा सका, वर्ष 2014-15 से इसके क्रियान्वयन हेतु भरसक प्रयास किया जाएगा।

2.7.3.5 कठिन विषयों पर विशेष कोचिंग योजना

छात्रावासों एवं आश्रमों के विद्यार्थियों के शिक्षा स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य के साथ वर्ष 2005-06 में कठिन विषयों पर विशेष कोचिंग योजना प्रारंभ की गई थी। योजनान्तर्गत छात्रावास एवं आश्रमों के कक्षा 6वीं से 10वीं के समस्त विद्यार्थियों को विद्यालयीन अवधि उपरान्त विशेष कोचिंग दिया जाना था तथा यह छात्रावासों एवं आश्रमों के विद्यार्थियों तक सीमित है।

नमूना जाँच किये गये आदिवासी छात्रावास एवं आश्रमों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान लेखा परीक्षित जिलों में विशेष कोचिंग पर राशि ₹ 223.09 लाख का व्यय किया गया। यह देखा गया कि 625 छात्रावासों एवं आश्रमों में से 148 में कक्षा 8वीं एवं 10वीं के ही विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग दिया गया था। यद्यपि, उपरोक्त 148 आदिवासी छात्रावासों एवं आश्रमों में कक्षा 6वीं, 7वीं एवं 9वीं के विद्यार्थियों को योजना के अनुरूप कोचिंग नहीं दिया गया। शेष 477 छात्रावासों एवं आश्रमों के किसी भी विद्यार्थी को विशेष कोचिंग नहीं दिया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर सहायक आयुक्तों, आदिवासी विकास, बलौदाबाजार, कोरबा एवं राजनांदगाँव ने जवाब दिया (मई-जूलाई 2013) के बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले समस्त विद्यार्थियों को नवम्बर से फरवरी तक प्रति वर्ष कठिन विषयों पर कोचिंग दिया गया था। सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, कांकेर ने बताया कि प्रशिक्षण दिया जा रहा था तथा सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, सूरजपुर ने बताया कि वर्ष 2013-14 से प्रशिक्षण दिया जायेगा। सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, सरगुजा ने कोई भी उपयुक्त उत्तर नहीं दिया।

जवाब पुष्टि करता है कि केवल कक्षा 8वीं एवं 10वीं के विद्यार्थियों तक विशेष कोचिंग सीमित किया गया था जबकि छात्रावासों एवं आश्रमों के कक्षा 6वीं से 10वीं के प्रत्येक विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग दिया जाना था।

चर्चा (दिसम्बर 2013) के दौरान सचिव ने लेखापरीक्षा द्वारा उठायी गई आपत्ति पर सहमति जताई तथा बताया कि शैक्षणिक कर्मचारी की अनुपलब्धता के कारण केवल सीमित विद्यार्थियों के लिये योजना क्रियान्वित की जा सकी एवं भविष्य में इसकी पूर्ति की सुनिश्चितता के लिये ध्यान दिया जाएगा।

छात्रावासों एवं आश्रमों के विद्यार्थियों को संपूर्ण वर्ष कम्प्यूटर प्रशिक्षण तथा कठिन विषयों पर कोचिंग दिया जाना चाहिए ।

2.7.3.6 छात्रावासों एवं आश्रमों में विद्यार्थियों का कार्य

विद्यार्थियों के पिछले शैक्षणिक रिकार्ड के आधार पर ही छात्रावासों एवं आश्रमों में उन्हें चयनित किया जाता है। यह देखा गया कि अधिकांश छात्रावासों एवं आश्रमों में उसकी स्वीकृत क्षमता के अनुरूप भर्ती थी। 625 छात्रावासों एवं आश्रमों के नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि 498 छात्रावासों एवं आश्रमों में एक वर्ष में कोई त्यागी नहीं था तथा शेष 227 छात्रावास एवं आश्रमों में एक से 12 विद्यार्थी त्यागी थे। अधीक्षकों ने त्यागी होने का कारण घर के प्रति मोह होना, स्वास्थ्य समस्या, घरेलू कारण तथा विद्यार्थियों का स्थानांतरण/बदलना था।

आगे यह देखा गया कि नमूना जांच किये गये 254 आश्रमों में से 136 आश्रम शैक्षणिक कर्मचारी की पूर्ण क्षमता के साथ संचालित हो रहा था तथा 35 आश्रमों के पास स्वयं का भवन नहीं था जिसके कारण इन आश्रमों के विद्यार्थियों को नजदीक के विद्यालयों में अध्यापन करना पड़ा। शेष 83 आश्रमों में शैक्षणिक कर्मचारी की खाली पदों की स्थिति निम्नानुसार थी

तालिका 2.7.3 83 आश्रमों में शैक्षणिक कर्मचारी के खाली पदों का विवरण

आश्रमों के पास शैक्षणिक कर्मचारी के स्वीकृत पद	02	03	04	06	योग
आश्रम की संख्या	45	04	16	18	83
नार्म्स के अनुसार कुल स्वीकृत पद	90	12	64	108	274
कार्यरत पद	15	07	32	63	117
आश्रमों की संख्या जहाँ कोई शिक्षक नहीं तथा केवल अधीक्षक द्वारा संचालित	30	0	03	01	34

इन आश्रमों में खाली पदों के बावजूद विद्यार्थियों का उत्तीर्णता प्रतिशत 55 से 100 के बीच रहा।

छात्रावासों के संबंध में शैक्षणिक कर्मचारी स्वीकृत नहीं था तथा अधीक्षकों द्वारा संचालित था। छात्रावासों में अधीक्षकों का कोई भी रिक्त पद नहीं था।

2.7.3.7 छात्रावासों एवं आश्रमों में सहभोजन सुविधाएँ

छात्रावास एवं आश्रम नियम 2010 के नियम 16 के अनुसार प्री-मैट्रिक छात्रावासों एवं आश्रमों के विद्यार्थियों को एक वर्ष में 10 महीने के लिये शिष्यवृत्ति प्रदाय किया जाना था। विद्यार्थियों की शिष्यवृति की राशि छात्रावासों के अधीक्षकों के खाते में अग्रिम रूप में छात्रावास/आश्रम की सीटिंग क्षमता के आधार पर किया गया था। छात्रावासों एवं आश्रमों में विद्यार्थियों को सहभोजन सुविधाएँ प्रदाय किये जाने के आधार पर अधीक्षकों द्वारा व्यय किया जाता है।

चयनित छात्रावासों एवं आश्रमों के नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति राशि से छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों के लिये भोजन बनाने हेतु विभिन्न भोज्य सामग्री तथा सब्जियाँ खरीदी गई थी। यह देखा गया कि विभाग द्वारा छात्रावासों एवं आश्रमों के लिये निर्धारित मेन्यू का पूर्णतः पालन किया गया था। यद्यपि नमूना जांच किये गये छात्रावासों एवं आश्रमों में विभाग द्वारा निर्धारित मेन्यू का दैनिक अनुपालन के संबंध में कोई भी तिथिवार अभिलेखों का संधारण नहीं किया गया था। इन अभिलेखों की अनुपस्थिति में भोज्य सामग्री एवं सब्जियों का क्रय तथा छात्रावासियों के लिये शिष्यवृत्ति राशि की वास्तविक उपयोगिता को मूल्यांकित नहीं किया जा सकता। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर लेखा परीक्षित जिलों के सहायक आयुक्तों ने प्रतिवेदित किया कि भोज्य सामग्री की दैनिक उपयोग किये जाने के संबंध में पंजी के संधारण हेतु समस्त छात्रावास एवं आश्रमों को निर्देश दिया जाएगा।

2.7.3.8 कन्या छात्रावासों एवं आश्रमों में सुरक्षा व्यवस्थाएँ

शासन के निर्देशों (अक्टूबर 2009) के अनुसार छात्रावासों एवं आश्रमों में अनाधिकृत प्रवेश का सख्त निषेध था तथा छात्रावासियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी थी। शासन ने समस्त कन्या छात्रावासों एवं आश्रमों में महिला पुलिस गार्ड के नियोजन के लिये निर्देश (जनवरी 2013) जारी किया था।

नमूना जाँच किये गये 224 कन्या छात्रावासों एवं आश्रमों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 51[5] कन्या छात्रावासों एवं आश्रमों को महिला पुलिस गार्ड द्वारा सुरक्षा प्रदान किया गया था तथा शेष कन्या छात्रावासों एवं आश्रमों को रात्रि के दौरान रसोइया, भृत्य अथवा अधीक्षकों द्वारा सुरक्षा प्रदाय किया गया था (अगस्त 2013)।

625 नमूना जाँच किये गये प्री-मैट्रिक आदिवासी छात्रावासों एवं आश्रमों के अभिलेखों की आगे की संवीक्षा में यह भी पाया गया कि जहाँ 188 छात्रावासों एवं आश्रमों में आगंतुकों की पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा था, यद्यपि 40 आदिवासी छात्रावासों एवं आश्रमों में आगंतुकों की पंजी का संधारण तो किया गया था परन्तु पंजी में आवश्यक विवरण जैसे आगंतुकों का परिचय, मिलने का उद्देश्य, आगमन एवं प्रस्थान का समय तथा छात्रावासी के साथ संबंध का उल्लेख नहीं किया गया था। इस तरह

[5] दन्तेवाड़ा (25), जुलाई 2013 से तथा कोरबा (8) बिलासपुर (7) तथा सरगुजा (11)

आंगतुकों की पंजी के संधारण न करने के कारण छात्रावासियों की सुरक्षा चेतावनी से इंकार नहीं किया जा सकता।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर सहायक आयुक्तों, आदिवासी विकास, बलौदाबाजार, दन्तेवाड़ा, कोरबा, राजनांदगांव एवं सूरजपुर ने जवाब दिया (मई-जूलाई 2013) कि समस्त आदिवासी छात्रावासों एवं आश्रमों में आगंतुकों की पंजी का समुचित एवं नियमित संधारण करने हेतु आवश्यक निर्देशों को जारी किया जायेगा। सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, कांकेर ने जवाब दिया कि छात्रावासों एवं आश्रमों में आगंतुकों की पंजी का संधारण किया जा रहा है।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जो पंजी संधारित किया गया था वह अपूर्ण था।

चर्चा (दिसम्बर 2013) के दौरान सचिव ने कन्या छात्रावासों एवं आश्रमों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने की बात कही।

कन्या छात्रावासों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाएँ तथा शिष्यवृति धन राशि के विशेष रख रखाव को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2.7.4 निष्कर्ष

स्वयं के भवनों के अभाव में छात्रावास एवं आश्रम निजी एवं किराये के भवन में संचालित हो रहे थे जो बिना मूल सुविधाओं जैसे स्नानागार, शौचालय, ओव्हरहेड टैंक,बाउन्ड्रीवॉल, विद्युत तथा वैकल्पिक विद्युत के थे। मूल सुविधाओं की अनुपस्थिति की स्थिति में छात्रावासियों को शौचालय के लिये खुली जगहों पर निर्भर होना पड़ा। नमूना जांच किये गये छात्रावासों एवं आश्रमों के 39 प्रतिशत विद्यार्थियों को पाक्षिक स्वास्थ परीक्षण की सुविधा प्रदाय नहीं की जा सकी। नमूना जांच किये गये छात्रावासों एवं आश्रमों के किसी भी विद्यार्थियों को पिछले दो वर्षों से कम्प्यूटर प्रशिक्षण नहीं दिया गया। कक्षा 6वीं एवं 8वीं को छात्रावासी विद्यार्थियों को कठिन विषयों पर विशेष कोचिंग दिया जाना प्रस्तावित था, किन्तु केवल 8वीं से 10वीं की छात्रावासी विद्यार्थियों को यह विशेष कोचिंग दिया गया। किसी भी छात्रावास एवं आश्रम में शिष्यवृत्ति राशि के उपयुक्त उपयोग किये जाने के संबंध में भोज्य सामग्री पंजी का संधारण नहीं किया गया। छात्रावासियों के लिये सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी तथा कन्या छात्रावास की सुरक्षा हेतु महिला पुलिस को नियोजित नहीं किया गया था। अभिलेख जैसे आगंतुक पंजी,शिकायत पंजी आदि का संधारण बहुत ही खराब था।

2.8 बंदी प्रतिकर का पीड़ित पक्षों के परिवार को वितरण न होना

2.8.1 परिचय

मध्यप्रदेश जेल नियमावली (नियमावली) (छत्तीसगढ़ में लागू) के नियम 36ब के अनुसार दंडित बंदियों द्वारा एक माह में उपार्जित मजदूरी का 50 प्रतिशत को अलग सामान्य निधि गठित कर जमा किया जायेगा जिसका अनन्यतः भुगतान उस अपराध के कारण पीड़ित या पीड़ित के आश्रित परिवार को किया जायेगा जिस अपराध के लिये बंदी को दंडाविष्ट किया गया है। नियमावली के नियम 647(अ) एवं (ब) के अनुसार प्रत्येक जिले में एक सामान्य निधि का सृजन किया जायेगा, जिसमें बंदियों के पारिश्रमिक की 50 प्रतिशत राशि एक माह में जमा की जायेगा। यह निधि एक वैयक्तिक जमा लेखे (पीडी लेखा) में जमा किया जायेगा जो कि जिला दण्डाधिकारी तथा जेल अधीक्षक के संयुक्त नाम से जमा किया जायेगा। निधि का प्रशासन प्रतिकर की राशि के भुगतान हेतु गठित समिति जिसमें जिला दण्डाधिकारी (अध्यक्ष), जिला पुलिस अधीक्षक (सदस्य) तथा जेल अधीक्षक (सदस्य-सचिव) द्वारा किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के पांचो केन्द्रीय जेलों[1] में 2008-09 से 2012-13 के दौरान बंदी प्रतिकर[2] के अभिलेखों की जांच (मई 2013) में बंदी प्रतिकर की राशियों का भुगतान हेतु लंबित रहना, मापदण्ड के अनुसार समिति की त्रैमासिक बैठक आयोजित न किया जाना, पीड़ित पक्ष की पहचान हेतु पुलिस एवं जेल विभाग के मध्य समन्वय की कमी, निधि के प्रबंध तथा लेखाकरण में कमियों को आगामी कंडिकाओं में दर्शाया गया है।

विभाग द्वारा जैसा सूचित किया गया, केन्द्रीय जेल द्वारा जिस क्षेत्र में अपराध घटित होता है उस से संबंधित जिला तथा उप जेलों को प्रतिकर की राशि हस्तांतरित की जाती है। जेल अधीक्षक द्वारा पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जिन पुलिस थानों में घटना पंजीबद्व होती है उस थाने से पीड़ित पक्ष की पहचान हेतु पत्र जारी किया जाता है। पीड़ित पक्ष की पहचान होने के पश्चात् पीड़ित के आश्रित परिवार को प्रतिकर की राशि या तो पुलिस थानों के माध्यम से या जेल अधीक्षक द्वारा वितरित की जाती है।

2.8.2 पीड़ितों की पहचान नहीं किए जाने के फलस्वरूप निधि में बढ़ोत्तरी

प्रतिकर के भुगतान हेतु पीड़ित या पीड़ित के आश्रित परिवार की पहचान आवश्यक है। प्रक्रिया में संबंधित पुलिस थानों द्वारा, जहां अपराध की घटना घटित हुई है, पीड़ित या

[1] अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर एवं रायपुर

[2] बंदी पारिश्रमिक का 50 प्रतिशत बंदी प्रतिकर की राशि है

पीड़ित के आश्रित परिवार की पहचान की जाती है। पीड़ित पक्षों की पहचान किए जाने के बाद संबंधित जेलों द्वारा प्रतिकर की राशि वितरण हेतु जारी की जाती है।

अम्बिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर तथा रायपुर के बंदी प्रतिकर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 31 मार्च 2013 की स्थिति में ₹ 4.64 करोड़ पीड़ित पक्षों के भुगतान हेतु लंबित था जिसे पीडीलेखे में जमा रखा गया था, इसका विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:-

तालिका- 2.8.1: 2008-09 से 2012-13 तक पीडी लेखे में संग्रहित राशि

(₹ लाख में)

केन्द्रीय जेल	1 अप्रैल 2008 को प्रारम्भिक शेष	2008-09 से 2012-13 के दौरान जमा	2008-09 से 2012-13 के दौरान वितरण	31 मार्च 2013 को अंत शेष
अम्बिकापुर	73.45	113.33	17.46	169.32
बिलासपुर	85.39	172.96	162.80	95.55
दुर्ग	5.43	55.40	21.11	39.72
जगदलपुर	44.54	48.66	55.34	37.86
रायपुर	92.74	131.93	103.56	121.11
कुल	**301.55**	**22.28**	**360.27**	**463.56**

(स्त्रोतः-विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़े)

यह पाया गया कि 31 मार्च 2013 की स्थिति में पांच केन्द्रीय जेलों में 5749[3] प्रकरणों में पीड़ित पक्षों की पहचान लंबित थी।

यह पाया गया कि नमूना जांच में केन्द्रीय जेलों में ₹ 2.98 लाख[4] के प्रतिकर राशि का भुगतान पहचान किए हुए 135 पीड़ितों के इंकार, पीड़ित पक्ष की मृत्यु अन्यत्र स्थानातरण, गलत पता इत्यादि के कारण, लंबित थी तथा जेल नियमावली में अवितरित राशि को शासन के खाते में जमा किए जाने के स्पष्ट कोडल प्रावधान के कमी के कारण अवितरित उक्त राशि जेलों के पीडी लेखे में जमा पाई गई।

इसके अलावा, केन्द्रीय जेल, रायपुर के अभिलेखों में यह पाया गया कि वर्ष 2008-09 के पूर्व राशि ₹ 92.74 लाख अवितरित रही जिसके वर्षवार पीड़ितों की सूची उपलब्ध नहीं थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर शासन द्वारा सूचित किया गया (सितंबर 2013) कि पीड़ित पक्षों की पहचान का कार्य संबंधित पुलिस थानों द्वारा किया जाता है। घटना घटित होने के कारण पीड़ित पक्ष के निवास बदल देने के कारण पुलिस विभाग द्वारा

[3] अंबिकापुर- 2964, बिलासपुर-896 दुर्ग-557, जगदलपुर-219, रायपुर-1113

[4]

इंकार		गलत पतासाजी		अन्यत्र स्थानांतरण		पीड़ित पक्ष की मृत्यु		अन्य	
संख्या	₹	संख्या	₹	संख्या	₹	संख्या	₹	संख्या	₹
9	48876	3	65916	9	28756	5	2430	9	122096

पीड़ित पक्ष का पतासाजी कर पाना मुश्किल होता है। जब तक पीड़ित पक्षों की पहचान प्रतिवेदन संबंधित जेल अधीक्षकों को प्राप्त न हो जाये, प्रतिकर का वितरण नहीं किया जा सकता। यह भी सूचित किया गया कि समय सीमा में पीड़ित पक्षों की पहचान हेतु वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से पत्राचार किया जा रहा है। तथापि संबंधित पुलिस थानों को पुलिस अधीक्षक के माध्यम से पीड़ितों के जानकारी प्राप्त किए जाने हेतु पत्राचार किया जा रहा है ताकि प्रतिकर की राशि का भुगतान किया जा सके। प्रमुख सचिव ने चर्चा के दौरान (सितंबर 2013) सूचित किया की पीड़ित पक्षों का डाटाबेस तैयार किया जायेगा ताकि भविष्य में पीड़ित पक्षों को वितरण में विलंब न हो।

निधि के कल्याणकारी उद्देश्यों के अनुसार पुलिस एवं जेल प्राधिकारियों के मध्य सामंजस्य तथा सहभागिता की आवश्यकता है।

उत्तर यह दर्शाता है कि पीड़ित पक्षों की पहचान न होने के कारण निधियां पीडी लेखे में जमा रही है जिसके फलस्वरूप पीड़ित पक्षों को 50 प्रतिशत प्रतिकर राशियों के भुगतान का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाया।

पीड़ितों के इन्कार या मृत्यु के प्रकरण में पीडी लेखे में संग्रहित राशि को शासकीय लेखे में जमा किया जाना चाहिए। विभाग को पीड़ित पक्षों की पहचान हेतु त्वरित कार्यवाही की जानी चाहिए थी ताकि निधि की संग्रहित राशियों का वैध पीड़ितों को शीघ्र भुगतान किया जा सके। निधि के कल्याणकारी उद्देश्य की पूर्ति हेतु जेल प्राधिकारियों को पीड़ितों का संपर्क नंबर के साथ विस्तृत विवरण रखा जाना चाहिए। जिसे नियमित रूप से अद्यतन करना चाहिए।

2.8.3 मापदण्ड के अनुसार त्रैमासिक बैठक आयोजित न होना

जेल नियमावली के नियम 647(अ)(2) के अनुसार बंदी प्रतिकर हेतु गठित समिति की बैठकें त्रैमासिक आयोजित की जानी थी। जेल मुख्यालय द्वारा समस्त जिला दण्डाधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों को पीड़ितों को बंदी प्रतिकर के वितरण हेतु समिति की त्रैमासिक बैठक आयोजित किए जाने के निर्देश (सितंबर 2006) जारी किए गए थे। यह पाया गया कि पीड़ितों को बंदी प्रतिकर के भुगतान हेतु गठित समिति की बैठकें आयोजित नहीं हो पाई थी, जिसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

तालिका 2.8.2: त्रैमासिक बैठकों की स्थिति

केन्द्रीय जेल	विगत पांच वर्षों में आयोजित की जाने वाले बैठकों की संख्या	वास्तविक आयोजित बैठकों की संख्या	कमी प्रतिशत में
अम्बिकापुर	20	0	100
बिलासपुर	20	1	95
दुर्ग	20	4	80
जगदलपुर	20	3	85
रायपुर	20	4	80

(स्त्रोत:- विभाग द्वारा जारी आंकड़े)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2008-09 से 2012-13 के दौरान नमूना जांच केन्द्रीय जेलों में 100 बैठकों के स्थान पर केवल 12 बैठकें ही आयोजित की गई अतः समिति की आयोजित बैठकों में 100 तथा 80 प्रतिशत की कमी थी। पांच वर्षो में अंबिकापुर केन्द्रीय जेल में समिति की बैठक नहीं आयोजित की गई थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर शासन (सितम्बर 2013) ने सूचित किया कि बंदी प्रतिकर के भुगतान हेतु समिति में जिला दण्डाधिकारी अध्यक्ष तथा पुलिस अधीक्षक सदस्य के रूप में शामिल होते हैं जो कि उक्त राशि के भुगतान हेतु सक्षम होते हैं। जिला दंण्डाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक अन्य प्रशासनिक कार्यो में व्यस्त रहते हैं अतः पीड़ित पक्ष की पहचान होने पर जिला दण्डाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक से सहमति लिया जाकर वितरण किया जाता है। यह भी सूचित किया गया कि समस्त जिला अधीक्षकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला दण्डाधिकारियों से व्यक्तिगत संपर्क कर प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रमुख सचिव ने चर्चा में (सितम्बर 2013) लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए बताया कि इस प्रकरण के निराकरण हेतु पुलिस एवं जेल प्राधिकारियों की बैठक शीघ्र आयोजित की जायेगी।

उत्तर से यह सिद्ध है कि जेल नियमावली के मापदण्डों के अनुसार त्रैमासिक बैठक आयोजित नहीं की गई। यदि समिति की त्रैमासिक बैठक आयोजित की जाती तो पीड़ितों की पहचान किये जाने का अनुश्रवण किया जा सकता था और पीड़ित पक्ष या पीड़ित पक्षों को समय में प्रतिकर की राशि का वितरण किया जा सकता था।

प्रतिकर के वितरण की प्रगति पर समिति की त्रैमासिक बैठक नियमित रूप से आयोजित की जानी चाहिए तथा पुलिस प्राधिकारियों के साथ उचित समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए।

2.8.4 जिला तथा उपजेलों के पीडी लेखे में ₹ 82.92 लाख अवितरित शेष

केन्द्रीय जेलों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि ***कंडिका 2.8.2*** में दर्शित पीड़ित पक्ष को वितरण हेतु पीडी लेखे से आहरित ₹ 3.60 करोड़ की राशि में से ₹ 112.76 लाख की राशि जिला एवं उप-जेलों को हस्तांतरित की गई। तथापि, यह पाया गया कि इसमें से ₹ 29.84 लाख की राशि पीड़ित पक्ष को वितरित की गई तथा बचत ₹ 82.92 लाख की राशि अन्य जेलों के पीडी लेखे या चालू खाता में शेष पाई गई जिसका विवरण ***परिशिष्ट 2.8.1*** में दिया गया है। शेष राशि के अवितरित रहने के कारण पूर्व के पैराग्राफ के विवरणानुसार पीड़ित पक्ष की पहचान न होना तथा समिति की त्रैमासिक बैठक नहीं होना पाया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर शासन ने सूचित किया (सितम्बर 2013) कि पुलिस अधीक्षक के माध्यम से संबंधित पुलिस थानों को पीड़ित पक्षों की पहचान हेतु लिखा गया है। प्रतिकर की राशि का वितरण पीड़ित पक्ष की पहचान होने के बाद किया जायेगा।

2.8.5 पीडी लेखे से राशि ₹ 19.43 लाख का बाहर रहना

लेखापरीक्षा में नमूना जांच के जेलों में यह पाया गया कि ₹ 91.11 लाख की राशि 31 मार्च 2013 कि स्थिति में पीडी लेखे से इतर चालू खाते/नकद के रूप में रखी गई थी। इसमें से ₹ 19.43 लाख की राशि बंदी प्रतिकर की राशि थी जो पीडी लेखे से बाहर रखी गई। चूंकि राशि पीड़ित पक्ष को वितरित नहीं की जा सकी है अतः इसे पीडी लेखे में वापस जमा किया जाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर शासन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2013) कि उक्त राशियां बंदी पारिश्रमिक के अवितरित शेष तथा पीड़ित पक्षों के इंकार किए जाने के कारण शेष बचत है। चर्चा में प्रमुख सचिव ने कहा (सितम्बर 2013) कि पीडी लेखे तथा अन्य बैंको के शेष राशि की समीक्षा की जावेगी।

उत्तर लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करता है कि केन्द्रीय जेलों द्वारा बंदी प्रतिकर की अवितरित राशि ₹ 19.43 लाख को अनियमित रूप से पीडी लेखे से बाहर रखा गया था।

2.8.6 लेखे का पुनर्मिलान न किया जाना

पीडी लेखे से राशियां आहरित कर चालू खाते में रखा जाता है तथा प्रतिकर का भुगतान धनादेश के माध्यम से किया जाता है। विभाग के द्वारा उचित लेखांकन प्रक्रिया के रूप में पुर्नमिलान महत्वपूर्ण है, ताकि प्रतिकर की वास्तविक भुगतान की स्थिति को स्पष्ट किया जा सके। केन्द्रीय जेलों की लेखा परीक्षा के दौरान नमूना जांच में पाया गया कि पीड़ितों द्वारा वापस किए गए प्रतिकर की राशियों को पीडी लेखे में वापस नहीं जमा किया गया जबकि पीडी लेखे में वितरित दर्शाया गया था। यह पाया गया कि केन्द्रीय जेल जगदलपुर में नवम्बर 2010 से नवंबर 2011 के मध्य प्रतिकर के भुगतान हेतु पीड़ित पक्षों को 400 धनादेश जारी किए गए थे जबकि इनमें से 165 धनादेश[5] वैधता अवधि तक बैंक में आहरण हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए थे। रायपुर केन्द्रीय जेल में एक धनादेश[6] पुलिस अधीक्षक, रायपुर से संबंधित पुलिस थानों को सीधे भिजवाने के अनुरोध के साथ वापस किया गया (मार्च 2009) ताकि प्रतिकर की राशि पीड़ित पक्ष को आसानी से वितरण किया जा सके। इसी प्रकार केन्द्रीय जेल, रायपुर एवं दुर्ग में क्रमशः 20 धनादेश[7] तथा 21 धनादेश[8] पीड़ित पक्षों के लेने के इंकार किए जाने, गलत पते, अन्यत्र स्थानांतरण के कारण वापस किए गए। इन राशियों को वापस पीडी लेखे में जमा नहीं किया गया। यह दर्शाता है कि केन्द्रीय जेलों में बैंक के साथ पुनर्मिलान किए जाने की प्रणाली विद्यमान नहीं थी।

[5] कुल ₹5.12 लाख
[6] ₹ 1.07 लाख राशि
[7] कुल ₹1.23 लाख के
[8] कुल ₹ 0.47 लाख के

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर शासन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2013) कि समस्त जेल अधीक्षकों को निर्देश जारी किए गए हैं कि अवितरित राशियों को पीडी लेखे में वापस जमा किया जावे तथा बैंक से पुनर्मिलान का कार्य पूर्ण किया जावे।

जेल विभाग द्वारा आवधिक रूप से लेखे का पुर्नमिलान करना चाहिए ताकि प्रतिकर के वास्तविक भुगतान को दर्शाया जा सके।

2.8.7 निष्कर्ष

जेल विभाग पीडी लेखे के रूप में एक सामान्य निधि के गठन तथा इस निधि में दण्डित बंदियों द्वारा एक माह में उपार्जित मजदूरी का 50 प्रतिशत जमा किए जाने हेतु उत्तरदायी है जिसे पीड़ित या पीड़ित के आश्रित परिवार को वितरित किया जाता है। हमने पाया कि पीडी लेखे में ₹ 4.64 करोड़ संग्रहित था जिसका मुख्य कारण पीड़ितों की पहचान नहीं किया जाना, पीड़ितों द्वारा प्रतिकर को स्वीकार करने से इंकार किए जाना, पीड़ितों के अन्यत्र स्थानांतरण तथा गलत पतासाजी था परिणामस्वरूप पीड़ितों को प्रतिकर के भुगतान किए जाने के निधि का मूल उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। लेखों का पुनर्मिलान न किया जाना एवं निधियों को पीडी लेखे से इतर जमा किया जाना भी पाया गया। आगे समिति की त्रैमासिक बैठक आयोजित नहीं किये जाने से पीड़ित या पीड़ित के आश्रित परिवार को प्रतिकर के भुगतान के अनुश्रवण किए जाने में विभाग असफल रहा।

पर्यटन विभाग

2.9 पर्यटन मोटलों की कार्यप्रणाली

2.9.1 प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ को एक आकर्षक पर्यटन गंतव्य बनाने के ध्येय से राज्य की पर्यटन नीति (जनवरी 2002) को क्रियान्वयित किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल को नोडल एजेंसी बनाया गया था (जनवरी 2002) । पर्यटन नीति के अनुसार उसके मुख्य उद्देश्य हैं (1) अधोसंरचना एवं संस्थागत विकास, (2) पर्यटन उत्पाद विपणन तथा (3) वृहद् स्तर पर मूलभूत सुविधाओं का विस्तार एवं विपणन विकास तथा निजी निवेश हेतु उपयुक्त वातावरण तैयार करना । अधोसंरचना विकास के भाग के रूप में छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल द्वारा पर्यटकों के लिए चरणबद्ध रूप से विश्व स्तरीय पर्यटन संसाधन, सुख-सुविधाएँ प्रदान करना तथा महत्वपूर्ण स्थलों पर सौंदर्यीकरण किया जाना था। तदानुसार, छत्तीसगढ़ पयर्टन मण्डल ने 14 जिलों में 18 मोटलों[1] के निर्माण का कार्य वर्ष 2005 में प्रारम्भ किया था। मोटलों के निर्माण तथा संचालन के मूल्यांकन के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल की लेखापरीक्षा जूलाई से सितम्बर 2012 के मध्य की गई थी।

छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल ने राज्य में पर्यटकों के आगमन से संबंधित कोई अभिलेख संधारित नहीं किया था, यद्यपि मण्डल ने डाटा मिशन कन्सल्टेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा संग्रहित दो वर्षों के आकड़े उपलब्ध कराये थे जिसका विवरण निम्नानुसार है:

तालिका: 2.9.1 छत्तीसगढ़ में वर्ष 2011 एवं 2012 में आगमित पर्यटकों की संख्या

वर्ष	पर्यटकों की संख्या		
	देशी	विदेशी	योग
2011	14320503	3973	14324476
2012	15036530	4172	15040702
योग	29357033	8145	29365178

(स्त्रोतः छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े)

2.9.2 लेखा परीक्षा निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि योजना स्तर पर उचित निर्णय न लिए जाने के परिणामस्वरूप मोटलों के निर्माण में विलम्ब हुआ था, अतिरिक्त लागत तथा परिहार्य व्यय हुआ था, मोटलों के उपयोग को लेकर समावेशित

[1] 1 भाटागाँव (धमतरी), 2.चाडिरमा और सोनतराई (सरगुजा), 3. चिरगूड़ा (कोरिया), 4. हरम (दंतेवाड़ा), 5. कोनकोना (कोरबा), 6. कोंडातराई (रायगढ़), 7. कुलीपोड़ा (जांजगीर चाँपा), 8. खपरी(दुर्ग), 9. काँपा और सिरपुर (महासंमुद), 10. केन्द्री और राजिम (रायपुर), 11. कोंडागाँव और तीरथगढ़ (बस्तर), 12. नथियानवागाँव (कांकेर) 13. तुमड़ीबोड़ (राजनांदगाँव), 14. सरगाँव (बिलासपुर)

योजना की कमी थी, मोटलों को हस्तांतरित किये जाने में विलम्ब हुआ था तथा लीज की राशि प्राप्त न की जा सकी थी। जिसकी चर्चा आगामी कंडिकाओं में की गई है।

2.9.2.1 अनुपयुक्त योजना

18 मोटलों के निर्माण के लिए ₹ 14.24 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति पर्यटन मंत्री सह छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल के अध्यक्ष ने दी थी (जनवरी 2005) तथा मोटल के निर्माण हेतु निविदायें छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल द्वारा मार्च 2005 में आमंत्रित की गई थी। कार्यादेश वर्षा ऋतु सहित 10 माह की कार्यपूर्णता अवधि के साथ सितम्बर 2005 से अक्टूबर 2006 के मध्य ठेकेदारों को जारी किये गये थे।

लेखापरीक्षा के दौरान (अगस्त 2012) पायी गई योजना की कमियों का विवरण नीचे दिया गया है:

- ड्राईंग एवं डिजाइन को अंतिम रूप दिये बिना कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था। कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात निर्माण स्थल की तकनीकि आवश्यकता के अनुसार प्लिंथ लेवल, सीढ़ियों, छत आदि के ड्रॉइंग एवं डिजाईन को पुनरीक्षित किया गया था। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल के उच्च प्राधिकारियों के निर्देश पर कार्य की प्रकृति में परिवर्तन भी किया गया था। जिसके परिणाम स्वरूप 18 में से 16[2] मोटलों को पूर्ण (नवम्बर 2013) करने में 17 से 80 महीनों का विलम्ब हुआ था तथा राशि ₹ 25.70 करोड़ (**विवरण *परिशिष्ट 2.9.1***) के कुल व्यय में से राशि ₹ 25.07 करोड़ (जुलाई 2013) इन 16 पूर्ण किये गये मोटलों पर व्यय किये गये थे।
- उपरोक्त परिवर्तनों के कारण कार्य की लागत को राशि ₹ 14.28 करोड़ से पुनरीक्षित कर राशि ₹ 28.96[3] करोड़ किया गया था।
- निविदा के पश्चात ड्रॉईंग एवं डिजाईन में किये गये परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ठेकेदारों द्वारा कार्य को विलम्ब से पूर्ण किया गया था, जिसके लिए समयावृद्धि दी गई थी तथा मूल्य वृद्धि के रूप में ठेकेदार को राशि ₹ 1.41 करोड़ का भुगतान किया गया था (***परिशिष्ट 2.9.2***), यद्यपि इस तरह का कोई प्रावधान ठेके में नहीं था।
- आठ वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् भी दो[4] मोटलें पूर्ण नहीं की जा सकी थी, जिन पर राशि ₹ 62.84[5] लाख का निष्फल व्यय हुआ था।

[2] सोनतराई तथा तीरथगढ़ के अतिरिक्त

[3] भाटागाँव -₹ 1.11करोड़, चाडिरमा -₹ 1.48 करोड़, चिरगूड़ा -₹ 1.50 करोड़, हरम -₹ 1.74 करोड़, काँपा -₹ 1.67 करोड़, केन्द्री -₹ 1.28 करोड़, कोनकोना -₹ 1.48 करोड़, कोंडातराई -₹1.94 करोड़, कुलीपोड़ा -₹ 1.71 करोड़, खपरी -₹ 1.74 करोड़, कोंडागाँव -₹ 1.84 करोड़, नथियानवागाँव -₹ 1.24 करोड़, राजिम -₹ 1.94 करोड़, सरगाँव -₹ 1.28 करोड़, सोनतराई -₹ 55.70 लाख, सिरपुर -₹ 3.80 करोड़, तुमड़ीबोड़ -₹ 1.62 करोड़, तीरथगढ़ -₹ 1.03 करोड़

[4] सोनतराई (सरगुजा जिसके लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल ने कोई कारण नहीं बताया था तथा तीरथगढ़ (बस्तर) नक्सल गतिविधियों के कारण विलम्ब हुआ था।

[5] सोनतराई राशि ₹ 28.50 लाख तथा तीरथगढ़ राशि ₹ 34.34 लाख

परिणामतः योजना स्तर पर आवश्यकता का उचित निर्धारण न किये जाने तथा निविदा के पश्चात् ड्रॉईंग तथा डिजाइन में परिवर्तन किये जाने के परिणाम स्वरूप न केवल मोटलों के निर्माण में विलम्ब हुआ था, अपितु ठेकेदारों को किये गये ₹ 1.41 करोड़ के परिहार्य मूल्य वृद्धि के अतिरिक्त राशि ₹ 10.14 करोड़[6] की अतिरिक्त लागत आई थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर राज्य शासन ने बताया (जनवरी 2014) कि सुधार तथा बेहतरी के उद्देश्य से निर्माणाधीन मोटलों में संयोजन तथा परिवर्तन किये गये थे। मोटलों में यह परिवर्तन उन्हें पर्यटकों के लिए सुविधाजनक तथा उपयोगी बनाने के उद्देश्य से किये गये थे। मूल्य वृद्धि भुगतान के संबंध में बताया (जनवरी 2014) कि निर्माण सामग्री जैसे सीमेंट, स्टील, ईंधन, मजदूरी आदि की लागत में वृद्धि होने के कारण मूल्य वृद्धि को अंतिम समय में पुनरीक्षित प्राक्कलन में सम्मिलित किया गया था तथा लोक निर्माण विभाग के मैन्युअल के अनुसार पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल) के द्वारा दी गई थी। आगे यह भी बताया कि मूल्य वृद्धि भुगतान का प्रावधान यद्यपि अनुबंध में नहीं था किन्तु ठेकेदारों को किया गया मूल्य वृद्धि का भुगतान उचित भुगतान था तथा यह ठेकेदारों को किये गये अधिक भुगतान अथवा अनुचित लाभ की श्रेणी में नहीं था।

उत्तर इस तथ्य को स्थापित कर रहा था कि योजना स्तर पर आवश्यकताओं का उचित अनुमान न लगाये जाने के कारण निविदा के पश्चात् कार्य की प्रकृति में बार बार परिवर्तन किये गये थे तथा इसके परिणामस्वरूप कार्य पूर्ण करने में विलम्ब हुआ, अतिरिक्त लागत तथा परिहार्य व्यय हुआ था। इसके अतिरिक्त बेहतर अधोसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराकर पर्यटकों को आकर्षित करने के मण्डल के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त किया जाना सुनिश्चित नहीं किया जा सका था।

बाधाओं को दूर करते हुए शेष दो मोटलों के निर्माण को शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल को उचित कदम उठाया जाना चाहिए।

2.9.2.2 *प्रबंधकीय अनुबंध के अंतर्गत मोटल संचालन की निविदा प्रक्रिया में विलम्ब किया जाना।*

अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि यद्यपि छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल ने जनवरी 2005 में मोटलों के निर्माण का निर्णय ले लिया था, किन्तु मोटलों को निजी ऑपरेटरों के माध्यम से संचालित करने का निर्णय तीन वर्ष एवं छह माह बाद जुलाई 2008 में लिया गया था। पूर्ण 16 मोटलों में से 15[7] का संचालन प्रबंधकीय अनुबंध के तहत संचालित किये जाने हेतु निविदाएं उक्त निर्णय के लिये जाने के पश्चात् दो से 36 माह के विलम्ब से फरवरी 2010 से जून 2013 के मध्य आमंत्रित की गई थी।

इस संबंध में यह भी प्रकाश में लाना महत्वपूर्ण है कि 16 पूर्ण मोटलों में से तीन[8]

[6] अतिरिक्त लागत भुगतान की गई राशि (₹ 25.07) निविदा लागत (₹ 14.93) = ₹10.14 करोड़

[7] मोटल सिरपुर का निर्माण कार्य नवम्बर 2013 को पूर्ण किया गया था।

[8] कोनकोना (अप्रैल 2008), कुलीपोड़ा (अप्रैल 2008) तथा काँपा (मई 2008)

मोटलों का निर्माण जूलाई 2008 के निर्णय से पूर्व पूर्ण कर लिया गया था तथा 13 मोटलें अगस्त 2008 से नवम्बर 2013 के मध्य पूर्ण कर ली गई थी।

निजी संचालकों के माध्यम से मोटलों के संचालन हेतु निविदाएं देर से आमंत्रित किये जाने के कारण निर्मित मोटलें तीन से 33 माह तक अनुपयोगी पड़ी रहने के कारण अतिरिक्त राशि ₹ 84.15 लाख **(परिशिष्ट 2.9.3)** की राजस्व हानि[9] हुई थी।

छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल ने उत्तर में बताया (अगस्त 2013) कि मोटल निर्माण के पहुंच मार्ग का निर्माण तथा स्थायी विद्युत कनेक्शन का कार्य बजट की उपलब्धता एवं सीमित कर्मचारियों के साथ छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के माध्यम से चरणबद्ध रूप से किया गया था तथा शासन ने बताया (जनवरी 2014) कि प्रबंधकीय अनुबंध हेतु निविदाएं प्रथम बार 25 फरवरी 2010 में राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी एवं उसके पश्चात् निविदाएं पांच बार और आमंत्रित की गई थी, किन्तु प्रतिभागियों की कमी तथा अनुपयुक्त निविदाकर्ताओं के कारण प्रबंधकीय अनुबंध के तहत मोटलों के संचालन में देरी हुई थी तथा इकाईयों को प्रबंधकीय अनुबंध के तहत हस्तांतरित किये जाने के सभी सम्भव प्रयास किये गये थे, किन्तु सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। तथापि छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल द्वारा मोटलों को प्रबंधकीय अनुबंध के तहत शीघ्र ही संचालन में दिये जाने हेतु हर सम्भव प्रयास किये जावेंगे।

उत्तर, मोटलों के निर्माण के तुरन्त पश्चात् उनके संचालन में दिये जाने के संबंध में योजना के कमी को सत्यापित कर रहा था।

2.9.2.3 चयनित फर्मों को मोटले देर से हस्तांतरित किया जाना।

पाँच वर्षो की अवधि के लिए मोटलों के प्रबंधन एवं संचालन हेतु अनुबंध मार्च 2011 तथा जून 2012 के मध्य निष्पादित किये गये थे।

अभिलेखों की जाँच के दौरान (अगस्त 2012) पाया गया कि छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल ने 14 निर्मित मोटलों के लिए पांच वर्ष की अवधि हेतु मोटलों के प्रबंधन एवं संचालन हेतु फरवरी 2010 तथा दिसम्बर 2011 के मध्य निविदाएं आमंत्रित की थी, जिसे फरवरी 2011 तथा दिसम्बर 2011 के मध्य अनुमोदित किया गया था एंव अनुबंध मार्च 2011 से जून 2012 के मध्य निष्पादित किये गये थे। यद्यपि 14 में से तीन[10] मोटलों को उनकी निविदायें स्वीकृत किये जाने की तिथि से एक माह के भीतर संचालन हेतु चयनित संचालकों को सौप दी गई थी, किन्तु शेष 11 मोटलों[11] को चयनित संचालकों को सौपे जाने में तीन से 12 माह का विलम्ब हुआ था। इन मोटलों को उनके संचालको को सौपे जाने के संबंध में हुए विलम्ब का कारण अभिलेखों में नही पाया गया। चूंकि पूरी तरह से तैयार मोटलों के लिए ही निविदाएं आमंत्रित की गई थी तथा निविदकर्ताओं

[9] निर्माण ठेके पूर्ण होने की तिथि तथा निविदा प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु तीन माह की अतिरिक्त अवधि देते हुए मोटलों को संचालन हेतु आमंत्रित की गई निविदा तिथि के अंतर के आधार पर राजस्व हानि की गणना की गई है।

[10] कुलीपोड़ा, तुमड़ीबोड़ तथा कोंडागाँव

[11] भाटागाँव, नथियानवागाँव, चाडिरमा, चिरगूड़ा, खपरी, कॉपा, केन्द्री कोंडातराई, कोनकोना राजिम तथा सारागाँव

ने मोटलों के विधिवत निरीक्षण के पश्चात् अपनी दरें प्रस्तुत की थी। अतः चयनित ऐजेन्सियों को इन मोटलों को विलम्ब से सौंपे जाने के कारण राजस्व हानि[12] के अतिरिक्त मोटलें अनुपयोगी रही थी।

यह इंगित किये जाने पर शासन ने बताया (जनवरी 2014) कि ठेके पांच वर्षों के लिए थे तथा यह देखा जा सकता है कि कुछ परिसंपत्तियाँ निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के तुरंत पश्चात् प्रबंधकीय अनुबंध के तहत नहीं दी गई थी तथा बताया कि निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के तुरंत पश्चात् छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल ने संबंधित संपत्तियाँ चयनित संचालकों को सौंपे जाने हेतु हर सम्भव प्रयास किये थे। आगे बताया कि यह राजस्व की हानि नहीं थी अपितु प्रबंधकीय अनुबंध के तहत संचालन हेतु संपत्तियां निजी संचालकों को सौंपे जाने की गर्भाधान अवधि थी।

उत्तर से स्पष्ट था कि मोटलें संचालकों को सौपे जाने में छत्तीसगढ़ पर्यटन पण्डल ने विलम्ब किया था तथा विलम्ब अवधि के संबंध में शासन का यह आशय कि विलम्ब वास्तव में गर्भकाल अवधि थी, स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निजी संचालकों द्वारा स्वीकार करना, स्वयं ही स्पष्ट कर रहा था कि वे संबंधित सम्पतियों का आधिपत्य लेने हेतु तैयार थे। अतः हस्तांतरण में होने वाले तीन से 12 माह के विलम्ब को गर्भकाल अवधि कहना स्वीकार्य नहीं था, विशेषतयाः तब जब हस्तांतरण में होने वाला विलम्ब छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल के राजस्व पर प्रभाव डाल रहा था।

2.9.2.4 राशि ₹ 41.97 लाख की लीज राशि समयबद्ध रूप से वसूल न किया जाना।

लीज अनुबंध की धारा 6 के अनुसार अनुबंध हस्ताक्षरित किये जाने के सात दिवसों के अंदर फर्मों द्वारा मासिक लीज राशि त्रैमासिक आधार पर एडवांस में जमा की जानी थी। यदि फर्म लीज की राशि एडवांस में जमा करने में विफल रहती है तो भुगतान योग्य राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज फर्म द्वारा देय था।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया (अगस्त 2012 तथा जूलाई 2013) कि दो मोटलों, राजिम (रायपुर) तथा तुमड़ीबोड (राजनांदगाँव) के मामले में लीज राशि समय पर प्राप्त हो रही थी। जबकि मोटल कुलीपोड़ा (जाँजगीर-चाँपा) के मामले में दो वर्षों से लीज राशि प्राप्त नहीं हुई थी तथा मोटल सरगाँव चाडिरमा, भाटागांव की लीज राशि एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित थी। शेष सात[13] मोटलों की लीज राशि तीन से 11 माहों से वसूल नहीं की गई थी, जैसा की **परिशिष्ट 2.9.5** में वर्णित है। यद्यपि मण्डल ने कई पत्राचार किये गये थे किन्तु सभी मोटलों से पूर्ण वसूली नहीं की जा सकी थी।

अतः अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार लीज राशि समयबद्ध रूप से वसूल न किये जाने के कारण राशि ₹ 41.97 लाख का राजस्व प्राप्त नहीं किया जा सका था।

[12] राजस्व हानि राशि ₹ 19.55 लाख यथा **परिशिष्ट 2.9.4** में उल्लेखित है।

[13] चिरगूड़ा, खपरी, कम्पा, केन्द्री, कोन्डातराई, कोन्डागाँव और नथियानवागाँव

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल ने बताया (अगस्त 2013) कि प्रबंधकीय अनुबंध के तहत मोटलों का संचालन छत्तीसगढ़ में अपनी प्रकृति का अभिनव प्रयास था तथा बताया कि निजी संचालकों ने मोटल संचालन के नये तरीकों से अपने आप को समायोजित करने में समय लगाया था। यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल के पास मोटल संचालकों की जमानत राशि जमा है अतः मण्डल को हानि की सम्भावना नहीं थी। आगे बताया कि लीज राशि जमा करने हेतु संचालकों से पत्राचार किये जा रहे है। छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल ने आगे सूचित किया (जनवरी 2014) कि संचालकों से राशि ₹ 23 लाख वसूल कर लिए गये है। किन्तु विस्तृत विवरण लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया था।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि लीज अनुबंध की उपर वर्णित धारा के अनुसार फर्मों द्वारा लीज की राशि अग्रिम में जमा की जानी थी तथा जमा न करने की स्थिति में छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल को अनुबंध में वर्णित दण्ड के साथ राशि वसूल करने हेतु ठोस कदम उठाये जाने थे। लम्बित लीज राशि प्रतिभूति जमा से वसूल किये जाने के प्रबंधन का कथन स्वीकार योग्य नहीं था क्योंकि मोटल चाडिरमा तथा भाटागाँव के मामले में वसूली योग्य राशि उपलब्ध प्रतिभूति जमा से अधिक[14] हो चुकी थी।

राजस्व की वसूली लीज अनुबंध की शर्तों एवं धाराओं के अनुसार तथा समयबद्ध रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2.9.3 निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ में पर्यटकों के आगमन में वृद्धि करने के लिए तथा पयर्टकों के लिए मूलभूत पर्यटन सुविधाओं के विकास हेतु छत्तीसगढ़ पयर्टन मण्डल उत्तरदायी था। आठ वर्षों से अधिक समय व्यतीत हो जाने पर भी नवम्बर 2013 की स्थिति में छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल 18 में से केवल 16 मोटलें ही निर्मित कर सका था। लेखा परीक्षा ने पाया कि प्रारम्भिक स्तर पर उपयुक्त योजना न बनाये जाने तथा निविदा प्रक्रिया के पश्चात् कार्य की प्रकृति में बार-बार परिवर्तन किये जाने के परिणाम स्वरूप मोटलों के निर्माण में देर हुई थी, अतिरिक्त लागत आई थी तथा मोटलें पूर्ण नहीं की जा सकी थी। इन मोटलों के संचालन के संबंध में समावेशित योजना बनाने में छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल के असफल रहने के कारण निविदा आमंत्रण में विलम्ब हुआ था, निविदा के पश्चात् भी मोटलें हस्तांतरित नहीं की जा सकी थीं तथा राजस्व हानि के बावजूद भी मोटलें अनुपयोगी पड़ी थीं।

शासन ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2014) कि दो अनिर्मित मोटलों को पूर्ण किये जाने हेतु समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। शासन ने आगे बताया कि प्रबंधकीय

14

मोटल का नाम	उपलब्ध प्रतिभुति जमा राशि ₹ में	कुल शेष वसूलियाँ (राशि ₹ में)
चाडिरमा	500000	916000
भाटागाँव	400000	426000

अनुबंध के अंतर्गत सौपी गई मोटलों के नियमित तथा आवधिक निरीक्षण एवं फर्मों से नियमित रूप से राजस्व प्राप्ति को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पाँच सदस्यों की समीक्षा समिति का गठन किया गया है।